भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

1978-79

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

		अनुभाग	पृष्ठ
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		
अध्याय I	सरकारी कम्पनियां		
	प्रस्तावना	I	1
	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	II	7
	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	III	27
	पर्वतीय, पिछड़े क्षेत्र एवं अनुसूचित जन-जाति विकास कम्पनियां	IV	54
	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	V	70
	अन्य सरकारी कम्पनियां	VI	84
अध्याय II	सांविधिक निगम		
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्		
	प्रस्तावना	VII	90
	जल विद्युत् उत्पादक स्टेशन	VIII	91
	राजस्व की हानि	IX	111
	अन्य रोचक विषय	X	121
अध्याय III	अन्य सांविधिक निगम	XI	128
	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम		
	सिटी बस सेवा	XII	130
	निजी बसों को किराया पद्धति के आधार पर चलाना	XIII	149
	अन्य रोचक विषय	XIV	155
	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	XV	157
	परिशिष्ट		
परिशिष्ट I	सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम		160
परिशिष्ट II	सांविधिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम		172

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएं, जिनके लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:--

(i) सरकारी कम्पनियां,

(ii) सांविधिक निगम, और

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्ध वाणिज्यिक उपक्रम ।

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सहित सांविधिक निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा है । विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में की गई है।

3. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1978-79 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखने में आए थे किन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था; जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, 1978-79 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी शामिल कर लिए गए हैं ।

4. सरकारी कम्पनियों के मामले में, लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा की जाती है, किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पूरक या नमूना लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं। उन्हें यह भी शक्ति दी गई है कि वे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी दें या पूरक प्रतिवेदन दें। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह शक्ति भी दी गई है कि लेखापरीक्षकों को उनके कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दें। सरकारी कम्पनियों के कार्य के कुछ विशिष्ट पहलुओं की जांच करने के लिए लेखापरीक्षकों को इस प्रकार के निदेश नवम्बर 1962 में दिए गए थे। ये निदेश दिसम्बर 1965 में और पुनः फरवरी 1969 में संशोधित कर दिए गए थे।

5. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् जो कि सांविधिक निकाय हैं, के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ही एकमात्र लेखापरीक्षक हैं, जबकि अन्य दो सांविधिक निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में उन्हें (सम्बन्धित अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार) सम्बद्ध अधिनियमों के अधीन नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा की गई लेखापरीक्षा से स्वतन्त्र लेखापरीक्षा करने का अधिकार है ।

6. प्रतिवेदन में वे बातें कही गई हैं जो उपर्युक्त उपक्रमों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आई हैं। इनका अभिप्राय न तो संबंधित उपक्रमो के वित्तीय प्रशासन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करना है और न ही उनका यह अर्थ समझा जाए।

अध्याय I

सरकारी कम्पनियां

अनुभाग I

1.01. प्रस्तावना

31 मार्च 1979 को राज्य सरकार की 80 कम्पनियां (30 सहायक कम्पनियों सहित) थीं। 80 कम्पनियों में से 65 (25 सहायक कम्पनियों सहित) अपने लेखाओं को प्रतिवर्ष 31 मार्च को, आठ कम्पनियां (एक सहायक कम्पनी सहित) 30 जून को, दो सहायक कम्पनियां 31 जुलाई को, तीन कम्पनियां (एक सहायक कम्पनी सहित) 30 सितम्बर को और दो कम्पनियां (एक सहायक कम्पनी) 31 दिसम्बर को बन्द करती हैं।

1.02. वर्ष 1978–79 के सम्बन्ध में 37 कम्पनियों (12 सहायक कम्पनियों सहित) और इससे पूर्व के वर्षों के सम्बन्ध में 26 कम्पनियों (7 सहायक कम्पनियों सहित), जिनके लेखे जून 1980 तक प्राप्त हुए थे, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दर्शाते हुए एक साररूप विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है।

1.03. 39 कम्पनियों के लेखे बकाया पड़े थे (जून 1980)। कम्पनियां (23) जिनके लेखे दो अथवा दो से अधिक वर्षों से बकाया हैं, नीचे दी गई हैं:—

कम्पनी का नाम	बकायों की सीमा
उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेज प्राइवेट लिमिटेड	1972–73 से 1978–79 तक
उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	1972–73 से 1978–79 तक
कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड	1973–74 से 1978–79 तक
उत्तर प्रदेश रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	1973–74 से 1978–79 तक
फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड	1973–74 से 1978–79 तक
नार्दर्न इलैक्ट्रिकल इक्युपमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	1974–75 से 1978–79 तक
उत्तर प्रदेश पाटरीज प्राइवेट लिमिटेड	1975–76 से 1978–79 तक
उत्तर प्रदेश एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड	1975–76 से 1978–79 तक
बुन्देलखण्ड कान्क्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	1975–76 से 1978–79 तक
उत्तर प्रदेश पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड	1976 से 1978 तक
उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1976–77 से 1978–79 तक
उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1976–77 से 1978–79 तक
उत्तर प्रदेश प्रैस्ट्रैस्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1977–78 और 1978–79
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	1977–78 और 1978–79
मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी (प्राइवेट) लिमिटेड	1977–78 और 1978–79
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1977–78 और 1978–79
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम पाटरीज लिमिटेड	1977–78 और 1978–79
हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर एण्ड बस्ती) लिमिटेड	1977–78 और 1978–79

कम्पनी का नाम	बकायों की सीमा
उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1977–78 और 1978–79
उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	1977–78 और 1978–79
उपाय लिमिटेड	1977–78 और 1978–79
अपट्रान सैम्पैक लिमिटेड	1977–78 और 1978–79
तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1977–78 और 1978–79

फरवरी 1980 में मामला सरकार की जानकारी में लाया गया था।

चार कम्पनियां, यथा इन्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, गन्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड, रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड एवं शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड परिसमापनाधीन हैं।

1.04. प्रदत्त पूंजी

37 कम्पनियों (जिनके लेखे पूर्ण थे) की कुल प्रदत्त पूंजी 1978–79 के अन्त में 14,115.68 लाख रुपये थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार था:—

कम्पनियों की श्रेणी	संख्या	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां	नियंत्रक कम्पनियां	निजी संस्थाएं	योग
		(लाख रुपयों में)					
1. राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियां	18	11,489.75	..	..	..	..	11,489.75
2. राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	1	44.00	6.00	..	..	..	50.00
3. सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां	9	..	..	..	2,127.09	..	2,127.09
4. राज्य सरकार एवं निजी संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	7	214.57	..	..	110.00	56.73	381.30
5. नियन्त्रक कम्पनी एवं केन्द्रीय सरकार की कम्पनी के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	2	..	..	29.93	37.61	..	67.54
योग	37	11,748.32	6.00	29.93	2,274.70	56.73	14,115.68

1.05. लाभ एवं लाभांश

1978–79 के लिए 37 कम्पनियों के कार्यकलापों के परिणामों से 265.22 लाख रुपये के कुल लाभ (19 कम्पनियां) और 1,373.20 लाख रुपये की कुल हानि (16 कम्पनियां) मिलाकर 1,107.98 लाख रुपये की कुल शुद्ध हानि प्रकट हुई। दो कम्पनियों, जो निर्माणाधीन अवस्था में थीं, ने अपने सम्पूर्ण व्यय वर्ष के दौरान पूंजीकृत कर दिये थे।

पिछले वर्ष की तुलना में 1978–79 के दौरान जिन्होंने अपने कार्य-कलाप के परिणामों में सारभूत सुधार किया उन 9 कम्पनियों के विवरण निम्न प्रकार हैं:—

नाम	लाभ (+)/हानि (–) 1977–78	1978–79
	(लाख रुपयों में)	
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	(+) 42.29	(+) 63.85
उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 1.07	(+) 5.29
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	(+) 2.80	(+) 8.34
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	(+) 5.65	(+) 9.90
उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	(+) 0.51	(+) 1.07
दि इन्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	(+) 11.61	(+) 15.40
उत्तर प्रदेश स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड	(–) 195.56	(–) 4.82
उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 239.37	(+) 70.66
ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड	(–) 3.55	(+) 0.18

पांच कम्पनियों ने 1978–79 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विनियोजित 1,630.46 लाख रुपये की पूंजी का 2.68 प्रतिशत या 43.65 लाख रुपये का कुल लाभांश घोषित किया।

नाम	प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार का विनियोग	घोषित लाभांश की दर (प्रतिशत)	सरकार की पूंजी पर लाभांश की धनराशि (लाख रुपयों में)
	(लाख रुपयों में)			
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1,430.73*	1,430.73	2.0	28.45
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00	100.00	8.5	8.50†
दि इन्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	21.83	12.73	1.4	1.78
उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	14.52**	10.00	3.0	0.30
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	77.00	77.00	6.1	4.62

* आवंटन से पूर्व प्राप्त अंशराशि के रूप में 8 लाख रुपये सम्मिलित हैं।

** आवंटन से पूर्व प्राप्त अंश आवेदन राशि के रूप में 1.91 लाख रुपये सम्मिलित हैं।

† लाभांश वर्ष 1977–78 के लिए है।

पिछले वर्ष की तुलना में 1978–79 के दौरान जिनके कार्य-कलापों के परिणामों में सारभूत ह्रास हुआ, उन 5 कम्पनियों के विवरण निम्न प्रकार हैं:—

नाम	लाभ (+)/हानि (–) 1977–78	1978–79
	(लाख रुपयों में)	
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 70.19	(–) 190.60
उत्तर प्रदेश शैड्यूल्डकास्ट फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	(+) 5.05	(–) 5.02
प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	(–) 0.57	(–) 3.09
हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	(+) 4.77	(–) 1.12
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 558.08	(–) 620.63

कम्पनियों, जिनके लेखे 1978–79 में सम्परीक्षा के लिए उपलब्ध थे, में से 8,924.12 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी रखने वाली 23 कम्पनियों ने हानियां उठायीं और उनके द्वारा उठायी गई कुल संचित हानि 5,785.21 लाख रुपये थी। इस धनराशि में से 5,763.35 लाख रुपये निम्नलिखित 13 कम्पनियों की संचित हानियों से सम्बन्धित थे:—

नाम	वर्ष	प्रदत्त पूंजी	संचित हानि	प्रदत्त पूंजी पर संचित हानि का प्रतिशत
		(लाख रुपयों में)		
नन्दगंज-सिंहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	1978–79	503.00	454.24	90
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड	1978–79	1,070.00	601.35	56
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79	3,707.00*	571.91	15
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	1978–79	258.00	332.42	129
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	1978–79	253.00	286.36	113

* 155 लाख रुपये की अंश आवेदन राशि सम्मिलित है।

नाम	वर्ष	प्रदत्त पूंजी	संचित हानि	प्रदत्त पूंजी पर संचित हानि का प्रतिशत
		(लाख रुपयों में)		
उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	1978–79	7.01	76.53	1,092
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79	1,910.00	2,380.11	125
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	1978–79	187.89	596.43	318
टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	1978–79	5.79	8.22	142
ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड	1978–79	8.09	7.54	93
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	1977–78	708.83	409.86	58
गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1977–78	45.00	17.10	38
उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1976–77	85.80	21.28	25

1.06. सरकार द्वारा गारन्टी किये गए ऋण

सरकार ने 17 कम्पनियों द्वारा लिए गए कुल 9,433.97 लाख रुपये के ऋणों की अदायगी की गारन्टी दी है जिसके विरुद्ध 31 मार्च 1979 को 5,095.05 लाख रुपये अदत्त थे।

निम्न तालिका प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध अदत्त धनराशि एवं गारन्टी की गई अधिकतम धनराशि दर्शाती है:—

नाम	अधिकतम धनराशि जिसकी गारन्टी दी गई*	31 मार्च 1979 को गारन्टी दी गई और अदत्त धनराशि*
	(लाख रुपयों में)	
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड, लखनऊ	640.00	447.00
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	542.93	21.82
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ	434.20	266.84
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	1,201.30	905.00
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	70.47	70.47
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, चुर्क (मिर्जापुर)	2,300.00	..
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, लखनऊ	300.00	..

* आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1978–79 के वित्त लेखाओं के अनुसार।

नाम	अधिकतम धनराशि जिसकी गारन्टी की गई*	31 मार्च 1979 को गारन्टी दी गई और अदत्त धनराशि*
	(लाख रुपयों में)	
उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	985.00	879.00
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं 0 I) लिमिटेड, कानपुर	1,046.50	919.89
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, मुजफ्फरनगर	55.65	..
उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, बरेली	58.92	..
उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, देवरिया	60.00	43.03
उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	90.00	90.00
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा (नैनीताल)	135.00	104.00
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, चांदपुर (बिजनौर)	387.00	343.00
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड, छाता (मथुरा)	377.00	360.00
नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड, नन्दगंज (गाजीपुर)	750.00	645.00
योग	9,433.97	5,095.05

1.07. इसके अतिरिक्त राज्य में कम्पनी अधिनियम की धारा 619-बी के अन्तर्गत आने वाली तीन कम्पनियां थीं, यथा स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड, अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड और इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इन्डिया) लिमिटेड।

स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी 31 दिसम्बर 1978 को 90 लाख रुपये थी (70 लाख रुपये सामान्य अंशों में और 20 लाख रुपये अधिमान अंशों में) जिसमें से 54.92 लाख रुपये (37.95 लाख रुपये सामान्य अंशों में और 16.97 लाख रुपये अधिमान अंशों में) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नियन्त्रित या स्वामित्व वाली कम्पनियों और निगमों के पास थे। तथापि कम्पनी के 31 दिसम्बर 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखे अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1980)।

अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी 31 अक्तूबर, 1978 को 140 लाख रुपये थी जिसमें से 85.40 लाख रुपये केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा नियन्त्रित या स्वामित्व वाली कम्पनियों और निगमों के पास थे। वर्ष 1977-78 के लिए कम्पनी के क्रियाकलाप के परिणामों ने 59.04 लाख रुपये का शुद्ध लाभ दर्शाया।

इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इन्डिया) लिमिटेड के 31 दिसम्बर 1978 को समाप्त होने वाले चार वर्षों के लिए लेखे बकाया थे (जून 1980)।

---

*आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1978-79 के वित्त लेखाओं के अनुसार।

अनुभाग II

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड

2.01. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड जनवरी 1966 को, रुपए 50 लाख की अधिकृत अंश पूंजी से, जो 1977–78 में रुपए 150 लाख बढ़ाई गई थी, निगमित की गई।

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:

(अ) राज्य के मध्यम और लघु उद्योगों से निर्यात बाजारों को माल की निकासी के लिए माध्यम के रूप में सेवा देना;

(ब) विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण कराना और निर्यातकों के क्रियाकलापों का निर्यात उत्थान परिषदों और पण्य परिषदों से समन्वय करना ;

(स) निर्यात व्यापार केन्द्रों को खोलना और भारत व विदेशों में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था करना;

(द) राज्य के उद्योगों की निर्यात बाजारों के सम्बन्ध में पुनरस्थापना, वैज्ञानिक शोध के उत्थान के लिए संस्थाओं की स्थापना और इन उद्योगों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों को प्रारम्भ करना; और

(य) राज्य में निर्यात आधारित उद्योगों में वित्तीय सहायता देना और भाग लेना।

2.02. क्रिया कलाप

कम्पनी के क्रिया कलाप अधोलिखित तक परिरुद्ध हैं ;

निर्यात आधारित उद्योगों में प्रोन्नतीय क्रियाकलापों और परामर्शीय सेवाएं ;

राज्य के पारम्परिक और अपारम्परिक औद्योगिक उत्पादों का निर्यात; और

राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का उत्पादन और आन्तरिक विक्रय।

निर्यात के पारम्परिक मदों में ऊनी कालीन, काष्ठ वस्तुएं, खेल सामग्री, धातु की कलात्मक वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, रेशमी जरी और चिकन कसीदाकारी, चर्म वस्तुएं आदि सम्मिलित हैं जबकि अपारम्परिक मदों में मद्य, शीरा, कच्चा मदिरा आदि शामिल हैं।

कम्पनी देश के विभिन्न भागों में नौ हस्त शिल्प वाणिज्य केन्द्र "गंगोत्री" चलाती है। कम्पनी भारत में मेलों और प्रदर्शनियों और विदेशों में व्यापार सम्मिलनों में भी भाग लेती है। ऐसे मेलों, व्यापार सम्मिलनों और प्रदर्शनियों में भाग लेने का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। कम्पनी ने निर्यात आधारित उद्योगों में वास्तविक उपयोगकर्ताओं को दुर्लभ कच्चा माल व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपने क्रिया कलाप में आयात भी जोड़ दिया (1975)।

जहां तक प्रोन्नतीय क्रियाकलापों का सम्बन्ध है कम्पनी ने, कालीन बुनाई उद्योग के लिए कुशल शिल्पी उत्पन्न करने हेतु, कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। कम्पनी ने निर्यात और आन्तरिक बिक्री के लिए चिकन कसीदाकारी का विकास कार्य भी हाथ में लिया था और लोनी में सिले सिलाए वस्त्रों और मेरठ म खेल सामग्री के निर्यातोन्मुखी काम्पलेक्सों की स्थापना की।

2.03. संगठनात्मक व्यवस्था

कम्पनी का प्रबन्ध एक अल्प कालिक अध्यक्ष, एक पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नौ अन्य निदेशकों से गठित एक निदेशक मण्डल में निहित है। प्रबन्ध निदेशक दिन प्रतिदिन के प्रशासन में प्रधान कार्यालय में एक उप सामान्य प्रबन्धक; मुख्य प्रबंधक (वाणिज्यिक) और सलाहकार व मुख्य प्रबंधक (वित्त) और भदोही (वाराणसी); सहारनपुर, मेरठ और लखनऊ में मण्डलीय प्रधानों से सहायता पाता है। प्रदर्शन कक्ष व बिक्री केन्द्र हस्त शिल्प प्रभाग के प्रशासकीय अधिकारी की पूर्ण आधीनता के अन्तर्गत शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित हैं।

2.04. पूंजी संरचना

31 मार्च 1979 को राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त प्रदत्त पूंजी रुपए 134 लाख थी (रुपए 20 लाख की अंश प्रार्थना धनराशि सहित)।

2.05. वित्तीय स्थिति

निम्न तालिका कम्पनी की 1978–79 तक के तीन वर्षों के अन्त की वित्तीय स्थिति को संक्षेप में बताती है :

	1976–77	1977–78	1978–79
दायित्व		(लाख रुपयों में)	
प्रदत्त पूंजी (अंश प्रार्थना राशि सहित)	99.00	114.00	134.00
संचित व आधिक्य	8.35	9.87	11.53
वारोइंग्स (नकद साख सहित)	112.21	162.98	209.63
व्यापारिक देनदारियां व अन्य चालू दायित्व (प्राविधानों सहित)	55.86	139.50	208.77
योग	275.42	426.35	563.93
परिसम्पत्तियां			
सकल अचल सम्पत्तियां	13.54	14.56	19.40
घटाया–ह्रास	3.63	4.84	6.47
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	9.91	9.72	12.93
पूंजीगत कार्य प्रगति में	..	..	0.36
विनियोग	..	9.75	10.65
चालू परिसम्पत्तियां	265.51	406.88	538.75
ऋण और अग्रिम			
विविध व्यय	..	..	1.24
योग	275.42	426.35	563.93
नियोजित पूंजी	219.56	277.10	342.91
शुद्ध मूल्य	107.35	123.87	144.29

टिप्पणी– (i) नियोजित पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों (पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को छोड़कर) व कार्यशील पूंजी के योग को दर्शाती हैं।

(ii) शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी और संचित व आधिक्य के योग से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटाकर निकाला गया है।

2.06. कार्यकलापों का परिणाम

1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान कम्पनी ने क्रमशः रुपये 5.61 लाख, रुपए 1.52 लाख और रुपए 0.40 लाख का शुद्ध लाभ (करों के पश्चात्) कमाया। कालीन, जो कम्पनी के निर्यात का मुख्य मद है, के लिए मन्द बाजार को प्रबन्धकों द्वारा कम्पनी के 1977–78 और 1978–79 में लाभ में कमी का कारण ठहराया गया (दिसम्बर 1979)।

2.07. साख नियंत्रण

निम्न तालिका 1978–79 तक के तीन वर्षों के लिए पुस्तक ऋण और बिक्री की मात्रा को इंगित करती है :

वर्ष	वर्ष के दौरान बिक्री	वर्ष के समापन पर पुस्तक ऋण	ऋणों का बिक्री से प्रतिशत
		(लाख रुपयों में)	
1976–77	132.32	109.13	82.47
1977–78	208.96	102.58	49.09
1978–79	264.70	116.41	43.98

31 मार्च 1979 को रुपए 116.41 लाख के विविध देनदारों में, रुपए 4.10 लाख सरकारी विभागों और रुपए 112.31 लाख निजी पक्षों के विरुद्ध बकाया था। 31 मार्च 1979 को रुपये 116.41 लाख का प्राचीनतानुसार विवरण निम्न प्रकार है :

बकाया ऋण	धनराशि
	(लाख रुपयों में)
छः माह से कम	89.93
छः माह और अधिक	26.29
सन्देहास्पद ऋण	0.19
योग	116.41

2.08. कालीन प्रभाग

निर्यात बाजार में अत्यधिक मांग वाली मिर्जापुर–भदोही पट्टी की हस्त-गांठित ऊनी कालीनों के निर्यात बाजार में प्रवेश हेतु कम्पनी ने भदोही (वाराणसी) में एक कालीन प्रभाग की स्थापना की (अक्तूबर 1974)। अपनाई गई व्यापारिक व्यूह-रचना थी निजी निर्यातकों और निर्माताओं को निर्यात अनुबन्ध कम्पनी के माध्यम से पूरा करने को प्रोत्साहित करना, उन्हें आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, कालीनों को खुले बाजार से उपार्जन द्वारा निर्यात आदेशों का क्रियान्वयन और अपने स्वयं के उत्पाद केन्द्रों की स्थापना कर कालीनों का उत्पादन। प्रभाग के क्रियाकलापों में कालीनों के लिए प्रदर्शन कक्षों का निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा विदेशों में अनन्य व्यापारिक सभाएं करके विदेशी बाजारों का अनुसंधान, निर्यात आदेशों के लिए भारत और विदेशों में अभिकर्ताओं की नियुक्ति और कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित है।

अखिल भारतीय कालीन निर्माता संगठन के गणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत से कालीनों के कुल निर्यात का पंचानवे प्रतिशत मिर्जापुर-भदोही पट्टी से होता है। निम्न तालिका ऐसे निर्यात में

कम्पनी के भाग को दर्शाती है :

वर्ष	भदोही कालीनों का कुल निर्यात	कम्पनी का कुल निर्यात	कुल निर्यात से कम्पनी के निर्यात का प्रतिशत
		(लाख रुपयों में)	
1976–77	5,057.85	175.44	3.5
1977–78	6,923.37	161.72	2.5
1978–79	7,758.58	110.42	1.4

यह देखा जाएगा कि जबकि देश से भदोही कालीनों के निर्यात में 53 प्रतिशत की वृद्धि थी इसी अवधि के दौरान कम्पनी के निर्यात में 37 प्रतिशत की कमी आई। प्रबन्धकों ने इसे पश्चिम जर्मनी की बाजारों, जहां कम्पनी ने अपने क्रियाकलापों को केन्द्रित रखा था, में एकाएक मूल्य में गिरावट, बाजार शोध और सर्वेक्षण की अपर्याप्तता, विदेशी बाजारों में उचित भण्डारण और प्रदर्शन कक्ष की सुविधाओं के अभाव को कारण ठहराया (अप्रैल 1979)। निदेशक मण्डल ने बाजार अनुसन्धान के लिए यूरोप और यू0एस0ए0 को अधिकारियों की वैयक्तिक यात्रा, यू0के0 और जर्मनी में अभिकर्ता व्यवस्था को अन्तिम रूप देना और विभिन्न विदेशी बाजारों में कालीन उपभोग पैटर्न के अध्ययन की आवश्यकता पर विचार किया (अक्तूबर 1979)। कम्पनी के दो निदेशकों से बने एक अध्ययन दल ने अक्तूबर 1979 में यूरोप और यू0एस0ए0 की यात्रा की। दल का अन्तिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (मार्च 1980)।

(क) कालीनों की अधिप्राप्ति और निर्यात

निर्यात बिक्री के लिए कालीनों के उत्पादन हेतु कम्पनी ने अब तक किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कैप्टिव क्षमता का विकास नहीं किया और स्थानीय बुनकरों/आपूर्तिकर्ताओं से खुले बाजार में क्रय करती रही। मौसमी उतार चढ़ाव के अतिरिक्त कालीन कीमतें कई बातों, जैसे धागा और डाइ का गुण, धागे में गांठ लगाना, ताना-बाना अनुपात, डिजाइन, फिनिश और कारीगरी पर आश्रित है। कम्पनी ने कालीन क्रय हेतु पर्याप्त तरीके और समितियां नहीं बनाईं, यह कार्य अनन्यरूप से क्षेत्रीय प्रबन्धक (कालीन प्रभाग) द्वारा किया जाता है जो निरीक्षण करता है, समझौता करता है और बुनकरों/आपूर्तिकर्ताओं से दरों को तय करता है। 1978–79 तक के 5 वर्षों के दौरान किए गए क्रय रुपये 444.29 लाख के थे। प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1979) कि क्रय नीति/विधि सुप्रवाही करने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

(ख) कालीनों का निर्यात

निम्न तालिका 1978–79 तक के पांच वर्षों के दौरान कालीनों के निर्यात से बिक्री लागत और बिक्री से उपार्जन दर्शाती है :

वर्ष	बिक्री उपार्जन (पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य नकद प्रोत्साहन आदि)	बिक्री लागत (अभिकर्ता के कमीशन सहित)	लाभ (+)/हानि (–)
		(लाख रुपयों में)	
1974–75	1.22	1.48	(–) 0.26
1975–76	10.21	12.61	(–) 2.40
1976–77	88.37	88.92	(–) 0.55
1977–78	168.84	159.36	(+) 9.48
1978–79	126.22	124.45	(+) 1.77
योग	394.86	386.82	(+) 8.04

1977–78 में 5.6 प्रतिशत लाभ से 1978–79 में 1.4 प्रतिशत लाभ की घटान अंशत: पुराने स्कन्ध की बिक्री और अंशत: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार के कारण थी।

(ग) विदेशी आपूर्तियों पर नकद प्रोत्साहन

भदोही में कालीन प्रभाग की स्थापना (अक्तूबर 1974) के बाद कम्पनी ने ऊनी कालीनों के लिए निर्यात आदेशों का (i) स्थानीय बाजार से कालीनों की प्रत्यक्ष अधिप्राप्ति (विदेशी बिक्री) और (ii) निजी निर्यातकों से विदेशी क्रेताओं को कम्पनी के माध्यम से कालीनों के निर्यात की व्यवस्था (विदेशी आपूर्ति) द्वारा क्रियान्वयन प्रारम्भ किया। ऊनी कालीनों के निर्यात प्रोन्नति हेतु भारत सरकार कालीनों के पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के आधार पर 5–20 प्रतिशत नकद प्रोत्साहन देती है।

1978–79 तक के पांच वर्षों के दौरान कम्पनी ने "विदेशी बिक्री" और "विदेशी आपूर्ति" के अन्तर्गत कालीनों का निम्नांकित निर्यात किया :

वर्ष	विदेशी बिक्री (एफ0 ओ0 बी0 मूल्य)	विदेशी आपूर्ति (एफ0 ओ0 बी0 मूल्य) (लाख रुपयों में)	योग
1974–75	1.21	34.88	36.09
1975–76	8.75	84.78	93.53
1976–77	73.32	102.12	175.44
1977–78	140.77	20.95	161.72
1978–79	105.63	4.79	110.42
योग	329.68	247.52	577.20

जब कि "विदेशी बिक्री" के सम्बन्ध में सम्पूर्ण नकद प्रोत्साहन कम्पनी को जाता है "विदेशी आपूर्ति" के सम्बन्ध में नकद प्रोत्साहन का लाभ निजी निर्यातकों को मिलता है और कम्पनी निजी पक्षों और कम्पनी के मध्य हुई सहमति के अनुसार 2–5 प्रतिशत सेवा भार वसूलती है।

(घ) नकद सहायता की हानि

कम्पनी ने रुपए 0.53 लाख के तीन दावे किए (1977–78) जो आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए कि निर्यात के समय निर्यात के समर्थन में कागजात सीमा शुल्क अधिकारियों से प्रमाणित नहीं कराए गए। कम्पनी ने बताया (जनवरी 1980) कि मामला अब भी अनुसरण किया जा रहा है।

(ङ) बिक्री अभिकर्ताओं को कमीशन का अधिक भुगतान

विदेशी क्रेताओं को कम्पनी से परिचित कराने और अन्य व्यावसायिक सेवाएं देने के लिए कम्पनी बिक्री अभिकर्ताओं की नियुक्ति करती है। कम्पनी ने तीन विदेशी फर्मों (दो पश्चिमी

जर्मनी और एक यूनाइटेड किंगडम) और एक भारतीय फर्म को उनके माध्यम से लाए गए निर्यात विक्रय के पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य क पांच प्रतिशत कमीशन पर अपने बिक्री अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया। विदेशी क्रेताओं से अनुबन्ध के अनुसार अभिकर्ता का कमीशन विदेशी क्रेताओं द्वारा देय होता है और पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य (बिक्री लागत और अभिकर्ता का कमीशन जोड़कर) में सम्मिलित है।

इस तरह अभिकर्ता का कमीशन एफ0 ओ0वी0 बिक्री मूल्य पर नियंत्रित होने के बजाय कमीशन अभिकर्ता के कमीशन सहित एफ0 ओ0वी0 मूल्य के आधार पर दिया गया जो अभिकर्ताओं के माध्यम से किये गये निर्यात (एफ0 ओ0बी0 मूल्य रुपये 243.22 लाख) पर रुपये 0.58 लाख के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।

(च) सेवा भार की हानि

नवम्बर 1974 से दिसम्बर 1975 तक पश्चिम जर्मनी में एक क्रेता को रुपये 36.07 लाख (पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य) की ऊनी कालीनें निर्यात की गईं। ये निर्यात निजी पक्षों द्वारा क्रियान्वित किये गये और अनुबन्ध के अनुसार कम्पनी (जहाज पर माल लदाई से पूर्व निरीक्षण के लिए) निर्यात के बीजक मूल्य में जोड़ दिये जाने वाले पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का दो प्रतिशत सेवा भार पाने की हकदार थी जो विदेशी क्रेता से वसूली योग्य था। विदेशी विनियम नियम, बीजक के निर्गमन के बाद बीजक मूल्य में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं करते हैं। कम्पनी ने सेवा भार की राशि रुपये 0.72 लाख खो दिया क्योंकि बीजक मूल्य में इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया था। इन भारों की अलग से वसूली के कम्पनी के प्रयत्न अब तक निष्फल रहे (मई 1980)।

(छ) ब्याज का अतिरिक्त दायित्व

निर्यात के पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य की गणना में कम्पनी द्वारा विदेशी क्रेता को स्वीकृत साख अवधि (60–120 दिन) के लिए ब्याज भार (जहाज में माल लदाई कागजातों के विरुद्ध बैंक से कम्पनी द्वारा लिये गये अग्रिम पर देय) सम्मिलित था। अगस्त 1977 से मार्च 1978 के दौरान 26 मामलों में निर्यात प्राप्ति प्रेषण स्वीकृत साख अवधि के उपरान्त प्राप्त हुए। विलम्ब की अवधि 71 दिनों से 416 दिनों तक थी। कम्पनी विदेशी क्रेताओं से उनकी सम्विदाओं में किसी प्राविधान की अनुपस्थिति में विलम्ब भुगतान के लिए ब्याज का दावा नहीं कर सकी और इन 26 आदेशों के विरुद्ध रुपये 20.66 लाख के बैंक अग्रिम पर रुपये 1.90 लाख के अतिरिक्त ब्याज दायित्व में परिणत हुआ। बिक्री की शर्तों और अभिकर्ताओं के कमीशन भुगतान को पुनरीक्षित करने हेतु कम्पनी द्वारा अब तक (जनवरी 1980) कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(ज) विदेशी क्रेता द्वारा प्रेषित माल की अस्वीकृति

मई 1977 में 30 कालीनें (मूल्य: रुपए 1.42 लाख) यूनाइटेड किंगडम की एक फर्म को जहाज से भेजी गईं। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने (जुलाई 1977) के बाद प्रेषित माल विदेशी क्रेता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि कम्पनी द्वारा अनुबन्धित समय में आदेश क्रियान्वित नहीं किया गया यद्यपि कम्पनी के अनुसार जहाज लदाई के समय आदेश जीवित था। अत: प्रेषित माल जुलाई 1978 में भारत में वापस प्राप्त हो गया और कलकत्ता पत्तन पर पड़ा था (मार्च 1980)। उठाई गई हानि किराया व्यय, ह्वारफेज और रख रखाव और अन्य व्ययों का विवरण जहाजी अभिकर्ता से प्राप्त नही होने के कारण आंकी नहीं जा सकी।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1979) कि मामला जहाजी अभिकर्ता से अनुसरण किया जा रहा है (मई 1980)।

(झ) निर्यात आदेशों का क्रियान्वयन न होना/निरस्त किया जाना

(i) 1978–79 तक के पांच वर्षों के दौरान प्राप्त और क्रियान्वित निर्यात आदेशों का विवरण निम्न था :

वर्ष	प्राप्त आदेशों का मूल्य	क्रियान्वित आदेशों का मूल्य	क्रियान्वित किये जाने वाले आदेशों का मूल्य
		(लाख रुपयों में)	
1974–75	37.12	36.09	1.03
1975–76	94.88	93.53	1.35
1976–77	264.27	175.44	88.83
1977–78	162.91	161.72	1.19
1978–79	119.77	110.42	9.35

1976–77 के दौरान स्विटजरलैंड के एक बिक्री अभिकर्ता के प्रतिनिधि से रुपये 61.70 लाख (कुल रुपये 70.83 लाख में से) के प्राप्त आदेश बिक्री अभिकर्ता द्वारा इस आधार पर कि प्रतिनिधि अब उनकी नौकरी में नहीं है, निरस्त कर दिये गये । इस बीच प्राप्त आदेशों के आधार पर कम्पनी ने 1976–77 के दौरान आदेश में वर्णित डिजाइन के अनुसार 1,216 कालीनें (रुपये 4.99 लाख) निर्मित करा ली ।

इनमें से 953 अदद (मूल्य रुपए 4.07 लाख) रुपये 0.34 लाख की हानि पर निर्यात द्वारा बेच दी गई, शेष 263 अदद (मूल्य रुपये 0.92 लाख) अब भी बिक्री की प्रतीक्षा में हैं (मई 1980) ।

(ii) मार्च 1976 में पश्चिम जर्मनी की एक फर्म को रुपये 2.64 लाख मूल्य के कालीनों के दो कन्साइनमेंट जहाज द्वारा लदाए गए । प्रेषित वस्तुओं के नियत स्थान पर आ जाने के बाद उन्हें कंसाइनी द्वारा, उनसे वस्तुएं भेजे जाने के सुझाव के बिना वस्तुएं भेज दिये जाने के आधार पर, अस्वीकृत कर दिया गया । ये प्रेषित वस्तुएं पश्चिम जर्मनी की एक अन्य फर्म को नीलाम के माध्यम से बेचने के लिये भेज दी गईं ।

कालीनों की कीमत के अलावा किराया, क्लियरिंग और भंडारण पर रुपये 0.57 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया । प्रेषित वस्तुएं रुपये 1.67 लाख की हानि उठा कर अन्ततः रुपए 1.54 लाख में बेच दी गईं (दिसम्बर 1977) ।

(iii) एक अन्य मामले में रुपये 2.30 लाख मूल्य की कालीनें अप्रैल 1978 में पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के लिये जहाज पर लदाई गईं । प्रेषित वस्तुएं नियत स्थान पर आने पर विदेशी क्रेता द्वारा उनके द्वारा आदेश न दिये जाने के आधार पर अस्वीकृत कर दी गईं (मार्च 1979) । कम्पनी ने प्रेषित वस्तुओं की आपाती बिक्री का निर्णय किया (मार्च 1979) । अग्रिम ब्योरे अपेक्षित हैं (मार्च 1980) ।

(iv) पश्चिम जर्मनी की एक फर्म, जिसे सितम्बर 1977 से अप्रैल 1978 की अवधि के दौरान रुपए 23.35 लाख कुल मूल्य की कालीनों के चौदह कंसाइनमेंट निर्यात किये गये, ने रुपए 8.72 लाख की प्रेषित वस्तुएं (i) विदेशी क्रेता से सलाह लिये बिना कम्पनी द्वारा शिपमेंट की स्थिति एक तरफा बदल दिये जाने, (ii) शिपमेंट के कागजात आदेश के अनुसार न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया ।

कम्पनी ने सितम्बर 1979 में प्रेषित वस्तुओं की निकासी के लिए, पूर्व निरीक्षण के बाद, फर्म, 'एन" को कहा । ये प्रेषित वस्तुएं पश्चिम जर्मनी के सीमा शुल्क अधिकारियों के पास अब भी पड़ी थीं (मार्च 1980)। किराया ड्रारफेज, ऋण पत्र भंडार गृह व्ययों और अन्य खर्चों के अतिरिक्त शिपिंग कागजातों के विरुद्ध बैंकों से अग्रिम पर रुपये 2.67 लाख (दिसम्बर 1979 तक) का ब्याज दायित्व हो गया था। अग्रिम प्रगति अपेक्षित थी। मामला अब तक बोर्ड को प्रतिवेदित न था (मार्च 1980) ।

(ङ) ऊनी कालीनों के धागों का क्रय/विक्रय

कम्पनी ने रुपए 23.53 लाख मूल्य के ऊनी कालीन के धागे संयुक्त क्षेत्र के एक उपक्रम, जिसमें कम्पनी की 26 प्रतिशत इक्विटी साझेदारी है, से क्रय किये (जुलाई 1978 और फरवरी 1979) । ऊनी कालीन धागे की सम्पूर्ण मात्रा कम्पनी द्वारा बुनकरों को कालीन बनाने हेतु उधार (30 दिनों) बेंच दी गई । बुनकर 30 दिनों के बाद विलम्बित भुगतानों पर ब्याज देने को अपेक्षित है (12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) । मार्च 1979 तक कम्पनी ने रुपये 10.78 लाख मूल्य की कालीनें प्राप्त कीं, रुपये 12.75 लाख की धनराशि की वसूली अभी होनी है (मार्च 1980) । धागे की लागत के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज की धनराशि आंकी या वसूली नहीं गई है (मार्च 1980) ।

2.09. चर्म प्रभाग, आगरा

जूतों का निर्यात

अप्रैल 1974 में कम्पनी ने जूतों का निर्यात करने के लिए आगरा में एक चर्म प्रभाग स्थापित किया । 1974 से 1977 के दौरान रुपए 38.95 लाख मूल्य के कुल 88,680 जोड़े जूते राज्य व्यापार निगम (एस0टी0सी0) के माध्यम से यू0एस0एस0आर0 की एक फर्म को निर्यात किये गये । कम्पनी ने क्रेता की आवश्यकतानुसार आगरा और कानपुर के 31 लघु निर्माताओं/विरचकों से निम्न शर्तों पर तैयार जूते अधिप्राप्त किय :

(क) वस्तुएं चार विभिन्न अभिकरणों द्वारा शिपमेंट से पूर्व गुण निरीक्षित होंगी, उदाहरणार्थ, कम्पनी के अपने चर्म वस्तु विशेषज्ञ, राज्य व्यापार निगम, विदेशी क्रेता का भारत में प्रतिनिधि, और भारत सरकार द्वारा पूर्व निरीक्षण ।

(ख) पैकिंग, फारवर्डिंग और जहाज में माल लदाई आदि के व्यय कम्पनी द्वारा वहन किये जाने की अवस्था में पूर्ण भुगतान के रूप में वस्तुओं के मूल्य के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 75 प्रतिशत और विरचकों द्वारा इन व्ययों को वहन किये जाने पर 87 प्रतिशत (अग्रिम) विरचकों को देय था ।

दिसम्बर 1975 (1976 में क्रियान्वित) के निर्यात आदेश के विरुद्ध विदेशी क्रेता ने खराब गुणावस्था के आधार पर रुपये 1.57 लाख की छूट (11.5 प्रतिशत) काट कर रुपये 13.71 लाख मूल्य के जूते स्वीकृत किए। यद्यपि वस्तुएं जहाज लदाई से पूर्व विदेशी क्रेता के प्रतिनिधि सहित चार स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा निरीक्षण कर ली गईं थीं। वसूली दूसरी आपूर्तियों (रुपये 0.86 लाख) और शेष (रुपये 0.71 लाख) विदेशी क्रेता के पास रुपये 1.17 लाख की जमानत में समायोजन द्वारा की गई। रुपये 1.57 लाख की कटौती कम्पनी (रुपये 0.71 लाख) और विरचकों (रुपये 0.86 लाख) द्वारा बांट ली गई। रुपए 0.46 लाख की शेष जमानत अब तक वापस नहीं की गई है (मार्च 1980) ।

निर्माता को पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, जो विदेशी क्रेता के एक प्रतिशत व्यापार छूट (अर्थात् बीजक मूल्य का 99 प्रतिशत) को घटाने के बाद निकाला जाना था, का 75 प्रतिशत या 87 प्रतिशत

(जैसा मामला हो) देय था। फिर भी कम्पनी ने रुपए 38.95 लाख के कुल निर्यात पर व्यापारिक छूट की उपेक्षा कर भुगतान कर दिया जो रुपए 0.30 लाख के अधिक भुगतान में परिणत हुआ।

चर्म प्रभाग 1977 के बाद कोई निर्यात आदेश पाने में असमर्थ रहा और जुलाई 1979 में बन्द कर दिया गया। जनवरी 1978 और जून 1979 के दौरान संस्थापना और अन्य व्ययों पर रुपए 0.70 लाख खर्च किया गया।

2.10. कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना

राज्य में कालीन बुनाई इकाइयां संगठित करने, उनके उत्पाद आधार विस्तृत करने, अकुशल मजदूरों को अवसर प्रदान कर (आयु वर्ग 12–18 वर्ष) अन्ततः अपनी जीविका के साधन के रूप में कालीन बुनाई अपनाने के योग्य बनाने और अधिक कुशल बुनकरों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से भारत सरकार और अखिल भारतीय हस्तशिल्प परिषद् (ए०आई०एच०बी०) ने मई 1976 में एक कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की। 1978–79 तक के तीन वर्ष की अवधि में देश के विभिन्न भागों में 30,000 बुनकरों, उत्तर प्रदेश में 18,000 सहित, को प्रशिक्षित करने का इरादा था। राज्य सरकार ने राज्य में योजना का प्रशासन कम्पनी को सौंप दिया। योजना प्रत्येक केन्द्र को भवन का किराया, प्रशिक्षार्थियों की वृत्ति, शिल्पकारों की मजदूरी और अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए रुपए 1.16 लाख के मानक वार्षिक आय-व्ययक से प्रत्येक 12 माह तक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रत्येक 50 प्रशिक्षार्थियों के साथ चलाने का विचार रखती थी। प्रति प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण की लागत रुपए 2,324 अनुमानित थी। योजना भारत सरकार/अखिल भारतीय हस्तशिल्प परिषद् द्वारा ऋणों और अनुदानों के माध्यम से पूर्ण रूप से अर्थपोषित थी। अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग अनुदान और ऋण दिए गए।

1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान खोले गए प्रशिक्षण केन्द्रों, प्राप्त और उपयोग किए गए अनुदानों/ऋणों का ब्योरा निम्न प्रकार है :

	केन्द्रीय सरकार				राज्य सरकार			
	केन्द्र (संख्या)		अनुदान की राशि (लाख रुपयों में)		केन्द्र (संख्या)		अनुदान की राशि (लाख रुपयों में)	
वर्ष	स्वीकृत	खोले गए	प्राप्त	उपयोग किया गया	स्वीकृत	खोले गए	प्राप्त	उपयोग किया गया
1976–77	20	20	16.16	10.74	..	..	..	..
1977–78	105	105	39.43	16.42	10	..	5.83	..
1978–79	20	..	83.39	70.38	50	..	43.23*	..

*समय से पुनर्भुगतान के लिए 3.5 प्रतिशत छूट के साथ 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाले रुपये 7.50 लाख ऋण शामिल कर।

रुपए 90.50 लाख के उपयोग न किए गए अनुदान/ऋण (केन्द्र सरकार–रुपए 41.44 लाख और राज्य सरकार–रुपए 49.06 लाख) या तो कम्पनी के बैंक खाते में रख लिए गए या अन्यथा उपयोग किए गए यद्यपि इन्हें केन्द्र/राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाना चाहिए था। यह देखा जायेगा कि राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों/ऋणों से एक भी केन्द्र नहीं खोला गया।

प्रशिक्षण योजनान्तर्गत सम्बद्धकालीन निर्माताओं को प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण देना था। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद ये केन्द्र सम्बद्धकालीन निर्माताओं द्वारा चलाए जाने हेतु निर्माण इकाइयों में परिवर्तित हो जाने थे। कच्चे माल की लागत का 50 प्रतिशत (ऊनी कालीन धागा) और करघे की लागत का 50 प्रतिशत (10 करघा प्रति केन्द्र) सम्बद्धकालीन निर्माताओं को प्रतिपूर्ति किया जाना था। 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान कम्पनी ने कच्चा माल आपूर्ति, करघों की लागत प्रतिपूर्ति और अन्य खर्चों पर निम्न व्यय किया :

वर्ष	कच्चा माल	करघों की लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति	अन्यव्यय
		(लाख रुपयों में)	
1976–77	2.50	0.98	2.62
1977–78	2.46	2.89	..
1978–79	5.00	2.60	..

यह मालूम हुआ कि अनुदान शर्तों के विरोध में (और ए आइ एच बी के पूर्व अनुमोदन बिना) कम्पनी ने रुपए 2.62 लाख (1976–77) एक जीप की खरीद (रुपए 0.59 लाख) फोटोस्टेट मशीन (रुपये 0.18 लाख) और कालीन नमूनों पर आयात शुल्क (रुपए 1.85 लाख) में उपयोग कर लिया। उसने कच्चे माल की लागत (रुपए 2.75 लाख) तथा करघों के लागत (रुपए 0.98 लाख) की भी अनधिकृत प्रतिपूर्ति की। इन रकमों (रुपये 5.35 लाख) को अस्वीकृत कर दिया गया और अगले वर्ष (1978–79) के लिए अनुदानों से काट लिया गया।

2.11. (क) बिक्री प्राप्ति की वसूली न होना

प्रशिक्षण योजना में विचार था कि सह-निर्माता प्रशिक्षार्थियों द्वारा बनाई गई कालीनों की बिक्री प्राप्ति का 10 प्रतिशत कम्पनी को देंगे। इन वसूलियों को सुनिश्चित करने के लिए किसी पद्धति पर विचार नहीं किया गया। कम्पनी के अनुमानित आंकलनों के अनुसार सह-निर्माताओं से इस मद पर बकाए की रकम रुपए 1.20 लाख थी। प्रबन्धकों ने बताया (मई 1980) कि वसूलियों पर कार्यवाही हो रही है।

(ख) योजना के सम्पादन का मूल्यांकन

जून 1978 में कम्पनी ने सलाहकारों (फीस रुपये 12,000) की योजना के सम्पादन का उसके प्रारम्भ से मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया। सलाहकारों ने अपने प्रतिवेदन (अप्रैल 1979) में निम्न मंतव्य प्रकट किया :

(i) 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान कम्पनी ने 18,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 6,500 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया।

(ii) कालीन बुनाई पट्टियों में स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों में कम अनुक्रिया थी क्योंकि बच्चे प्रशिक्षण केन्द्रों में जाने के बजाय अपने नजदीकी शिल्पकारों से बुनाई सीखना अधिक पसन्द करते थे।

(iii) कम्पनी ने केन्द्रों के उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षार्थियों को स्वतः रोजगार इकाइयां स्थापित करने के लिये वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण के लिये कोई योजना नहीं प्रारम्भ की।

(iv) प्रदत्त प्रशिक्षण मानक गुणों का न था क्योंकि सह-निर्माताओं के पास पूर्ण विस्तार सहित कोई निश्चित प्रशिक्षण योजना नहीं थी।

(v) प्रशिक्षण योजना प्रशिक्षार्थियों को, जिनमें अधिकतर अशिक्षित हैं, सामान्य शिक्षा नहीं प्रदान करती है।

(vi) एक अलग प्रशासनिक अधिकारी की अनुपस्थिति में (यद्यपि योजना में प्राविधान है) निर्माताओं की प्रशासनिक समस्यायें और मांगें उचित रूप से ध्यान नहीं दी गईं।

इन संस्तुतियों पर कम्पनी को अभी निर्णय लेना है (मई 1980)।

2.12. हस्त शिल्प प्रभाग

सरकार द्वारा लिए गए (अक्तूबर 1969) के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार का हस्त शिल्प संगठन अपने सम्बद्ध कार्यालयों और 9 प्रदर्शन कक्षों सहित दिसम्बर 1971 में निम्न शर्तों पर कम्पनी को हस्तांतरित हो गया :

(i) कम्पनी को लागत (रुपये 13.46 लाख) पर हस्तान्तरित बिक्री योग्य रहतिया 10 समान सालाना किस्तों में भुगतान किया जाने वाला ब्याज रहित ऋण माना जाना था।

(ii) ह्रासित मूल्य (रुपये 0.24 लाख) पर ली जाने वाली डेड स्टाक की काम योग्य मदें 10 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किये जाने वाला ब्याज रहित ऋण माना जाना था।

(iii) न बिकने योग्य सामग्री कम्पनी को हस्तांतरित नहीं थी बाद में (जनवरी 1974) पुराना और अप्रचलित रहतिया (लागत रुपये 1.17 लाख) भी कम्पनी द्वारा ले लिया गया और रुपये 0.89 लाख का बिक्री कर दिया गया।

(iv) कम्पनी को रुपये 5.00 लाख (कार्यशील पूंजी के लिए), 5 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान योग्य, का ब्याज रहित ऋण का भुगतान होना था।

(v) कम्पनी को प्रतिष्ठापन व्यय वहन करने हेतु पांच वर्ष की अवधि तक रुपये 11.95 लाख निम्न प्रकार अनुदान के रूप में दिये जायेंगे :

	धनराशि (लाख रुपयों में)
प्रथम वर्ष	4.38
द्वितीय वर्ष	3.29
तृतीय वर्ष	2.19
चतुर्थ वर्ष	1.09
पंचम वर्ष	1.00
योग	11.95

(क) राज्य सरकार से ऋण

हस्त शिल्प संगठन चलाने हेतु कम्पनी को समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत रुपये 45.79 लाख के कुल ऋणों का ब्योरा निम्न है :

	ऋण का प्रयोजन	स्वीकृति की दिनांक	धनराशि (लाख रुपयों में)	ब्याज की दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	पुनर्भुगतान अवधि (वर्षों में)	समय से भुगतान हेतु छूट (प्रतिशत)
1	रहतिया का हस्तांतरण	मार्च 1971	13.46	ब्याज रहित	10	..
2	कार्यशील पूंजी हेतु	मार्च 1973	5.00	ब्याज रहित	5	..
3	दिल्ली प्रदर्शन कक्ष की आंतरिक साज-सज्जा	फरवरी 1974	7.50	8.5	9	2.5
4	आगरा, कलकत्ता और हैदराबाद प्रदर्शन कक्षों का जीर्णोद्धार	जून 1975	2.50	12	3	3.5
5	लखनऊ हस्तशिल्प प्रदर्शन कक्ष का जीर्णोद्धार	मार्च 1977	8.00	12	3	3.5
6	लखनऊ हस्तशिल्प प्रदर्शन कक्ष का जीर्णोद्धार	सितम्बर 1977	5.00	12	3	3.5
7	चिकन केन्द्र खोलने के लिये	मार्च 1978	4.33	14.5	2	3.5

(ख) ऋणों का पुनर्भुगतान

(i) रुपए 13.46 लाख (मार्च 1971) के ऋण में से मार्च 1980 तक रुपये 12.11 लाख पुनर्भुगतान के लिए ड्यू थे जिसके विरुद्ध रुपये 1.35 लाख प्रत्येक की केवल चार किस्तें 1978–79 तथा 1979–80 के दौरान भुगतान की गईं, रुपये 6.71 लाख का शेष रहा (अप्रैल 1980)।

(ii) रुपए 5.00 लाख (मार्च 1973) ऋण की शर्तों में प्राविधान था कि ऋण किस्तों के पुनर्भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में ऋण ब्याज सहित ऋण में परिवर्तित हो जायगा और सरकारी दरों पर ब्याज भारित होगा। कम्पनी ने सरकार से 5 वर्षों का अधिस्थगन स्वीकृत करने का निवेदन किया (मार्च 1976) जो 13.5 प्रतिशत ब्याज सहित (ऋण और ब्याज के समय से पुनर्भुगतान के लिए 3.5 प्रतिशत छूट के साथ) अप्रैल 1977 में सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। ऋण उसकी निकासी के 9 वर्ष के अन्दर, ऋण के पांचवें वर्ष से प्रारम्भ होकर, पुनर्भुगतान होना था। ब्याज (अधिस्थगन अवधि के लिए) तीन किस्तों में भुगतान होना था। 5 वर्ष की समयावधि, जब वह ब्याज रहित था, कम्पनी द्वारा ऋण

वापसी में असफलता के कारण कम्पनी ने (रुपये 0.88 लाख के दण्ड ब्याज सहित) रुपये 3.88 लाख का अतिरिक्त दायित्व उठाया ।

(iii) रुपए 7.50 लाख (फरवरी 1974) के ऋण के सम्बन्ध में जबकि कम्पनी ने ऋण की किस्तें समय से दीं उसने प्रथम वर्ष के लिए ब्याज समय से भुगतान नहीं किया जो रुपए 0.19 लाख की छूट की जब्ती में परिणत हुआ ।

(ग) भाण्डार नियंत्रण

निम्न तालिका 1978-79 तक के तीन वर्षों के लिए क्रय, विक्रय और रहतिए का विवरण दर्शाती है :

विवरण		1976-77	1977-78	1978-79
		(लाख रुपयों में)		
प्रारम्भिक रहतिया		28.37	34.44	43.09*
क्रय		27.88	23.91	33.35
	योग	56.25	58.35	76.44
विक्रय लागत		21.81	23.91	39.95
अन्तिम रहतिया		34.44	34.44	36.39

अन्तिम रहतिए का मूल्य 1976-77 में 19 महीनों की बिक्री लागत, 1977-78 में 17 महीनों की बिक्री लागत और 1978-79 में 11 महीनों की बिक्री लागत का प्रतिनिधित्व करता था। भारी अन्तिम रहतिया पूंजी के अवरोध और लम्बे भण्डारण के कारण बिगाड़, अपहसन और रख-रखाव हानियों में परिणत हुआ । नवम्बर 1978 में हस्त शिल्प प्रभाग के प्रशासकीय अधिकारी ने प्रबन्ध निदेशक को इंगित किया कि आपूर्तिकर्ताओं और प्रबन्धकों समेत कुछ कर्मचारियों के बीच दुश्चक्र था जो निम्न मानक मदों के अत्यधिक भण्डार एकत्रीकरण में परिणत हुआ। उसने आगे बताया कि कुछ पक्षों को बार-बार आदेश दिए गए और त्रुटिपूर्ण तरीके के परिणामस्वरूप निम्न मानक और कम वजनी सामानें आपूर्ति की गई और स्वीकृत की गई। फिर भी, प्रतिवेदित अनियमितताओं की जांच या त्रुटियुक्त स्लो मूविंग मदों का मूल्य आंकने की कोई कार्यवाही नहीं की गई (मई 1980) ।

(घ) हस्त शिल्प वस्तुओं की अधिप्राप्ति

1971-72 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन हस्त शिल्प संगठन का कम्पनी को हस्तांतरण का मुख्य उद्देश्य उसका स्वस्थ वाणिज्यिक पद्धति पर परिचालन सुनिश्चित करना था। हस्तशिल्पों आदि की अधिप्राप्ति कर्मचारियों की एक समिति को सौंपी गई थी, जो हस्तशिल्पों और कपड़ों के परिचित निर्माताओं और व्यापारियों को, प्रदर्शन, चुनाव और समझौते के बाद दर तय करने के लिये आमंत्रित करती है। जनसाधारण हेतु कोई विज्ञापन नहीं होता है। इस प्रकार चुने गए आपूर्तिकर्ताओं से अपनी वस्तुयें प्रदर्शन कक्ष प्रबन्धकों को, सीधे भेज दिये जाने

---

*1977-78 के अन्तिम रहतिया से, पहली अप्रैल 1978 को रुपये 8.65 लाख मूल्य की विक्रय वस्तुओं का रहतिया शामिल करने के कारण, भिन्न है।

की आकांक्षा की जाती है, फिर भी प्रबन्धकों को विशिष्टियां/नमूने आपूर्ति नहीं किये जाते हैं जिससे वह जांच सकें कि उनके द्वारा प्राप्त वस्तुयें अनुमोदित विशिष्टियों/नमूनों के अनुसार हैं। प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1980) कि प्रदर्शन कक्षों के लिये क्रय की पूरी विधि जांची जा रही है।

(ङ) निपटान बिक्री

(i) प्रदर्शन कक्षों पर मंदगामी वस्तुएं

अगस्त 1975 में बोर्ड ने विभिन्न प्रदर्शन कक्षों पर बिना बिके पड़े हुए पुराने रहतिए को (मार्च 1975 तक क्रय किया गया) पर्याप्त प्रचार और बिक्री योग्यता के आधार पर मूल्य निर्धारण के बाद निपटान बिक्री के माध्यम से बेचने के लिये प्रबन्ध निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। ऐसे मन्दगामी मदों का कुल विक्रय मूल्य रुपये 9.68 लाख था। 20 से 30 प्रतिशत तक की छूट के साथ लखनऊ और नागपुर केन्द्रों पर मार्च 1978 में एक रिडक्शन बिक्री संगठित की गई। रुपये 0.34 लाख का व्यय किया गया और रुपये 1.50 लाख मूल्य की वस्तुयें बेची जा सकीं। अतः छूट की मात्रा समय-समय पर बढ़ाई गई और सारा रहतिया तभी बेचा जा सका जब छूट की मात्रा 75 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई (मार्च 1979)। उपरोक्त रुपये 9.68 लाख मूल्य के रहतिए की बिक्री के बाद अब भी रहतिए में रुपये 2.25 लाख मूल्य के क्षतिग्रस्त और बिक्री के अयोग्य सामान था (दिसम्बर 1979)। क्योंकि लेखे अंतिम रूप से अब तक बनाये नहीं गये हैं (मार्च 1980) हानि की मात्रा निश्चित नहीं हो सकी है।

(ii) अन्य मदों का निस्तारण

इसके अतिरिक्त प्रदर्शन कक्षों पर पड़ी कुछ हस्तशिल्प की क्षत मदों के निस्तारण में (मार्च 1979) रुपए 1.84 लाख की हानि कम्पनी ने निम्न प्रकार उठाई:

	लागत	प्राप्ति	हानि
		(लाख रुपयों में)	
टाइ और डाइ	1.20	0.30	(–) 0.90
चिकन वस्तुयें	0.80	0.20	(–) 0.60
पाटरी	0.55	0.21	(–) 0.34
योग	2.55	0.71	(–) 1.84

(च) अधिष्ठान लागत

हस्त शिल्प प्रभाग का अधिष्ठान व्यय 10–13 प्रतिशत अनुमानित के विरुद्ध 1975–76 से 1977–78 तक 33 से 36 प्रतिशत के बीच रहा, इस तरह परिचालन क्षमता को प्रभावित किया।

उत्तर प्रदेश सरकार हस्त शिल्प संगठन का कम्पनी को हस्तांतरण के प्रस्ताव के समय यह आंका गया था कि संगठन पांच वर्ष के अन्दर लाभदायक बिन्दु (ब्रेकईवेन प्वाइन्ट) पर पहुंच जायगा और उसके बाद लाभ अर्जित करेगा। फिर भी रुपए 15.70 लाख के अधिष्ठान अनुदान, रुपये 13.46 लाख के ब्याज मुक्त ऋण, 1976–77 और 1977–78 में प्रदर्शनियों और मेलों आदि में भाग लेने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति के रुपए 5.00 लाख मिलने के बावजूद प्रभाग कोई अर्थपूर्ण परिणाम देने के योग्य नहीं हो सका।

1978–79 तक के तीन वर्षों के लिए प्रभाग के परिचालन परिणाम नीचे दिए हैं :

	1976–77	1977–78	1978–79
	(लाख रुपयों में)		
व्यय			
बिक्री लागत	21.81	23.91	39.95
अन्य व्यय	13.40	18.35	29.17
योग	35.21	42.26	69.12
राजस्व			
विक्रय	29.11	31.03	57.72
अन्य प्राप्तियां	2.28*	6.54	12.27
योग	31.39	37.57	69.99
लाभ (+)/हानि (–)	(–) 3.82	(–) 4.69	(+) 0.87

प्रबन्धकों ने बताया कि प्रदर्शन कक्षों के जीर्णोद्धार और व्यापक प्रचार आदि द्वारा बिक्री वृद्धि के प्रयास किए जा रहे थे ।

(छ) प्रदर्शन कक्षों का जीर्णोद्धार

(i) हैदराबाद

फरवरी 1977 में आमंत्रित निविदाओं के उत्तर में दो फर्मों ने क्रमश: रुपए 1.39 लाख (नई दिल्ली फर्म) और रुपये 1.10 लाख (हैदराबाद फर्म) कोट किया । निम्नतर प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि यह अधूरा था । एक समिति द्वारा समझौते के बाद नई दिल्ली की फर्म ने दरें 12.5 प्रतिशत घटा दी (मार्च 1977) और 60 दिनों में कार्य पूरा करने को सहमत हो गई । कार्य आदेश (रुपये 1.22 लाख) 7 अप्रैल 1977 को निर्गमित किया गया और 9 मई 1977 को अनुबन्ध क्रियान्वित किया गया । फिर भी, ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया । 20 दिसम्बर 1977 को उससे एक नया अनुबन्ध इस शर्त के साथ किया गया कि ठेकेदार पांच हफ्ते में कार्य पूरा कर देगा । समय से कार्य पूरा करने में असफल होने की स्थिति में उसकी जमानत की जमा राशि (रुपये 2,435) जब्त हो जानी थी और फर्म रुपये 1,500 प्रति दिन की दर से लिक्विडेटेड डैमेजेज देने के लिये उत्तरदायी थी । ठेकेदार ने कार्य पूर्ण नहीं किया, और 17 अगस्त 1978 को कम्पनी द्वारा न्यायिक नोटिस दी गई । इस बीच कार्य स्थल पर लाये गए माल के अग्रिम के रु0 0.20 लाख सहित (दिसम्बर 1977 और जनवरी 1978) जिसका अनुबन्ध में कोई प्राविधान न था दिसम्बर 1977 से जून 1978 के दौरान रनिंग एकाउन्ट बिलों के विरुद्ध रुपए 85,000 की कुल धनराशि का भुगतान किया गया । जीर्णोद्धार अवधि के दौरान (दिसम्बर 1977 से जून 1978) प्रदर्शन कक्ष की वस्तुयें एक अन्य किराये के मकान में भेज दी गई और व्यापार अंशत: निलम्बित रहा । प्रबन्धकों ने बताया (मई 1980) कि ठेकेदार जिसने कार्य अधूरा छोड़ दिया था के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया था ।

---

*राज्य सरकार से प्राप्त रुपए 4.10 लाख के अधिष्ठान अनुदान छोड़ कर ।

(ii) लखनऊ (हजरतगंज)

हजरतगंज के प्रदर्शन कक्ष के एक भाग के जीर्णोद्धार का कार्य समझौते द्वारा लखनऊ की एक फर्म "यम" को रुपये 0.81 लाख के लिये दिया गया (अक्तूबर 1975) और कार्य 10 दिसम्बर 1975 तक पूरा होना था। रुपए 0.22 लाख के लिए एक अन्य कार्यादेश उसी प्रदर्शन कक्ष के अतिरिक्त कार्य के लिये 18 फरवरी 1976 को उसी फर्म को दिया गया। फर्म जिसे प्रदर्शन कक्ष के दूसरे भाग में फर्नीचर और फिक्सचर आपूर्ति हेतु कोटेशन देने को कहा गया था, ने 23 फरवरी 1976 को रुपए 1.76 लाख का अपना कोटेशन प्रस्तुत किया। कम्पनी के सचिव ने प्रदर्शन कक्ष के प्रशासकीय अधिकारी से 12 अप्रैल 1976 को कुछ और अधिक फर्मों से कोटेशन मांगने को कहा और तदनुसार 21 अप्रैल 1976 को चार अन्य फर्मों (दो लखनऊ की और दो दिल्ली की) से कोटेशन आमंत्रित किए गए। कोटेशन 29 अप्रैल 1976 तक प्राप्त होने थे। फर्म "एम" से पुनरीक्षित प्रस्ताव (रुपये 1.59 लाख) प्राप्त हुआ। यह कार्य भी 25 मई 1976 को फर्म को दे दिया गया। जबकि तीनों कार्यों में से कोई भी कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर फर्म द्वारा पूरा नहीं किया गया लेकिन कोई दण्ड नहीं लगाया गया।

कम्पनी ने इलाहाबाद (रुपए 1.29 लाख), हजरतगंज (लखनऊ) (रुपए 2.34 लाख), आगरा (रुपए 1.31 लाख) और प्रभागीय कार्यालय (लखनऊ) (रुपए 1.45 लाख) के प्रदर्शन कक्षों (रुपए 6.29 लाख) का जीर्णोद्धार उसी फर्म को या तो निम्नतम प्रस्तावों को अस्वीकृत करके या फर्म से अकेले प्रस्ताव के आधार पर समझौते द्वारा दिया।

(ज) प्रदर्शन कक्षों में गबन

(i) निदेशक, राज्य लाटरी और कम्पनी के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसरण में 22वें ड्रा (फरवरी 1973) से 46वें ड्रा (फरवरी 1975) तक उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के रुपए 2.17 लाख के टिकट, हैदराबाद प्रदर्शन कक्ष को भेजे गए। ऐसे टिकटों की बिक्री पर कम्पनी को दो प्रतिशत सेवा व्यय पाना था। उसके बाद, टिकटों की बिक्री प्राप्ति में से रुपए 45,360 निदेशक राज्य लाटरी को न भेजे जाने के आधार पर, टिकटों की आपूर्ति रोक दी गई। प्रदर्शन कक्ष का प्रभारी सेल्समैन अनाधिकृत रूप से टिकटें लाटरी अभिकर्ताओं आदि को "सेल और रिटर्न आधार" पर बेचता हुआ प्रतिवेदित (सितम्बर 1975) हुआ और कमीशन में हिस्सा बटा रहा था। प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1979) कि कम्पनी को सितम्बर 1975 में बिक्री प्राप्तियों के जमा न किए जाने का ज्ञान हुआ जबकि मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया।

यह जानकारी में आया कि लाटरी टिकटों की बिक्री प्रदर्शन कक्ष की रोकड़ बही में नहीं लिखी गई और न ही अलग से कोई रोकड़ बही या लेजर खाता बनाया गया। इसके अतिरिक्त बिक्री के लेखाओं का निरीक्षण न तो प्रधान कार्यालय और न ही हस्त शिल्प प्रभाग द्वारा किया गया। अक्तूबर 1975 में प्रारम्भ विभागीय जांच के आधार पर धोखे धड़ी की प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन वर्ष बाद पहली सितम्बर 1978 को पुलिस में लिखाई गई और मामला अब भी खोजबीन में होना बताया गया था। संबंधित व्यक्ति निलम्बित कर दिया गया था और अन्तिम कार्यवाही अभी भी होनी है (मई 1980)।

(ii) यह जानकारी में आया (अगस्त 1975) कि नागपुर प्रदर्शन कक्ष के प्रभारी अधीक्षक ने 1972–73 से 1974–75 के दौरान रुपए 8,286 मूल्य की वस्तुयें और नकदी का घोटाला किया। इसी अवधि के दौरान उसने बिक्री कर जमा करने के लिये विक्रय प्राप्ति से रुपये 17,125 भी निकाले। सितम्बर 1977 में बिक्री कर विभाग से जब मांग सूचना प्राप्त हुई तो यह प्रगट हुआ कि निकाली गई धनराशि जमा नहीं की गई।

पुलिस को प्रथम सूचना प्रतिवेदन जुलाई 1978 में लिखाया गया। इस बीच कर्मचारी फरवरी 1977 में सेवामुक्त हो गया। नवीनतम स्थिति प्रतीक्षित है (जून 1980)।

(iii) स्पष्ट आदेश के अनुसार निजी पक्षों को बिक्री नकद आधार पर होनी होती है। फिर भी दिल्ली प्रदर्शन कक्ष के प्रभारी ने एक निजी व्यक्ति, जिसने रुपये 0.20 लाख मूल्य की वस्तुयें क्रय की थीं, से पंजाब कोआपरेटिव बैंक, नई दिल्ली का चेक स्वीकार कर लिया (नवम्बर 1974)। जब चेक बैंक को एकत्रीकरण हेतु दी गई तो यह प्रगट हुआ कि चेक एक ऐसे फर्म की थी जिसने पहले ही सन् 1969 में अपना व्यापार बन्द कर दिया था। न तो उत्तरदायी कर्मचारी से धन वसूल किया गया है और न ही हानि बट्टे खाते में डाली गई है (मई 1980)। पुलिस को प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखा दिया गया था (नवम्बर 1974) और नवीनतम स्थिति प्रतीक्षित है (मई 1980)।

(झ) भण्डार और रहतिए में कमियां

(i) प्रदर्शन कक्षों के संबंध में अप्रैल 1977 से मार्च 1978 के दौरान केन्द्रीय भण्डार से प्रदर्शन कक्षों को भेजी गई वस्तुओं की मात्रा में भिन्नता थी, 31 मार्च 1978 को रुपए 0.45 लाख की कमियां समायोजन की प्रतीक्षा में थीं।

(ii) मार्च 1979 में भौतिक परीक्षण के दौरान आठ प्रदर्शन कक्षों में वस्तुओं की कमियां (रुपये 2.18 लाख) जानकारी में आयीं। कमियां/अधिकतायें नियमित करने हेतु की गयी कार्यवाही प्रतीक्षित थी (मई 1980)

2.13. आबू धाबी में निरस्त व्यापार सम्मिलन पर व्यर्थ व्यय

कम्पनी ने आबू धाबी में क्रेताओं/विक्रेताओं का एक अनन्य सम्मिलन भवन सामग्री, सूती कपड़ों, हस्तशिल्प वस्तुओं और इन्जीनियरिंग वस्तुओं के प्रदर्शन और बिक्री हेतु करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 1976)। नवम्बर 1977 में प्रस्तावित सम्मिलन के एक हफ्ते पूर्व विदेशी सरकार ने कम्पनी को तार द्वारा सम्मिलन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने की सूचना दी। कम्पनी ने पहले ही रुपये 0.52 लाख का व्यय कर दिया था (कम्पनी के दो अधिकारियों का आबू धाबी तक रुपये 0.27 लाख का यात्रा व्यय और रुपये 0.21 लाख विदेशी मुद्रा में विज्ञापन समेत)।

सम्मिलन किसी बाद की दिनांक में कराने की प्रत्याशा में जब आबू धाबी में भारतीय दूतावास से सम्बन्ध स्थापित किया गया (अगस्त 1978) तो कम्पनी को सूचना मिली (सितम्बर 1978) कि आबू धाबी कभी भी वाणिज्यिक केन्द्र नहीं था और अधिकतर व्यापार गृह दुबाई में स्थित हैं और आबू धाबी सम्मिलन का उचित स्थल न था।

इस प्रकार अपर्याप्त प्रारम्भिक परीक्षण के कारण कम्पनी ने रुपये 0.52 लाख का व्यर्थ व्यय किया।

2.14. चिकन उत्पादन योजना

अच्छे प्रकार का चिकन उत्पादन करने के लिये तथा व्यापार में बिचौलियों द्वारा मजदूरों के शोषण को समाप्त करने और मजदूरों को उचित मजदूरी देने के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य से कम्पनी ने लखनऊ में एक अलग प्रभाग स्थापित किया (मार्च 1978)।

योजना की प्रथम वर्षीय कार्य प्रणाली के दौरान (1978-79) रुपये 40 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध रुपये 6.93 लाख मूल्य का वास्तविक उत्पादन था। निम्न अनियमिततायें भी जानकारी में आयीं :

तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य हस्तशिल्प संगठन का रुपया 4.75 लाख मूल्य का चिकन रहतिया कम्पनी द्वारा मार्च 1978 में ग्रहण किया गया। अप्रैल 1978 में भौतिक सत्यापन

पर केवल रुपये 1.23 लाख मूल्य की वस्तुयें रहतिये में पायी गयीं। रुपये 3.52 लाख धनराशि की कमियों का विवरण अभिलेखों पर नहीं था। मामले में विस्तृत जांच पड़ताल प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (मई 1980)।

2.15. निर्यातोन्मुखी काम्प्लेक्सेज

हैण्ड (गार्डेन) टूल्स काम्प्लेक्स

जुलाई 1976 में कम्पनी ने अलीगढ़ में हैन्ड (गार्डेन) टूल्स काम्प्लेक्स स्थापित करने का निर्णय किया। कम्पनी ने सलाहकारी कार्य नयी दिल्ली की एक फर्म (वैयक्तिक संबंध स्थापन द्वारा चुनी गयी) को व्यावसायिक फीस और यात्रा व्यय सहित चार किस्तों में भुगतान योग्य रुपए 1.50 लाख के बदले में समझौता धनराशि पर दिया (फरवरी 1977)। एक मातृ इकाई सहित 15 इकाइयों की स्थापना हेतु फर्म द्वारा दी जाने वाली चार चरणों में योजना सलाहकारी सेवाओं में निम्न समाविष्ट था :

(i) मदों की विस्तृत सूची का परिचय और रीति विधान;

(ii) काम्प्लेक्स में निर्माण के लिये ली जाने वाली मदों का परिचय, प्रत्येक इकाई का उत्पादमेल और अन्य साध्यता अध्ययन;

(iii) प्रत्येक इकाई के लिये विस्तृत योजना प्रतिवेदन की तैयारी; और

(iv) परीक्षा चालन समेत योजनाओं का कार्यान्वयन।

फर्म ने फेज I और II के संबंध में साध्यता प्रतिवेदन समय से (मार्च और अगस्त 1977) में प्रस्तुत कर दिया और फरवरी 1977 से अप्रैल 1978 के दौरान तीन किस्तों में रुपए 0.68 लाख का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने योजना के प्रारम्भिक व्ययों में रुपए 0.42 लाख खर्च किए। अप्रैल 1977 में कम्पनी ने प्रस्ताव किया कि फर्म को मातृ इकाई जैसा कार्य करने हेतु प्रस्तावित नई कम्पनी की इक्विटी में भाग लेना चाहिये। फर्म सहमत नहीं हुई क्योंकि प्रारम्भ में, जब कार्य उसे दिया गया था, ऐसा कोई प्राविधान न था। मण्डल ने काम्प्लेक्स स्थापना में और आगे न जाने का निर्णय लिया (मार्च 1979) क्योंकि फर्म से भागीदारी व्यवस्था निश्चित करना सम्भव न हो पाया था। योजना त्याग के कारण रुपये 1.10 लाख का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ।

2.16. लेखा, आन्तरिक सम्परीक्षा और कास्टिंग का मैनुअल

यद्यपि कम्पनी पिछले चौदह वर्षों से अस्तित्व में है, उसने लागत और लेखा विधि या क्रय और अधिष्ठान मामलों के लिये कोई मैनुअल नहीं तैयार किया।

जुलाई 1978 तक विभिन्न प्रभागों और प्रदर्शन कक्षों के लेखाओं की सामयिक जांच के लिये आन्तरिक सम्परीक्षा की कोई विधि नहीं थी जबकि अन्य आकस्मिक व्ययों और यात्रा व्ययों के अतिरिक्त रुपये 7,000 वार्षिक फीस पर वर्ष 1978–79 के लिये (अल्पकालिक आधार पर) एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फर्म को नियुक्त किया गया। आन्तरिक सम्परीक्षकों द्वारा कोई केन्द्र/इकाई देखी नहीं गयी और फर्म की सेवायें समाप्त कर दी गयीं (मार्च 1979) और कार्य एक अधिशासी (लेखा) को सुपुर्द कर दिया गया जिसने आन्तरिक सम्परीक्षा के लिये कम्पनी की कोई भी इकाई/प्रभाग निरीक्षण नहीं किया (दिसम्बर 1979)।

मामला प्रबन्धकों/सरकार को अक्तूबर 1979 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 1980)।

2.17. सारांश

(i) जबकि कम्पनी की बिक्री रुपये 132.32 लाख (1976–77) से रुपए 264.70 लाख (1978–79) बढ़ गयी उसका लाभ रु0 5.61 लाख से रुपए 0.40 लाख तक घट गया। निर्यात पर 1977–78 में 5.6 प्रतिशत प्राफिट मार्जिन से 1978–79 में 1.4 प्रतिशत घट गया। निजी पक्षों से बकाया राशि रुपए 112.31 लाख थी (मार्च 1979)।

(ii) निर्यात बाजार में प्रवेश हेतु कम्पनी ने भदोही में एक कालीन प्रभाग स्थापित किया (अक्तूबर 1974)। कम्पनी ने न तो इन्फ्रास्ट्रक्चर या कालीनों के उत्पादन के लिये कैप्टिव क्षमता का विकास किया और न ही स्थानीय बुनकरों और आपूर्तकों से क्रय के लिये पर्याप्त विधि निकाली।

(iii) जबकि 1976–77 से 1978–79 के दौरान देश का निर्यात 53 प्रतिशत बढ़ गया कम्पनी का निर्यात 37 प्रतिशत गिर गया।

(iv) कम्पनी का रुपए 0.53 लाख का नगद प्रोत्साहन दावा (1977–78) अपेक्षित विधि पालन न किये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। कम्पनी ने अपने अभिकर्ताओं को कमीशन के रूप में रुपये 0.58 लाख का अधिक भुगतान कर दिया (मार्च 1979)। इसके अतिरिक्त बीजक मूल्य में 2 प्रतिशत सेवाभार न जोड़े जाने के कारण कम्पनी ने रुपए 0.72 लाख की हानि उठायी।

(v) विदेशी क्रेताओं द्वारा विलम्बित (71–486 दिन) भुगतानों (रुपए 20.06 लाख) के कारण कम्पनी ने रुपये 1.90 लाख (26 मामले) के ब्याज की हानि उठायी क्योंकि बिक्री शर्तें त्रुटिपूर्ण थीं।

(vi) मई 1977 में रुपए 1.42 लाख मूल्य की यू0 के0 को भेजी गयी कालीने अस्वीकृत हो गयी थीं और जुलाई 1978 से कलकत्ता पत्तन पर पड़ी हैं।

(vii) कम्पनी ने दो निर्यात मामलों में रुपए 2.01 लाख की हानि उठायी और 1976–77 से रुपए 0.92 लाख का रहतिया पड़ा था। एक अन्य मामले में रुपए 2.30 लाख मूल्य का अस्वीकृत माल (अप्रैल 1978 में पश्चिम जर्मनी को भेजा गया) आपाती बिक्री की प्रतीक्षा में था। एक और अन्य मामले म रुपये 8.72 लाख मूल्य की क्रेता द्वारा अस्वीकृत कालीने पश्चिम जर्मनी नें सीमा शुल्क अधिकारियों के पास पड़ी थीं और इस बीच बैंकों से अग्रिम पर कम्पनी रुपए 2.67 लाख का ब्याज दायित्व उठा चुकी है।

(viii) 30 दिनों की साख पर (उसके बाद 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित) रुपये 23.53 लाख मूल्य का बुनकरों को बेचा गया कालीन धागा के विरुद्ध रुपये 12.75 लाख की धनराशि अब भी बकाया थी (दिसम्बर 1979); ब्याज भार न तो आंका न ही वसूला गया था।

(ix) आगरा में (1974) स्थापित चर्म प्रभाग 1977 के बाद से कोई निर्यात आदेश प्राप्त न कर सका और अधिष्ठान इत्यादि पर रुपए 0.70 लाख के व्यय के बाद जुलाई 1979 में बन्द कर दिया गया।

(x) कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये केन्द्र/राज्य सरकार अनुदान/ऋण न तो पूर्ण रूप से उपयोग किये गये और न वापस किय गये। राज्य सरकार से प्राप्त रुपये 49.06 लाख के विरुद्ध एक भी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया और रुपए 90.50 लाख की राशि अन्य उपयोगों के लिये दे दी गयी या कम्पनी के बैंक खातों में जमा कर दी गयी।

(xi) प्रशिक्षार्थियों द्वारा बनायी गयी कालीनों की बिक्री प्राप्ति का 10 प्रतिशत सह कालीन निर्माताओं से कम्पनी को नहीं प्राप्त हुआ और वसूली योग्य धनराशि रुपए 1.20 लाख थी।

(xii) कालीन बुनायी प्रशिक्षण योजना की कार्य प्रणाली के मूल्यांकन हेतु कम्पनी द्वारा नियुक्त सलाहकार के प्रतिवेदन (अप्रैल 1979) की संस्तुतियों पर कम्पनी को अभी भी निर्णय लेना है।

(xiii) ब्याज मुक्त रुपए 5 लाख के ऋण (हस्त शिल्प प्रभाग) के पुनर्भुगतान में कम्पनी की असफलता के कारण यह रुपए 3.38 लाख (रुपए 0.88 लाख के दण्ड ब्याज सहित) अतिरिक्त ब्याज दायित्व वाले ब्याज सहित ऋण में परिवर्तित हो गया।

(xiv) रुपए 9.68 लाख मूल्य की मन्दगामी वस्तुयें 75 प्रतिशत तक की भारी छूट पर बिक सकी। इस के अतिरिक्त रुपए 2.55 लाख मूल्य के क्षति ग्रस्त हस्तशिल्प रुपए 1.84 लाख की हानि पर बेचे गये (मार्च 1979) और रुपए 2.25 लाख मूल्य की क्षत और न बिक सकने योग्य वस्तुयें अब भी रहतिये में पड़ी हैं (दिसम्बर 1979)।

(xv) 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प प्रभाग ने कुल रुपए 7.64 लाख की हानि उठायी। 10–13 प्रतिशत अनुमान के विरुद्ध अधिष्ठान व्यय बिक्री के 33–36 प्रतिशत के बीच रहे। अन्तिम रहतिया रुपए 34.44 लाख–रुपए 36.49 लाख के बीच रहा और 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान 11–19 माह की बिक्री का प्रतिनिधित्व किया।

(xvi) धन और भण्डार आदि के गबन के मामलों के अतिरिक्त रहतिया सत्यापन (मार्च 1979) के दौरान जानकारी में आई रुपए 2.18 लाख की कमियां अभी भी नियमित होनी थीं।

(xvii) कम्पनी द्वारा रुपए 4.75 लाख मूल्य का अधिगृहीत (मार्च 1978) चिकन रहतिये ने भौतिक सत्यापन पर रुपए 3.52 लाख की कमी प्रकट की जो जांच पड़ताल मे थी (मई 1980)।

(xviii) अलीगढ़ में हैण्ड (गार्डन) टूल्स के निर्माण के लिये निर्यातोन्मुखी काम्पलेक्स परियोजना रुपए 1.10 लाख व्यय करने के बाद त्यागनी पड़ी।

अनुभाग III
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

3.01. प्रस्तावना

आर्थिक विवशताओं के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग में सिविल कार्यों की भारी कटौती / रुक जाने के कारण निष्क्रिय हो गए (1974–75) कर्मचारियों को खपाने के विचार से राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के निर्माण कार्य करने हेतु एक कम्पनी स्थापित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का निगमन एक पूर्ण स्वामित्व वाली राजकीय कम्पनी के रूप में पहली मई 1975 को (i) कार्यों को उचित दरों पर शीघ्रता के साथ करने और निजी ठेकेदारों को हटाने के लिये एक संस्था की स्थापना करने और (ii) वाणिज्यिक बैंकों, आर्थिक संस्थाओं, आदि से ऋणों के माध्यम से आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करने के दोहरे मूल उद्देश्यों के साथ किया गया ।

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं :

(i) सड़कों और भवनों, बांधों, डामों, जलसेतुओं, पुलों, पुलियाओं आदि का निर्माण, अनुरक्षण और सुधार करना,

(ii) सभी प्रकार की सड़कों और भवनों के निर्माण से संबंधित सभी प्रकार की ईंटों, टाइलों, मिट्टी के सामान, सीमेन्ट, पत्थर, रेत, धातु के सामान और अन्य भवन सामग्रियों, उपकरणों, औजारों और मशीनों का निर्माण, क्रय, विक्रय, स्थापन, कार्य, परिवतन, सुधार, जोड़ तोड़ या अन्यथा व्यवहार करना, और

(iii) राज्य सरकार के स्वामित्व वाली किन्हीं भी सड़कों और भवनों के निर्माण, अनुरक्षण या प्रबन्ध करने के आशय से उनका क्रय, पट्टे पर लेना या अन्यथा उनका अधिग्रहण करना।

3.02. संगठनात्मक स्थिति

कम्पनी का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदशक और पांच अन्य अंशकालिक निदेशकों से गठित एक निदेशक मण्डल में निहित है । मुख्यालय पर प्रबन्ध निदेशक की सहायता एक सचिव व कार्मिक प्रबन्धक, एक आर्थिक सलाहकार और अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाती है ।

3.03. अधिकारों का प्रतिनिधान

क्योंकि कम्पनी के अपने स्वयं के नियम नहीं बन पाये हैं (मार्च 1980), प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रयोग किये जा रहे अधिकारों के समान अधिकारों का प्रयोग करता है, जैसा कि मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया (मई 1975)– जबकि अन्य अधिकारी मण्डल द्वारा बिना किसी अधिकार दिय ही सावजनिक निर्माण विभाग में उनके समकक्ष अधिकारियों के समान अधिकारों का प्रयोग करते हैं ।

3.04. सरकार द्वारा परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण

(क) सरकार ने (सार्वजनिक निर्माण विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड से) कुछ संयन्त्र और मशीनरी और स्टोर सामग्रियां इत्यादि उनक ह्रासित पुस्तक मूल्य पर कम्पनी को स्थानान्तरित करनें का निर्णय किया (नवम्बर 1975) जो कि सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी मानी जानी थी । कम्पनी ने उनकी दशा सत्यापन किये बिना 1975–76 म स्टोर सामग्रियों सहित इन परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण किया (ह्रासित मूल्य: 25.71 लाख रुपये) ।

(ख) कम्पनी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग से अधिग्रहीत की गई परिसम्पत्तियों में स्टोर सामग्रियां (पुस्तक मूल्य: 3.71 लाख रुपये) सम्मिलित थीं जिनके लिये कोई विवरण उपलब्ध नहीं थे।

(ग) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्थानान्तरित की गई परिसम्पत्तियों (स्टोर सामग्रियों के अतिरिक्त) का मूल्य 26.23 लाख रुपए बताया (सितम्बर 1977) जबकि कम्पनी ने अपनी पुस्तकों में 22.00 लाख रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियों को लिया था। 4.23 लाख रुपये के अन्तर का समाधान नहीं किया गया था (मार्च 1980)।

3.05. पूंजी संरचना

प्रारम्भ में कम्पनी 1,000 रुपये प्रत्येक के 5,000 अंशों से बनी 50 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी से पंजीकृत हुई थी जिसे बाद में (सितम्बर 1977) बढ़ाकर 500 लाख रुपये कर दिया गया। कम्पनी की बिना किसी मांग के क्रमश: 'अपरिहार्य आवश्यकता' और 'कम्पनी के कार्य कलापों को सुचारु रूप से चलाने के लिए तुरन्त आवश्यक अतिरिक्त धनराशि जुटाने, के आधार पर सरकार द्वारा राज्य की आकस्मिक निधि से निकाले गये 95 लाख रुपये 31 मार्च 1976 को (25 लाख रुपये) और 30 मार्च 1977 को (70 लाख रुपये), सहित 31 मार्च 1979 को प्रदत्त पूंजी 100 लाख रुपये थी। राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण धनराशि का कम्पनी द्वारा अल्पावधि निक्षेपों में विनियोजन जारी रहा (मार्च 1979)। यदि धनराशि प्रारम्भ में ही दीर्घावधि निक्षेपों में विनियोजित की गयी होती तो कम्पनी अप्रैल 1977 से जुलाई 1978 की अवधि के दौरान 1.19 लाख रुपये का अतिरिक्त ब्याज अर्जित कर लेती।

3.06. वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

कम्पनी के लेखाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब नीचे इंगित है :

31 मार्च को समाप्त वर्ष	लेखाओं को पूर्ण करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि	माह जिनमें लेखे पूर्ण किये गये
1976	31 दिसम्बर 1976	मार्च 1977
1977	30 सितम्बर 1977	सितम्बर 1978
1978	30 सितम्बर 1978	अक्टूबर 1979
1979	30 सितम्बर 1979	बकाया

प्रबन्धकों न इन विलम्बों के कारण बताये (जुलाई 1979)--

(क) 120 कार्यस्थल इकाइयों का कठिन और दूरवर्ती स्थापन, और

(ख) 1975-76 और 1976-77 के लिये सांविधिक सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति में विलम्ब। तथापि, यह देखा गया कि 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के लिए सम्प्रेक्षक क्रमश: अप्रैल 1976, अगस्त 1977 और दिसम्बर 1978 में नियुक्त किये गय थ।

3.07. वित्तीय स्थिति

निम्न तालिका कम्पनी की 1978–79 तक के चार वर्षों के लिये वित्तीय स्थिति को मुख्य शीर्षकों में साररूप में दर्शाती है :

	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79 (अनन्तिम)
दायित्व		(लाख रुपयों में)		
प्रदत्त पूंजी	30.00	100.00	100.00	100.00
रिजर्व व आधिक्य	0.68	4.81	17.78	17.20
ऋण व अग्रिम	..	..	0.19	..
चालू दायित्व (प्राविधानों सहित)	165.74	371.55	647.88	405.89
योग	196.42	476.36	765.85	523.09
परिसम्पत्तियां				
ग्रास ब्लाक	38.80	82.32	122.85	172.80
घटाया-ह्रास	2.27	11.70	26.93	47.80
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	36.53	70.62	95.92	125.00
ऋणों व अग्रिमों सहित चालू परिसम्पत्तियां	159.78	405.64	669.84	398.08
विविध व्यय	0.11	0.10	0.09	0.01
योग	196.42	476.36	765.85	523.09
नियोजित पूंजी	30.57	104.71	117.88	117.19
शुद्ध मूल्य	30.57	104.71	117.69	117.19

नोट : 1––नियोजित पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के योग को प्रदर्शित करती है ।

2––शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्व के योग में से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटाकर निकाला गया है ।

3.08. कार्य कलापों के परिणाम

प्रथम वर्ष (1975–76 : लाभ–2.63 लाख रुपये) के अलावा 1976–77 (15.80 लाख रुपये) और 1977–78 (33.98 लाख रुपये) में कम्पनी के लाभ केवल लागत जमा कार्यों से अर्जित किये गए, जिनमें लाभ के तत्व के अतिरिक्त अधिष्ठापन और अन्य शिरोपरि मदों के लिये 15–21 प्रतिशत की दर से प्रतिशत अधिभार का प्राविधान था ।

कम्पनी ने 1977–78 तक के तीन वर्षों के दौरान 8.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक लाभांश का भुगतान किया ।

3.09. तकनीकी स्वीकृतियां

कम्पनी ने 31 मार्च 1979 तक राज्य सरकार व अन्यों के 61 निक्षेप कार्य (अनुमानित लागत: 38.55 करोड़ रुपये) बिना तकनीकी स्वीकृतियों के प्रारम्भ किये। इनमें से 19 कार्य 5.83 करोड़ रुपये की कुल लागत से पूरे किये गये (जून 1977–फरवरी 1979)। 7 कार्यों का निर्माण 3.28 करोड़ रुपये के व्यय के बाद समाप्त/रोक/धीमा कर दिया गया क्योंकि अनुबन्ध करने वाली पार्टियों द्वारा और राशियां नहीं प्रदान की गईं (जिसके लिये अभिलेखों पर कोई कारण नहीं)।

3.10. निर्माण निष्पादन

अ––सामान्य

कम्पनी द्वारा प्रतिपादित कार्य मुख्य रूप से (i) निक्षेप कार्य और (ii) ठेके के कार्य में विभक्त किये जाते हैं। निक्षेप कार्य राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य निकायों द्वारा "लागत जमा" आधार पर प्रदान किये जाते हैं। प्रतिशत व्यय (19 फरवरी 1976 के एक राजकीय आदेश के अनुरूप) राज्य सरकार के कार्यों पर 15 प्रतिशत् और अन्य कार्यों पर 15–21 प्रतिशत् (जैसा तय हो जाय) निर्धारित किये जाते हैं। ठेके के कार्य कम्पनी द्वारा निविदाओं के विरुद्ध दरें देकर या बातचीत के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं।

1978–79 तक के चार वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये कार्यों का मूल्य निम्न प्रकार था :

	निक्षेप कार्य	ठेके के कार्य
	(लाख रुपयों में)	
1975–76	150.00	1,087.00
1976–77	1,333.23	289.76
1977–78	1,199.49	347.33
1978–79	1,172.20	1,191.89
योग	3,854.92	2,915.98

31 मार्च 1979 तक पूर्ण किये गये 21 कार्यों के लेखे अभी तक पूर्ण नहीं किये गये हैं (मार्च 1980)। निक्षेप कार्यों के लिये कम्पनी ने कोई औपचारिक अनुबन्ध प्रतिपादित नहीं किय (मार्च 1980)। आठ ठेके के कार्यों (अनुमानित लागत 12.44 करोड़ रुपये) के सम्बन्ध में भी औपचारिक अनुबन्ध नहीं प्रतिपादित किये गये (मार्च 1980)। इनमें से एक कार्य (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का पनकी शक्ति गृह–अनुमानित लागत: 15 लाख रुपये) सितम्बर 1977 में पूर्ण किया गया लेकिन लेखे अभी भी अन्तिम रूप से तय होने हैं (मार्च 1980)।

ब––निक्षेप कार्य

(क) अधिक निर्माण लागत

(i) कम्पनी के मूल उद्देश्यों में से एक, उचित दरों पर कार्यों का निष्पादन था परन्तु किसी भी स्तर पर कम्पनी ने लागतों के औचित्य का सत्यापन नहीं किया। चार कार्यों क सम्बन्ध म वास्तविक लागत और प्रतिशत व्यय मिलाकर उसी कार्य के लिए ग्राहक द्वारा निविदाओं में मूल रूप

से प्राप्त दरों या सार्वजनिक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग की प्रचलित दरों की अनुसूची के आधार पर निकाली गई लागत से 6 से 56 प्रतिशत तक अधिक थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

कार्य का नाम	निर्माण की अवधि	निर्माण लागत	प्रचलित परिगणित लागत आधार	धनराशि	आधिक्य धनराशि	प्रचलित परिगणित लागत के ऊपर प्रतिशत
				(लाख रुपयों में)		
प्रथम चरण में 13 स्थानों पर भण्डारागार	जनवरी से सितम्बर 1977	405.35	ग्राहक द्वारा निविदाओं में प्राप्त दरों पर वास्तविक लागत	334.66	70.69	21
प्रोडक्शन हाल काशीपुर (नैनीताल)	नवम्बर 1975 से सितम्बर 1977	53.59	ग्राहक द्वारा निविदाओं में प्राप्त दरों पर वास्तविक लागत	50.54	3.05	6
बहुखण्डीय पणन संकुल लखनऊ	नवम्बर 1976 से जनवरी 1978	87.40	सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों की अनुसूची	78.02	9.38	12
रायबरेली में छोटे पुल	सितम्बर 1977 से फरवरी 1978	6.26	सिंचाई विभाग की प्रचलित दरों की अनुसूची	4.01	2.25	56
	योग	552.60		467.23	85.37	18

अन्य कार्यों के संबंध में निविदाओं की दरें या दूसरी प्रकार निकाली गई दरें कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थीं।

(ii) चीनी फैक्टरी भवन, चांदपुर और नन्दगंज

चांदपुर (बिजनौर) तथा नन्दगंज (गाजीपुर) में निर्मित फैक्टरी भवनों (1977–78) में इस्पात का वास्तविक उपभोग वास्तुविद द्वारा तैयार की गई डिजाइन के अनुसार वांछित इस्पात की मात्रा से अधिक था और आपस में परस्पर (समान डिजाइन और विशिष्टियों के बावजूद) पर्याप्त रूप से भिन्न भी था, जैसा कि नीचे इंगित है :

फैक्टरी का नाम	इस्पात का वास्तविक उपभोग	डिजाइन के अनुसार वांछित (मैट्रिक टनों में)	अधिक उपभोग	अतिरिक्त व्यय (लाख रुपयों में)
चांदपुर (बिजनौर)	480	435	45	1.13
नन्दगंज (गाजीपुर)	554	432	122	3.05
योग	1,034	867	167	4.18

(iii) छोटे पुल, रायबरेली

सिंचाई विभाग द्वारा सौंपा गया कार्य समाप्त हो जाने पर, कम्पनी ने 6.26 लाख रुपये (वास्तविक लागत, प्रतिशत व्यय के लिए 15 प्रतिशत के साथ) का एक बिल भेजा (मार्च 1978) जो विभाग की प्रचलित दर अनुसूचियों के आधार पर निकाली गई 4.01 लाख रुपये की लागत के सन्दर्भ में विभाग द्वारा अधिक समझा गया और 2.25 लाख रुपये का आधिक्य अस्वीकृत कर दिया गया (मार्च 1980)।

(ख) अनुमानित लागत से अधिक व्यय

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कुछ पूर्ण हुए कार्यों की वास्तविक लागत अनुमानित लागत (कम्पनी द्वारा बनायी गई और सूचित की गई) से 10 से 29 प्रतिशत तक अधिक थी :

कार्य का नाम	प्राक्कलन का माह	सम्पादन की अवधि	अनुमानित लागत	वास्तविक लागत	आधिक्य	अनुमानित लागत पर आधिक्य का प्रतिशत
			(लाख रुपयों में)			
द्वितीय चरण में 16 स्थानों पर भण्डारागार	अगस्त 1978	मार्च 1977 से सितम्बर 1978	227.87	250.71	22.84	10
प्रथम व द्वितीय चरण के अन्तर्गत भण्डारागारों के लिये सड़कें और अनुषंगीय कार्य	अप्रैल 1978	जुलाई 1977 से सितम्बर 1978	120.67	149.60	28.93	24
शुगर फैक्टरी भवन, नन्दगंज	जून 1977	जनवरी 1977 से जुलाई 1978	91.57	117.67	26.10	29
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड होस्टल, ओबरा	मई 1976	मई 1976 से जून 1977	3.40	3.76	0.36	11
		योग	443.51	521.74	78.23	18

(ग) लागत नियन्त्रण की कमी

सम्परीक्षा में किये गए विश्लेषण (जुलाई 1979) से 1976–77 और 1977–78 के दौरान कम्पनी द्वारा निष्पादित किये गये तुलनात्मक कार्यों के लागत के विभिन्न तत्वों में विशाल अन्तर प्रकट हुए, जैसा कि नीचे इंगित है :

कार्य का नाम	किये गये कार्य का मूल्य (लाख रुपये में)	किये गये कार्य के मूल्य पर प्रतिशतता सामग्रियां	मजदूरी	शटरिंग सामग्री	कार्य के ऊपरी खर्च	प्रशासी* ऊपरी खर्च (कार्य-स्थल)	शुद्ध लाभ
में भंडारागार							
इलाहाबाद	28.28	71.8	12.2	1.1	2.0	4.4	8.5
उरई	53.58	64.8	16.6	1.1	4.4	2.1	11.0
कोच	14.02	63.3	18.8	1.1	3.6	2.1	11.1
ठाकुर द्वारा	11.97	67.5	13.6	0.9	4.8	4.9	8.3
गदरपुर	28.86	65.5	15.7	1.1	4.8	3.3	9.6
कोसीकलां	12.80	64.8	17.3	1.4	3.5	5.6	7.4
औरय्या	22.32	67.0	13.8	0.9	5.0	3.3	10.0

*प्रशासी ऊपरी खर्च (मुख्यालय) के अतिरिक्त।

(घ) कार्य पूर्ण होने में विलम्ब

कार्यों को पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि कम्पनी द्वारा ग्राहक के साथ हुई आपसी सहमति से तय की जाती है। जून 1977 से फरवरी 1979 के दौरान पूर्ण किये गये 19 कार्यों में से 16 कार्यों को पूर्ण करने में 3-12 माह की देरियां थीं जिससे, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्माण की लागत बढ़ गई। ग्राहकों द्वारा इन कार्यों के विरुद्ध भुगतानों का निपटारा अभी तक (मार्च 1980) नहीं किया गया है।

(ङ) विवाद

परख जांच में यह पाया गया (जुलाई 1979) कि कम्पनी द्वारा पूर्ण किये गए 6 कार्यों के सम्बन्ध में ग्राहकों द्वारा 13.12 लाख रुपये का भुगतान नीचे इंगित किए गए कारणों से रोक लिया गया था :

कार्य का नाम	निर्माण की अवधि	रोकी गई धनराशि (लाख रुपयों में)	कारण
सीमा दीवार, फूलपुर (इलाहाबाद)	अप्रैल 1976 से मार्च 1978	1.60	सामग्रियों का वास्तविक उपभोग निर्धारित मानकों से अधिक था।
मोड़ नाली, फूलपुर (इलाहाबाद)	जून से दिसम्बर 1976	0.46	कार्य की प्रगति बहुत धीमी होने के कारण काम वापिस ले लिया गया और किये गये कार्य के लिए भुगतान रोक लिया गया।
फूलपुर (इलाहाबाद) में अन्य कार्य	अप्रैल 1976 से जून 1978	3.36	सामग्रियों के उपभोग का विवरण नहीं दिया गया।
भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड हास्टल, ओबरा (मिर्जापुर)	मई 1976 से जून 1977	0.84	क्रय की गई सामग्रियों और नियुक्त किये गये श्रमिकों का औचित्य नहीं दिया गया।
शुगर फैक्ट्री भवन, छाता (मथुरा)	सितम्बर 1976 से मई 1978	5.85	व्यय का विस्तृत लेखा नहीं दिया गया।
उ0 प्र0 वित्त निगम भवन, कानपुर	अप्रैल 1976 से मार्च 1978	1.01	व्यय का विस्तृत लेखा नहीं दिया गया।
	योग	13.12	

(च) दोषयुक्त कार्य

यह जानकारी में आया कि कम्पनी दोषयुक्त कार्यों की जांच-पड़ताल नहीं करती है। दोष युक्त कार्यों के गिराने और सुधार पर हुए व्यय के विवरण भी नहीं रखे जाते हैं और व्यय कार्य के अन्य व्ययों में जोड़ दिया जाता है और वास्तविक लागत के रूप में (उस पर प्रतिशत व्यय के साथ) चार्ज किया जाता है जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं।

(छ) कार्यों का अनधिकृत प्रतिपादन

(i) सितम्बर 1977 में शासन ने कम्पनी से लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासीय भवनों (अनुमानित लागत: 46.11 लाख रुपये) के निर्माण के लिए एक विस्तृत प्राक्कलन देने हेतु

कहा। कम्पनी ने प्राक्कलन प्रस्तुत कर दिए और निर्माण कार्य, सरकार द्वारा अधिकृत किये बिना या भूमि के अधिकार के स्थानान्तरण हुए बिना, 25 अक्तूबर 1977 को प्रारम्भ कर दिया। स्थानीय निवासियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण कार्य 9 नवम्बर 1977 को निलम्बित कर देना पड़ा। इस अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा किया गया 0.33 लाख रुपये का व्यय अभी तक (मार्च 1980) कोई दावा प्रस्तुत न करने के कारण फलहीन हो गया।

(ii) कम्पनी ने देवरिया जिले में आवासीय भवनों का निर्माण बिना नक्शा तय हुए प्रारम्भ कर दिया (जून 1978), जो दिसम्बर 1978 में तय हुए। नक्शा तय होने के पहले नींव व फर्श में प्रतिपादित कार्य वांछित मात्रा से अधिक (0.16 लाख रुपया) था जो ग्राहक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया (मार्च 1980)।

स--ठेके के कार्य

(क) ठेके व निविदा कक्ष के अप्रभावी क्रिया कलाप

कम्पनी ने एक ठेका व निविदा कक्ष दिसम्बर1975 में स्थापित किया। यह जानकारी में आया कि कक्ष द्वारा लागत के विस्तृत विश्लेषण के बिना दरें प्रस्तावित की जा रही थीं।

(ख) प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के माध्यम से व्यापार

उन निविदाओं जिसमें इसने भाग लिया, उसमें इसकी स्थिति और प्रस्तुत निविदाओं के मूल्य के सम्बन्ध में कम्पनी ने कोई सूचना नहीं रखी थी। यह जानकारी में आया कि खुली निविदाओं में भाग लेकर कम्पनी बहुत से कार्य प्राप्त करने के योग्य नहीं थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष		प्रस्तुत की गई निविदाओं की संख्या	प्राप्त हुए कार्यों की संख्या
1975–76		22	1
1976–77		11	2
1977–78		19	5
1978–79		18	4
	योग	70	12

(ग) दरें जिन पर कार्य न किये जा सके

कम्पनी ने अलग-अलग ठेकों के निष्पादन पर लाभ/हानि नहीं निकाला था। यह जानकारी में आया कि बहुत से मामलों में प्रस्तावित दरें (बिना वस्तुत विश्लेषण के) ऐसी पायी गयीं जिन पर कार्य नहीं किया जा सकता था, परिणामतः हानियां हुईं। उदाहरणार्थ :

(i) पनकी थर्मल पावर स्टेशन, कानपुर

कम्पनी ने एक ग्राहक द्वारा प्रस्तावित दरों पर, बिना उनकी परीक्षा किये, सड़कों, नालियों और खड़ंजों का निर्माण (मूल्यः 13.31 लाख रुपये) स्वीकार किया (फरवरी 1976)। सितम्बर 1977 में पूर्ण हुए कार्य के परिणामस्वरूप 2.27 लाख रुपये की हानि हुई, जिसका कारण कार्य-स्थल प्रभारी द्वारा ऐसी दरों, जिन पर कार्य न किया जा सके, और कठिन कार्यस्थल दशाओं को बताया गया (मई 1977)।

(ii) **इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, नैनी (इलाहाबाद)**

कम्पनी ने आवासीय और प्रशासकीय भवनों के कार्य के लिए (अनुमानित लागत: 22.72 लाख रुपये) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर अनुसूची 1974 से 32.52 प्रतिशत ऊपर पर निविदा दी (नवम्बर 1977)। बातचीत द्वारा निर्णय के दौरान कम्पनी ने दरों को 1.14 लाख रुपये से घटा दिया और 31 मार्च 1979 तक निष्पादित 51 प्रतिशत कार्य पर 1.17 लाख रुपये की हानि उठायी। कार्य अभी प्रगति में था (मार्च 1980)।

विभिन्न मदों में निष्पादन की वास्तविक लागत स्वीकृत दरों से 13–23 प्रतिशत ऊंची पायी गयी।

(iii) **भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड (इलाहाबाद)**

कम्पनी ने प्रथम चरण के कार्यों (अनुमानित लागत : 15 लाख रुपये) के लिए ग्राहक की स्वयं की दर अनुसूची से 50 प्रतिशत ऊपर पर प्रशासकीय भवन का निर्माण प्रारम्भ किया (अक्तूबर 1976)। ग्राहक द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर अनुसूची, 1974 (अनुमानित लागत: 30.25 लाख रुपये) से 19 प्रतिशत ऊपर पर बाद में प्रस्तावित (जून 1977) आवासीय भवनों का कार्य भी कम्पनी द्वारा स्वीकार किया गया। कम्पनी ने मार्च 1978 तक पूर्ण 70 प्रतिशत कार्य पर 3.11 लाख रुपये (10.76 प्रतिशत) की हानि उठायी।

पांच मुख्य मदों की विस्तृत जांच (मार्च 1979) से प्रगट हुआ कि वास्तविक निष्पादन की लागत कम्पनी द्वारा स्वीकृत दरों से 10–44 प्रतिशत ऊंची थी (1978–79 के लिए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं थे)।

(घ) **दोषपूर्ण अनुबन्ध**

दरें निश्चित होने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने और/या अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए प्राविधान न करने के कारण कम्पनी ने हानियां उठायीं।

(i) **डल्ला में सिविल कार्य (कजरहट सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर)**

कम्पनी ने कजरहट (डल्ला फैक्टरी से 7 किलोमीटर) में क्रशिंग प्लान्ट के सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए डल्ला फैक्ट्री में क्लिंकराइजेशन प्लान्ट के सिविल कार्यों के लिए एक अन्य ठेकेदार "ब", जिसकी दरें अभी भी ग्राहक के साथ बातचीत द्वारा तय होने के अन्तर्गत थीं, द्वारा प्रस्तावित दरों पर स्वयं प्रस्ताव दिया (मार्च 1977)। कम्पनी ने ठेकेदार "ब", जिसके कार्य का स्थल प्रश्नगत कार्य के स्थल से तुलना योग्य नहीं था, पर लागू शर्तों की छानबीन नहीं की। कम्पनी ने बिना कोई औपचारिक अनुबन्ध प्रतिपादित किये या विस्तृत शर्तें तय किये अप्रैल 1977 में कार्य प्रारम्भ कर दिया। ठेकेदार "ब" ने 15 मीटर गहराई तक मिट्टी के कार्य के लिए विभिन्न दरें दी थीं। क्योंकि ठेकेदार "ब" के कार्य के सम्बन्ध में 9 मीटर गहराई से आगे मिट्टी के कार्य की आवश्यकता नहीं थी, 9 मीटर से आगे और 15 मीटर गहराई तक मिटटी के कार्य के लिए दरें ग्राहक द्वारा उसके कार्य क्षेत्र से हटा दी गई थीं। कम्पनी ने 9–15 मीटर गहरी खुदाई के लिए एक बिल ठेकेदार "ब" द्वारा प्रस्तावित दरों (बाद में ठेकेदार "ब" के अनुबन्ध से हटा दी गयीं) पर दिया लेकिन ग्राहक ने इन्हें अतिरिक्त मदें माना और उनके लिए ठेकेदार "ब" की प्रस्तावित दरों से नीची दरों पर भुगतान किया (दिसम्बर 1977) –परिणामत: 0.58 लाख रुपयें की वसूली न हुई।

इसके अतिरिक्त बातचीत के दौरान ठेकेदार "ब" सहमत हुआ था कि 15 मीटर गहराई से नीचे खुदाई, यदि कोई हो, का निविदा की निकटतम तुलनात्मक मद के सन्दर्भ में विश्लेषण के आधार पर निकाली गई दर पर भुगतान किया जायगा। कम्पनी ने 8,361.91 घन मीटर (15 मीटर गहराई से नीचे) के लिये ठेकेदार "ब" द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित दरों के सन्दर्भ में ग्राहक को

88.50 रुपये से 228.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर पर बिल दिया। तथापि ग्राहक ने, इस आधार पर कि 9 से 15 मीटर के बीच की गहराई में कार्य ठेकेदार "ब" के कार्य क्षेत्र से निकाल दिया गया था, केवल 49.50 रुपये से 84.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर पर बिलों का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 6.46 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

कार्य प्रारम्भ होने (अप्रैल 1977) के बाद सामान्य प्रबन्धक ने मुख्यालय को सूचित किया (मई 1977) कि ठेकेदार "ब" पर लागू शर्तों में ड्राइंग के अनुसार निकाली गई मात्राओं के लिए भुगतान करने का प्राविधान था और इनमें कार्य के निष्पादन के लिए जरूरी अतिरिक्त मिट्टी की खुदाई के भुगतान के लिये कोई उल्लेख नहीं था। प्रबन्ध निदेशक ने ड्राइंग के अनुसार निकाली गई मात्राओं के स्थान पर वास्तविक मात्राओं के भुगतान के लिए ग्राहक तक पहुंच की (जून 1977)। ग्राहक इससे सहमत नहीं हुआ (नवम्बर 1977), परिणामस्वरूप 0.34 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

(ii) झांसी में सिविल कार्य

(1) कम्पनी ने ग्राहक के साथ बातचीत के बाद बिना विस्तृत शर्तें तय किये या औपचारिक अनुबन्ध प्रतिपादित किये झांसी में एक आवासीय भवन का निर्माण कार्य लिया (अगस्त 1975)। बातचीत के दौरान ग्राहक ने एक रियायती दर पर बोल्डरों की विभागीय आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया था। कम्पनी ने ग्राहक के पास पत्थर के बोल्डर्स की आपूर्ति के लिए पहुंच की (जून 1976) जो जनवरी 1977 से 15.75 रुपये प्रति घन मीटर (ढुलाई सम्मिलित करते हुए) की दर से आपूर्त किये गये। इससे पूर्व (अगस्त 1975 से दिसम्बर 1976 के दौरान) कम्पनी ने खुले बाजार से 3,150 घन मीटर बोल्डर्स 28 रुपये प्रति घन मीटर (ढुलाई सम्मिलित करते हुए) की दर पर खरीदा था, परिणामत: 0.39 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जो ग्राहक से नहीं वसूल किया जा सका।

(2) ग्राहक के साथ हुए अनुबन्ध में ग्राहक द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति के लिये प्राविधान था। जून-जुलाई 1977 के दौरान ग्राहक 23 दिन के लिये सीमेन्ट की बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं कर सका और 17 दिन के लिये आवश्यकता की केवल 50 प्रतिशत आपूर्ति की, परिणामत: बेकार बैठे प्रतिष्ठापन पर 0.22 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ जिसके लिए अनुबन्ध में किसी प्राविधान के अभाव में कम्पनी द्वारा कोई दावा नहीं दायर किया गया।

(iii) हरिद्वार में सिविल कार्य

कम्पनी ने एक अनुबन्ध का प्रतिपादन या कार्य का क्षेत्र और विशिष्टियों का निर्धारण किये बिना विभिन्न कार्यों का निर्माण प्रारम्भ किया (अगस्त 1975)। कम्पनी ने प्रबलित सीमेन्ट कन्क्रीट स्लेब्स के ऊपर 12 मिली मीटर मोटाई का सीमेन्ट व रेत का 51,078 वर्ग मीटर प्लास्टर कराया। तथापि ग्राहक ने केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रबलित सीमेन्ट कन्क्रीट कार्य के लिए निर्धारित विशिष्टियों के आधार पर प्रबलित सीमेन्ट कन्क्रीट कार्य के लिये भुगतान 6 मिली मीटर मोटाई के लिये लागू दर पर किया, परिणामत: सीमेन्ट (3,825 सीमेंट बोरे: 0.49 लाख रुपये) और रेत (0.04 लाख रुपये) के अधिक उपभोग के कारण 0.53 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई। मामला अभी भी ग्राहक के साथ बातचीत के अन्तर्गत है और कार्य के लिए अन्तिम बिल अभी भी तय होना है (मार्च 1980)।

(ङ) विलम्ब के कारण कम्पनी से वापिस लिए गए कार्य

ओबरा थर्मल शक्ति परियोजना

कम्पनी, प्रारम्भ में (दिसम्बर 1975) परियोजना के प्रैसर कन्ड्यूट के परीक्षण और डालने के कार्य (अनुमानित लागत: 153.49 लाख रुपये) को अगस्त 1976 तक पूरा करने के लिए

सहमत हुई थी लेकिन पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि निम्न अनुसार मार्च-जून 1976 के दौरान तीन बार परिवर्तित की गई:

परिवर्तन का माह	पूरा होने की परिवर्तित लक्ष्य तिथि
मार्च 1976	नवम्बर 1976
अप्रैल 1976	दिसम्बर 1976
जून 1976	जून 1977

अगस्त 1976 तक कम्पनी ने कार्य का केवल 15 प्रतिशत पूरा किया था। पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथियों के बार-बार परिवर्तन के कारण ग्राहक ने कार्य का एक भाग (मूल्य: 59.16 लाख रुपये) वापिस ले लिया (अगस्त 1976) और इसे एक अन्य एजेन्सी को प्रदान कर दिया। इसी दौरान कम्पनी ने शटरिंग कार्यों के लिए 5.75 लाख रुपये की लागत से 169.75 मीट्रिक टन (घटी हुई मात्रा के लिए 40.37 मीट्रिक टन की आवश्यकता के विरुद्ध) इस्पात की गढ़ाई करा ली परिणामत: 2.83 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कम्पनी द्वारा नियुक्त (जून 1976) एक तकनीकी सलाहकार ने निष्पादित हो रहे कार्य की समीक्षा की और कार्य-स्थल पर अपर्याप्त श्रम शक्ति लगाने, मिट्टी के कार्य की भारी मात्रा का मशीनीकरण न करने और कार्य के मासिक लक्ष्यों पर दृढ़ न रहने को विलम्ब के कारण बताये (अगस्त 1976)।

सलाहकार ने मध्य फरवरी 1977 तक छोड़े हुए कार्य को पूर्ण करने की संस्तुति की जो वास्तव में मार्च 1978 में पूर्ण किया गया।

3.11. कार्यों का अनार्थिक निष्पादन

अ—ओवरा थर्मल शक्ति केन्द्र

(क) अतिरिक्त व्यय

कम्पनी को सौंपी गयी (दिसम्बर 1975) परियोजना की शीतलन जल पद्धति में अग्रताल और आगम और निकास नालियों के मिट्टी के किनारों के निर्माण (अनुमानित लागत: 210.62 लाख रुपये) में गड्ढों से खोदी गई सामग्री के साथ मिट्टी भराई शामिल थी। कम्पनी द्वारा कार्य जून 1976 में प्रारम्भ किया गया और अक्तूबर 1977 में पूरा किया गया। कम्पनी द्वारा जून और सितम्बर 1976 के बीच की गई मिट्टी भराई उचित सीध में नहीं पाई गई और उसे खोदकर पुन: डालना (24,138 घन मीटर) पड़ा; परिणामत: 1.03 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) बंधों (नालियों के) का निर्माण कम्पनी द्वारा तीन कार्य दर कामगरों को सौंपा गया जिन्हें 10.28 रुपये प्रति घन मीटर की औसत दर से 1,56,427 घन मीटर मिट्टी भराई कार्य के लिए भुगतान किया गया (अगस्त 1976 से अक्तूबर 1977)। भुगतान करते समय पहले दुबारा डाली गई 24,138 घन मीटर मिट्टी (अन्य कार्य दर कामगरों द्वारा) गलती से नहीं घटाई गई परिणामत: 2.48 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (मार्च 1980)।

(ख) प्रबलित सीमेन्ट कन्क्रीट (आर0सी0सी0) के परिसज्जन में अतिरिक्त व्यय

अप्रैल-जुलाई 1977 के दौरान कम्पनी ने शीतलन जल पद्धति में 12,620 वर्गमीटर आर0सी0सी0 सतह का परिसज्जन (उभरे हुए भाग की घुटाई सहित) 1.12 लाख रुपये की लागत से किया। मद का न तो बिल आफ क्वांटिटी में प्राविधान किया गया था न ही ग्राहक द्वारा

स्वीकृत की गई थी। परियोजना प्रबन्धक ने बताया कि यह कार्य की एक आवश्यक मद थी। तथापि, अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि (i) परिसज्जन की मद कार्य के केवल एक सीमित भाग में ही निष्पादित की गई और (ii) किये गये व्यय के लिए कोई दावा नहीं प्रस्तुत किया गया।

इसी प्रकार इस कार्य के सम्बन्ध में आर0सी0सी0 के ऊपर सीमेन्ट के पतले गारे (8,431 वर्ग मीटर) का एक अन्य कार्य उसी अवधि के दौरान निष्पादित किया गया जो बिल आफ क्वांटिटी में नहीं दिया गया था। इसमें 0.19 लाख रुपये मूल्य की सामग्री उपभोग की गई (श्रम लागत निर्धारण योग्य नहीं थी)।

परिसज्जन और पतले गारे के कार्यों में 1.31 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(ग) कार्य का ढाना

निर्गत नाली के आर0सी0सी0 पैनल्स में दरारें हो जाने के कारण, पैनल्स को 0.39 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत से ढाना और पुनः डालना पड़ा।

ब--डल्ला में पिसाई संयंत्र का सिविल कार्य

(क) स्लिप्स के गिरने के कारण हानि

31 मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई से सम्बन्धित कार्य की शर्तों में प्राविधान था कि ठेकेदार की लापरवाही, चूक और त्रुटि के कारण नीचे बैठने, ओवर हेड्स और स्लिप्स के गिरने या अन्य किन्हीं प्राकृतिक कारणों के माध्यम से हुई क्षति ठेकेदार द्वारा वहन की जायगी। कम्पनी किनारों के स्लिप्स के विरुद्ध सुरक्षा के लिये कार्य ढलानों का प्राविधान करने के लिये सहमत हुई (दिसम्बर 1977)। ग्राहक ने कम्पनी की मानसून से पूर्व 31 मीटर की गहराई पर सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण करने के लिये चेतावनी दी (जनवरी 1978), तथापि, वह कम्पनी द्वारा नहीं की गई।

ग्राहक ने कन्क्रीटिंग के कार्य की, इस स्पष्ट शर्त के साथ कि असुरक्षित कार्य दशाओं के कारण हुई किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा, अनुमति दी (जून 1978)। दो स्लिप्स आये (सितम्बर 1978 और फरवरी 1979) जिसके कारण निर्माणाधीन दीवार के एक भाग के प्रबलन, पिराई कक्ष के कालम्स और कन्क्रीट स्लैब डालने के लिए लगाई गई शटरिंग इत्यादि को क्षति पहुंची जिसमें 7.66 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसके लिये दावे (सितम्बर 1978–फरवरी 1979) ग्राहक द्वारा निरस्त कर दिये गये (मार्च 1979)।

(ख) त्रुटिपूर्ण कार्यों का सुधार

डल्ला इकाई में कम्पनी ने 0.30 लाख रुपये की लागत से जिरेटरी पिसाई गर्त की प्रबलन रैफ्ट का सुधार कराया (नवम्बर-दिसम्बर 1978) क्योंकि पहले निष्पादित हुआ कार्य अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार नहीं था। कम्पनी का धनराशि के लिए दावा (फरवरी 1979) ग्राहक द्वारा निरस्त कर दिया गया (मार्च 1979)।

स--भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के सिविल कार्य

(क) विशिष्टियों के अनुसार कार्य का निष्पादन न होना

कम्पनी ने ग्राहक के प्रशासकीय भवन में ईंटों की दीवारों के ऊपर सादे प्लास्टर, जिसका कि अनुबन्ध में प्राविधान था, के स्थान पर रेता फैस्ड प्लास्टर कराया (सितम्बर 1977)। ग्राहक द्वारा इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1977), प्लास्टर उखड़वाना और दुबारा कराना पड़ा। इस कारण 0.30 लाख रुपये का व्यय ग्राहक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

(ख) परिसज्जन कार्य के निष्पादन में हानि

कम्पनी ने प्रशासकीय भवन में प्रबलित कंक्रीट कार्य के ऊपर 5,962 वर्ग मीटर सीमेन्ट प्लास्टर कराने में 0.38 लाख रुपये का व्यय किया (अप्रैल 1977–मार्च 1978) जिसका अनुबन्ध में प्रावधान नहीं था। धनराशि के लिये कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया (मार्च 1980)।

द--छिलाई कार्य (स्ट्रिपिंग) मथुरा रिफाइनरी में सड़कों, पंड्स और टंकी का निर्माण

कम्पनी ने 16.99 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में छिलाई का कार्य निष्पादित कराया और 8.12 लाख रुपये के दावे प्रस्तुत किये (अगस्त 1978)। ग्राहक ने 2.41 लाख वर्ग मीटर में किये गये कार्य के लिये, इस आधार पर कि उस क्षेत्र में किसी छिलाई कार्य की आवश्यकता न थी, 0.63 लाख रुपया अस्वीकृत कर दिया (जनवरी 1979)।

(य) बीना (मिर्जापुर) में आवासीय भवनों का निर्माण

अतिरिक्त व्यय

फरवरी 1976 में ग्राहक के साथ निष्पादित एक अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत कम्पनी के पास यह विकल्प था कि बीना (मिर्जापुर) में आवासीय भवनों में या तो वह पत्थर की चिनाई करे या ईंटों का कार्य करे इस शर्त पर कि 13.5 इंच मोटी पत्थर की चिनाई का केवल 9 इंच मोटाई के लिये ही भुगतान किया जायगा। कम्पनी ने तुलनात्मक लागतों का विश्लेषण किये बिना पत्थर की चिनाई के कार्य को चुना जिसमें 0.52 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होना था (1,848 घन मीटर 27.90 रुपये प्रति घन मीटर की दर से)।

(र) लकड़ी की शटरिंग

चार इकाइयों में लकड़ी की शटरिंग की लागत की परख जांच से प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर अनुसूची, जिसमें लकड़ी की शटरिंग के 16 बार पुनः प्रयोग का प्रावधान था, के अनुसार निकाली गई, समान के लिये 4 रुपये (साधारण लकड़ी के लिए) और 5 रुपये (प्लाईवुड के लिए) प्रति वर्ग मीटर और मजदूरी के लिये 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दरों के विरुद्ध वास्तविक व्यय सामग्री पर प्रति वर्ग मीटर 10.50 रुपये से 46 रुपये के बीच रहा और मजदूरी दर (शटरिंग को बनाने, लगाने और हटाने के लिये) 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। उस आधार पर शटरिंग पर 17.22 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है :

इकाई	शटरिंग का क्षेत्रफल	शटरिंग की लागत		आधिक्य
		केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार	वास्तविक	
	(वर्ग मीटर में)	(लाख रुपयों में)		
काशीपुर (सामग्री)	10,278	0.41	1.88	1.47
काशीपुर (मजदूरी)	1,718	0.15	0.43	0.28
रायबरेली (सामग्री)	460	0.02	0.21	0.19
ओबरा (सामग्री: साधारण लकड़ी)	64,412	2.58	21.28	14.83
(सामग्री: प्लाईवुड)	77,404	3.87		
बीना (सामग्री)	7,000	0.28	0.73	0.45

3.12. श्रमिकों को काम पर लगाना

कम्पनी ने लागत में कटौती करने के विचार से मध्यस्थों को हटाने और कार्य दर कामगरों के माध्यम से कार्यों के निष्पादन करने का निश्चय किया (अक्तूबर 1975)।

तथापि इस प्रकार किये गये कार्यों के विवरण दर्शाने वाले कोई संघटित अभिलेख नहीं रखे गये। सम्परीक्षा में परख जांच ने निम्न बातें प्रकट कीं :

(क) बड़े ठेकेदारों को काम पर लगाना

यह देखा गया कि कार्य दर कामगरों से पूर्व प्राप्त निम्नतर प्रस्तावों को रद्द करके बड़े ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराये गए, परिणामतः निजी ठेकेदारों को हटाने का कम्पनी का उद्देश्य असफल हो गया, जैसा कि निम्नलिखित तीन मामलों से पुष्ट होगा :

(i) कम्पनी की ओबरा इकाई ने राख बांध के निर्माण के लिए 1,50,311 घन मीटर मिट्टी के कार्य के लिए बिहार में पलामू के एक छोटे कार्यदर कामगर का 8.88 रुपये प्रति घन मीटर का निम्नतम प्रस्ताव (अन्य कार्य दर कामगरों से प्राप्त अन्य आठ उच्चतर दरों के साथ) रद्द कर दिया (अक्तूबर 1977)। प्रस्ताव इस आधार पर रद्द किया गया कि कार्य दर कामगर के पास समय से कार्य पूरा करने की क्षमता नहीं थी और उसकी आर्थिक दशा ठोस नहीं थी। तथापि यह जानकारी में आया कि वही कार्यदर कामगर दिसम्बर 1975 से मार्च 1976 के दौरान इकाई द्वारा आवंटित मिट्टी का कार्य पहले ही पूर्ण कर चुका था। कार्य बातचीत द्वारा तय 12.30 रुपये प्रति घन मीटर की दर पर ओबरा के दो ठेकेदारों को प्रदान किया गया (अक्तूबर 1977) जिन्होंने तीन माह के विलम्ब के पश्चात् कार्य पूर्ण किया (जून 1978)। उच्चतर दरों पर कार्य देने के परिणामस्वरूप कम्पनी को 5.14 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(ii) ओबरा में नालियों के निर्माण के लिए 1,60,000 घन मीटर मिट्टी की भराई के कार्य में से 35,000 घन मीटर कार्य 9 रुपये प्रति घन मीटर की दर से दो कार्यदर कामगरों के माध्यम से निष्पादित किया गया (अगस्त 1976 से अक्तूबर 1977)। बचे हुए कार्य को विभागीय मजदूरों के माध्यम से निष्पादित कराने के लिए किराये पर 50 ट्रकों की आपूर्ति के लिए कुटेशन आमंत्रित किये गए (अगस्त 1976)। इस पूछ-तांछ के प्रत्युत्तर में दिल्ली की एक फर्म ने ट्रकों की आवश्यक संख्या आपूर्त करने के लिये प्रस्ताव दिया लेकिन किराये की दरें नहीं बताईं। परियोजना प्रबन्धक ने अन्ततः 1,50,000 घन मीटर मिट्टी भराई का कार्य बातचीत द्वारा तय किए गए 11.57 रुपये प्रति घन मीटर की दर पर इस फर्म को सौंपा (अक्तूबर 1976), परिणामस्वरूप 3.21 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ (1,25,030 घन मीटर)।

(iii) चांदपुर इकाई के परियोजना प्रबन्धक द्वारा इस्पात ढांचों की गढ़ाई के लिए दिल्ली के एक कार्यदर कामगर से प्राप्त 500 रुपये प्रति मैट्रिक टन का न्यूनतम प्रस्ताव (जुलाई 1976) और चांदपुर (बिजनौर) के एक कार्यदर कामगर से प्राप्त 550 रुपये प्रति मैट्रिक टन की द्वितीय न्यूनतम दर इस आधार पर, कि अनुभव प्रमाण-पत्र (जो निविदा सूचना में नहीं मांगे गये थे) नहीं प्रस्तुत किये गये थे, रद्द कर दिये गये (अक्तूबर 1976)। कार्य (625 मैट्रिक टन) अक्तूबर 1976 से मार्च 1978 के दौरान महाराष्ट्र की एक अकेली फर्म (जिसने निविदा के प्रत्युत्तर में पहले दरें नहीं दी थीं और जिससे परियोजना प्रबन्धक ने दरें देने को कहा) और उसकी दो सहयोगियों को 640 रुपये प्रति मैट्रिक टन पर दिया गया, जिससे 0.88 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ख) ठेकेदारों की भांति कार्यदर कामगरों को लाभ की अनुमति देना

(i) प्रबन्ध निदेशक ने अपनी दिनांक 3 जुलाई 1977 की विज्ञप्ति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्देश दिया कि कार्यदर कामगरों के मामले में, ठेकेदारों/उप ठेकेदारों के मामले की तरह, लाभ और हानि का कोई प्रश्न नहीं था। प्रबन्ध निदेशक की एक पूर्व विज्ञप्ति (1 अक्तूबर 1975) के अनुसार कार्यदर कामगरों को प्रदान की जाने वाली दरें क्षेत्र की अन्य संस्थाओं/ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली दरों और/या केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार विश्लेषित दरों पर आधारित होनी थीं। सम्परीक्षा में परख जांच से प्रकट हुआ कि पांच इकाइयों में (मई 1975–मार्च 1978) 61.25 लाख रुपये की कुल लागत के कार्यों पर 6.11 लाख रुपये का लाभ (7–10 प्रतिशत की भिन्नता से) कार्यदर कामगरों को दिया गया। पांच इकाइयों में परख जांच से प्रकट हुआ (मई 1979) कि कार्यदर कामगरों को दी गई दरें (नवम्बर 1975–मार्च 1978) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों के विश्लेषण के आधार पर निकाली गई दरों से ऊंची थीं, जिसके कारण लगभग 17 लाख रुपये कीमत के कार्य की 4 मदों के सम्बन्ध में कम्पनी का 0.75 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) अधिक भुगतान

कम्पनी की मथुरा रिफाइनरी इकाई ने की जाने वाली सम्पूर्ण मात्रा इंगित किये बिना विभिन्न दूरियों के लिये मिट्टी की भराई का कार्य एक कार्यदर कामगर को तीन कार्यादेशों (नवम्बर–दिसम्बर 1976) के माध्यम से प्रदान किया। मिट्टी की खुदाई, ढुलाई, फैलाई और कुटाई होनी थी और भुगतान कुटी हुई मिट्टी की माप पर होना था। तथापि, कुटी हुई मिट्टी की माप नहीं दर्ज की गई और गड्ढों से खोदी गई कुल मिट्टी की माप से 20 प्रतिशत (छीजन और कार्य के लिये रास्ता बनाने हेतु) घटाने के बाद भुगतान किया गया। यह परियोजना प्रबन्धक द्वारा कार्यदर कामगरों के साथ हुई एक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, जिसके लिए कोई कार्यवाही अभिलेखों पर नहीं थी, बताया गया। तथापि, भुगतान का आधार एक कार्यदर कामगर को मान्य नहीं था जिसने कुटाई इत्यादि के लिये बिना कोई कटौती किये पूरा भुगतान करने के लिये एक कानूनी नोटिस के माध्यम से एक दावा दायर किया (मार्च 1977)। अन्त में प्रबन्ध निदेशक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताते हुए कि कार्यादेश स्थानिक अभियन्ता द्वारा ठीक से नहीं लिखा गया था कुटाई इत्यादि के लिए 20 प्रतिशत कटौती के लिए 0.29 लाख रुपये के भुगतान के आदेश दिये (जनवरी 1978)।

(ग) कार्यदर कामगरों और श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम

कम्पनी ने न तो कार्यस्थल अधिकारियों को कोई वित्तीय अधिकार दिया है और न ही कार्यदर कामगरों को अग्रिम भुगतान नियन्त्रित करने के लिये कोई निर्देश जारी किये गये हैं (जुलाई 1979)। तथापि, परियोजना प्रबन्धक और स्थानिक अभियन्ता कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री या किये गये लेकिन मापे न गये कार्यों इत्यादि के लिए (बिना प्रतिभूति) कार्यदर कामगरों को अग्रिम भुगतान द रहे थे। चार इकाइयों, यथा ओबरा, बरेली, काशीपुर और हरिद्वार इकाई प्रथम में 68 कार्यदर कामगरों से 1975–76 से 1977–78 के दौरान अग्रिम दिये गए 5.21 लाख रुपये की धनराशि बकाया थी (मार्च 1980)। वसूली/समायोजन संशययुक्त लगता था क्योंकि ये कार्यदर कामगर वर्तमान में इकाइयों में कार्य नहीं कर रहे थे। कार्यस्थल अधिकारियों ने कार्यदर कामगरों द्वारा किये गए कार्यों की माप लेने और उनसे बकाया धनराशि, यदि कोई हो, वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की (मार्च 1980)। अभिलेखों से यह प्रकट नहीं हुआ कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी।

(घ) विभागीय श्रमिक

कार्यों के निष्पादन के लिये श्रमिक सीधे मस्टर रोल पर या श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से लगाये जा रहे थे। मस्टर रोल पर लगाये गये श्रमिक उड़ीसा से श्रमिक आपूर्ति

कर्ताओं के माध्यम से भी प्राप्त किये गये। कार्यालय और परिचालन कर्मचारी वर्ग जैसे टाइपिस्टों, क्लर्कों, सहायकों, भंडारियों, चपरासियों, चौकीदारों, वाहन चालकों और मशीन चालकों को भी श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से लगाया गया। कमीशन का भुगतान 0.25 रुपया–0.50 रुपया प्रति श्रमिक प्रतिदिन या मजदूरी के 5–10 प्रतिशत की दर से किया गया। परख जांच से प्रकट हुआ कि किये गए कार्य की माप और उपस्थिति का सत्यापन किये बिना श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं को कम्पनी की चार इकाइयों में 12.37 लाख रुपये (कमीशन सहित) का भुगतान किया गया था (जनवरी 1976–दिसम्बर 1978)। माप के अभिलेखों के अभाव में अधिक भुगतान, यदि कोई हो, की सीमा नहीं आंकी जा सकी।

रेल भाड़े (उड़ीसा से कार्य स्थलों तक) और मजदूरी कमीशन को पूरा करने के लिए कम्पनी की ओबरा इकाई ने "अ" को 2.81 लाख रुपये और "स" को 1.15 लाख रुपये; दोनों श्रमिक आपूर्तिकर्ता, अग्रिम भुगतान किये (अगस्त–अक्तूबर 1977)। इसमें स 1.93 लाख रुपये "अ" से (1.72 लाख रुपये) और "स" से (0.21 लाख रुपये) वसूल करने थे जो कम्पनी में काम नहीं कर रहे थे। इसकी वसूली के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (मार्च 1980)।

(ङ) निष्क्रिय श्रम के लिये भुगतान

ओबरा में इकाई I के परियोजना प्रबन्धक ने इकाई II को 45 फालतू श्रमिक स्थानान्तरित किये (मई 1978) तथापि, ओबरा की इकाई II के परियोजना प्रबन्धक ने उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनके पास भी फालतू श्रमिक थे। अन्ततः श्रमिक (दोनों इकाइयां) जो फरवरी 1977–मार्च 1977 से निष्क्रिय थे, जुलाई 1978 में छंटनी कर दिये गए। इस अवधि के दौरान उनको भुगतान की गयी मजदूरी 1.60 लाख रुपय थी।

3.13. क्रय पद्धतियां

(क) मई 1975 में, मण्डल ने क्रय समितियों के माध्यम से सामग्रियों की अधिप्राप्ति को सिद्धांत रूप में (विस्तृत छान-बीन के अधीन) अनुमोदित किया। प्रबन्ध निदेशक ने यह निर्देश दिय (अक्तूबर 1975) कि 5,000 रुपये से ऊपर के सभी क्रय परियोजना प्रबन्धक, लेखाकार और स्थानिक अभियन्ता से गठित क्रय समिति के माध्यम से किये जायेंगे। 500 रुपये से 5000 रुपय के बीच के क्रय के लिये क्रय समिति में एक स्थानिक अभियन्ता, लेखा विभाग का एक प्रतिनिधि और एक उप अभियन्ता सम्मिलित होंगे जबकि 500 रुपये से नीचे के क्रय स्थानिक अभियन्ता द्वारा परियोजना प्रबन्धक के परामर्श से तय किये जायेंगे। क्रय समितियों को अधिक से अधिक सम्भव पार्टियों से कुटेशन या आपूर्तिकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से जाकर दरें तथा शर्तें प्राप्त करनी थीं। प्रबन्ध निदेशक ने निविदाओं/कुटेशनों को समाप्त कर दिया (अक्टूबर 1977); क्रय का निर्णय बाजार सर्वेक्षण के आधार पर किया जा रहा था। इस प्रकार इकट्ठी की गई दरें क्रय समिति द्वारा मिनिट के प्रारूप में कालानुसार अंकित की जानी थीं। एक समय में 1–3 माह की आवश्यकताओं के लिए आदेश किये जाने थे। इस्पात, सीमेन्ट और भारी उपकरण जैसी सामग्रियां प्रबन्ध निदेशक द्वारा केन्द्रीय तौर से अधिप्राप्त की जानी थीं और कार्यस्थल इकाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जानी थीं। जब तक अधिकारों का विस्तृत प्रतिनिधान नहीं किया जाता, परियोजना प्रबन्धकों को राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं के अधिकारों का प्रयोग करना था। मण्डल द्वारा ये विधियां अभी तक अनुमोदित नहीं की गई थीं (मार्च 1980)। परिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि आवर्ती आवश्यकताओं की सामग्रियों, जैसे ईंट, मिट्टी, इत्यादि के सम्बन्ध में 1–3 माह की मांग तक क्रय सीमित रखने

से कम्पनी को तीन इकाइयों में पूर्व की दरों की तुलना में 1.37 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

इकाई	सामग्री का नाम	पूर्व के क्रयों की अवधि	बाद के क्रयों की अवधि	अतिरिक्त व्यय की धनराशि (लाख रुपयों में)
बहुखण्डीय पणन संकुल, लखनऊ	पत्थर की रोड़ी	नवम्बर 1976	जनवरी से अप्रैल 1977	0.36
भण्डारागार इकाई, वाराणसी	अधिक जली ईंटें, चूना, पत्थर की रोड़ी और रेता	फरवरी से जून 1978	अप्रैल से अक्तूबर 1978	0.71
सुगर फैक्टरी, नन्दगंज	प्रथम श्रेणी की ईंटें	मार्च 1977	मई से अक्तूबर 1977	0.30
			योग	1.37

यदि ये क्रय चालू दर संविदाओं के आधार पर किये गए होते तो अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

(ख) अनियमित क्रय

पांच इकाइयों में क्रयों की परख जांच से प्रकट हुआ कि 40 मामलों में 41.42 लाख रुपये मूल्य की भवन सामग्रियां क्रय समितियों के अनुमोदन के बिना क्रय की गईं (अप्रैल 1975 से जून 1977) और निर्णय या तो अकेले परियोजना प्रबन्धक/स्थानिक अभियन्ता या दो उप-अभियन्ताओं और लेखाकार द्वारा लिये गए।

बहुत सी इकाइयों में क्रय समिति की कार्यवाहियों के विवरण में (i) मीटिंग की दिनांक और बाजार सर्वेक्षण के विवरण (ii) दरों, करों, शर्तों के विवरण और निर्णय का आधार और (iii) सदस्यों के दिनांक सहित हस्ताक्षरों का समावेश नहीं था।

(ग) उच्चतर दरों पर क्रय

(i) कुटेशनों के आधार पर क्रय समिति के निर्णय के अनुसार, कम्पनी की मथुरा रिफाइनरी इकाई ने नवम्बर 1976 से मार्च 1979 के दौरान 53,535 घन मीटर चम्बल मोटा रेत 53 रुपये प्रति घन मीटर की दर से क्रय किया। एक अन्य ठेकेदार (उसी ग्राहक का उसी कार्य-स्थल पर सिविल कार्य निष्पादन करने वाला) ने उसी अवधि के दौरान चम्बल मोटा रेत 49.05 रुपये प्रति घन मीटर की दर से क्रय किया था। इस तरह, उच्चतर दर पर क्रय के परिणामस्वरूप 2.11 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) नन्दगंज इकाई ने जनवरी-जून 1977 के दौरान बात-चीत द्वारा तय 119.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से (3,012 घन मीटर) और जून-दिसम्बर 1977 के दौरान कुटेशनों के आधार पर 115.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से (1,982 घन मीटर) 4,994 घन मीटर डल्ला पत्थर की रोड़ी (20 एम एम) क्रय की। उसी अवधि के दौरान गाजीपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने डल्ला पत्थर की रोड़ी 102 रुपये और 109 रुपये प्रति घन मीटर की दर से क्रय की थी। क्योंकि गाजीपुर की तुलना में नन्दगंज डल्ला से 18 किलोमीटर करीब है, नन्दगंज में डल्ला रोड़ी की दरें निम्नतर होनी चाहिए थीं। इस प्रकार इन क्रयों के परिणामस्वरूप कम से कम 0.66 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(iii) ओखला इकाई ने जनवरी-मार्च 1979 के दौरान क्रय समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त दर के आधार पर 45.72 रुपये प्रति घन मीटर (5000 घन मीटर : 20 एम एम) और 47.79 रुपये प्रति घन मीटर (3600 घन मीटर : 12 एम एम) खदान स्थल पर की दर से (कार्य स्थल तक ढुलाई भाड़े के लिये 13.35 रुपये प्रति घन मीटर के अतिरिक्त) 8,600 घन मीटर पत्थर की रोड़ी क्रय की। उसी अवधि के दौरान गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने 10 एम एम, 20 एम एम और 25 एम एम नापों की पत्थर की रोड़ी बड़ी मात्रा में क्रमशः 39.65 रुपये, 39.65 रुपये और 34.85 रुपये प्रति घन मीटर, खदान स्थल पर, की दर से क्रय की थी। इस प्रकार ओखला में क्रयों में 0.60 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(iv) उत्तर प्रदेश ईंट नियन्त्रण आदेश, 1971 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला अधिकारियों द्वारा निर्धारित 90 रुपये प्रति हजार ईंटों की नियंत्रित दर के विरुद्ध जनवरी-नवम्बर 1978 के दौरान भण्डारागार इकाई सुल्तानपुर (8.82 लाख) और मई–अगस्त 1976 के दौरान चांदपुर शुगर फैक्ट्री इकाई (15.85 लाख) द्वारा क्रमशः 106-113 रुपये और 110 रुपये प्रति हजार ईंटों की दर से 24.67 लाख प्रथम श्रेणी की ईंटें खरीदी गईं, जिसमें 0.47 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(v) प्रबन्ध निदेशक के निर्देश (अक्तूबर 1975) के अनुसार उन बाजारों से 'जिनमें बिक्री के लिए जंगलों से बड़ी मात्रा में लकड़ी आती है, के स्थान पर हरिद्वार में स्थानीय रूप से एकत्रित की गई कुटेशनों के आधार पर हरिद्वार में भेल इकाई ने 36 रुपये प्रति घन फुट की दर से 1.96 लाख रुपये में 5,433 घन फुट देवदार स्लीपर्स क्रय किये (नवम्बर 1975–अप्रैल 1976)। तथापि, उसके बाद के अवसरों पर इकाई ने जलाली (हरिद्वार से लगभग 125 किलोमीटर) उचित स्रोत से 22 रुपये प्रति घन फुट की दर से (कार्य स्थल तक ढुलाई के लिए एक रुपया प्रति घन फुट सहित) 435 घन फुट देवदार स्लीपर्स क्रय किये (अप्रैल 1976)। हरिद्वार से, पहले की गई 5,433 घन फुट क्रय के परिणामस्वरूप 0.76 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। अभिलेखों में भी यह दर्शाने के लिये कुछ नहीं था कि कम्पनी ने उत्तर प्रदेश वन निगम से भारी मात्रा में आपूर्ति लेने के लिए कोई प्रयास किया था।

(vi) तुरन्त आवश्यकता के आधार पर मगहर इकाई बस्ती (7,500 बोरी) ने 25 रुपये प्रति बोरी की दर से और इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री इकाई, रायबरेली (4,000 बोरी) ने 26 रुपये प्रति बोरी की दर से सीधे बाजार और अन्य साधनों से सीमेन्ट के 11,500 बोरियों की अधिप्राप्ति की (अगस्त 1977/फरवरी 1978)। यदि प्रबन्ध निदेशक के निर्देशों के अनुसार इकाइयों (कार्यस्थल) को सीमेन्ट की बोरियों की अधिप्राप्ति और पारेषण कम्पनी के मुख्यालय द्वारा किया गया होता तो लागत 20 रुपये प्रति बोरी (ढुलाई भाड़े सहित) होती। इस प्रकार इकाइयों द्वारा सीमेन्ट के क्रय के परिणामस्वरूप 0.60 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(vii) बाजार सर्वेक्षण के आधार पर नन्दगंज इकाई ने 3,050 मीटर तार की रस्सी 15 रुपये से 28.50 रुपये प्रति मीटर तक की दरों पर और 1,084 किलोग्राम मनीला रस्सी (विभिन्न नापों की) 19-22.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दरों पर क्रय की (अप्रैल/जून 1977)। डायरेक्टर जनरल, सप्लाई एण्ड डिस्पोजल की दर संविदा के अनुसार मूल्य तार की रस्सी के लिए 6.89 रुपये से 12.83 रुपये प्रति मीटर की सीमा में और मनीला रस्सी (सभी नापों) के लिए 15.20 रुपये प्रति किलोग्राम थे। दर संविदा के माध्यम के अलावा दूसरे तरीके से रस्सी के क्रय के परिणामस्वरूप 0.33 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(घ) दोषपूर्ण सामग्री का क्रय

इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज इकाई, रायबरेली ने श्रमिकों की कालोनी में ऊपरी लाइनों में प्रयोग के लिये नई दिल्ली के भारत सरकार के एक उपक्रम से 0.60 लाख रुपये में 159 प्रेसट्रैस्ड

सीमेन्ट कन्क्रीट पोलों का क्रय किया (मार्च 1978)। इनमें से 51 पोल (मूल्य: 0.19 लाख रुपये) दोषपूर्ण और प्रयोग के लिये अनुपयुक्त पाये गये। आपूर्तिकर्ता को पूरा भुगतान (अग्रिम) किया जा चुका था। इकाई ने उपक्रम पर एक दावा दायर किया (सितम्बर 1978) जो, इस आधार पर कि इस इकाई द्वारा पोल गलत ढंग से उठाने-धरने और दोषपूर्ण ढंग से चट्टे लगाने के कारण मुड़/चटक गये थे, अस्वीकृत कर दिया गया।

3.14. सामग्री का प्रबन्ध और भण्डार सूची नियन्त्रण

(क) प्रबन्ध निदेशक ने अपनी पहली अक्टूबर 1975 की विज्ञप्ति द्वारा भंडार के लेखे रखने की पद्धति और विधियां निर्धारित होने तक इनको परियोजना प्रबन्धकों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया था। परिणामस्वरूप विभिन्न स्थल इकाइयों द्वारा पालन की गई पद्धतियों में कोई एकरूपता नहीं थी। उदाहरणार्थ, कुछ इकाइयों ने दैनिक लेन-देन पंजिका में केवल मात्रा के लेखे रखे थे जबकि दूसरों ने बिना मूल्य के "कार्य स्थल पर सामग्री" के लेखे रखे थे। अगस्त 1976 में कम्पनी ने बिन कार्डों और भण्डार खातों का रख-रखाव और फरवरी 1978 में सामान प्राप्ति नोट और मूल्य रजिस्टर (स्टोर) का रख रखाव निर्धारित किया।

ये निर्देश सम्परीक्षा में परख जांच (जनवरी 1978 से मई 1979) में आयी 12 इकाइयों द्वारा अनुपालित नहीं किये गए। छः इकाइयों द्वारा नवम्बर 1975 से सितम्बर 1977 के दौरान क्रय की गई 20.81 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियां सम्प्रेक्षण की तिथि तक (जनवरी 1978–अप्रैल 1979) भण्डार खाते में नहीं ली गईं, तथापि, 9.57 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियां सम्प्रेक्षण के कहने पर लेखाओं में ली गईं जबकि 11.24 लाख रुपये मूल्य की शेष सामग्रियां कार्यों पर सीधे उपभोग हो गई बतायी गईं (जनवरी 1978–मई 1979)। कार्यों पर उपभोग हो गई सामग्रियों की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये ग । निम्नलिखित और कमियां जानकारी में आयीं :

(i) दो इकाइयों में स्टोर खाते बिलकुल नहीं रखे गए और दूसरों में अपूर्ण थे। ओबरा इकाई में अक्टूबर 1975 से जुलाई 1978 के दौरान क्रय की गई 141.36 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियां भण्डार खाते के माध्यम से नहीं ले जायी गयीं, जिन्हें रखा नहीं गया था (मार्च 1980)।

(ii) सामग्रियां बिना मांग पत्रों या पावतियों के और बिना कार्य का नाम इंगित किये निर्गत की गईं।

(iii) क्रय की गई सामग्रियों का मूल्य केवल खाता लेखाओं में इंगित किया गया न कि भंडार लेखाओं में (जैसे कि "कार्यस्थल पर सामग्री" के लेखे, स्टोर खाते)। इसलिए कोई समाधान सम्भव नहीं था।

(iv) प्राप्त सामग्री की माप और भण्डार खातों में ऐसी प्राप्तियों की पोस्टिंग किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा नहीं सत्यापित की जा रही थी न ही कम्पनी ने इस आशय के लिए कोई तरीका निर्धारित किया था। ईंटों, रेत और अन्य सामग्रियों को वास्तविक पैमाइश के स्थान पर ट्रकों की क्षमता और किये गए फेरों के आधार पर लेखों में लिया जा रहा था (चार इकाइयां)।

(v) भेल इकाई, झांसी में अक्तूबर 1975–फरवरी 1977 के दौरान दो उप-अभियन्ताओं को निर्गत 0.36 लाख रुपये मूल्य का सीमेन्ट और लोहा 'कार्यस्थल पर सामग्री' लेखा में नहीं लिया गया था (अक्तूबर 1978)।

उसी इकाई में 0.23 लाख रुपये मूल्य की रोड़ी और इस्पात इकाई के केन्द्रीय भण्डार को स्थानान्तरित हुआ दिखाया गया (सितम्बर/दिसम्बर 1975)। तथापि, केन्द्रीय भण्डार के अभिलेखों ने कोई अनुरूप प्राप्ति नहीं प्रदर्शित की (दिसम्बर 1979)।

(vi) ग्राहक (छाता शुगर फैक्टरी) द्वारा अक्तूबर 1976-जनवरी 1978 के दौरान 3.69 लाख रुपये मूल्य की भवन सामग्रियां स्थानान्तरित की गईं लेकिन छाता इकाई के अभिलेखों में केवल 3.35 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियां, 0.34 लाख रुपये के शेष को छोड़ते हुए, लेखाओं में ली गईं (मार्च 1980)।

(ख) भवन सामग्री की कमियां

(i) चार इकाइयों की स्थानीय सम्परीक्षा (अक्तूबर 1978–जनवरी 1979) के दौरान ज्ञात की गई, उपभोग की गई और कार्यस्थल पर शेष सामग्री के लेखाओं की परख जांच में, 2.11 लाख रुपये मूल्य की भवन सामग्री की कमियां प्रकट हुईं।

इसके अतिरिक्त 0.91 लाख रुपये मूल्य की भवन सामग्री की कमी "अन्य छीजनों" के रूप में लेखाओं में दर्शायी गई। अनुज्ञेय छीजन (0.06 लाख रुपये) के लिये छूट देने के बाद शुद्ध कमी 0.85 लाख रुपये की थी।

(ii) कम्पनी की रायबरेली इकाई में एक उप अभियन्ता को सेवा छोड़ने पर (दिसम्बर 1978) तीन कार्य स्थलों के सम्बन्ध में, जिनका वह प्रारम्भ से (अप्रैल 1977) प्रभारी था, सामग्रियों, औजार और संयंत्रों आदि का उसके द्वारा उचित कार्यभार सौंपे बिना भार मुक्त कर दिया गया। एक माह पश्चात् स्थानिक अभियन्ता द्वारा विस्तृत जांच से 1.04 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियों, औजारों एवं संयन्त्रों की कमी प्रकट हुई। कम्पनी ने धनराशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की थी न ही आवश्यकता, कार्यों की अनुसूची, इत्यादि के अनुसार सामग्रियों के निर्गमन को नियमित करने के लिये कोई पद्धति निर्धारित की थी (मार्च 1980)।

(iii) भेल इकाई, झांसी (जुलाई 1976) और कोटा की इकाई (जुलाई 1977) द्वारा दो उप-अभियन्ताओं को (उनका स्थानान्तरण होने पर) उनके कार्यस्थल पर सामग्री के लेखाओं में अन्तिम शेष के रूप में दिखाए गए 1.34 लाख रुपए मूल्य की सामग्रियों (जैसे इस्पात, सीमेन्ट, लकड़ी, रेत और रोड़ी आदि) का उनके द्वारा कार्य भार सौंपे बिना भारमुक्त कर दिया गया। कोटा की इकाई के मामले में अभिलेख जांच पड़ताल के अन्तर्गत बताये गए (मार्च 1980) जबकि भेल इकाई, झांसी के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति उपलब्ध नहीं थी (मार्च 1980)।

(ग) सामग्रियों का अधिक उपभोग

कार्यस्थल इकाइयों द्वारा कार्यों के निष्पादन में भवन सामग्रियों का उपभोग प्रारम्भिक रहतिये और क्रय के जोड़ में से अन्तिम रहतिये को घटाकर निकाला जा रहा था, इस प्रकार उसमें छीजन, अधिक उपभोग, बेईमानी के कारण हानि, चोरी, आदि शामिल थीं। सम्परीक्षा द्वारा 23 कार्यों (16 लागत जमा आधार पर और 7 ठेके के आधार पर) के सम्बन्ध में निकाले गये वास्तविक उपभोग से, कम्पनी द्वारा निर्धारित मानकों/कार्य अनुबन्धों में दी गई सीमाओं से, 18.79 लाख रुपये की सीमा तक भवन सामग्रियों का अधिक उपभोग प्रकट हुआ।

(घ) भौतिक सत्यापन

जबकि मानीटरिंग लेखाकारों ने भण्डारों का भौतिक सत्यापन किया था, ऐसे सत्यापनों के परिणाम अभिलेखों में नहीं दर्ज किये जा रहे थे। भौतिक शेषों का पुस्तक शेषों के साथ समाधान भी नहीं किया जा रहा था (मार्च 1980)।

डाला इकाई में मानीटरिंग लेखाकार द्वारा भौतिक सत्यापन (31 मार्च 1978) से 0.87 लाख रुपये मूल्य की सीमेन्ट, रेत और रोड़ी की कमी प्रकट हुई, जिसके लिए कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई (मार्च 1980)।

(ङ) चोरियां

नवम्बर 1977 से फरवरी 1979 के दौरान 0.86 लाख रुपये मूल्य की भवन सामग्रियों और उपकरणों की चोरी के पांच मामले सूचित किए गए। इन मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई (मार्च 1980)।

(च) संयन्त्र और मशीनें

(i) ऐसे मामले जानकारी में आये हैं जहां निर्धारित पद्धति (अक्तूबर 1975) के अनुसार कम्पनी के मुख्यालय के स्थान पर कार्यस्थल में इकाइयों द्वारा संयंत्र और मशीनें क्रय की गईं। संयन्त्र और मशीनों की आवश्यकताओं का प्रक्षेप दर्शाने वाले अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। यह भी जानकारी में आया (जून 1979) कि चार इकाइयों ने 1975–76 से 1978–79 के दौरान स्थानीय कुटेशनों के आधार पर मुख्यालय के अनुमोदन के बिना 14.27 लाख रुपये मूल्य के संयन्त्र और मशीनें क्रय कीं।

(ii) कंक्रीट मिश्रकों के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

जुलाई 1976 से जून 1978 के दौरान कम्पनी के प्रधान कार्यालय और ओबरा इकाई ने 97 कंक्रीट मिश्रक (65 डीजल और 32 विद्युत चालित) दर संविदाओं (डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल्स और उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा की गई) के अनुसार 11,650—15,200 रुपए प्रति मिश्रक की दरों के विरुद्ध 13,230 रुपये से 18,550 रुपये तक प्रति मिश्रक की कीमतों पर क्रय किय जिन्हें चलाया नहीं गया। परिणामस्वरूप कम्पनी ने लगभग 3.25 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

(iii) मिक्साल संयन्त्र के क्रय में विलम्ब के कारण हानि

मथुरा रिफाइनरी में निर्माण स्थल सुधार, टंकी, पैडस, सड़कों इत्यादि का कार्य इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा कम्पनी को प्रदान किया गया (अगस्त 1976)। कार्य में 265 रुपये प्रति घन मीटर की दर से (श्रम लागत 15.80 रुपये प्रति घन मीटर मानते हुए) इस्पात भण्डारण टंकियों के नीचे अग्नि अवरोधक पर्त का प्राविधान करने और उसे डालने के लिये एक मद सम्मिलित थी। परियोजना प्रबन्धक के अनुसार (फरवरी 1977) मद की वास्तविक कुल इकाई लागत यदि मशीन द्वारा किया जाय तो 240 रुपये प्रति घन मीटर (श्रम के लिए 18 रुपये प्रति घन मीटर सहित) और जब हाथ द्वारा किया जाय तो तारकोल की बरबादी के कारण 320 रुपये प्रति घन मीटर (श्रम के लिए 55 रुपये प्रति घन मीटर सहित) थी। कम्पनी ने 923 घन मीटर का निष्पादन हाथ द्वारा किया (जनवरी 1977 से मई 1978) और दिसम्बर 1978 में मिक्साल संयन्त्र का क्रय 0.90 लाख रुपय में किया। संयन्त्र के क्रय में विलम्ब के परिणामस्वरूप 0.74 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(छ) उपकरणों का उपयोग

कम्पनी ने निर्माण उपकरणों तथा रोड रोलर्स, क्रेन्स, कम्प्रैसर्स, मिश्रकों, वाइब्रेटर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स इत्यादि के उपयोग के लिये कोई मानक नहीं निर्धारित किये हैं। कार्य की मात्रा के सन्दर्भ में मरम्मत, रख-रखाव और परिचालन आदि पर व्यय भी विश्लेषित या समालोचित नहीं किया जा रहा था।

यह जानकारी में आया कि उपलब्ध 29,000 और 32,500 घन्टों के विरुद्ध मिश्रक और वाइब्रेटर्स क्रमशः 4,384 और 2,723 घन्टे उपयोग किये गए जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

इकाई	संख्या	समीक्षा अवधि	उपलब्ध घंटे	उपयोग किये गये घंटे	प्रतिशत
मिश्रक					
जयपुर	2	अगस्त 1978 से दिसम्बर 1978 तक	2,000	696	35
झांसी	3	सितम्बर 1975 से दिसम्बर 1978 तक	7,200	600	8
काशीपुर	2	दिसम्बर 1976 से दिसम्बर 1978 तक	11,000	1,887	17
नगीना	2	अक्तूबर 1977 से दिसम्बर 1978 तक	3,000	682	23
नैनीताल	3	मई 1978 से मार्च 1979 तक	5,800	519	9
वाइब्रेटर्स					
जयपुर	5	अगस्त से दिसम्बर 1978 तक	2,000	538	25
झांसी	2	सितम्बर 1977 से दिसम्बर 1978 तक	5,600	511	9
काशीपुर	2	फरवरी 1976 से दिसम्बर 1978 तक	11,800	496	4
नगीना	3	अक्तूबर 1977 से दिसम्बर 1978 तक	6,700	529	8
नैनीताल	4	मई 1978 से मार्च 1979 तक	6,400	649	10

(ज) प्रयोग में न आ रहे उपकरण

कम्पनी क्षतिग्रस्त, बेकार और/या पुराने निर्माण उपकरणों के संबंध में कोई पूर्ण सूचना नहीं संकलित करती है। यह जानकारी में आया (जून 1979) कि कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ से 0.40 लाख रुपए में खरीदी गयी (नवम्बर 1975) एक विन्च प्राप्त होने पर दोषपूर्ण पायी गई। कम्पनी ने मामला नवम्बर 1975 में उठाया था लेकिन विक्रेता ने, इस आधार पर कि मशीन नई थी और पूर्णतया चालू हालत में हस्तान्तरित की गयी थी, मूल्य वापस करने से इन्कार कर दिया। न तो मशीन की मरम्मत करायी गयी और प्रयोग में लाई गई न ही कम्पनी ने दोषपूर्ण क्रय के लिये कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया (मार्च 1980)।

3.15. वित्तीय प्रबन्ध और आन्तरिक नियन्त्रण

(क) बजट नियन्त्रण और लेखा पद्धति

अगस्त 1976 में वार्षिक पूंजी और राजस्व बजट की तैयारी के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये थे और प्रबन्ध निदेशक ने निर्धारित किया था कि परियोजना स्तर पर तब तक कोई पूंजी व्यय नहीं की जाय जब तक कि स्वीकृत प्राक्कलनों में प्राविधान न हों। तथापि, इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। एक आडिट आपत्ति के उत्तर में, प्रबन्धकों ने बताया (जुलाई

1979) कि कम्पनी ऐसे कार्यकलाप नहीं करती जिनमें इसकी निधियां विनियोजित हों और इस प्रकार वित्तीय स्रोतों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिये वित्तीय बजट तैयार करने का कोई प्रश्न नहीं था।

कम्पनी ने अभी तक लेखाओं के रख-रखाव के लिये विस्तृत क्रिया विधि निर्धारित करते हुये कोई लेखा पुस्तिका संकलित नहीं की है। निष्पादन के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य के लिये पृथक लखाओं के लिये कम्पनी में कोई पद्धति नहीं है जिनकी अनुपस्थिति में कार्यों/इकाइयों के वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन या निर्देशन (मानीटरिंग) संभव नहीं है।

(ख) आन्तरिक सम्परीक्षा

आन्तरिक सम्परीक्षा के कार्यों एवं सीमाओं को निर्धारित करते हुये कोई पुस्तिका अभी तक तैयार नहीं की गयी है (मार्च 1980)। अप्रैल 1978 में वित्तीय परामर्शदाता के नियंत्रण के अन्तर्गत एक आन्तरिक सम्परीक्षा कक्ष स्थापित किया गया था और सोलह मानीटरिंग लेखाकारों (कार्य स्थलों में पहले से ही कार्यरत) को एक से छः इकाइयां प्रत्येक, जो उनके प्रभार में थीं, की आन्तरिक सम्परीक्षा का अतिरिक्त उत्तरदायित्व दिया गया और उन्हें ऐसे सम्प्रेक्षण पर मासिक प्रतिवेदन और मुख्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत लेखा निर्देशों के अनुपालन की सूचना वित्तीय परामर्शदाता को दनी थी। आन्तरिक सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन प्रबन्ध निदेशक या मण्डल को प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे; अप्रैल 1978 से सितम्बर 1978 तक की अवधि के लिये सभी प्रतिवेदन भी मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं थे।

(ग) निर्देशन पद्धति (मानीटरिंग सिस्टम)

वित्तीय विश्लेषण और इकाइयों के लेन देनों पर नियन्त्रण और उनकी लाभकारिता का अनुमान लगाने के लिये एक मानीटरिंग पद्धति जुलाई 1977 में चालू की गयी। तदनुसार, सीधे भर्ती किये गये 16 लेखाकारों को 1–6 इकाइयां प्रत्येक का प्रभारी बनाया गया। उन्हें (i) निर्धारित मानकों से अन्तर दर्शाते हुये, कार्यों पर सामग्रियों का उपभोग, (ii) ठेके के कार्यों और लागत जमा कार्यों के लिये पृथक लाभ हानि खाता और (iii) कार्यवार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य और वास्तविक प्रगति के मासिक प्रतिवेदन भेजने थे। आडिट द्वारा परख जांच की गयी (जुलाई 1979) 40 इकाइयों में से 21 इकाइयों (चार वृहत ठेका इकाइयां सम्मिलित करते हुये) से ऐसे प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुये थे। शेष 19 इकाइयों में ये प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रहे थे। निम्नलिखित कमियां जानकारी में आयीं :—

(i) 31 मार्च 1979 तक 40 इकाइयों से प्राप्त 510 प्रतिवेदनों में से केवल 253 प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे लेकिन सामग्रियों के उपभोग की सूचना प्राप्त 253 प्रतिवेदनों में से केवल 93 में उपलब्ध थी। मानकों के साथ वास्तविक उपभोग की तुलना 58 प्रतिवेदनों में की गयी जबकि 35 प्रतिवेदनों ने केवल मानकों के आधार पर उपभोग दर्शाया।

(ii) 34 प्रतिवेदनों में (58 में से) उपभोग कम्पनी के मानकों के आधार पर नहीं निकाला गया था लेकिन उन मदों के लिये, जिनमें वास्तविक उपभोग मानकों से 1.16 लाख रुपये से अधिक था, वास्तविक उपभोग को उचित सिद्ध करन के लिये तदर्थ आधार पर निकाला गया था। शेष 24 मामलों में 5.51 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियों के अधिक उपभोग का पता चला। तथापि इन प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी (मार्च 1980)।

लाभ और हानि और लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक प्रगति (सभी इकाइयों के लिये नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुये) के प्रतिवेदन अपूर्ण पाये गये और वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाये।

प्रबन्ध निदेशक ने टिप्पणी दी (अक्तूबर 1977) कि "निर्देशक लेखाकार (मानीटरिंग एकाउन्टेंट) अभी तक कोई मूर्त परिणाम दर्शाने में समर्थ नहीं थे और इस प्रकार उन रखने का प्रयोजन ही निष्फल हो गया है।" इसी तरह के विचार प्रबन्ध निदेशक द्वारा फरवरी 1979 में दोहराये गये।

3.16. अन्य रोचक विषय

(क) नालियों के अन्तर-संयोजन में परिहार्य अतिरिक्त व्यय

दिसम्बर 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, ऐक्स-टैन्शन चरण प्रथम और द्वितीय क लिये शीतलन जल पद्धति के निर्माण का कार्य, जिसमें नयी और विद्यमान शीतलन जल नालियों का अन्तर-संयोजन सम्मिलित था, सौंपा। चूंकि अन्तर-संयोजन में पानी के भीतर कार्य करना सम्मिलित था, परियोजना प्रबन्धक, ओबरा ने गोवा की एक प्रतिष्ठित फर्म से कार्य करने की प्रार्थना की (सितम्बर 1976)। निरीक्षण के उपरान्त फर्म ने दोनों तरफ के रेल भाड़े, मुफ्त निवास और कार्य स्थल तक परिवहन के अतिरिक्त एक मुश्त दो लाख रुपये दाम बताये (दिसम्बर 1976)। इसी दौरान कलकत्ता की एक अन्य फर्म ने कार्य निष्पादन करने का प्रस्ताव दिया (दिसम्बर 1976)। इकाई ने दोनों फर्मों के प्रतिनिधियों को विचार विनिमय/वार्तालाप के लिये आमन्त्रित किया (दिसम्बर 1976) लेकिन गोवा की फर्म की प्रतीक्षा किये बिना कलकत्ता की फर्म को उनकी एक अकेली पार्टी के लिए प्रस्तावित दरों, अर्थात् पहले 30 दिनों के लिए 1,000 रुपये प्रतिदिन और उसके बाद 750 रुपये प्रतिदिन (कार्य करने के घंटे और कार्य पूरा करने की अवधि निर्दिष्ट किये बिना) तथा दोनों ओर का रेल भाड़ा, मुफ्त निवास और परिवहन पर कार्य सौंपा (जनवरी 1977)।

फर्म ने आठ फरवरी 1977 से कार्य प्रारम्भ किया लेकिन प्रगति धीमी थी और परियोजना प्रबन्धक ने पहले 30 दिनों के लिए 1,000 रुपये प्रति दिन और उसके बाद 750 रुपये प्रति दिन की अतिरिक्त दर पर एक और पार्टी के लिए कहा (अगस्त 1977)। पार्टी ने कार्य 10 सितम्बर 1977 को प्रारम्भ किया और कार्य गोवा की फर्म के 2 लाख रुपये के एकमुश्त प्रस्ताव के विरुद्ध 2.83 लाख रुपये की लागत पर 30 नवम्बर 1977 को पूर्ण कर दिया जिससे 0.83 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आयी।

(ख) मुफ्त उपहार

मार्च 1978 में प्रबन्ध निदेशक ने (बिना मंडल के अनुमोदन के) हारद्वार में एक ग्राहक (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के लिये सद्भावना प्रकाशन के रूप में बिना कुछ वसूल किये एक स्क्वैश कोर्ट (अनुमानित लागत: 0.50 लाख रुपय) निर्माण करने का प्रस्ताव दिया। कार्य अठारह मार्च 1978 को प्रारम्भ किया गया और 0.39 लाख रुपये की कुल लागत से अगस्त 1978 में पूर्ण किया गया/सौंपा गया।

3.17. निष्कर्ष

(i) मई 1975 में स्थापित कम्पनी को व्यापार, अधिकारों के प्रतिनिधान, आदि के अपने नियम अभी बनाने हैं।

(ii) कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्तियों के मूल्य में 4.23 लाख रुपय के अन्तर का अभी समाधान होना है।

(iii) कम्पनी के पास राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक निधि से निकाले गये (मार्च 1976/ मार्च 1977) 95 लाख रुपये सहित 100 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी थी (मार्च 1979) और कम्पनी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि अल्पावधि निक्षेपों में विनियोजित की गई थी जिससे 1.19 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई (अप्रैल 1977–जुलाई 1978)।

(iv) कम्पनी ने 61 निक्षेप कार्य (अनुमानित लागत: 38.55 करोड़ रुपये) बिना तकनीकी स्वीकृतियों के ले लिये थे ।

(v) 7 कार्यों, जिनमें 3.28 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका था, का निष्पादन पार्टियों द्वारा धनराशि न दिये जाने के कारण बन्द/धीमा कर दिया गया ।

(vi) मार्च 1979 तक पूरे किये गये 21 कार्यों के लेखाओं का निबटारा नहीं हुआ था (मार्च 1980)।

(vii) कम्पनी ने किसी भी निक्षेप कार्य के लिये और 8 ठेके के कार्यों के संबंध में (अनुमानित लागत: 12.44 करोड़ रुपये) औपचारिक अनुबन्ध नहीं निष्पादित किये ।

(viii) चार निक्षेप कार्यों के संबंध में प्रतिशत प्रभार सहित वास्तविक लागत (552.60 लाख रुपये) निविदाओं की दरों/प्रचलित दर अनुसूचियों के आधार पर निकाली गई लागत (467.23 लाख रुपये) स 85.37 लाख रुपये (18 प्रतिशत) अधिक थी । अन्तर 6 से 56 प्रतिशत तक थे ।

(ix) दो फैक्टरी भवनों के निर्माण पर इस्पात का वास्तविक उपभोग मानकों से 4.18 लाख रुपये तक अधिक था ।

(x) चार निक्षेप कार्यों के मामले में वास्तविक लागत (521.74 लाख रुपये) अनुमानित लागत (443.51 लाख रुपये) से 78.23 लाख रुपये (18 प्रतिशत) अधिक थी । आधिक्य का प्रतिशत 10 से 29 तक भिन्न-भिन्न था ।

(xi) जून 1977 से फरवरी 1979 के दौरान पूरे किये गए 19 निक्षेप कार्यों मे से 16 में 3–12 माह का बिलम्ब था और ग्राहकों द्वारा इन कार्यों के विरुद्ध भुगतानों का निबटारा नहीं हुआ था ।

(xii) विभिन्न विवादों के कारण दिसम्बर 1976-जून 1978 के दौरान पूरे किये गये 6 कार्यों के संबंध में ग्राहकों ने 13.12 लाख रुपये की धनराशि रोक ली थी ।

(xiii) कम्पनी 70 निविदाओं, जिनमें इसने 1978–79 तक के चार वर्षों के दौरान भाग लिया, में स केवल 12 के विरुद्ध आदेश प्राप्त कर सकी ।

(xiv) कम्पनी ने पृथक-पृथक कार्यों के निष्पादन पर लाभ/हानि नहीं निकाला था । बहुत से मामलों में प्रस्तावित दरें (बिना विस्तृत विश्लेषण के) काम करने योग्य नहीं पायी गयीं । दोषपूर्ण अनुबन्धों और दरों आदि के निर्णय से पहले कार्य शुरू कर देने के कारण कम्पनी ने 6 कार्यों में 15.07 लाख रुपये की हानि उठायी ।

(xv) कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्य का एक भाग कम्पनी से वापस ले लिया गया; इसके परिणामस्वरूप आवश्यकता से अधिक शटरिंग की गढ़ाई पर 2.83 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(xvi) मिट्टी भराई कार्य में गलत सीध के सुधार पर कम्पनी को 1.03 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा । उसी कार्य के संबंध में अन्य पार्टियों द्वारा किये गये कार्य के लिये

कार्यदर कामगरों को 2.48 लाख रुपये तक अधिक भुगतान किया गया । 1.31 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय उन मदों पर किया गया जो मात्रा सूची के अन्तर्गत नहीं आती थीं ।

(xvii) कंक्रीट कार्य करने के लिये किनारे गिरने के विरुद्ध सुरक्षा के लिये उचित ढलानों का प्राविधान करने में असफलता (ग्राहक की चेतावनियों के बावजूद) के कारण दो स्लिप हुईं जिसके कारण कार्य की अन्य मदों को क्षति पहुंची जिससे 7.66 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(xviii) विशिष्टियों का अनुपालन न करने के कारण कार्य क्षेत्र में नहीं दिये गये कार्य की मदों और दोषपूर्ण कार्य के सुधार पर कम्पनी ने 1.61 लाख रुपये (3 कार्य) का अतिरिक्त व्यय किया ।

(xix) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के सन्दर्भ में चार इकाइयों में लकड़ी की शटरिंग पर किये गये व्यय की परख जांच से 17.22 लाख रुपये के अधिक व्यय का पता चला ।

(xx) तीन मामलों में कार्य उच्चतर दरों पर ठेकेदारों को (कार्यदर कामगरों के स्थान पर) बातचीत द्वारा तय करने के बाद सौंपे गये जिसमें 9.23 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(xxi) पांच इकाइयों में 61.25 लाख रुपये मूल्य के कार्यों के संबंध में 6.11 लाख रुपये (7–10 प्रतिशत तक) का लाभ कार्यदर कामगरों को चला गया ।

(xxii) चार इकाइयों में उपस्थिति या कार्य की माप का सत्यापन किये बिना श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं को 12.37 लाख रुपया भुगतान किया गया था ।

(xxiii) 1975–76 से 1977–78 के दौरान कार्यदर कामगरों को 5.21 लाख रुपये और श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं को 1.93 लाख रुपये की अग्रिम दी गई धनराशियां बकाया थीं और उनकी वसूली सन्देहास्पद थी क्योंकि कार्यदर कामगर और श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी में अब कार्य नहीं कर रहे थे ।

(xxiv) दो इकाइयों में निष्क्रिय श्रमिकों को फरवरी/मार्च 1977 से जुलाई 1978 तक, जब वे कार्य से हटाये गए, 1.60 लाख रुपये का भुगतान किया गया ।

(xxv) पांच इकाइयों में क्रय समिति के अनुमोदन के बिना 41.42 लाख रुपये (40 मामले) मूल्य की भवन सामग्रियां क्रय की गईं (अप्रैल 1975–जून 1977) । बहुत सी इकाइयों में क्रय समिति के कार्य-वृत्त (मिनिट) उचित रूप से नहीं रखे जा रहे थे ।

(xxvi) सामग्री/कंक्रीट मिश्रकों इत्यादि के उच्चतर दरों पर क्रय के मामले थे, जिनमें 8.78 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(xxvii) नवम्बर 1975-सितम्बर 1977 के दौरान क्रय की गई 9.57 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियां भंडार खातों में नहीं ली गई थीं और कार्य पर सीधे उपभोग हो गयीं बतायी गईं फिर भी समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जा सके । भंडार खाते अपूर्ण थे और सामग्रियां बिना मांग पत्रों या पावतियों के और बिना कार्य का नाम इंगित किये निर्गत की गई थीं। 141.36 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियां भंडार खातों, जो दो इकाइयों में नहीं रखे गए थे, के माध्यम से नहीं ले जायी गयीं ।

(xxviii) कुछ मामलों में 5.21 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियों का लेखाओं में कम लिया जाना और कमियां जानकारी में आयीं। कार्य के अनुबन्धों में निर्दिष्ट सीमाओं/निर्धारित मानकों से ऊपर भवन सामग्रियों का अधिक उपभोग (23 कार्य) 18.79 लाख रुपये निकला ।

(xxix) कम्पनी ने उपकरणों जैसे रोड रौलर्स, क्रेंस, कम्प्रैसर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, इत्यादि के उपयोग के लिये कोई मानक नहीं निर्धारित किये थे; मिश्रकों/वाईब्रेटर्स का उपयोग बहुत न्यून पाया गया ।

(xxx) कम्पनी ने प्रत्येक कार्य के लिये पृथक लेखाओं के लिए कोई पद्धति नहीं लागू की थी जिसके अभाव में कार्यों/इकाइयों के वास्तविक निष्पादन का निर्देशन (मानीटरिंग)। मूल्यांकन सम्भव नहीं था ।

(xxxi) इकाइयों के लेन देनों पर नियंत्रण और वित्तीय विश्लेषण और उनकी लाभकारिता का मूल्यांकन करने के लिये जुलाई 1977 में एक निर्देशन (मानीटरिंग) पद्धति लागू की गई । परख जांच से प्रकट हुआ कि पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित मासिक प्रपत्र या तो प्राप्त नहीं हो रहे थे और जहां प्राप्त हुए. बहुत से विषयों में अपूर्ण पाये गये ।

अनुभाग IV

पर्वतीय, पिछड़े क्षेत्र एवं अनुसूचित जन-जाति विकास कम्पनियां

4.01. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति को त्वरित करने के दृष्टिकोण से, राज्य सरकार ने तीन पिछड़े क्षेत्रों के लिए तीन क्षेत्रीय विकास निगमों, नामतः, पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल, बाद में कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल के नाम से पुनर्नामित, बुन्देल खण्ड विकास निगम लिमिटेड, झांसी और पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड, फैजाबाद की स्थापना की (मार्च 1971)। बाद में, 1976 में राज्य सरकार ने शेष मण्डलों में प्रत्येक में एक एक विकास कम्पनी स्थापित करने का निश्चय किया। वर्तमान समय में राज्य में ऐसी 11 कम्पनियां हैं।

मुख्यतः तराई क्षेत्र में निवास करने वाले थारू और बोक्सा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की देखभाल एवं उत्थान के लिये 2 अगस्त 1975 को निगमित एक तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ भी है।

इस समीक्षा में 12 विकास कम्पनियों में से निम्न 7 कम्पनियों के कार्य-कलाप सम्मिलित किये गये हैं :

कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	अधिकृत पूंजी (31 मार्च 1979 को) (लाख रुपयों में)	प्रदत्त पूंजी (31 मार्च 1979 को) (लाख रुपयों में)
पर्वतीय			
कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल (कुमविनि)	मार्च 1971	200.00	168.40
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, देहरादून (गमविनि)	मार्च 1976	200.00	162.00
पिछड़े क्षेत्र			
उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड, फैजाबाद (पूविनि)	मार्च 1971	200.00	95.80
उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड, झांसी (बुविनि)	मार्च 1971	200.00	85.80
उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड, बरेली (पक्षेविनि)	जनवरी 1976	200.00	100.00
लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ (भूतपूर्व उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय विकास निगम) (लमविनि)	जनवरी 1976	200.00	50.00
तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ (तअजविनि)	अगस्त 1975	5.00	5.00

4.02. लक्ष्य एव उद्देश्य

इन कम्पनियों के लक्ष्य और उद्देश्य, जैसा कि इनके विधान पत्र (मेमोरेन्डम आफ एशोसिएशन) में निहित है, समस्त क्षेत्रों (उदाहरणार्थ कृषि, उद्योग, बागबानी, सिंचाई, खनिज, वन, विपणन, पर्यटन, अर्थ, इत्यादि) में, परियोजनाओं, उपक्रमों एवं उद्योगों इत्यादि में सहायता, सहयोग, उत्थान, स्थापना, विकास एवं सम्पादन द्वारा एक समूचे मण्डल के तीव्र आर्थिक विकास हेतु, हर प्रकार के विकास संबंधी क्रिया कलापों का समावेश करते हुए, पर्याप्त रूप से विस्तृत हैं।

इन कम्पनियों द्वारा, सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर विकास किये जाने वाले क्षेत्रों में साधनों की उपलब्धता तथा स्थानीय दशाओं को दृष्टि में रखते हुए कोई भी सामूहिक योजना तैयार नहीं की गयी है। क्रमश: जून 1978 और नवम्बर 1978 में लखनऊ और बरेली जनपदों के सरोजनी नगर और फरीदपुर के ब्लाकों के एक एक पंचायत के लिए, लखनऊ मण्डल विकास निगम तथा पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम ने 0.30 लाख रुपये लागत की प्रत्यक की एक समेकित ग्रामीण विकास योजना तैयार की थी। पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है (मार्च 1980)। लखनऊ मण्डल विकास निगम से संबंधित छः योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिया गया (नवम्बर 1979) जिसके लिए साध्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा था (फरवरी 1980)। संबंधित क्षेत्रों के तीव्र आर्थिक विकास के मूल उद्देश्य हेतु कार्यरत बड़ी संख्या में अन्य एजेंसियां, सरकारी विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक, भूमि सुधार बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं और राज्य सरकार की अन्य कम्पनियां भी हैं, उदाहरणार्थ:

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड,
उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड,
उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड,
दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड,
उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, और
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड।

जब कि ये कम्पनियां अपने कार्य कलाप के क्षेत्र में सम्पूर्ण राज्य को आच्छादित किए हुए हैं, एक ही क्षेत्र में होने वाले प्रयत्नों के अतिव्याप्त (ओवर लैप्स) या द्विरावृत्ति (डुप्लीकेशन) को रोकने के दृष्टिकोण से अन्य कम्पनियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने या निश्चित विभाजक रेखा तैयार करने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

4.03. संगठनात्मक व्यवस्था

पर्वतीय क्षेत्र की मण्डल कम्पनियां पर्वतीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं जबकि पिछड़े क्षेत्र की, क्षेत्र विकास विभाग के अन्तर्गत: तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत है।

इन कम्पनियों का समग्र प्रबंध, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नामित केवल सरकारी निदेशकों या सरकारी एवं गैरसरकारी दोनों प्रकार के निदेशकों से युक्त, उनके संबंधित निदेशक मण्डल में निहित है।

कुमायूं मण्डल विकास निगम तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम के दिन प्रतिदिन के कारोबार पूर्णकालिक प्रबंध निदशकों द्वारा निपटाये जाते हैं जबकि, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम एवं पिछड़े क्षेत्रों की कम्पनियों के, क्रमश: निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण तथा मण्डलीय उपविकास आयुक्त द्वारा, जो कि पदेन (अंशकालिक) प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करत हैं।

इन कम्पनियों के कार्यकलाप की समीक्षा हेतु (जनवरी 1978) कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक में प्रत्येक कम्पनी में एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि उप विकास आयुक्त अन्य कार्यों मे लीन रहने के कारण इन कम्पनियों के क्रिया-कलाप की

तरफ ध्यान देने में असमर्थ थे; तथापि इन कम्पनियों की प्रबंध व्यवस्था अंशकालिक मुख्य प्रशासकों द्वारा जारी है (मार्च 1980)।

4.04. क्रिया कलाप

1978–79 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान इन कम्पनियों के क्रिया-कलाप मुख्य तौर पर निम्न रहे हैं :

पर्वतीय

(i) कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल
- (क) विपणन (सेव, गोलापत्थर, बजरी, इत्यादि),
- (ख) उद्योग (बिरोजा तथा तारपीन फैक्टरी, पर्वत गिलास, पर्वत तार, इत्यादि)
- (ग) पर्यटन (पैकेज पर्यटन तथा पर्यटक विश्राम गृहों का अनुरक्षण),
- (घ) अभियंत्रण (सिविल निर्माण कार्य), तथा
- (ङ) रज्जुमार्ग (रोप वे) का निर्माण।

(ii) गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, देहरादून
- (क) विपणन (फल और तरकारियां), ट्रक यातायात सेवा और गैस सेवा,
- (ख) उद्योग (बिरोजा और तारपीन फैक्टरी, कच्चा लीसा निकालने की इकाई, काष्ठ ऊन (उडवूल) फैक्टरी तथा समेकित लकड़ी के काम),
- (ग) पर्यटन (पैकेज पर्यटन तथा पर्यटक विश्राम गृहों एवं पेट्रोल पम्पों का अनुरक्षण),
- (घ) अभियंत्रण (सिविल निर्माण कार्य), तथा
- (ङ) रज्जु मार्ग (रोप वे) का निर्माण।

पिछड़े क्षेत्र

(i) उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड, फैजाबाद
- (क) कादीपुर (सुल्तानपुर) तथा चित्तौरा (बहराइच) में दो लघु चीनी मिलें– 1978–79 में चीनी मंडी में मंदी के कारण कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ, और
- (ख) अभियंत्रण कार्यशाला, सुल्तानपुर।

(ii) उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड, झांसी
- (क) राठ (हमीरपुर) तथा माधोगढ़ (जालौन) में दो लघु चीनी मिलें,
- (ख) बिजौली (झांसी) में पत्थर तोड़ने की एक इकाई,
- (ग) ईंट के भट्ठे की पांच इकाइयां (तीन 1976–77 में खोली गयीं),
- (घ) कर्वी (बांदा) तथा ललितपुर में दो बीड़ी उद्योग की इकाइयां (अगस्त तथा अक्तूबर 1977 में खोली गयीं और मार्च 1978 में बन्द हो गयीं), तथा
- (ङ) विपणन (ईंटें, पत्थर की गिट्टी, खाद्य तेल, चीनी, इत्यादि)।

(iii) उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड, बरेली
- (क) तेरह कृषि–सेवा केन्द्र (दो 1976–77 में खुल, नौ 1977–78 में तथा दो 1978–79 में),
- (ख) पुवायां (शाहजहांपुर) में 1977–78 मे खोली गयी ट्रैक्टर मरम्मत कार्यशाला, तथा
- (ग) बरेली में, कृषि उत्पादन, शिशु दुग्ध आहार, देशी घी तथा एस्बेस्टस सीमेंट चादरों का कमीशन के आधार पर थोक व्यापार करने वाले, विक्री केन्द्र।

(iv) लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ

मोहम्मदी (लखीमपुर खीरी) तथा लखनऊ में दो सीमा सेवा (कस्टम सर्विस) केन्द्र (1978–79 में खोले गये)।

(v) तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ

प्रस्तावित क्रिया-कलाप निम्न हैं :

जहां तक संभव हो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हुए कुटीर एवं लघु उद्योगों को स्थापित करना या स्थापना हेतु बढ़ावा देना,

अनुसूचित जनजातियों को उन्नत तकनीकों के द्वारा कृषि एवं बागबानी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना,

उन्हें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।

1978–79 के दौरान अनुसूचित जनजाति से संबंधित 200 कृषकों को 200 नापसेक छिड़काबकों (0·83 लाख रुपये) के मुफ्त वितरण के अतिरिक्त कम्पनी के विकास कार्यक्रमों में, अनुसूचित जनजातियों की रुचि का अभाव होने के कारण, जैसा कि बताया गया, कम्पनी ने अपने प्रादुर्भाव (अगस्त 1973) से अन्य कोई भी कार्य-कलाप नहीं किया।

पूर्वांञ्चल विकास निगम लिमिटेड, फैजाबाद (1971 में स्थापित) ने गत 3-4 वर्षों के दौरान तो कोई नया कार्य आरम्भ किया और न ही अपने वर्तमान कार्य कलाप के क्षेत्र में वृद्धि या परिवर्तन किया। इसका कारण मई 1976 से एक पूर्ण कालिक प्रबंध निदेशक का न होना बताया गया (मई 1979)।

4.05. धन का उपयोग न किया जाना

क्रियान्वित करने हेतु किसी स्पष्ट योजना के अभाव में इन कम्पनियों में से कुछ ने प्रदत्त अंश पूंजी का एक बड़ा भाग बैंकों के सावधि निक्षेप में विनियोजित कर दिया, जैसा कि नीचे इंगित है :

	1976–77	1977–78	1978–79
	(लाख रुपयों में)		
उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड (पूविनि)			
प्रदत्त पूंजी	85.80	95.80	95.80
सावधि जमा	26.50	17.00	18.00
सावधि जमा का अंशपूंजी पर प्रतिशत	30.9	17.7	18.8
उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड (पक्षेविनि)			
प्रदत्त पूंजी	100.00	100.00	100.00
सावधि निक्षेप	80.41	65.84	65.18
सावधि निक्षेप का अंश पूंजी पर प्रतिशत	80.4	65.8	65.2
लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड (लमविनि)			
प्रदत्त पूंजी	50.00	50.00	50.00
सावधि निक्षेप	20.00	45.00	38.19
सावधि निक्षेप का अंशपूंजी पर प्रतिशत	40.00	90.00	76.4

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम ने 30 लाख रुपये की सम्पूर्ण धनराशि (प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपये और लघु सिंचाई कार्य के लिये मार्च 1976 में प्राप्त 25 लाख रुपये के ब्याज मुक्त ऋण) को जुलाई 1977 तक बचत खाते में और सावधि निक्षेप खाते में (मार्च 1980) रखी थी। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं उद्योग धंधों के विकास के लिये वर्ष 1976–77 से 1978–79 के

दौरान राज्य सरकार से प्राप्त 13.46 लाख रुपये के अनुदान में से 9.48 लाख रुपये की धनराशि 1978–79 तक बिना उपयोग किये पड़ी रही ।

4.06. कार्य परिणाम

1978–79 तक तीन वर्षों के कार्य परिणाम संक्षेप में निम्न हैं :

	1976–77		1977–78		1978–79	
	बिक्रय (टर्न ओवर)	लाभ (+) हानि (–)	बिक्रय (टर्न- ओवर)	लाभ (+) हानि (–)	बिक्रय (टर्न- ओवर) (अनन्तिम)	लाभ (+) हानि (–)
	(रुपये लाखों में)		(रुपये लाखों में)		(रुपये लाखों में)	
कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	44.28 (7.17)	(+) 8.29	72.07 (15.36)	(+) 2.56	87.98 (16.95)	(+) 2.06
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	4.25 (1.02)	(–) 1.52	35.83 (3.96)	(–) 3.26*	92.14 (5.56)	(+) 3.89
पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	21.53 (3.86)	(–) 10.25*	8.00 (1.67)	(–) 1.49*	11.29 (1.63)	(–) 1.05
बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड	14.47 (1.84)	(–) 6.84*	16.26 (1.79)	(–) 9.85*	28.38 (0.24)	(–) 9.82
पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	0.50 (8.07)	(+) 7.01	3.36 (4.77)	(+) 0.66*	5.24 (2.48)	(–) 2.46
लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	.. (1.39)	(+) 0.82	.. (3.45)	(+) 1.97	0.87 (3.74)	(+) 1.98

जहां तक तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम का प्रश्न है, कम्पनी ने 1976–77 में 1.42 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया, आगे के वर्षों के लेखे अभी तक अंतिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं (मार्च 1980) ।

वर्ष 1978–79 के अंत में, गढ़वाल मंडल विकास निगम की 0.89 लाख रुपए पूर्वांचल विकास निगम की 23.82 लाख रुपये तथा बुन्देलखण्ड विकास निगम की 31.72 लाख रुपये की एकत्रित हानि की राशियां थीं ।

वर्ष 1977–78 में कुमायूं मण्डल विकास निगम के लाभ में गिरावट का कारण पर्यटन विभाग में 1976–77 में 0.20 लाख रुपये के घाटे के मुकाबले उस साल 2.99 लाख रुपये का घाटा होना बताया गया ।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान घाटा उठाये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्धकों ने बताया (जून 1979) कि कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा इकाइयों के हस्तांतरण (नवम्बर 1976) के समय पर्यटन इकाई से संबंधित अधिकतम आय अर्जित करने का मौसम पहले ही समाप्त हो चुका था एवं दूसरी इकाइयां "बीमार" दशा में पायी गयीं तथा 1977–78 तक प्रयत्न किये जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी ने 1978–79 के दौरान 3.89 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया ।

टिप्पणी:––कोष्ठ के अन्दर की संख्यायें अन्य आय दर्शाती हैं।

* संख्यायें अनन्तिम हैं ।

पूर्वांचल विकास निगम के प्रबन्धकों ने घाटे का कारण मुख्यतौर पर दो लघु चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति में कमी, 1977–78 के दौरान चीनी के बिक्री कीमतों में भारी गिरावट, 1975–76 से ईंटों के भट्ठों का बंद रहना तथा कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी बताया (मई 1979)।

बुन्देलखंड विकास निगम के संबंध में घाटे के कारण, 1977–78 में बीड़ी की दो नई इकाइयों के अलाभकर कार्यकलाप के अतिरिक्त प्रधानतः दो चीनी मिलों में उत्पादन की ऊंची लागत (स्थापित क्षमता के मुकाबले वास्तविक उत्पादन बहुत कम होने के कारण), तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता तथा अगस्त 1978 में नियंत्रण समाप्ति के कारण चीनी की बिक्री कीमत में भारी गिरावट होना, प्रबन्धकों द्वारा बताये गये (अगस्त 1979)।

पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम के संबंध में 1977–78 में लाभ में तीव्र गिरावट तथा 1978–79 में घाटे के कारण, सावधि जमा पर ब्याज से होने वाली आय का कम होना, 1977–78 के दौरान खरीदे गये 18 ट्रैक्टरों तथा औजार (लागत 18 लाख रुपये) का निष्प्रयोजन में रहना, कृषि सेवा केन्द्रों का निम्नस्तरीय निष्पादन (पुअर परफारमेंस), मंडी में मंदी के कारण कृषि उत्पादों पर घाटा तथा प्रभावशाली प्रबन्ध व्यवस्था का अभाव, प्रबन्धकों द्वारा बताये गये (फरवरी 1980)।

लखनऊ मण्डल विकास निगम द्वारा अर्जित लाभ मुख्यतः सावधि जमा के ब्याज की आय के कारण था।

4.07. परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण

कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को हस्तांतरित 14 इकाइयों की परिसम्पत्तियों को उनके 34.38 लाख रुपये पुस्तक मूल्य (31 अक्टूबर 1976) के विरुद्ध गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने मात्र 29.78 लाख रुपये मूल्य की स्वीकृति दी (मई 1979)। परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के कारण 4.60 लाख रुपये की विवादास्पद धनराशि, कच्चा माल तथा तैयार सामग्री (4.06 लाख रुपये), परियोजना प्रतिवेदनों की लागत (0.11 लाख रुपय) तथा क्षति और कमियों (0.43 लाख रुपये) का समाधान दोनों कम्पनियों के बीच प्रगति में होना बताया गया (जनवरी 1980)। हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों में सम्मिलित कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा क्रय की गयी घटिया किस्म की लकड़ियों (0.82 लाख रुपये) का राज्य सरकार के आदेश (मई 1977) के अनुसार गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा नीलाम या अन्य तरीके द्वारा निस्तारण होना था और होने वाले घाटे का प्रतिवेदन 15 जून 1977 तक सरकार को प्रेषित होना था। यह प्रतिवेदन राज्य सरकार को अभी तक प्रेषित नहीं किया गया है (मार्च 1980)।

4.08. एक सहायक कम्पनी का परिसमापन

भूतपूर्व उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की सहायक कम्पनी के रूप में, डिस्ट्रीब्यूसन तथा पावर ट्रान्सफार्मरों के निर्माण व मरम्मत कार्य के मुख्य उद्देश्य से, 38 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी से 29 अप्रैल 1974 को नार्दर्न इलैक्ट्रिक इक्विपमेंट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोटद्वार (गढ़वाल) नामक कम्पनी निगमित हुई थी। इसकी प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1979 को 0.06 लाख रुपये थी, जिसमें से 0.05 लाख रुपये कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा तथा 0.01 लाख रुपये इसके संयुक्त प्रवर्तक तथा तकनीकी उद्यमी (बिरला इन्स्टीट्यूट आफ साइन्टिफिक रिसर्च, इलाहाबाद के तकनीकी सलाहकार) जो कि अक्तूबर 1976 तक इसके प्रबन्ध निदेशक बने रहे, द्वारा अभिदत्त थी। जून 1977 में राज्य सरकार ने प्रधान कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को समाप्त कर देने का निर्णय लिया। समापन कार्यवाही अभी तक आरम्भ नहीं की गई (मार्च 1980)। भूमि क्रय (0.48 लाख रुपये), भण्डार शेड के निर्माण (0.11 लाख रुपये) तथा प्रारम्भिक एवं प्रकीर्ण खर्चे (0.47 लाख रुपये) पर व्यय करने हेतु प्रधान कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को मार्च 1979 तक 1.06 लाख रुपये का अग्रिम दिया गया था। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी के लेखाओं की, आरम्भ से, लेखा परीक्षा नहीं की गई है (मार्च 1980)।

4.09. निष्पादन समीक्षा

(अ) औद्योगिक कार्यकलाप

(I) बिरोजा तथा तारपीन फैक्टरी

(क) प्रक्रिया हानियां (कुमायूं मण्डल विकास निगम तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम)

तिलवारा (गमविनि) और चम्पावत (कुमविनि) स्थित बिरोजा तथा तारपीन फैक्टरियों में पूंजी विनियोग के साथ उनके चालू किये जाने की तिथियां नीचे दी गई हैं :

फैक्टरी	लागत (लाख रुपयों में)	चालू किये जाने की तिथि
तिलवारा	19.28	अप्रैल 1978
चम्पावत	15.39	जुलाई 1978

इन फैक्टरियों के परियोजना प्रतिवेदन में 8 प्रतिशत प्रक्रिया हानि के साथ 75 प्रतिशत बिरोजा (पीले, मध्यम तथा गहरे रंग की श्रेणी के) तथा 17 प्रतिशत तारपीन की प्राप्ति का प्राविधान था। 1978–79 के दौरान वास्तविक प्रक्रिया हानि चम्पावत तथा तिलवारा फैक्टरियों में क्रमशः 13.1 प्रतिशत एवं 10.9 प्रतिशत हुई। उत्तम और मध्यम श्रेणी के बिरोजा की प्राप्ति (यील्ड) कम होने तथा प्रक्रिया हानि ऊंची होने से 5.35 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई (कुमविनि-चम्पावत : 2.59 लाख रुपये और गमविनि-तिलवारा : 2.76 लाख रुपये)।

कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा इसका कारण, वन विभाग द्वारा अशुद्ध या निम्न कोटि के लीसे की आपूर्ति बताया गया (जून 1979) जिनसे उन्हें लीसे की कीमत के देय शेषधन में कमी किये जाने के द्वारा, क्षति पूर्ति के लिये कहा गया था (दिसम्बर 1978), और गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा उसका कारण, एक वर्ष से अधिक समय तक लीसा का भंडारण होना बताया गया (जुलाई 1979), जिसके फलस्वरूप इसके गुणों में परिवर्तन हो गया और प्राप्ति के अनुपात में गिरावट आ गई।

(ख) भण्डारण हानि

तिलवारा के भंडार में फरवरी 1976 में 453 कुन्तल लीसा के स्टाक में से 0.56 लाख रुपये मूल्य का 225 कुन्तल स्टाक पूरी तरह नष्ट पाया गया (अप्रैल 1978)। इस क्षति का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया गया है (मार्च 1980)।

(II) लघु चीनी मिलें

(क) कम प्राप्ति (लोयील्ड)

निम्न तालिका 1978–79 तक के तीन वर्षों की अवधि के दौरान लघु चीनी मिलों (पूविनि तथा बुविनि प्रत्येक में दो दो) में पेरे गये गन्ने, उत्पादित चीनी, पेराई के दिनों की उपलब्ध संख्या और दैनिक औसत पेराई की स्थिति को इंगित करती है :

(i) पूर्वांचल विकास निगम

विवरण	कादीपुर		चित्तोरा	
	1976–77	1977–78	1976–77	1977–78
पेरा गया गन्ना (कुन्तल में)	32,853	25,388	13,792	38,072
उत्पादित चीनी (कुन्तल में)	1,902	1,550	606	2,211
पेरे गये गन्ने पर उत्पादित चीनी का प्रतिशत	5.8	6.1	4.4	5.8
पेराई के कुल उपलब्ध दिन	92	91	59	107
पेराई के वास्तविक दिन	84	71	33	59
औसत दैनिक पेराई (कुन्तल में)	391	358	418	645

(ii) बुन्देल खण्ड विकास निगम

	राठ			माधोगढ़		
	1976–77	1977–78	1978–79	1976–77	1977–78	1978–79
पेरा गया गन्ना (कुन्तल में)	7,359	30,890	13,996	11,459	35,724	20,945
उत्पादित चीनी (कुन्तल में)	358	1,041	761	517	1,390	1,328
उत्पादित चीनी का पेरे गये गन्ने पर प्रतिशत	4.9	3.4	5.4	4.5	3.9	6.3
पेराई के कुल उपलब्ध दिन	76	121	130	102	118	149
पेराई के वास्तविक दिन	46	101	77	42	102	74
औसत दैनिक पेराई (कुन्तल में)	160	306	182	273	350	283

टिप्पणी:—चीनी मंडी में मंदी के कारण 1978–79 के दौरान कादीपुर और चित्तौरा में उत्पादन कार्य नहीं हुआ ।

रूरल इन्डस्ट्रीज प्लानिंग रिसर्च एण्ड ऐक्सन इन्स्टीट्यूट के विशेषज्ञ के प्रतिवेदन के अनुसार लघु चीनी मिलों में चीनी की प्राप्ति पेरे गये गन्ने का 7.5 प्रतिशत होनी चाहिये । इसके विरुद्ध पूर्वांचल विकास निगम में वास्तविक प्राप्ति 4.4 तथा 6.1 प्रतिशत के बीच तथा बुन्देलखण्ड विकास निगम में 3.4 और 6.3 प्रतिशत के बीच रही । प्रत्येक मिल के लिये 800 कुन्तल स्थापित क्षमता के विरुद्ध वास्तविक दैनिक पेराई 160 कुन्तल तथा 645 कुन्तल के बीच रही । क्षमता के कम उपयोग का कारण, विद्युत आपूर्ति में बार-बार बाधा उपस्थित होना पूर्वांचल विकास निगम द्वारा बताया गया (फरवरी 1980) और गन्ने की कम आपूर्ति एवं बार-बार विद्युत कटौती होना बुन्देलखण्ड विकास निगम द्वारा बताया गया । दोनों कम्पनियों ने स्वीकार किया कि प्रतिदिन सम्पूर्ण उपलब्ध 800 कुन्तल पेराई की क्षमता का उपयोग, 120 पेराई दिनों की उपलब्धता तथा विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता की आदर्श अवस्था में ही 7.5 प्रतिशत चीनी की प्राप्ति संभव है । वर्तमान स्थानीय दशाओं में, पूर्वांचल विकास निगम द्वारा उनके मिलों में 6.5 प्रतिशत तथा बुन्देलखण्ड विकास निगम द्वारा 5.5 प्रतिशत का उत्पादन मानक बताया गया । इन मानकों के आधार पर भी पूर्वांचल विकास निगम में 1976–77 से 1977–78 की अवधि के दौरान चीनी की कम प्राप्ति (ईल्ड) के कारण 2.84 लाख रुपये और बुन्देलखण्ड विकास निगम में 1976–77 से 1978–79 तक 4.20 लाख रुपये की हानि हुई ।

पूर्वांचल विकास निगम में विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से डीजल जनरेटिंग सेटों के क्रय का मामला अगस्त 1974 से विचाराधीन था । निदेशक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को 34 के वी ए प्रत्येक के दो जनरेटिंग सेट खरीदने के लिये अधिकृत किया था (सितम्बर 1977) परन्तु इस मामले में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी (मार्च 1980) ।

(ख) उत्पादन हानियां

उत्पादित चीनी की प्रति कुन्तल लागत, इसकी वसूली/वसूल होने योग्य प्रति कुन्तल मूल्य और घाटे नीचे सारणीबद्ध हैं; आंकड़े अनन्तिम हैं :

(i) पूर्वांचल विकास निगम

विवरण	कादीपुर		चित्तौरा	
	1976–77	1977–78	1976–77	1977–78
उत्पादन (कुन्तल में) ..	1,902	1,550	606	2,211
प्रति कुन्तल उपादन लागत (रुपए में)	396	431	675	347
प्रति कुन्तल औसत वसूली/वसूल होने योग्य मूल्य (रुपये में)	314	322	315	329
प्रति कुन्तल घाटा (रुपये में)	82	109	360	18
वर्ष के दौरान घाटा (लाख रुपयों में)	1.56	1.69	2.18	0.40

(ii) बुन्देलखंड विकास निगम

विवरण	राठ			माधोगढ़		
	1976–77	1977–78	1978–79	1976–77	1977–78	1978–79
उत्पादन (कुन्तल में)	358	1,041	761	517	1,390	1,328
प्रति कुन्तल उत्पादन लागत (रुपये में)	1,134	694	552	777	588	371
प्रति कुन्तल औसत वसूली/वसूल होने योग्य मूल्य (रुपये में)	324	339	166	369	241	241
प्रति कुन्तल घाटा (रुपये में)	810	355	386	408	347	130
वर्ष के दौरान घाटा (लाख रुपयों में)	2.90	3.70	2.94	2.11	4.82	1.73

प्रबन्धकों द्वारा, उत्पादन लागत में भारी विभिन्नताओं एवं उठाये गये घाटे का कारण, कम एवं निम्न कोटि के गन्ने की आपूर्ति, स्थानीय श्रम दशायें, बार-बार विद्युत कटौती, राज्य सरकार द्वारा बिक्री कीमत का निश्चत किया जाना तथा नियंत्रण समाप्ति (अगस्त 1978) के फलस्वरूप चीनी मंडी में मंदी होना बताया गया। (मई और अगस्त 1979)।

पूर्वांचल विकास निगम द्वारा 1978–79 तथा 1979–80 के दौरान ये इकाइयां बंद कर दी गई और इनके स्थान पर गोबर गैस संयंत्रों, पावर थ्रेसरों, कल्टीवेटरों इत्यादि के निर्माण जैसे नये कार्य-कलाप लिये जा रहे हैं।

बुन्देलखण्ड विकास निगम द्वारा गन्ने की अनुपलब्धता एवं चीनी की बिक्री कीमत में गिरावट के कारण 1979–80 के दौरान चीनी मिलें नहीं चलाई गयीं। प्रबंधक इन इकाइयों को बंद करने और कृषि सहायक उपकरणों के उत्पादन तथा कुछ दूसरी इकाइयों जैसे दाल मिल इत्यादि की स्थापना पर विचार कर रहे हैं।

(ग) गबन

मार्केटिंग प्रबन्धक द्वारा राठ स्थित लघु चीनी मिल में रोकड़ का भौतिक सत्यापन करने पर 0.22 लाख रुपये की कमी प्रगट हुई। भंडारी-तथा-खजांची द्वारा रोकड़ बही में फर्जी भुगतान दर्ज करने तथा बिक्री की धनराशि एवं अन्य प्राप्तियों को रोकड़ बही में कम दिखा कर या नहीं दिखा कर गबन किये जाने के विषय में पुलिस को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दायर हुआ था (नवम्बर 1979)। उक्त कर्मचारी निलम्बित कर दिया गया था (नवम्बर 1979) तथा प्रबन्धक के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही थी, जो कि अपने मूल विभाग में वापस भेज दिया गया था।

(III) बीड़ी उद्योग

बुन्देलखंड विकास निगम द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये या बाजार सर्वेक्षण किये बिना ही कर्वी (बांदा) और ललितपुर में क्रमशः अगस्त और अक्टूबर 1977 में बीड़ी उद्योग की इकाइयां स्थापित की गईं। तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण, अकस्मात मार्च 1978 से उत्पादन बंद हो गया। इन इकाइयों ने मार्च 1979 तक कुल 0.69 लाख रुपये का घाटा उठाया। बीड़ियों का स्टाक (मूल्य 0.33 लाख रुपये) बीड़ियों की हालत आंके बिना 1978–79 के अंत में सत्यापित करना बताया गया।

(IV) ईंट के भट्टे

(क) हानियां

बुन्देलखण्ड विकास निगम की ईंट के भट्टे की दो इकाइयों ने 1978–79 तक तीन वर्षों के दौरान घाटा उठाया, जैसा कि नीचे इंगित है :

	1976–77	1977–78 (अनन्तिम)	1978–79
		(रुपये लाखों में)	
सुदर (ललितपुर)	0.16	0.79	0.23
पाली (झांसी)	..	0.26	0.28

घाटे का कारण, गलत स्थलों का चयन, उत्पादन की ऊंची लागत तथा ईंटों की कम बिक्री बताया गया (अगस्त 1979)। फिर भी प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1979) कि 1979–80 वर्ष से और अच्छे परिणाम की आशा है।

(ख) कमियां

ईंट के भट्टे की नराइच इकाई के कार्यभार हस्तान्तरण के समय 0.52 लाख रुपये मूल्य के ईंटों की कमी जानकारी में आई। संबंधित सहायक प्रबन्धक से हानि की वसूली की कार्यवाही की प्रतीक्षा है (मार्च 1980)।

(V) पत्थर तोड़ने की इकाई

बुन्देल खण्ड विकास निगम की बिजोली (झांसी) में पत्थर तोड़ने की इकाई की स्थापना जनवरी 1976 में हुई थी। इसके चालू किये जाने की तिथि से ही इकाई निरन्तर घाटा उठा रही है तथा इकाई में 2.18 लाख रुपये के विनियोग के विरुद्ध 1978–79 तक कुल घाटा 2.42 लाख रुपये का था। घाटे का कारण, अनुपयुक्त स्थल, संयंत्रों का विद्युत् शक्ति के स्थान पर डीजल से चलाया जाना, तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता तथा क्षमता का कम उपयोग (9.23 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच) बताया गया (अगस्त 1979)।

(ब) पर्यटन

अल्विन झोपड़ियों का क्रय

हिल स्टेशनों पर पर्यटकों को आवास प्रदान करने के लिये गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा मई 1977 में 3.60 लाख रुपये (लगभग) की लागत से छः अल्विन झोपड़ियां खरीदी गईं। क्रय करने के पूर्व इन झोपड़ियों की अर्थक्षमता तथा पहाड़ों के लिये उनकी उपयुक्तता पर विचार नहीं किया गया। प्रति झोपड़ी पर प्रतिवर्ष 10,790 रुपये के औसत व्यय (4 झोपड़ियों से सम्बन्धित) के विरुद्ध प्रति झोंपड़ी प्रतिवर्ष आय की राशि 3,556 रुपये थी। चूंकि ये झोपड़ियां अनुपयुक्त पाई गयीं इसलिये प्रबन्धकों ने, अगस्त 1978, में 10 प्रतिशत कम दर पर इनके निस्तारण की संस्तुति की। जबकि एक झोपड़ी (तिलवारा) का बिरोजा तथा तारपीन फैक्टरी, तिलवारा, के श्रमिकों द्वारा विषम समय में उपयोग हो रहा था (जनवरी 1979 से), एक झोपड़ी इसके मई 1977 में अधि-प्राप्ति से ही असंयोजित पड़ी थी (मार्च 1980)।

(स) विपणन

(i) विक्रय दरों के पुनरीक्षण में देरी

शारदा और गोला नदियों से बजरी, बालू, बोल्डर, चूनापत्थर इत्यादि जैसे लघु खनिज को निकालने हेतु (वन विभाग से 1975 में 5 वर्ष के पट्ट के अन्तर्गत) कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा देय रायल्टी की दरें राज्य सरकार द्वारा (दिनांक 25 अप्रैल 1978 की अधिसूचना द्वारा) 1 मई 1978 से बढ़ा दी गयीं। इन खनिजों के बिक्रय दरों में तदनुसार वृद्धि 19 जुलाई 1978 से प्रभाव में लाई गयीं जिनके परिणामस्वरूप निजी पार्टियों को बिक्री पर 1.17 लाख रुपये की हानि हुई। प्रबन्धकों ने बताया (जून 1979) कि उनको बढ़ोत्तरी की जानकारी वन विभाग द्वारा बढ़े हुये दर पर रायल्टी के दावे की प्राप्ति के बाद ही हुई, और दावे को माफ करने की स्वीकृति राज्य सरकार से मांगी गई थी, निर्णय की प्रतीक्षा है (मार्च 1980)।

(ii) बिक्रय अभिकरण (सेल्स एजेन्सी)

चीनी मिलों तथा बिक्रय अभिकर्ता के बीच अनुबंध (जुलाई 1978) में दिये गये दरों पर बुन्देलखण्ड विकास निगम के बिक्रय अभिकर्ता ललितपुर की एक फर्म को 2,382 कुन्तल चीनी माधोगढ़ और 958 कुन्तल चीनी राठ चीनी मिलों से 25 अगस्त 1978 तक उठानी थी। स्टाक उठाने में असफल रहने पर बिक्रय अभिकर्ता की 0.60 लाख रुपये की जमानत की धनराशि (माधोगढ़: 0.40 लाख रुपये और राठ: 0.20 लाख रुपये) जब्त होनी थी। फर्म द्वारा नहीं उठाई गयी 510 कुन्तल चीनी की मात्रा (माधोगढ़ में 66 कुन्तल और राठ में 444 कुन्तल) को 0.23 लाख रुपये के घाटे पर अक्तूबर 1978 से जुलाई 1979 की अवधि के दौरान कम दरों पर बेचा गया। यद्यपि बिक्रय अभिकर्ता से हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी आपूर्तियां पूर्ण भुगतान अग्रिम के रूप में प्राप्त होने पर ही करनी थीं; राठ में 14 अगस्त 1978 की (110 कुन्तल) तथा माधोगढ़ में 15 अगस्त 1978 की (1,069 कुन्तल) अंतिम सुपुर्दगी के विरुद्ध फर्म से प्राप्त राशि जमानत की धनराशि से समायोजित कर दी गई। इस प्रकार फर्म द्वारा चीनी की शेष मात्रा उठाने में असफल होने पर जमानत की राशि जब्त नहीं हो सकी।

बुन्देलखण्ड विकास निगम के प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1980) कि फर्म से 0.37 लाख रुपये (ब्याज, दंड तथा अन्य व्यय के 0.14 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए) की वसूली हेतु एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था (अक्तूबर 1979)। इस चूक का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया गया है (मार्च 1980)।

4.10. आंतरिक लेखापरीक्षा

जबकि पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की एक फर्म को आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है अन्य किसी भी कम्पनी ने आन्तरिक लेखापरीक्षा की उचित प्रणाली नहीं

अपनाई है । गढ़वाल मण्डल विकास निगम में आन्तरिक लेखा परीक्षा के निमित्त दो कर्मचारी मुख्य तौर पर, कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा हस्तान्तरित इकाइयों की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन तथा लेखाओं के समाधान में लगे रहे। बुन्देलखण्ड विकास निगम में एक आन्तरिक लेखा परीक्षक है जो मुख्यालय पर रोजनामचे तथा भुगतान की जांच परीक्षा करता है ।

4.11. सहायक कम्पनियां

(i) प्रस्तावना

टेलीट्रानिक्स लिमिटेड, भीमताल (नैनीताल), ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड, काठ गोदाम (नैनीताल), नार्दन इलैक्ट्रिक इक्विपमेंट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोटद्वार (परिसमापन में) तथा कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल, कुमायूं मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनियां हैं जबकि गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, देहरादून, गढ़वाल मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी है ।

इन कम्पनियों (नार्दन इलैक्ट्रिक इक्विपमेंट इन्डस्ट्रीज लिमिटड, कोटद्वार को छोड़ कर) के निगमन की तिथियां, 31 मार्च 1979 को उनकी प्रदत्त पूंजी, फैक्टरियों को चालू किये जाने या निर्माण केंद्रों के खोले जाने की तिथियां के ब्योरे निम्न हैं :

सहायक कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	31 मार्च 1979 को प्रदत्त पूंजी				चालू किये जाने/ खोले जाने की तिथि
		प्रधान कम्पनी	राज्य सरकार	अन्य	योग	
		(लाख रुपयों में)				
अ—फैक्टरियां						
टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	नवम्बर 1973	5.50	..	0.29	5.79	अगस्त 1975
ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड	नवम्बर 1973	7.65	..	0.44	8.09	अक्तूबर 1976
ब—निर्माण केन्द्र						
कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुअजविनि)	जून 1975	14.00	11.00	..	25.00	जनवरी 1976 (पश्मीना शाल-मुंशियारी) जनवरी 1978 (गलीचे—दीदी हाट)
गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गअजविनि)	जून 1975	12.00	8.00	..	20.00	जनवरी 1977 (गलीचे-चिनका) मार्च 1978 (गलीचे—परसरी)

(ii) फैक्टरियां

(क) कार्य परिणाम एवं वित्तीय स्थिति

टेलोट्रानिक्स लिमिटेड की स्थापना टेलीविजन सेटों एवं अन्य विद्युत उपकरणों (बैटरी चार्जरों और एलीमिनेटरों) के निर्माण/संयोजन के मुख्य उद्देश्य से हुई थी । ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड अल्यु-

मिनियम एवं स्टील युक्त (ए सी एन आर) तथा कुल अल्यूमिनियम (ए ए सी) कन्डक्टरों के निर्माण के लिए स्थापित हुई थी। 1978–79 के अन्त में टेलीट्रानिक्स लिमिटेड में एकत्रित हानि की राशि 8.22 लाख रुपये तथा ट्रान्सकेबुल्स की 7.54 लाख रुपये थी।

निम्न तालिका, टेलीट्रानिक्स लिमिटेड तथा ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड की 1978–79 तक बड़े शीर्षकों में तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति को संक्षेप में दर्शाती है :

	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड			ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड		
	1976–77	1977–78	1978–79 (अनन्तिम)	1976–77	1977–78	1978–79 (अनन्तिम)
	(रुपये लाखों में)					
दायित्व						
(क) प्रदत्त पूंजी	3.24	5.79	5.79	3.94	8.09**	8.09
(ख) संचित और अधिशेष	..	..	..	..	1.60**	1.61**
(ग) उधार (नकद साख को सम्मिलित करते हुए)	11.28	10.72	15.90	15.40	14.55	52.10
(घ) व्यापारिक देनदारियां और दूसरे दायित्व (प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए)	0.94	0.06	1.04	0.93	0.19	3.05
योग	15.46	16.57	22.73	20.27	24.43	64.85
परिसम्पत्तियां						
(क) सकल अचल परिसम्पत्तियां	4.75	4.76	5.06	13.76	13.79	15.59
घटाइये–ह्रास	0.87	1.28	1.67	1.35	2.61	3.75
(ख) शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	3.88	3.48	3.39	12.41	11.18	11.84
(ग) चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम	9.32	8.30	11.08	5.21	5.46	45.35
(घ) अदृश्य परिसम्पत्तियां						
(i) प्रकीर्ण व्यय	0.06	0.05	0,04	0.08	0.07	0.12
(ii) एकत्रित हानियां	2.20	4.74	8.22	2.57	7.72	7.54
योग	15.46	16.57	22.73	20.27	24.43	64.85
नियोजित पूंजी	12.26	11.72	13.43	16.69	16.45	54.14
शुद्ध मूल्य	0.98	1.00	(–)2.47	1.29	1.90	2.04

टिप्पणी (i) नियोजित पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के योग को दर्शाती है।

(ii) शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी व संचित व अधिशेष के योग से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटा कर निकाला गया है।

**भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32(अ) के अन्तर्गत इनवेस्टमेंट एलाउंस रिजर्व को दर्शाते हैं।

(ख) क्षमता का कम उपयोग

दोनों कम्पनियों के मामलों में घाटे, प्रधानत: क्षमता के कम उपयोग के कारण थे, जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है :

कम्पनी का नाम	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन		
		1976–77	1977–78	1978–79
टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	7,500 बैटरी चार्जर/ एलीमिनेटर या 5,000 टी बी सेट	565 ‡ (7.53)	689 ‡ (9.19)	345* ‡ (4.60)
ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड	3,000 किलोमीटर कन्डक्टर	479 ‡ (15.97)	961 ‡ (32.03)	1,627 ‡ (54.23)

(iii) निर्माण केन्द्र

दो अनुसूचित जनजाति विकास निगम मुख्यत: कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के उद्देश्य से स्थापित हुई थीं। कम स्तर पर कार्यकलाप के कारण 1978–79 के अंत में कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की 24 लाख रुपये (96 प्रतिशत) और गढ़वाल अनुसूचित जनजाति की 18.50 लाख रुपये (92.50 प्रतिशत) की प्रदत्त पूंजी बैंकों के सावधि निक्षेप में विनियोजित कर दी गई थी।

प्रबन्धकों द्वारा, टेलीट्रानिक्स लिमिटेड में उत्पादन की कमी का कारण, पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल व पुर्जों की अनुपलब्धता तथा समय से धन का उपलब्ध न होना बताया गया (जून 1979)। ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड के संबंध में प्रबंधकों ने उत्पादन में कमी का कारण आवश्यक मात्रा में अल्यूमीनियम के कच्चे माल की अनुपलब्धता बताया (मई 1979)।

1977–78 तक के दो वर्षों की अवधि के दौरान कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम तथा गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम को प्राप्त 4.67 लाख रुपये और 9.67 लाख रुपये के अनुदान में से क्रमश: मई 1979 तथा जुलाई 1979 तक मात्र 1.71 लाख रुपये और 2.05 लाख रुपय उपयोग में लाए गए।

अनुदान का 1976–77 से धीमी गति से उपयोग का कारण, कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा, अनुदान वितरित करने के लिये, जिसके लिये कम्पनी केवल अभिकर्ता के रूप में काम करती थी, संबंधित जनपदों के हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों से अपर्याप्त संख्या में आवेदन पत्रों का प्राप्त होना या आवेदन पत्रों का प्राप्त न होना बताया गया (जून 1979)। परन्तु, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रबंधकों ने बताया (जुलाई 1979) कि सरकार द्वारा कम्पनी के निदेशक मण्डल गठित करने में विलम्ब के कारण आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

(iv) अन्य रोचक विषय

बिक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति

बिहार राज्य विद्युत् परिषद् (बी एस इ बी) से बिक्रय आदेश प्राप्त करने के लिये 2 प्रतिशत कमीशन पर ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड ने पटना की एक फर्म को 10 दिसम्बर 1977 को अपना बिक्रय

‡–कोष्ठ में दर्शायी गई संख्यायें स्थापित क्षमता पर वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत इंगित करती हैं।

*इस में 135 बैटरी चार्जर के बराबर 90 टी वी सेट सम्मिलित हैं।

तथा सम्पर्क अभिकर्ता नियुक्त किया। बिहार राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विश्व निविदा (आईडीए) आमंत्रण के उत्तर में कम्पनी ने उक्त अभिकर्ता की सलाह पर 1,250 रुपये प्रति किलो मीटर की दर से कन्डक्टर की आपूर्ति की निविदा प्रस्तुत की और इस सहायक कम्पनी को अगस्त 1978 में 3,450 किलो मीटर कन्डक्टर आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त हुआ। इस आदेश के लिये अभिकर्ता को 0.86 लाख रुपये का कमीशन दिया गया।

अभिकरण (एजेन्सी) के लिये प्रतियोगी दरें और शर्तें प्राप्त करने के दृष्टिकोण से विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन नहीं दिया गया। यह नियुक्ति निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 1978 के पूर्व अल्प समय में ही जल्दबाजी में की गई। अभिकर्ता द्वारा बाद में कम्पनी के लिये और कोई आदेश नहीं प्राप्त किया गया। प्रबन्धकों ने बताया कि अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया क्योंकि उक्त फर्म बिहार के केबुल और कन्डक्टर उद्योग व्यापार में सबसे बड़ी वितरक और विक्रय अभिकर्ता बताई जाती थी। यह भी बताया गया कि बिना उनकी मदद से यह आदेश प्राप्त करना संभव नहीं था।

इन मामलों को सरकार/प्रबन्धकों के ध्यान में अक्तूबर 1979 में लाया गया, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम तथा गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम को छोड़कर शेष से उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1980)।

4.12. निष्कर्ष

(i) 3 क्षेत्रीय विकास निगमों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के पोषण के लिये स्थापित (तराई क्षेत्र) के अतिरिक्त क्रिया कलाप के क्षेत्र में निश्चित विभाजक रेखा खींचने या तीव्र आर्थिक विकास के उन्हीं मूल उद्देश्यों हेतु काय करने वाली बड़ी संख्या में वर्तमान एजेन्सियों-सरकारी विभाग, बैंक और वित्तीय संस्थाय और राज्य सरकार की अन्य कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित किये बिना समस्त प्रकार के विकासमान कार्य कलापों को करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में 8 कम्पनियां स्थापित की गईं।

(ii) इन कम्पनियों में से किसी ने भी संयुक्त योजनायें (सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर) नहीं तैयार कीं, और पिछड़े क्षेत्र की कम्पनियों का प्रबन्ध मण्डलीय उप विकास आयुक्त के द्वारा अंशकालिक प्रबन्ध निदेशक के रूप में किया जा रहा है।

(iii) तीन कम्पनियों के मामले में, कुल प्रदत्त पूंजी (245.80 लाख रुपये) में से 121.37 लाख रुपया (49.4 प्रतिशत) सावधि निक्षेप में विनियोजित था (मार्च 1979)। अनुसूचित जनजातियों के हितों के उत्थान के लिए स्थापित एक दूसरी कम्पनी, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम ने अपनी सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी (5 लाख रुपये) और ब्याज रहित ऋण (25 लाख रुपये) सावधि निक्षेप में रखी थी।

(iv) पूर्वांचल विकास निगम तथा बुन्देलखण्ड विकास निगम, 1978–79 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक में घाटा उठाती रहीं और क्रमशः 23.82 लाख रुपये और 31.72 लाख रुपये की हानियां एकत्र कर चुकी थीं। गढ़वाल मण्डल विकास निगम की एकत्रित हानि 0.89 लाख रुपये थी। 1978–79 में 2 चीनी मिलों के बंद किए जाने से पूर्वांचल विकास निगम के कार्य कलाप कम हो गये।

(v) कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को हस्तान्तरित (अक्तूबर 1976) 14 इकाइयों की परिसम्पत्तियों को, लेखे में दर्शित 34.38 लाख रुपये मूल्य के विरुद्ध गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने 29.78 लाख रुपये के मूल्य की स्वीकृति दी (मई 1979)। विवादान्तर्गत 4.60 लाख रुपये की शेष धनराशि का समाधान होना है।

(vi) तिवारा (गढ़वाल मण्डल विकास निगम) और चम्पावत (कुमायूं मण्डल विकास निगम) ने अप्रैल/जुलाई 1978 में स्थापित बिरोजा तथा तारपीन की दो फैक्टरियों में प्रक्रिय

हानि और कम प्राप्ति (लो ईल्ड) 5.35 लाख रुपये की आंकी गयी (1978–79)। तिलवारा में भंडारण के 453 कुन्तल लीसा के स्टाक में से 0.56 लाख रुपये मूल्य का 225 कुन्तल स्टाक पूरी तरह नष्ट पाया गया।

(vii) चारों लघु चीनी मिलें (पूविनि और बुविनि) स्थापित क्षमता से कम पर चलीं, चीनी की प्राप्ति का प्रतिशत मानक से कम रहा और कम प्राप्ति के कारण 7.04 लाख रुपये की हानि आंकी गयी; इन मिलों में उत्पादन लागत प्राप्य मूल्य से अधिक रही, जिसके फलस्वरूप 24.03 लाख रुपये की हानि हुई (पूविनि : 5.83 लाख रुपये और बुविनि: 18.20 लाख रुपये)।

(viii) सुदर (ललितपुर) और पाली (झांसी) की दो ईंटों के भट्ठे की इकाइयों (बुविनि) ने 1978–79 तक 3 वर्षों के दौरान 1.72 लाख रुपये की (अनन्तिम) धनराशि का घाटा उठाया।

(ix) बिजोली (झांसी) में 1976 में 2.18 लाख रुपये की लागत से स्थापित पत्थर तोड़ने की इकाई (बुविनि) में 2.42 लाख रुपये की हानि हुई (मार्च 1979)।

(x) राज्य सरकार द्वारा रायल्टी की दर में वृद्धि (1 मई 1978) के बाद बजरी, बालू, बोल्डर, चूना-पत्थर इत्यादि के बिक्रय दरों का देर से पुनरीक्षण करने के कारण कुमायूं मण्डल विकास निगम को 1.17 लाख रुपये की हानि हुई।

(xi) टेलीट्रानिक्स लिमिटेड और ट्रान्सकेबुल्स लिमिटड (सहायक कम्पनियां) की क्रमशः 5.79 लाख रुपये और 8.09 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध 31 मार्च 1979 को एकत्रित हानियां 8.22 लाख रुपये तथा 7.54 लाख रुपये थीं।

(xii) कम स्तर पर कार्य कलाप के कारण कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की 24 लाख रुपये (96 प्रतिशत) और गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम की 18.50 लाख रुपये (92.50 प्रतिशत) की प्रदत्त पूंजी बैंको के सावधि निक्षेपों में विनियोजित थी। इन कम्पनियों द्वारा प्राप्त (1976–77 और 1977–78) 14.34 लाख रुपये के अनुदान में से मई/जुलाई 1979 तक उनके द्वारा मात्र 3.76 लाख रुपये (26 प्रतिशत) का उपयोग हुआ था।

अनुभाग V

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड

5.01. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा एव विद्युत् करघा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी के रूप में 9 जनवरी 1973 को निगमति की गयी एवं 22 जनवरी 1973 से इसने व्यवसाय प्रारम्भ किया। इस कम्पनी का नाम 20 दिसम्बर 1977 को बदल कर उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड कर दिया गया।

कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) नये व पहले से चले आ रहे हथकरघों व विद्युत् करघों का विकास व उनकी सहायता करना अथवा उनकी स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करना,

(ii) हथकरघा व विद्युत् करघा उद्योग के विकास के लिये उपक्रमों का प्रबन्ध, स्थापना व उनका परिचालन,

(iii) हथकरघा व विद्युत् करघा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक, तकनीकी, विपणन सम्बन्धी व किसी अन्य तरह की सहायता प्रदान करना,

(iv) इस उद्योग द्वारा वांछित समस्त मशीनों,कल पुर्जो व कच्चा माल का क्रय-विक्रय, निर्माण व लेन-देन करना,

(v) रंगाई व डिजाइन केन्द्रों, रेशों, तन्तुओं व वस्त्रों की विन्यास इकाईयों, छपाई इकाईयों आदि की स्थापना।

कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व की तीन सहायक कम्पनियां हैं जिनका निगमन सरकार की अनुमति के बिना, जैसा कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के अनुच्छेद 126 में वांछित है, किया गया :

नाम	निगमन की तिथि	अधिकृत पूंजी (लाख रुपयों में)	प्रदत्त पूंजी
उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर	5 दिसम्बर 1975	200.00	16.00
हैन्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर व बस्ती) लिमिटेड, गोरखपुर	26 मई 1976	100.00	3.00
हैन्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड, कानपुर	14 सितम्बर 1976	5.00	2.00

दिसम्बर 1977 में निदेशक मण्डल ने व्यय में मितव्ययिता लाने के विचार से सभी सहायक कम्पनियों को कम्पनी में समामेलित कर लेने का निर्णय लिया। तद्नुसार सरकार को अवगत कराया गया (दिसम्बर 1977)। मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

5.02. संगठनात्मक व्यवस्था

कम्पनी का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक व दस अन्य निदेशक, जिनमें से छः सरकारी कर्मचारी हैं (दिसम्बर 1979)। प्रबन्ध निदेशक मुख्य प्रशासक है जिसकी सहायता एक सामान्य प्रबन्धक, सचिव व वित्त प्रबन्धक एवं विभिन्न विभागों के प्रधान करते हैं। प्रबन्ध निदेशक तीन सहायक कम्पनियों के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करता है।

5.03. पूंजी संरचना

कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी 500 लाख रुपये है। कम्पनी की 31 मार्च 1979 को 354 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी थी जो पूर्णतया सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। कम्पनी ने सरकार से विभिन्न निश्चित प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न ब्याज की दरों पर (9 से 14.5 प्रतिशत), मूलधन की किस्तों को समय से भुगतान करने के लिए 3.5 से 8 प्रतिशत की छूट के साथ, ऋण (424.97 लाख रुपये) प्राप्त किये।

वर्ष	ऋण की धनराशि (लाख रुपयों में)
1976–77	22.87
1977–78	102.00
1978–79	300.10
योग	424.97

कम्पनी ने मूलधन की किस्तों का नियत तिथि पर भुगतान नहीं किया (31 मार्च 1978 को रुपये 70 लाख अधिदेय) जिससे मार्च 1978 तक छूट के जब्त होने के कारण कम्पनी रुपये 3.81 लाख के परिहार्य दायित्व में पड़ गयी।

5.04. राज सहायता और अनुदान

(क) कम्पनी ने नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के लिए राज्य सरकार से 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान 503.01 लाख रुपये की राज सहायता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने 284.08 लाख रुपये विभिन्न निश्चित प्रयोजनों के लिये अनुदान प्राप्त किया, जिसमें से 75.54 लाख रुपये (26.6 प्रतिशत) उपयोग किये गये, जिसका विवरण निम्न है :

वर्ष	अनुदान की धनराशि	उपयोग की धनराशि (लाख रुपयों में)
1974–75	2.47	0.68*
1976–77	15.94	5.08
1977–78	34.86	11.80
1978–79	230.81	57.98**
योग	284.08	75.54

*रुपये 1.67 लाख 31 मार्च 1979 तक वापस।

**अनन्तिम।

(ख) जनवरी 1979 में राज्य सरकार ने कम्पनी को राज्य के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के बुनकरों में वितरण हेतु 237 लाख रुपये (50 प्रतिशत ऋण के रूप में व 50 प्रतिशत अनुदान) एक केन्द्रीय बाढ़ सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए। सहायता (50 प्रतिशत ऋण व 50 प्रतिशत अनुदान) उन्हीं बुनकरों को दी जानी थी जिनके कम्पनी या बैंकों में खाते थे। सहायता कच्चे माल के रूप में, न कि नकद धनराशि के रूप में, वितरित की जानी थी। ऋण पांच समान वार्षिक किश्तों में समय से भुगतान करने पर छूट (3.5 प्रतिशत) के साथ 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर था।

निदेशक, हथकरघा उत्तर प्रदेश की स्वीकृतियों के विरुद्ध वितरण के लिये रुपये 70.84 लाख की धनराशि (अनुदान अंश) दिसम्बर 1979 तक क्षेत्रीय अधिकारियों को भेजी गयी थी। 70.84 लाख रुपये के भुगतान का विवरण क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 1980)। ऋण के रूप में कोई धनराशि वितरित नहीं की गयी क्योंकि कम्पनी के क्षेत्रीय अधिकारियों व हथकरघा निदेशालय ने बताया (मार्च 1979) कि ऋण की स्वीकृत राशि अत्यन्त कम थी और बुनकरों की इसमें रुचि नहीं थी। ऋण के रूप में प्राप्त 118.50 लाख रुपये ब्याज सहित (4.87 लाख रुपये) अक्टूबर 1979 में कम्पनी द्वारा वापस कर दिए गए।

5.05. वित्तीय स्थिति

कम्पनी के वर्ष 1978–79 के लेखे बकाये में हैं (अगस्त 1980)। निम्न सारिणी में कम्पनी की 1977–78 तक के तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति संक्षेप में दी गई है :

	1975–76	1976–77	1977–78
	(लाख रुपयों में)		
अ––दायित्व			
प्रदत्त पूंजी	75.10	124.10	254.10
संचित एवं आधिक्य	..	0.07	2.50
उधार (बारोइंग्स)	70.00	110.78	250.90
व्यापारिक देनदारियां एवं अन्य चालू दायित्व (प्राविधानों सहित)	29.83	85.81	277.28
योग	174.93	320.76	784.78
ब––परिसम्पत्तियां			
सकल अचल सम्पत्तियां	1.09	8.38	24.58
घटाइये––ह्रास	0.29	1.20	3.74
शुद्ध अचल सम्पत्तियां	0.80	7.18	20.84
पूंजीगत कार्य प्रगति में	..	..	10.12
विनियोग	0.38	21.01	21.01
चालू सम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	170.34	290.48	732.24
अदृश्य परिसम्पत्तियां-			
प्रकीर्ण व्यय	0.57	0.49	0.57
संचित हानि	2.84	1.60	..
योग	174.93	320.76	784.78
नियोजित पूंजी	141.31	211.85	475.80
शुद्ध मूल्य	71.69	122.08	256.03

टिप्पणी : 1. नियोजित पूंजी शुद्ध अचल सम्पत्ति (पूंजीगत कार्य जो प्रगति में है को छोड़ कर) एवं कार्यशील पूंजी के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

2. शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी व संचय के जोड़ में से अदृश्य सम्पत्ति घटा कर निकाला गया है।

5.06. कार्यकलापों का परिणाम

निम्नलिखित सारिणी कम्पनी के 1977-78 तक के तीन वर्षों के कार्यकलापों के परिणाम को संक्षेप में प्रदर्शित करती है :

	1975–76	1976–77	1977–78
		(लाख रुपयों में)	
आय			
विक्रय	19.67	61.02	591.26
व्याज	5.56	10.74	6.23
कच्चा माल/संपत्ति के विक्रय पर लाभ	..	0.10	0.89
कमीशन व विविध प्राप्तियां	0.07	0.03	1.21
अनुदान एवं राज सहायता	0.12	15.38	180.43
योग	25.42	87.27	780.02
व्यय			
उपभुक्त कच्चा माल व तैयार माल आदि पर व्यय	17.24	64.44	652.10
वेतन व मजदूरी	3.49	5.78	34.97
ऋण पर व्याज	2.79	4.84	12.08
अनुदान के विरुद्ध व्यय	0.12	5.08	11.80
विविध व्यय	2.41	5.89	57.02
योग	26.05	86.03	767.97
लाभ (+) /हानि (–)	(–) 0.63	(+) 1.24	(+) 12.05

5.07. क्रय

(क) क्रय प्रक्रिया

1977–78 तक के तीन वर्षों के दौरान क्रय की मात्रा निम्न प्रकार थी :

	1975–76	1976–77	1977–78
		(लाख रुपयों में)	
वस्त्र (नियंत्रित वस्त्रों को छोड़ कर)	12.03	22.23	59.67
सिल्क धागा	3.60	5.20	3.92
सूती धागा	1.49	41.32	187.58
रंग एवं रसायन	0.10	0.39	0.20
योग	17.22	69.14	251.37

जून 1976 के पूर्व कोटेशन आदि प्राप्त किये बिना मौके पर क्रय करने के लिये अधिकारियों को अग्रिम दिये जाते थे। जून 1976 में कम्पनी द्वारा निर्धारित क्रिया विधि में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न बातों का प्राविधान था :

(i) विभिन्न स्तरों पर क्रय समिति का गठन,

(ii) मुख्य कार्यालय, गोरखपुर में मांग पत्रों की प्राप्ति तथा उनकी छानबीन के बाद ही क्रय किया जाना, और

(iii) जहां तक संभव हो क्रयों को केन्द्रीय भंडार, कानपुर से होकर गुजारना।

परन्तु इन आदेशों का पालन जुलाई 1978 तक नहीं किया गया तथा पुरानी प्रथा ही चालू रही। दो वर्षों के ऊपर तक प्रक्रिया के पालन न करने के कारण उपलब्ध नहीं थे।

(ख) आवश्यकता से अधिक क्रय

वाराणसी के बुनकरों को उचित मूल्य पर सिल्क धागों की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिये निदेशक मंडल ने वाराणसी में सिल्क धागों के विपणन के लिये एक विक्रय डिपो की स्थापना अनुमोदित की (जुलाई 1973)। निदेशक मंडल ने उत्पादकों से सिल्क धागे (50,000 किलोग्राम) के थोक क्रय हेतु शर्तों पर बातचीत करने व उनको अन्तिम रूप देने के लिये प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया। निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित योजना में 135 लाख रुपये की वार्षिक बिक्री (टर्न ओवर) और 35 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी (बैंक से उधार के रूप में 28 लाख रुपये व कम्पनी के आन्तरिक श्रोतों द्वारा 7 लाख रुपये) का प्राविधान था। इसमें 8.63 लाख रुपये का वार्षिक लाभ आंका गया था।

विक्रय डिपो ने 11 अगस्त 1973 से व्यवसाय प्रारम्भ किया। सितम्बर 1973 में अध्यक्ष ने निदेशक मण्डल को सूचित किया कि प्रबन्ध निदेशक व डिपो प्रबन्धक ने खुले बाजार में 60 लाख रुपये के मूल्य के सिल्क धागे की खरीद की, जो कि निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित एक महीने की क्रय मात्रा से अधिक था। उन्होंने यह भी बताया कि मूल्यों में गिरावट के कारण सौदे में भारी हानि होगी।

भारी स्टाक के सफाया करने के लिये धागे को लागत मूल्य से कम पर बेचने का निर्णय लिया गया (दिसम्बर 1973)। उस समय की कीमतों के आधार पर प्रबन्ध निदेशक ने 6.90 लाख रुपये की हानि आंकी थी, जैसा कि सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 1973)। सम्पूर्ण स्टाक जनवरी 1974 से मार्च 1979 तक निस्तारित कर दिया गया परन्तु वास्तविक हानि अभी तक नहीं आंकी गयी है (मार्च 1980)।

(ग) सिल्क धागे की खरीद में अनियमितताएं

एक डिपो प्रबन्धक द्वारा 4.97 लाख रुपये का सिल्क धागा स्वीकृत किया गया और इसका भुगतान भी कर दिया गया (जुलाई–सितम्बर 1973), यद्यपि इसके लिये कोई क्रयादेश नहीं दिया गया था। एक डिपो प्रबन्धक, जिसे क्रयादेश देने का अधिकार नहीं था, के तार आदेश के आधार पर 5.78 लाख रुपये मूल्य का सिल्क धागा प्राप्त हुआ (जुलाई–सितम्बर 1973)। एक अन्य मामले में उसी डिपो प्रबन्धक पर एक फर्म से, जिसे कम्पनी द्वारा और अधिक स्टाक एकत्र होने से बचाने के लिये माल प्रेषित न किये जाने का निर्देश दिया गया था, से प्राप्त माल (मूल्य 0.37 लाख रुपये) की स्वीकृति हेतु बीजक की तिथि बदलने (सितम्बर 1973) का आरोप है। डिपो प्रबन्धक की सेवायें नवम्बर 1973 में समाप्त हो गयीं थीं।

(घ) क्रय किये हुये माल का परीक्षण

दिसम्बर 1977 तक, जब कि कम्पनी में केन्द्रीय भंडार में एक परीक्षण अनुभाग स्थापित हुआ, कम्पनी के पास क्रय किए हुए रेशों के परीक्षण हेतु कोई सुविधा नहीं थी। परीक्षण अनुभाग के अभिलेखों की जांच परीक्षा (अप्रैल 1979) में यह पाया गया कि दिसम्बर 1977 से मार्च 1979 तक 2.85 लाख रुपये के वस्त्र परीक्षण में दोषयुक्त पाये गये थे। परन्तु दोषयुक्त खरीद के लिये जिम्मेदारी निश्चित नहीं की गई।

(ङ) बिचौलियों का असमाप्तिकरण

राज्य में सम्पूर्ण हथकरघा एवं विद्युत करघा उद्योग की समीक्षा के लिये सरकार द्वारा नियुक्त (अप्रैल 1972) एक व्यक्ति जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन (अक्टूबर 1972) में बुनकरों को शोषण से बचाने के लिये हथकरघा व्यवसाय में बिचौलियों की समाप्ति की आवश्यकता पर जोर दिया था। यह कम्पनी की स्थापना के प्रधान उद्देश्य में से एक था।

तथापि निम्न सारणी से यह देखा जायेगा कि कम्पनी द्वारा वस्त्रों का थोक क्रय व्यापारियों के माध्यम से किया गया :

	बुनकरों/सह-कारी समितियों से	व्यवसायियों व व्यापारियों से	योग
		(लाख रुपयों में)	
1974–75	0.22	..	0.22
1975–76	9.80	2.23	12.03
1976–77	13.05	9.18	22.23
1977–78	12.96	46.71	59.67
योग	36.03	58.12	94.15

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1980) कि 1977–78 में क्रय में तीव्र वृद्धि नये प्रदर्शन कक्षों के खोलने की विस्तार योजना के कारण और अन्य अभिकरणों के माध्यम से बिक्री बढ़ोत्तरी और प्रदर्शनियों के आयोजन आदि के कारण थी।

5.08. विक्रय

(क) मूल्य नीति

कम्पनी के पास दिसम्बर 1976 तक स्पष्ट मूल्य नीति नहीं थी जब उसने अधिप्राप्ति की लागत पर 10 प्रतिशत (ऊपरी व्यय के रूप में) का समान मार्जिन जोड़ने का निर्णय लिया। विक्रय डिपो स्थानान्तरित मूल्य पर 20 प्रतिशत (लाभ मार्जिन के रूप में) और अधिक जोड़ने के लिये अपेक्षित थे। ये आदेश नियन्त्रित कपड़ों पर लागू नहीं थे।

(ख) विक्रय के लिये व्यवस्था

कम्पनी की बिक्री विभिन्न फुटकर डिपों, कानपुर में एक थोक डिपो और राज्य के बाहर एवं भीतर अनुमोदित अभिकर्ताओं के माध्यम से व्यवस्थित होती है। कम्पनी प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है और अन्य अभिकरणों द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनियों में भाग लेती है।

निम्न सारणी 1977–78 तक के तीन वर्षों के दौरान क्रय, विक्रय व अन्तिम रहतिये की तुलनात्मक स्थिति इंगित करती है :

	1975–76	1976–77	1977–78
		(लाख रुपयों में)	
1. हथकरघा वस्त्र			
प्रारम्भिक रहतिया	0.15	3.65	34.29
क्रय	12.03	62.54*	552.82
विक्रय का मूल्य	8.53	31.90	473.96
अन्तिम रहतिया	3.65	34.29	113.15
2. सिल्क धागे			
प्रारम्भिक रहतिया	5.47	1.25	3.03
क्रय	3.60	5.20	3.92
विक्रय का मूल्य	7.82	3.42	2.62
अन्तिम रहतिया	1.25	3.03	4.33
3. रंग एवं रसायन			
प्रारम्भिक रहतिया	..	0.03	0.02
क्रय	0.03	..	0.04
विक्रय का मूल्य	..	0.01	0.04
अन्तिम रहतिया	0.03	0.02	0.02
4. सूती धागे			
प्रारम्भिक रहतिया	..	..	..
क्रय	..	22.54**	67.82
विक्रय का मूल्य	..	22 54	67.82
अन्तिम रहतिया	..	..	..

(ग) प्रदर्शन कक्षों का किराये पर लेना

मार्च 1979 के अन्त तक कम्पनी ने राज्य के भीतर और बाहर किराये के भवनों में 45 प्रदर्शन कक्षों की स्थापना की। लेखा परीक्षण के दौरान जानकारी में आया कि :

(i) 45 में से 19 मामलों में किराए के भवन मालिकों को कम्पनी का अभिकर्ता नियुक्त किया गया था और उनको देय कमीशन के विरुद्ध समायोजित होने वाला 4.17 लाख रुपया अग्रिम भुगतान किया गया।

---

*इसमें 1976–77 के 40.31 लाख रुपये तथा 1977–78 के 493.13 लाख रुपये के नियंत्रित कपड़े की खरीद सम्मिलित है।

**इसमें कच्चे माल के रूप में उपभुक्त सूती धागे (रुपए 18.79 लाख) सम्मिलित नहीं हैं।

(ii) तीन मामलों (बम्बई, कानपुर व दिल्ली) में मालिकों को देय कमीशन की न्यूनतम राशि गारंटी की गई थी, लेकिन अभिकर्ताओं ने बिक्री की कोई गारंटी नहीं दी। 1978–79 तक के दो वर्षों के दौरान भुगतान किया गया कमीशन तथा उनके द्वारा की गई बिक्री निम्न प्रकार थी :

	स्थापना तिथि	गारंटी किया गया न्यूनतम वार्षिक कमीशन	नियत कमीशन का प्रतिशत	गारंटी किये गये न्यूनतम कमीशन के लिये अपेक्षित बिक्री राशि	वास्तविक बिक्री	
					1977–78	1978–79
		(लाख रुपयों में)			(लाख रुपयों में)	
बम्बई पी० पी० एन० मार्केट,	अप्रैल 1977	1.20	4	30.00	7.08	12.64
कानपुर करोलबाग,	जून 1977	0.33	2	16.50	2.67	11.25
दिल्ली	नवम्बर 1976	0.38	4	9.50	2.26	1.58

गारंटी किये गये कमीशन के आधार पर 108 लाख रुपये के विरुद्ध दो वर्षों के दौरान वास्तविक बिक्री 37.48 लाख रुपये की थी। 3.74 लाख रुपये के गारंटी किये गये कमीशन के विरुद्ध वास्तविक बिक्री पर आधारित कमीशन 1.22 लाख रुपया होता।

(iii) कम्पनी ने दो मामलों (बम्बई और चण्डीगढ़) में कमीशन अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे मालिकों से जमानत राशि लेने के बजाय, अभिकरण समाप्ति पर वापस होने वाली 0.81 लाख रुपये (बम्बई: 0.60 लाख रुपये, चन्डीगढ़ :0.21 लाख रुपये) की राशि जमानत के रूप में अग्रिम भुगतान की। इसके अतिरिक्त, बम्बई के अभिकर्ता को 1.20 लाख रुपया एक वर्ष के कमीशन के रूप में अग्रिम दिया गया।

(घ) नियन्त्रित कपड़ों की एजेन्सी बिक्री

कम्पनी ने जून 1977 से नियंत्रित कपड़ों (जनता धोती/साड़ी) की एजेन्सी बिक्री का कार्य प्रारम्भ किया। कम्पनी ने 1977–78 के दौरान राज्य के भीतर 182 व्यक्तियों और 4 बहु-धन्धी समितियों तथा राज्य के बाहर चार व्यक्तियों सहित 190 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की। ये किसी आवदन पत्र आदि मांगे बिना चुने गये थे। अभिकर्ताओं को वस्त्र पर अंकित नियंत्रित मूल्य से संबंधित जनता धोतियों पर 6.25 प्रतिशत व जनता साड़ियों पर 7.5 प्रतिशत कमीशन मिलना था। अभिकर्ता आपूर्तियों के लिये पूर्व भुगतान के लिये और बिक्री का लेखा जोखा देने के लिये भी अपेक्षित थे। कम्पनी ने मार्च 1978 में इस योजना को इस आधार पर समाप्त कर दिया कि निजी व्यापारियों और अभिकर्ताओं की कार्यवाहियों के निरीक्षण व जांच के लिये इसके पास पर्याप्त व्यवस्था न थी।

(ङ) निर्यात बिक्रियां

अप्रैल 1977 में, कम्पनी ने सिंगापुर की एक फर्म से एकल विक्रय अभिकरण (सोल सेलिंग एजेंसी) के आधार पर छापी हुई सूती तौलियों, चादरों, इत्यादि के निर्यात के लिए एक अनुबंध (जो एक वर्ष के लिये वैध) किया। माल को 60 दिन की मांग/स्वीकृति की शर्त पर (अभिकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा पूर्व निरीक्षण के बाद) जहाज पर रवाना करना था। जून 1977 से फरवरी 1978 के दौरान कम्पनी ने पूर्व निरीक्षण बिना (जिसका कारण अभिलेखों में न था) 6.07 लाख रुपये मूल्य (एफ ओ बी) की हथकरघा वस्त्रों (तौलिया, चादरें इत्यादि) का परेषण जहाज से रवाना किया। माल एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन (इ सी जी सी) द्वारा विस्तृत जोखिम पालिसी में बीमा से भी

सुरक्षित (कवर) था। कम्पनी ने मार्च 1980 तक केवल 2.73 लाख रुपया प्राप्त किया। शेष धनराशि, फर्म ने घटिया माल होने की वजह से रोक लिया। बचा हुआ माल सिंगापुर की फर्म के पास पड़ा होना बताया गया।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1979) कि इ सी जी सी से एक दावा किया गया था (जुलाई 1978) जो अनुसरण किया जा रहा था।

(च) प्रदर्शनियों के माध्यम से बिक्री

निम्न सारणी प्रदर्शनियों की संख्या, जिनमें कम्पनी ने भाग लिया था (1976–77 से 1978–79 तक), बिक्री की सीमा, और कम्पनी द्वारा विशेषरूप से इस प्रयोजन के लिये किये गये व्यय इंगित करती है :

प्रदर्शनियों की कुल संख्या	1976–77	1977–78	1978–79
(क) कम्पनी द्वारा आयोजित	13	21	3
(ख) अन्य	2	9	26
		(लाख रुपयों में)	
किया गया कुल व्यय	2.16	5.82	5.30
की गई कुल बिक्री	4.04	16.02	29.95

इस संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं :

(i) वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में क्रमशः 13.80 लाख रुपये और 9.53 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं विभिन्न प्रदर्शनियों को भेजी गयी थीं। प्रदर्शनियों को भेजे गये माल और वहां से वापस प्राप्त हुए माल का समाधान अब भी प्रगति में है (मार्च 1980)। नवम्बर/दिसम्बर 1978 में दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी के अभिलेखों की परख जांच ने रहतिये में 0.62 लाख रुपये की कमियां प्रकट कीं।

(ii) प्रत्येक प्रदर्शनी के कार्यपरिणामों को दर्शाते हुए कोई लेखे तैयार नहीं किये गये।

(छ) प्रोत्साहन योजना

अक्तूबर 1976 में निदेशक मण्डल ने एक प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की। हर प्रदर्शन कक्ष के लिये लाभदायक बिन्दु (ब्रेकइवेन प्वाईंट) निकालना था। प्रत्येक प्रदर्शन कक्ष के लिये निकाले गये लाभदायक बिन्दु के आधार पर 20 प्रतिशत तक के आधिक्य (लाभदायक बिन्दु से ऊपर की बिक्री का) के लिये, बिक्री का 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत की दर से कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना था।

योजना का विवरण कम्पनी के एक अन्य निदेशक के परामर्श से प्रबन्ध निदेशक द्वारा तय करना था।

तथापि यह जानकारी में आया कि :

(i) प्रत्येक प्रदर्शन कक्ष के संबंध में कोई लाभ दायक बिन्दु नहीं निकाला गया (मार्च 1980)।

(ii) फरवरी 1978 से अगस्त 1979 तक कम्पनी ने अनियंत्रित कपड़ों की सकल बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से और नियंत्रित कपड़ों की सकल बिक्री पर 1/4 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन भुगतान किया। बिक्री की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई।

निदेशक मण्डल से पूर्वकालिक अवधि से इस व्यवस्था का अनुमोदन मार्च 1979 में प्राप्त किया गया। सितम्बर 1979 से योजना पुनरीक्षित की गई और माह में बिक्री पिछले छह माह के औसत से अधिक होने की दशा में ही प्रोत्साहन भुगतान योग्य है।

(ज) धोती एवं सूरे वस्त्रों की आपूर्ति

अगस्त 1974 में कम्पनी ने कानपुर की एक फर्म को 2,963 जोड़े धोती व 1.31 लाख मीटर बिना माड़ी के सूरे वस्त्रों (कुल मूल्य 2.98 लाख रुपये) की आपूर्ति का एक आदेश स्वीकार किया। फर्म को ठेके की शर्तों का दायित्व वहन करने के उद्देश्य से पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी देनी थी और सुपुर्दगी के विरुद्ध नकद भुगतान करना था। इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की गई और कम्पनी ने बाद की तिथियों वाली चैकों पर 2.98 लाख रुपये का माल निर्गत कर दिये गये और कम्पनी मात्र 0.35 लाख रुपये ही वसूल कर सकी (मार्च 1975)। शेष 1.13 लाख रुपये की धनराशि वसूल करने के लिये कम्पनी ने तीन वर्ष से अधिक के पश्चात् दीवानी मुकदमा दायर किया (जनवरी 1978) जो विचाराधीन था (मार्च 1980)।

5.09. माल एवं भण्डार नियन्त्रण

(क) कम्पनी ने न तो भण्डार लेखा मैनुअल तैयार किया है और न ही भण्डार के लेखे रखने का कोई तरीका निर्धारित किया (मार्च 1980)। कम्पनी में प्रोसेसिंग/बिक्री अभिकर्ताओं को निर्गत/भेजे हुये माल की स्वीकृति प्राप्ति का कोई विधान नहीं है और केन्द्रीय भण्डार से बिक्री केन्द्रों/प्रदर्शनियों के बीच हुये सौदों का समाधान नियमित रूप से नहीं किया जाता है। यह जानकारी में आया कि प्रदर्शन कक्षों को भेजे गये माल की प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है (मार्च 1980)।

(ख) केन्द्रीय भण्डार से 1977–78 तक विभिन्न प्रदर्शन कक्षों व प्रदर्शनियों को भेजे गये व वहां से केन्द्रीय भण्डार में आये माल के जुलाई 1979 में किए गए समाधान ने निम्न अधिकताएं/न्यूनताएं प्रकट की :

	न्यूनताएं	अधिकताएं
	(लाख रुपयों में)	
नियंत्रित वस्त्र	1.60	0.03
अनियंत्रित वस्त्र	0.46	0.17
योग	2.06	0.20

(ग) आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त माल के निरीक्षण में विलम्ब किया गया। यह जानकारी में आया कि दिसम्बर 1978 और मार्च 1979 के बीच प्राप्त परेषण जिनके लिये 5.87 लाख रुपये का भुगतान पेशगी तौर पर किया गया था मार्च 1980 में खोला/निरीक्षण किया गया।

(घ) भण्डार सत्यापन

1976–77 से पूर्व वर्षों के लिए यद्यपि भण्डार और रहतिए का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाता था, सत्यापन के परिणामस्वरूप पाई गई अधिकताओं और न्यूनताओं का विवरण उपलब्ध नहीं था। वर्ष 1976–77 से 1978–79 तक जानकारी में आई अधिकताएं और न्यूनताएं निम्न थीं :

वर्ष	अधिकताएं	न्यूनताएं
	(लाख रुपयों में)	
1976–77	0.13	0.14
1977–78	0.88	1.50
1978–79	3.09	3.80
योग	4.10	5.44

उपरोक्त अधिकताएं तथा न्यूनताएं समायोजित नहीं की गई हैं (मार्च 1980)। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं:

(i) नियन्त्रित कपड़ों के 2.40 लाख रुपये मूल्य के इटावा व फर्रुखाबाद के उत्पादन केन्द्रों से जनवरी व जून 1978 के दौरान प्राप्त परेषण केन्द्रीय भण्डार में लेखाबद्ध नहीं किया गया। लेखाबद्ध न किए जाने का मामला अगस्त 1978 में पता लगा और पुलिस को प्रतिवेदित किया गया (अक्तूबर 1978); पुलिस जांच का परिणाम प्रतीक्षित है (मार्च 1980)।

(ii) केन्द्रीय भण्डार, कानपुर में 0.16 लाख रुपये की कमी अप्रैल 1977 में जानकारी में आयी। भण्डारी, जो बिलकुल अनियमित था और मस्टर रोल पर भुगतान पाता था, ने कम्पनी की नौकरी मार्च 1977 में छोड़ दी। हानि का उत्तरदायित्व अभी भी नियत होना है (मार्च 1980)।

(ङ) बेकार/क्षतिग्रस्त माल

6.36 लाख रुपये मूल्य के बेकार और क्षतिग्रस्त माल आठ प्रदर्शन कक्षों में पड़े हुये थे (दिसम्बर 1979)। कम्पनी द्वारा नियुक्त (मार्च 1979) एक समिति ने 1.03 लाख रुपये की कुल छूट पर इन मदों के निस्तारण की संस्तुति की। वास्तविक निस्तारण के सम्बन्ध में विवरण प्रतीक्षित थे (मार्च 1980)। 37 प्रदर्शन कक्षों/बिक्री केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं थी (मार्च 1980)।

5.10. आन्तरिक सम्परीक्षा

कम्पनी ने अभी तक आन्तरिक सम्परीक्षा की कोई नियम पुस्तिका नहीं तैयार की है (मार्च 1980)। निदेशक मण्डल ने अप्रैल 1977 में आन्तरिक सम्परीक्षा के कार्य को चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की एक फर्म को 1,000 रुपये प्रति माह के निश्चित पारिश्रमिक तथा वाह्य यात्राओं के लिये आकस्मिक खर्च पर सौंपने का निर्णय लिया। फर्म ने अप्रैल 1977 में कार्य शुरू किया और 16 प्रदर्शन कक्षों तथा 2 उत्पादन केन्द्रों का निरीक्षण किया लेकिन अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था (मार्च 1980)। फर्म को आन्तरिक सम्परीक्षा के कार्य के लिये अब तक पारिश्रमिक के रूप में 12 हजार रुपये का भुगतान (तदर्थ आधार पर) किया गया था (दिसम्बर 1979)। इस प्रबन्ध को मार्च 1979 में समाप्त कर दिया गया। मुख्य लेखा निरीक्षक के अन्तर्गत एक आन्तरिक सम्परीक्षा सेल, प्रदर्शन कक्षों, केन्द्रीय भण्डार, उत्पादन केन्द्रों, मुख्यालय पर अभिकर्ता सेल आदि के अभिलेखों की जांच पड़ताल के लिए अप्रैल 1979 में स्थापित किया गया। लेकिन अपर्याप्त स्टाफ के कारण बहुत से प्रदर्शन कक्षों व केन्द्रों का मार्च 1980 तक निरीक्षण नहीं किया गया था।

5.11. अन्य रोचक विषय

(क) नियंत्रित कपड़े की कलेन्डरिंग

कम्पनी के पास कलेन्डरिंग की कोई सुविधा के अभाव में उत्पादन केन्द्रों पर उत्पादित/अधिप्राप्त हथकरघा वस्तुओं के सम्बन्ध में यह कार्य निजी फर्मों को सौंपा जाता है।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बातें उल्लेखनीय हैं:

(i) बिना प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव आमन्त्रित किये कार्य निजी फर्मों को (बातचीत के माध्यम से) 50 से 70 पैसे प्रति जोड़ा जनता धोती/साड़ी की दर पर सौंपा गया।

(ii) कलेन्डरिंग के लिये फर्मों को सुपुर्द किये गये वस्त्रों के लिए न तो कोई अनुबन्ध प्रतिपादित किया गया और न ही कोई प्रतिभूति ली गई।

(iii) फर्मों के पास पड़े भण्डारों का समाधान (मिलान) भी नहीं किया गया। भण्डार अभिलेखों की सम्परीक्षा में परख जांच (मई 1979) से निम्न त्रुटियां प्रकाश में आईं:

31 मार्च 1978 को कानपुर की फर्म 'अ' से प्राप्य 47,977 जोड़े जनता धोती/ साड़ी के विरुद्ध कम्पनी पुस्तकों में केवल 21,033 जोड़ों का शेष दिखाया गया।

मऊनाथ भंजन की फर्म 'ब' से प्राप्य 25,338 जोड़ों के शेष के विरुद्ध कम्पनी की पुस्तकों के अनुसार प्राप्य शेष शून्य था।

(ख) योजना के मुख्य उद्देश्यों से विचलन

कम्पनी उच्च किस्म के हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन के लिये निर्यातजन्य परियोजनाएं इटावा व फर्रुखाबाद में अगस्त 1976 से चला रही है। ये परियोजनाएं सितम्बर 1973 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति, जिसने अपना प्रतिवेदन जुलाई 1974 में दिया, की संस्तुति पर प्रारम्भ की गई।

मार्च 1979 तक कम्पनी ने राज्य सरकार से क्रमशः 30 लाख रुपये व 10 लाख रुपये के सुरक्षित ऋण व अनुदान प्राप्त किये थे (पीछे पैरा 5.03 और 5.04 में वर्णित)।

तथापि, अक्तूबर 1976 से इन केन्द्रों का प्रयोग नियंत्रित कपड़े जैसे जनता धोती/साड़ी के उत्पादन के लिए किया गया। भारत सरकार के विकास आयुक्त ने कम्पनी को मई 1979 में लिखा कि चूंकि योजना का उद्देश्य ही उच्च 'मूल्य वाले' मदों का उत्पादन करना था, इस परियोजना में नियंत्रित कपड़ों का उत्पादन करना वांछनीय नहीं था।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1979) कि हथकरघा वस्त्रों के निर्यात बाजार में मंदी आ जाने और कुछ बाहरी देशों द्वारा व्यापार प्रतिबन्ध लगा देने से इटावा के बहुत से बुनकर बेकार हो गये थे और बिना रोजगार के थे। इसलिये उनको रोजगार देने के विचार से यह आवश्यक समझा गया कि नियंत्रित व परंपरागत वस्त्रों का उत्पादन किया जाये। आगे यह बताया गया कि उच्च किस्म की निर्यात योग्य मदों के उत्पादन शुरू करने के प्रयत्न पुनः किये जा रहे थे।

(ग) ढुलाई व्यवस्था

(i) कम्पनी ने भाड़ा और ढुलाई इत्यादि पर 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 0.44 लाख रुपये, 1.85 लाख रुपये तथा 1.47 लाख रुपये का व्यय किया। तथापि कम्पनी ने केन्द्रीय भंडार से विभिन्न प्रदर्शन कक्षों तक माल ले जाने व वापस लाने के लिए कोई नियमित व्यवस्था नहीं की है और समय-समय पर बिना कोई कुटेशन मांग ट्रान्सपोर्टरों को काय सौंपा जाता है।

कम्पनी ने बताया (दिसम्बर 1979) कि अधिकतम अनुकूल दरें प्राप्त करने के लिए भविष्य में निवदायें आमन्त्रित की जायगी।

(ii) फरवरी 1978 में 0.48 लाख रुपये मूल्य का माल जनवरी 1978 के आदेश के विरुद्ध भबुआ व्यापार मण्डल, भबुआ, जिला रोहतास, बिहार, को सुपुर्द करने के लिए एक निजी ट्रान्सपोर्टर को दिया गया। माल की सुपुर्दगी बैंक के माध्यम से भुगतान के विरुद्ध की जानी थी। प्रलेख, जो बैंक को भेजे गये, बैंक द्वारा वापस कर दिये गये (अगस्त 1978) क्योंकि परेषिती ने उन्हें नहीं छुड़ाया। ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी के अनुसार माल व्यापार मण्डल के प्रबन्धक को सुपुर्द किया गया क्योंकि प्रलेख कम्पनी द्वारा उस के नाम में बनाये गये थे। कम्पनी को आपूर्ति के विरुद्ध कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 1980)। कम्पनी ने तब ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी और व्यापार मण्डल के विरुद्ध दीवानी व फौजदारी मुकदमे दायर किये (अक्तूबर 1979 और फरवरी 1980)।

5.12. सारांश

(i) कम्पनी ने बिना सरकार के अनुमोदन के तीन सहायक कम्पनियां स्थापित की थीं (दिसम्बर 1975–सितम्बर 1976)। दिसम्बर 1977 में मण्डल ने सहायक कम्पनियों को कम्पनी में समामेलित करने का निर्णय लिया और मामला सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।

(ii) ऋण की किस्तों का नियत तिथि पर भुगतान न करने के कारण कम्पनी ने कुल 3.81 लाख रुपये की ब्याज पर छूट खो दी ।

(iii) कम्पनी ने 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार से 503.01 लाख रुपये उपदान के रूप में प्राप्त किये । अनुदान के रूप में प्राप्त 284.08 लाख रुपये (1974–75 से 1978–79) में से केवल 75.54 लाख रुपये का (26.6 प्रतिशत) उपयोग किया गया ।

(iv) बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बुनकरों को वितरित करने के लिए (50 प्रतिशत ऋण के रूप में और 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में) राज्य सरकार से प्राप्त (जनवरी 1979) 237 लाख रुपयों में से 118.50 लाख रुपये (अनुदान के हिस्से के) ब्याज सहित वापस कर दिये गये (अक्तूबर 1979) क्योंकि बुनकरों की ऋणों में रुचि नहीं थी । कार्य स्थल अधिकारियों को वितरण हेतु भेजे गये 70.84 लाख रुपये के विवरण अभी प्रतीक्षित थे ।

(v) प्रबन्ध निदेशक और केन्द्र प्रबन्धक ने खुले बाजार में 60 लाख रुपये के सिल्क धागे की खरीद की जो कि आवश्यकता से कहीं अधिक थी । फलतः धागे के निस्तारण में, उस समय की दरों के आधार पर, लगभग 6.90 लाख रुपयों की हानि अनुमानित की गयी । यद्यपि सम्पूर्ण स्टाक का निस्तारण जनवरी 1974 से मार्च 1979 तक कर दिया गया था, वास्तविक हानि का आंकलन नहीं किया गया है (मार्च 1980) ।

(vi) दिसम्बर 1977 में स्थापित परीक्षण कक्ष में दिसम्बर 1977 से मार्च 1979 के दौरान 2.85 लाख रुपये मूल्य के कपड़े दोष युक्त पाए गये । दोषयुक्त क्रयों के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया ।

(vii) हालांकि आयोग (सरकार द्वारा नियुक्त) ने अपने प्रतिवेदन (अक्तूबर 1972) में हथकरघा व्यवसाय में मध्यस्थों को हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया था (बुनकरों के शोषण को समाप्त करने के लिये), कपड़े का थोक क्रय (62 प्रतिशत) बुनकरों और सहकारी समितियों के बजाय व्यापारियों और कारोबारियों से किया गया ।

(viii) 19 मामलों में भवनों के मालिकों को कम्पनी का अभिकर्ता नियुक्त किया गया और 4.17 लाख रुपये अग्रिम दिया गया । 3 मामलों में कम्पनी ने न्यूनतम कमीशन की गारन्टी अभिकर्ताओं द्वारा बिक्री को न्यूनतम अनुरूप गारन्टी लिये बिना दी । गारन्टी किये गये कमीशन के सन्दर्भ में बिक्री की कमी (1977–78 और 1978–79) 70.52 लाख रुपये की थी, परिणामतः 2.52 लाख रुपए के कमीशन (गारन्टी किये गये) का अधिक भुगतान हुआ । दो मामलों में कम्पनी ने अभिकर्ताओं से प्रतिभूति जमा लेने के बजाय 0.81 लाख रुपये के अग्रिम दिये । अभिकर्ताओं में से एक को 1.20 लाख रुपया एक वर्ष के कमीशन के रूप में अग्रिम भी दिया गया ।

(ix) एक विदेशी क्रेता ने 3.34 लाख रुपये खराब आपूर्तियों (जून 1977–फरवरी 1978) के कारण रोक लिये थे ।

(x) कम्पनी ने 45 प्रदर्शनियों में भाग लेने (1976–77 और 1977–78) में 7.98 लाख रुपये का व्यय किया परिणामतः कुल 20.06 लाख रुपये की बिक्री हुई । प्रदर्शनियों (1977–78 और 1978–79) को भेजे गए माल (मूल्य 23.33 लाख रुपये) के लेखाओं का अभी समाधान होना था ।

(xi) प्रदर्शन कक्षों के लिए लाभालाभ बिन्दु निकाले बिना, जैसा कि मण्डल द्वारा अनुमोदित (1976) योजना में निर्दिष्ट था, बिक्री कर्मचारियों को प्रोत्साहन भुगतान (तदर्थ आधार पर) किये गये ।

(xii) कम्पनी ने अगस्त 1974 में वांछित प्रतिभूति लिए बिना हथ करघा वस्त्र एक निजी फर्म को आपूर्त किये । कम्पनी को अभी 1.13 लाख रुपये वसूल करने हैं जिसके लिए कम्पनी ने एक विलम्बित मुकदमा दायर कर दिया था (जनवरी 1978) ।

(xiii) कम्पनी में बिक्री अभिकर्ताओं को निर्गत/प्रेषित माल की पावती प्राप्त करने की कोई पद्धति नहीं है और केन्द्रीय भंडार और बिक्री केन्द्रों/प्रदर्शनियों के बीच हुए लेन-देनों का नियमित रूप से समाधान नहीं किया जाता है । विभिन्न प्रदर्शन कक्षों तथा प्रदर्शनियों को भेजे गए तथा वापस आए 1977–78 तक, माल के समाधान से क्रमश: 2.06 लाख रुपये तथा 0.20 लाख रुपये की कमियां व अधिकताएं पता चलीं ।

1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान भण्डार के भौतिक सत्यापन से क्रमश: 5.44 लाख रुपये और 4.10 लाख रुपये की कमियां व अधिकतायें पता चलीं जो समायोजन की प्रतीक्षा में थीं (मार्च 1980) ।

(xiv) दो उत्पादन केन्द्रों से प्राप्त (जनवरी–जून 1978) नियंत्रित कपड़ों के परेषण (मूल्य: 2.40 लाख रुपये) केन्द्रीय भण्डार के लेखाओं में नहीं लिये गये ।

(xv) 6.36 लाख रुपये मूल्य के बेकार और क्षतिग्रस्त माल आठ प्रदर्शन कक्षों में बिना निस्तारण के पड़े थे (दिसम्बर 1979) । 37 प्रदर्शन कक्षों/बिक्री केन्द्रों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं थी ।

(xvi) उत्पादित/अध्याप्ति हथकरघा माल की कलेन्डरिंग में लगी फर्मों के पास पड़े भण्डारों का समाधान नहीं किया गया था । दो फर्मों से प्राप्य 73,315 जोड़े जनता धोती/साड़ी के विरुद्ध कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार प्राप्य शेष केवल 21,033 जोड़े था ।

(xvii) उच्च किस्म के हथकरघा वस्त्र के उत्पादन हेतु निर्यातजन्य परियोजनाएं चलाने के लिए कम्पनी ने ऋण (30 लाख रुपये) और अनुदान (10 लाख रुपये) लिए । तथापि, इस उद्देश्य से अक्तूबर 1976 से स्थापित किये गये केन्द्रों का उपयोग नियंत्रित कपड़े जैसे जनता धोती/साड़ी के उत्पादन के लिए किया जा रहा था (दिसम्बर 1979) ।

अनुभाग VI

अन्य सरकारी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड

6.01. मशीनरी की आपूर्ति में अधिक भुगतान

कम्पनी ने छाता (मथुरा), चांदपुर (बिजनौर), दरयापुर (रायबरेली) और नन्दगंज (गाजीपुर) की चार मिलों के लिए मशीन एवं संयंत्र की आपूर्ति एवं खड़ा करने के लिए (कुल मूल्य: 1,288.16 लाख रुपये) नई दिल्ली की एक निर्माणकर्ता फर्म के साथ अनुबन्ध किए (सितम्बर 1976/अगस्त 1977)। अनुबन्धों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक 500 किलोग्राम क्षमता वाली कुल 25 अपकेन्द्र (सेन्ट्रीफ्यूगल) मशीनों की आपूर्ति के लिए प्राविधान था। अगर 500 किलोग्राम की मशीनें उपलब्ध न हों, तो उपयुक्त संख्या में विभिन्न क्षमता वाली अपकेन्द्र मशीनों की आपूर्ति करनी थी।

फर्म ने 500 किलोग्राम (जैसा कि अनुबन्ध में प्राविधान था) के स्थान पर प्रत्येक 450 किलोग्राम क्षमता वाली 25 अपकेन्द्र मशीनें आपूर्ति कीं जिससे क्षमता में, 3 (450 किलोग्राम) मशीनों के बराबर, कुल 1,250 किलोग्राम की कमी रही। लेकिन फर्म को भुगतान, 500 किलोग्राम अपकेन्द्र मशीनों के लिए अनुबन्ध में दी गई दरों पर किया गया, परिणामस्वरूप लगभग 12 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1979) कि आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ का मामला उनके साथ अनुसरण में है। सरकार को मामला अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

6.02. जूट के बोरों का क्रय

कम्पनी प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जूट के बोरों का क्रय करती है। यह देखा गया कि जूट के बोरों की दरें प्रतिवर्ष जुलाई-अगस्त के महीनों में सापेक्षत: अधिक अनुकूल रहती हैं, यह स्थिति (कलकत्ता बाजार) 1976 से 1979 के दौरान थी। किन्तु जूट के बोरों का क्रय सितम्बर से अप्रैल/मई के महीनों में अपनाने के कारण कम्पनी अनुकूल मूल्यों के लाभ से वंचित होती रही। जुलाई–अगस्त 1978 में 428–433 रुपये प्रति 100 बोरी के प्रचलित मूल्य (कलकत्ता में फैक्ट्री के बाहर) के विरुद्ध, कम्पनी ने 11.52 लाख जूट के बोरे (18 आर्डर-फैक्ट्री के बाहर कुल लागत: 60.92 लाख रुपये) 490 रुपये से 585 रुपये तक की प्रति 100 बोरे की दरों पर, सितम्बर 1978–मार्च 1979 की अवधि के दौरान, क्रय किए (औसत : रुपये 528.80 प्रति 100 बोरे), जिससे 433 रुपये प्रति 100 बोरे की अधिकतम दर (अगस्त 1978) के आधार पर 11.07 लाख रुपये (22 प्रतिशत) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1979) कि जूट के बोरे जुलाई और अगस्त 1978 के दौरान निम्न कारणों से नहीं खरीदे गये :

(i) अधिप्राप्ति की मात्रा निश्चित करने के लिए गन्ना आयुक्त से अन्तिम अनुमान उपलब्ध न होना (लेकिन कम्पनी जुलाई–अगस्त 1978 के अस्थायी अनुमानों पर या पिछले वर्षों के उपभोग पर अपनी आवश्यकताओं को आधारित कर सकती थी) ;

(ii) खाली अवधि (आफ सीजन) में धन का उपलब्ध न होना;

(iii) पूरे सीजन के लिए थोक आर्डर देने पर भारत सरकार की जुलाई तथा अक्तूबर 1978 की अधिसूचना में दिये गये फारवर्ड मार्केट कमीशन के विनियमों का उल्लंघन हो

गया होता (किन्तु यह उल्लेखनीय है कि इनमें नकद क्रय के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं था); और

(iv) यह, कि प्रति वर्ष जुलाई तथा अगस्त में सस्ती दरें उपलब्ध होती हैं, अटकल का विषय है । (यह ठीक नहीं है क्योंकि 1976–77 से 1978–79 तक की वर्षों में जुलाई/अगस्त के दौरान बाजार दर सस्ती थीं) ।

मामला सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है ।

6.03. दोषपूर्ण पुर्जों की खरीद

कम्पनी ने अपनी बाराबंकी इकाई के लिए गोरखपुर की एक फर्म पर 2 टीथ गियर्स (मूल्य : 0.64 लाख रुपये) की आपूर्ति के लिए एक आर्डर दिया (नवम्बर 1973) । किन्तु टीथ गियर, जिनका निरीक्षण कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रेषण के पहले किया गया था (अक्तूबर 1975), प्राप्ति पर (नवम्बर 1975) इस सीमा तक दोष पूर्ण पाये गये कि एक गियर की मूल में गम्भीर धमिछिद्र (ब्लो होल्स) देखे गये और दूसरे गियर का बाहरी व्यास एक इंच तथा बेध (बोर्स) 4 1/2 इंच आवश्यकता से अधिक बड़े पाये गये । एक गियर फर्म को ठीक करने के लिए वापस कर दिया गया (जून 1976) किन्तु ठीक किये गए गियर में लगाते समय (सितम्बर 1976) दरारें आ गईं और इस कारण वह प्रयोग न किया जा सका । दूसरा गियर ठीक करने/बदलने के लिए नहीं भेजा गया (दिसम्बर 1979) । ये गियर, जिस पर कम्पनी ने 0.64 लाख रुपये खर्च किये, इसके परिसर में अनुपयोगित पड़े हुए हैं (मार्च 1980) । प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1979) कि मामला अक्तूबर 1978 से उत्तर प्रदेश अपराध अनुसंधान विभाग की जांच के अन्तर्गत है । यह और बताया गया कि भुगतान किये गये धन की वसूली के लिए पार्टी के विरुद्ध कानूनी मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

मामला सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1980) ।

भटनी इकाई

6.04. ढुलाई करने वाले ठेकेदारों से न वसूल की गई अधिक सूख के कारण हानि

कम्पनी की भटनी इकाई द्वारा 4 ढुलाई के ठेकेदारों के साथ 1974–75, 1975–76 और 1976–77 की वर्षों के दौरान गन्ने की ढुलाई के लिए किये गये अनुबन्धों के प्राविधानों के अनुसार 0.5 प्रतिशत के ऊपर गन्ने की सूख (रास्ते में) ढुलाई करने वाले ठेकेदारों के बिलों से वसूल करनी थी । गन्ने की 38,400 मैट्रिक टन मात्रा इन 4 में से दो ठेकेदारों द्वारा 1974–75 से 1976–77 के दौरान ढुलवायी गई । निर्धारित सीमा (0.5 प्रतिशत के हिसाब से 192 मैट्रिक टन) से अधिक की सूख 0.57 लाख रुपये मूल्य की 400 मैट्रिक टन निकली जिसके विरुद्ध केवल 0.16 लाख रुपये ठेकेदारों के बिलों से वसूल किये गये (सितम्बर 1979) तथा 0.41 लाख रुपये बाकी रह गये ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1979) कि सामान्य प्रबन्धक ने ठेकेदारों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के कारण वसूली नहीं की । किन्तु अन्य ठेकेदारों के मामलों में कम्पनी द्वारा सूख वसूल की गई ।

मामला सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1980) ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

6.05. शटरिंग की आपूर्ति

अक्तूबर 1975 में, वाहकनाली पुल (कन्डूट वायाडक्ट) तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए इस्पात ढांचे की डिजाइन, निर्माण तथा आपूर्ति करने के लिए कम्पनी ने निविदायें आमन्त्रित कीं और बम्बई के निम्नतम निविदादाता पर 5.40 लाख रुपये का (उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर को निकालते

हुए), बम्बई में एक्स वर्क, शर्टरिंग के एक सेट (चार घटकों वाला) का आर्डर दिया (दिसम्बर 1975)। अप्रैल 1976 में, कम्पनी ने उसी फर्म को एक और सेट (तीन घटकों वाला) की आपूर्ति के लिए उन्हीं शर्तों पर 4.89 लाख रुपये पर पुनः आर्डर दिया। चूंकि कम्पनी को अधिक सेटों की आवश्यकता थी अतः इसने मितव्ययिता बरतने के लिये शटरिंग का स्थानीय निर्माण कराने के लिए पुनः निविदा आमन्त्रित करने का निर्णय लिया। नई निविदाओं (5 मई 1976) के आधार पर, कम्पनी ने दो फर्मों (उत्तर प्रदेश) को 2.44 लाख रुपये प्रति सेट की दर से प्रत्येक के द्वारा एक सेट (तीन घटक वाला) को 3 माह के अन्दर कम्पनी के कार्यस्थल पर आपूर्ति करने के लिए आर्डर दिए (मई/जून 1976)। कम दरों पर आर्डर देने के बाद भी, कम्पनी ने बम्बई की फर्म को उसकी मूल दरों पर शटरिंग के एक सेट के लिए एक और पुनः आर्डर दिया (जून 1976) जिसके परिणाम-स्वरूप 3.09 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1979) कि पुनः आर्डर इस विचार से दिया गया था कि स्थानीय फर्में आपूर्तियों में देर कर सकती थीं जिससे कम्पनी के ऊपरी व्यय (ओवर हेड्स) बढ़ जाते। वास्तव में स्थानीय फर्मों तथा बम्बई की फर्म ने नवम्बर 1976 में आपूर्तियां दीं।

मामला सरकार को सितम्बर 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

6.06. बिक्री कर का अधिक भुगतान

26 मई 1975 से संशोधित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सरकार द्वारा स्वामित्व की गई या नियंत्रित की गई किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम के सभी कार्यालय अपने स्वयं के प्रयोग के लिए कोई सामान बिक्री कर की रियायती दर पर, अर्थात् 30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत, क्रय कर सकते थे। यह सुविधा व्यापारी को एक घोषणा (निर्धारित प्रपत्र में) देने पर ही उपलब्ध थी।

सम्परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1978) कि कम्पनी की 3 इकाइयों ने (फैजाबाद, इलाहाबाद तथा गाजीपुर) बिक्री कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए घोषणा नहीं दी, परिणामस्वरूप उच्च दरों पर बिक्री कर के रूप में 0.41 लाख रुपये (41 मामले) का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1979) कि निर्धारित प्रपत्र निर्गत नहीं किये गये थे क्योंकि दिये गये आर्डरों की धनराशियां तुच्छ थीं।

मामला सरकार को जुलाई 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

6.07. आम्र रस का निर्यात

कम्पनी ने 60 लाख रुपये के मूल्य का आम्र रस (816 मैट्रिक टन) तथा आम्र मकरन्द (163.2 मैट्रिक टन) के निर्यात के लिए बम्बई की एक फर्म के साथ निम्नलिखित अनुबन्ध किया (13 दिसम्बर 1976) :

आम्र रस	45.08 रुपये प्रति कार्टन (48×170 ग्राम डिब्बे)
	109 रुपये प्रति कार्टन (48×450 ग्राम डिब्बे)
	82 रुपये प्रति कार्टन (24×850 ग्राम डिब्बे)
आम्र मकरन्द	40.22 रुपये प्रति कार्टन (48×170 ग्राम डिब्बे)

फर्म द्वारा पांच किश्तों में (15 अप्रैल से 15 सितम्बर 1977) कम्पनी के पक्ष में खोले जाने वाले साख पत्रों के विरुद्ध आपूर्तियां जून-नवम्बर 1977 के दौरान होनी थीं। अगला साखपत्र

खुलने के पहले प्रत्येक साखपत्र को पूर्णरूप से उपयोग किया जाना था। फर्म ने ठेके का अपना भाग निष्पादित करने के लिए 0.50 लाख रुपये की एक बैंक गारण्टी भी दी (दिसम्बर 1976)।

फर्म ने आम्ररस के 30,000 कार्टन के लिए अप्रैल 1977 में दो साख पत्र खोले :

खोलने की तिथि	मात्रा	मूल्य (लाख रुपयों में)	वैधता
23 अप्रैल 1977	20,000 कार्टन (170 ग्राम के डिब्बे)	9.02	11 जुलाई 1977 तक (23 जुलाई 1977 तक बढ़ाई गई)
30 अप्रल 1977	10,000 कार्टन (450 ग्राम के डिब्बे)	10.90	25 जून 1977 तक

कम्पनी ने 10,000 कार्टन (4.50 लाख रुपये) साख पत्र की वैधता अवधि के अन्दर और 11,916 कार्टन (11.80 लाख रुपये) उसके बाद जुलाई से अक्तूबर 1977 के दौरान भेजे। फर्म ने पहला परेषण स्वीकार कर लिया लेकिन दूसरा स्वीकार नहीं किया। इन 11,916 कार्टन में से, 7,500 कार्टन (मूल्य: 8.17 लाख रुपये) दूसरे खरीददार को 6.06 लाख रुपये में निर्यात कर दिये गये (सितम्बर 1978)। शुद्ध वसूली (5 प्रतिशत कमीशन देने के बाद) 5.75 लाख रुपये थी। शेष 4,416 कार्टन (मूल्य: 3.63 लाख रुपये) बम्बई में किराये की गोदाम में अनिस्तारित पड़े हुए थे (मार्च 1980) जिसके लिए कम्पनी फरवरी 1978 से 2,630 रुपये मासिक किराया भुगतान कर रही है। कम्पनी ने ढुलाई करने वाले को बम्बई में पड़े हुए परेषण के लिए विलम्ब शुल्क और गोदाम किराये के वास्ते 0.98 लाख रुपये भी भुगतान किये थे (फरवरी 1978)। 50,000 रुपये की फर्म की बैंक गारण्टी 30 नवम्बर 1977 को कालातीत हो जाने दी।

इस प्रकार 60 लाख रुपये के एक आर्डर के विरुद्ध कम्पनी वैधता अवधि के अन्दर केवल 4.50 लाख रुपये के मूल्य की आपूर्तियां कर सकी और विलम्बित आपूर्तियों (मूल्य : 8.17 लाख रुपये) के निस्तारण में 3.40 लाख रुपये की हानि उठाई तथा 4,416 कार्टन (मूल्य: 3.63 लाख रुपये) फरवरी 1978 से 2,630 रुपये प्रतिमास के आवर्ती व्यय पर बम्बई में किराये की गोदाम में रखे हुए हैं।

प्रबन्धकों ने बाजार में आमों का विलम्ब से पहुंचना तथा डिब्बों की अनुपलब्धता को आपूर्तियों में विलम्ब का कारण बताया (सितम्बर 1978)। यह और बताया गया (नवम्बर 1979) कि मामले की जांच करने के लिये एक समिति गठित कर दी गई थी और कार्यवाही, यदि कोई है, समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर की जायगी।

मामला सरकार को जुलाई 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडिटीज कार्पोरेशन लिमिटेड

6.08. भण्डार एवं रोकड़ में कमी

लखनऊ में कम्पनी के जनता स्टोर्स में 1975–76 से 1978–79 (सितम्बर 1978) के दौरान पाई गई भण्डार एवं रोकड़ में कमियों का योग 6.34 लाख रुपये था :

वर्ष	धनराशि (लाख रुपयों में)
1975–76	0.99
1976–77	1.93
1977–78	3.09
1978–79	0.33

इनमें 3.00 लाख रुपये की बकाया ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सम्मिलित है जो कि अब कम्पनी की सेवा में नहीं हैं ।

प्रबन्धकों/सरकार ने बताया (सितम्बर/दिसम्बर 1979) कि 1.73 लाख रुपये की धनराशि वसूल कर ली गई थी और अवशेष की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही थी और यह कि उन कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करा दी गई थी/की जा रही थी, जो कि कम्पनी की सेवा में नहीं थे । यह भी बताया गया कि कुछ मामलों में बीमा कम्पनी में दावे कर दिये गये थे (जनवरी से मई 1978) ।

उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

6.09. कर्मचारियों की भविष्य निधि

जून 1977 में, कर्मचारी भविष्य निधि योजना कम्पनी पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आर पी एफ सी) द्वारा पहली मई 1975 से पूर्व प्रभाव सहित लागू की गई और कम्पनी को अंशदान तथा उस पर प्रशासनिक व्यय को 15 दिन की अवधि के अन्दर भुगतान करने का निदेश दिया गया जिसमें असफल होने पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 बी के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्ड व्यय लगाये जाने थे ।

प्रबन्धकों ने नियोजक तथा कर्मचारियों के अंशदान का हिस्सा तथा प्रशासनिक व्यय भुगतान नहीं किये और यह तर्क दिया (सितम्बर 1978) कि कम्पनी की स्थापना अगस्त 1974 में हुई थी और मई 1975 तक 5 वर्ष पूरे नहीं हुए थे और इस कारण कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के प्राविधानों का पूर्व प्रभाव से लागू किया जाना विधिवत् नहीं था । यह तर्क आर पी एफ सी द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया (जनवरी 1979) कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटक गृह बहुत समय पहले स्थापित किये गये थे और केवल प्रबन्ध या स्वामित्व में परिवर्तन से स्थिति में परिवर्तन नहीं आता । कर्मचारियों के अंशदान की वसूली नवम्बर 1979 से प्रारम्भ कर दी गई ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों के अंशदान का हिस्सा, यदि वसूल न हुआ हो तो, कम्पनी के द्वारा भुगतान किया जाना होता है और अंशदान का बकाया कर्मचारियों से वसूल नहीं किया जा सकता है । मई 1975 से अक्तूबर 1979 की अवधि का नियोजक तथा कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से के वास्ते 1.32 लाख रुपये के योग के बकाये, कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से के प्रति 0.62 लाख रुपये सहित, अक्तूबर और दिसम्बर 1979 में भुगतान कर दिये गये ।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

6.10. ब्याज एवं बचनवद्ध व्ययों का भुगतान

कजरहट-चुनार सीमेंट परियोजना की पूंजी लागत प्रबन्धकों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा 72 करोड़ रुपये अनुमानित की गई (जून 1975) जिसकी 47 करोड़ रुपये की सीमा तक आई डी बी आई तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से रुपया–सावधि ऋण द्वारा आर्थिक व्यवस्था की जानी थी । वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रार्थना-पत्र जून 1975 — फरवरी 1976 के दौरान औपचारिक रूप से स्वीकृत कर दिये गये । रुपया-सावधि ऋण को मार्च 1978 से मार्च 1979 के बीच 5 तिमाही किश्तों में आहरण करने का प्रस्ताव कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किया गया (जनवरी 1978) । सावधि ऋण की स्वीकृति, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्पनी की सभी चल तथा अचल सम्पत्तियों (वर्तमान तथा भविष्य) को बंधक रखने की शर्त के अधीन थी ।

किन्तु कम्पनी आई डी बी आई के पक्ष में बन्धक पत्र निष्पादित न करने के कारण योजना के अनुसार सावधि ऋण (ब्याज 11 प्रतिशत प्रति वर्ष) आहरण न कर सकी । इसलिये कम्पनी को आइ डी बी आई तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से कुल 31.04 करोड़ रुपये के अन्तरिम तथा समय पूरक (ब्रिजिंग) ऋणों का सहारा लेना पड़ा (ब्याज 12 प्रतिशत प्रति वर्ष) जिससे 14.08 लाख रुपये के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान हुआ (नवम्बर 1979) ।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी को वित्तीय संस्थाओं से वचनबद्ध ऋणों का आहरण न करने के कारण अक्टूबर 1977 से मार्च 1979 तक की अवधि के लिये 36.24 लाख रुपये की धनराशि के बचनबद्ध व्ययों का भुगतान करना पड़ा ।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1979) कि जब मिलों का प्रबन्ध 1972 में कम्पनी को हस्तांतरित किया गया था, तो सम्पत्तियों को हस्तांतरित करने का औपचारिक अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया था, हस्तांतरण विलेख पंजीयन व्यय तथा मुद्रक शुल्क (2 करोड़ रुपये) के भुगतान में छूट का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार को फरवरी 1978 में भेजा गया । इस प्रकार स्वामित्व विलेख (टाइटिल डीड) के अभाव में, कम्पनी वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में जमानत देने की स्थिति में नहीं थी और परियोजना की तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समयपूरक ऋणों का आहरण करना पड़ा और अनुबन्ध में प्रस्तावित आहरण अनुसूची का पालन न कर सकी, परिणाम-स्वरूप बचनबद्ध व्ययों का भुगतान करना पड़ा ।

सरकार ने बताया (जुलाई 1980) कि वित्तीय संस्थाओं ने यह शर्त लगाई थी कि बचनबद्ध व्यय आशय पत्र के निर्गमन के दिनांक से छः माह की समाप्ति के तुरन्त बाद लगाये जायेंगे लेकिन, कम्पनी के अनुरोध पर, सितम्बर 1977 तक कोई बचनबद्ध व्यय नहीं लगाये गये । बचनबद्ध व्यय परियोजना अनुमान में सम्मिलित थे और ऋण ब्याज व्ययों को बचाने के लिये वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार मई 1978 से आगे आहरित किये गये थे । यह भी बताया गया कि कम्पनी को सम्पत्तियों का औपचारिक हस्तांतरण तब तक कार्यवाहिक विलम्ब के कारण नहीं किया गया था ।

अध्याय II

सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

अनुभाग VII

7. प्रस्तावना

31 मार्च 1979 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे, यथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1959 को हुयी थी । 1978–79 के लेखे परिषद् ने नहीं अपनाये हैं (जनवरी 1980)। परिषद् को पिछले वर्ष में 23.14 करोड़ रुपये की हानि के विरुद्ध वर्ष 1978–79 के दौरान 6.43 करोड़ रुपये की हानि हुई और 1978–79 के अंत तक संचित हानि 159.46 करोड़ रुपये थी

(i) **ऋण पूंजी**

1978–79 के अन्त में परिषद् द्वारा प्राप्त सरकारी ऋणों, बांडों, ऋण पत्रों और निक्षेपों सहित दीर्घावधि ऋणों का योग 1,903.37 करोड़ रुपये था और गत वर्ष के अन्त में 1,681.12 करोड़ रुपये के कुल दीर्घावधि ऋणों के ऊपर 222.25 करोड़ रुपये की वृद्धि प्रतिदर्शित करता था ।

(ii) **गारन्टियां**

मार्च 1979 के अन्त में ऋणों और बांडों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान, प्रोमिसरी नोटों की अदायगी, रोकड़ की उधार सुविधाओं के लिए परिषद् की ओर से सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का योग 308.24* करोड़ रुपये था जिसके विरुद्ध 31 मार्च 1979 को 206.63* करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी ।

सरकार ने (असीमित दायित्व के साथ) डायरेक्टर जनरल, सप्लाईज ऐंड डिस्पोजल्स के माध्यम से क्रय किये गये भंडारों की कीमत के भुगतान और भाड़ा और अन्य देयों को रेलवे बोर्ड को भुगतान की भी गारन्टी दी है ।

(iii) वर्ष 1978–79 के लेखाओं के अनुसार परिषद् के क्रियाकलापों के सारांशित आर्थिक परिणाम दर्शाते हुए एक साररूप विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है ।

---

*आंकड़े वित्त लेखाओं के अनुसार ।

अनुभाग VIII

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

जल विद्युत् उत्पादक स्टेशन

8.01. प्रस्तावना

चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त में (1973–74) परिषद् के विद्युत् उत्पादन केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता 1,674 मेगावाट (1074 मेगावाट तापीय का और 600 मेगावाट जलीय विद्युत् का) थी। 1974–75 से 1978–79 के वर्षों के दौरान निम्न प्रकार अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित की गई :

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता वृद्धि		
	तापीय	जलीय (मेगावाट में)	योग
1974–75	100	190	290
1975–76	100	146	246
1976–77	280	132	412
1977–78	370	..	370
1978–79	200	..	200
योग	1,050	468	1,518

1978–79 के अन्त में 3,192 मेगावाट (2,124 मेगावाट तापीय के लिए और 1,068 मेगावाट जल विद्युत स्टेशनों के लिए) की कुल अधिष्ठापित क्षमता थी।

जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा ली गई योजनाओं का विवरण निम्न है :

योजना	वर्ष जिसमें ली गई	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	चालू होने का आशान्वित वर्ष
यमुना स्टेज II (खोदरी)	1964	120	72.00	1981–82
मनेरी भाली स्टेज I	1965	93	67.19	1982–83
गढ़वाल–ऋषीकेश–चिल्ला	1970	144	97.76	1980–81
टेहरी बांध	1974	600	305.16	1988–89
लखवार-व्यासी	1974	420	230.00	1984–85
मनेरी भाली स्टेज II	1976	156	82.63	1985–86
विष्णु प्रयाग	1977	262	104.51	1987–88
खारा	1978	81	60.74	1984–85
योग		1,876	1,019.99	

8.02. जल विद्युत् उत्पादन स्टेशन

निम्न तालिका 31 मार्च 1979 को चालू जल विद्युत् स्टेशनों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देती है :

विवरण	विद्युत् उत्पादक सेटों की संख्या	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चलाए गए	पूंजीगत लागत (करोड़ रुपयों में)
खटीमा	3	41.40	फरवरी 1956	7.48
माता टीला	3	30.60	फरवरी–सितम्बर 1965	10.88
रिहन्द	6	300.00	फरवरी 1962–अप्रैल 1965	51.52
ढकरानी	3	33.75	नवम्बर 1965–जनवरी 1970	16.83
ढालीपुर	3	51.00	दिसम्बर 1965–मार्च 1970	
ओबरा	3	99.00	मई 1970–अप्रल 1971	24.24
कुलहल	3	30.00	अप्रैल–दिसम्बर 1975	14.11
छिब्रो	4	240.00	अप्रैल 1975–फरवरी 1976	73.82
रामगंगा	3	198.00	दिसम्बर 1975–मार्च 1977	47.03
योग	31	1,023.75*		245.91

8.03. संयंत्र परिचालन

संयंत्र परिचालन का विवरण निम्न तालिका में बताया गया है:

विवरण	1976–1977			1977–78			1978–79		
	उपलब्ध घण्टे	परिचालित घण्टे	प्रति-शत	उपलब्ध घण्टे	परिचालित घण्टे	प्रति-शत	उपलब्ध घण्टे	परिचालित घण्टे	प्रति-शत
रिहन्द	52,560	31,178	59	52,560	22,466	43	52,560	24,001	45
छिब्रो	35,040	18,221	52	35,040	16,260	46	35,040	19,763	56
रामगंगा	10,047	4,926	49	18,144	4,474	25	18,144	7,475	41
ओबरा	26,280	17,693	67	26,280	12,136	46	26,280	13,668	52
ढालीपुर	26,280	18,539	71	26,280	16,855	64	26,280	21,072	80
खटीमा	26,280	14,909	57	26,280	12,869	49	26,280	13,669	52
ढकरानी	26,280	18,942	72	26,280	17,654	67	26,280	20,106	76
माताटीला	26,280	13,155	50	26,280	15,348	58	26,280	13,995	53
कुलहल	26,280	20,201	78	26,280	18,560	71	26,280	10,822	41

*इसमें 44.45 मेगावाट क्षमता के (पथरी, बहादुराबाद आदि के) कुछ छोटे और 12 माइक्रो जल विद्युत् स्टेशन शामिल नहीं है।

यह देखा जायेगा कि रिहन्द, रामगंगा, ओबरा और कुलहल विद्युत् स्टेशनों (कुल क्षमता: 627 मेगावाट) में 1977–78 और 1978–79 में 1976–77 की तुलना में उपलब्ध घण्टों से चलाये गये घण्टों का प्रतिशत अत्यधिक घट गया। परिषद् द्वारा कमी के कारण विश्लेषित नहीं किये गये (मई 1980)।

8.04. संयन्त्र निष्पादन

निम्न तालिका 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान वास्तव में परिचालित घण्टों के आधार पर विद्युत् स्टेशनों के निष्पादन को दर्शाती है :

विवरण	सम्भावित उत्पादन	वास्तविक उत्पादित विद्युत (एम के डब्ल्यू एच)	कमी	प्रतिशतता
रिहन्द				
1976–77	1,558	1,215	343	78
1977–78	1,123	826	297	74
1978–79	1,200	931	269	78
छिब्रो				
1976–77	1,093	856	237	78
1977–78	976	814	162	83
1978–79	1,186	959	227	80
रामगंगा				
1976–77	325	208	117	64
1977–78	295	226	69	77
1978–79	493	437	56	87
ओबरा				
1976–77	584	448	136	77
1977–78	400	313	87	78
1978–79	451	339	112	75
ढालीपुर				
1976–77	315	243	72	77
1977–78	287	204	83	70
1978–79	358	292	66	82
खटीमा				
1976–77	206	176	30	86
1977–78	178	127	51	71
1978–79	188	133	55	71
ढकरानी				
1976–77	213	167	46	78
1977–78	199	151	48	75
1978–79	226	190	36	82

विवरण	सम्भावित उत्पादन	वास्तविक उत्पादित विद्युत (एम के डब्ल्यू एच)	कमी	प्रतिशतता
माताटीला				
1976–77	134	119	15	89
1977–78	156	144	12	92
1978–79	142	131	11	92
कुलहल				
1976–77	202	157	45	78
1977–78	186	145	41	78
1978–79	108	91	17	85
योग (तीन वर्ष)	12,772	9,045	3,727	71

8.05. क्षमता उपयोग

अधिष्ठापित क्षमता, लक्ष्य और विद्युत् के वास्तविक उत्पादन का विवरण निम्न है :

विद्युत स्टेशन	अधिष्ठापित क्षमता (एम के डब्लू एच)	लक्ष्य (एम के डब्लू एच)	प्रति-शतता	वास्तविक उत्पादन 1976–77 एम के डब्लू एच	प्रति-शतता	1977–78 एम के डब्लू एच	प्रति-शतता	1978–79 एम के डब्लू एच	प्रति-शतता
रिहन्द	2,628.00	901.40	34	1,215	135	826	90	931	103
छिन्नो	2,102.40	1,000.00	47	856	86	814	82	959	96
रामगंगा	1,734.48	450.73	26	208	46	226	50	437	97
ओवरा	867.24	279.00	31	448	160	313	112	339	121
ढालीपुर ढकरानी	742.65	525.00	71	410	78	355	68	482	92
खटीमा	362.66	309.36	85	176	57	127	41	133	43
माताटीला	268.00	123.58	46	119	96	144	117	131	106
कुलहल	262.80	163.70	62	157	96	145	89	91	56
योग	8,968.23	3,752.77	42	3,589	96	2,950	..	3,503	93

विभिन्न उत्पादक स्टेशनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के मध्य बहुत अधिक वैभिन्नता थी और यह वैभिन्य अधिष्ठापित क्षमता का 26 प्रतिशत (रामगंगा) से 85 प्रतिशत (खटीमा) तक था। रिहन्द (1976–77 और 1978–79 में लक्ष्योपरि उत्पादन) रामगंगा और ओवरा (सभी तीनों वर्षों में लक्ष्योपरि उत्पादन) में निर्धारित लक्ष्य विशेष रूप से निम्न थे। यहां तक कि यह निम्नतर लक्ष्य भी छिन्नो, रामगंगा, ढालीपुर/ढकरानी, खटीमा और कुलहल में किसी वर्ष नहीं प्राप्त किये गये। छिन्नो, ढालीपुर/ढकरानी, खटीमा और कुलहल, इन्हीं विद्युत् स्टेशनों के लिए अनन्य रूप से निर्मित, स्वतंत्र नहर द्वारा पोषित हैं लेकिन परिषद् द्वारा उत्पादन में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

परिषद सिंचाई विभाग को पावर चैनल के रख-रखाव पर किये गये व्यय को प्रतिपूर्ति करती है। पावर चैनल 2 फरवरी 1978 से 19 मार्च 1978 तक सिंचाई विभाग द्वारा रेत की सफाई और वार्षिक

अनुरक्षण हेतु डाक पत्थर से बन्द रहा जिसके लिए उसने रुपये 33.90 लाख का दावा किया। नहर के खोले जाने पर इनटेक दरवाजों पर भारी रसाव जानकारी में आया और पानी का बहाव 7,000 क्यूसेक्स (तीन मशीनें परिचालन के लिये) की निम्नतम आवश्यकता से 4,000–6,000 क्यूसेक्स तक गिर गया। यह रसाव 29 अप्रैल 1978 तक होता रहा और लगभग 10.6 एम के डब्ल्यू एच (राजस्व हानि रुपये 19.08 लाख) उत्पादन की हानि में परिणत हुआ। परिषद् द्वारा अप्रैल 1978 और जून 1978 में इस हानि की वापसी के लिए किया गया दावा सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया (जनवरी 1980)।

8.06. संयन्त्र बन्दियां

निम्न तालिका 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान नियोजित अनुरक्षण और विवश बन्दियों के अधीन बन्दियों का विवरण देती है :

स्टेशन का नाम	1976–77 नियोजित अनुरक्षण	बन्दी	योग	1977–78 नियोजित अनुरक्षण (घण्टे)	बन्दी	योग	1978–79 नियोजित अनुरक्षण	बन्दी	योग
रिहन्द	993	20389	21382	736	29358	30094	627	27932	28559
छिब्रो	2546	14273	16819	1190	17590	18780	2472	12805	15277
रामगंगा	2160	2980	5140	4650	9020	13670	4512	6157	10669
ओबरा	206	8381	8587	3990	10154	14144	1383	11229	12612
डालीपुर	2689	5052	7741	3885	5540	9425	1593	3615	5208
खटीमा	11049	322	11371	9917	3494	13411	11707	904	12611
ढकरानी	2375	4963	7338	4896	3730	8626	4924	1250	6174
माता-टीला	1018	12107	13125	352	10580	10932	1088	11197	12285
कुलहल	2469	3610	6079	3768	3952	7720	..	15458	15458
योग	25505	72077	97582	33384	93418	126802	28306	90547	118853

निम्न विशिष्ट बातें जानकारी में आई :

(क) रिहन्द

विद्युत् गृह की मशीनें I से V तक वर्ष 1962 में चालू की गई थीं जब कि मशीन VI 1965 में चालू की गई। सितम्बर 1963 में यह निरूपित किया गया (4,500 घण्टे चलने के बाद) कि सभी पांचों मशीनों में जनरेटर को सहारा देने वाली दीवालों में (ई एल 654 से 681 और 660) खड़ी दरारें पड़ गई हैं, इसके अतिरिक्त दीवाल की उत्तरी सतह (डाउन स्ट्रीम) पर अनेकों अनियमित दरारें दिखती थीं। यह दरारें जून 1972 तक अपरिवर्तित रहीं जब उन्होंने चौड़ा होना प्रारम्भ किया। दरारें अन्ततः नवम्बर 1973 में बन्द कर दी गईं।

इसके अतिरिक्त निम्न कमियां भी विकसित हुईं :

(i) मशीन I की नीव में दरार जनरेशन कवर स्टील प्लेट में दरार में परिणत हुई।

(ii) विद्युत् चालित ट्रेवलिंग क्रेन ने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में वेण्ड शेप ले लिया।

(iii) पैरापेट वाल और ड्राफ्ट टयूब स्ट्रक्चर के मध्य असामंजस्य उत्पन्न हो गया।

(iv) इनटेक गेट संख्या 6,1970 से सील नहीं किया जा सका जो पानी के बहाव में परिणत हुआ। यह विद्युत गृह के सिविल स्ट्रक्चर्स (अपस्ट्रीम) के धंसाव में परिणत

हुआ। मशीन V का संशोधन कार्य नवम्बर 1977 में प्रारम्भ हुआ और अगस्त 1978 में रुपये 8 लाख की लागत से पूर्ण हुआ। फिर भी, कुछ दरारें पुन: विकसित हुईं और परिषद द्वारा धंसान का जारी रहना सन्देह किया गया (अगस्त 1978)। परिषद ने सभी मशीनों के संशोधन कार्य को गति देने का निर्णय लिया (फरवरी 1978)। तदनुसार मशीन III 9 फरवरी 1979 से बन्द रही। अन्य मशीनों के सम्बन्ध में संशोधन कार्य प्रगति में है (जनवरी 1980) जो चार वर्ष के लगभग ले सकता है और रुपये 35 लाख के आसपास लागत आएगी।

सिविल स्ट्रक्चर्स में खराबी की सम्भावनाएं भेल और सिंचाई विभाग के पास भी ले जाई गईं) (अप्रैल 1978)। उन्होंने राय प्रकट की (मई 1978) कि (i) विद्युत गृह कठोर चट्टनों पर निर्मित था, (ii) टरबाइन की स्पीड रिंग के नीचे की कांक्रीटिंग कमजोर हो सकती है (iii) विद्युत् गृह में दरारों का समुचित कारण मालूम नहीं हो पाया था।

(ख) छिब्रो

मशीन संख्या III और IV स्टेटर क्वायल त्रुटि के कारण क्रमश: 19 और 14 सितम्बर 1977 से परिचालन से बाहर चली गईं। अक्तूबर 1977 में गठित उच्चस्तरीय समिति ने (परिषद्, भेल और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर) अपने प्रतिवेदन (सितम्बर 1978) में कहा कि स्टेटर क्वायल्स में पाइको कैक्स थे, क्वायल्स पर रेन्डिंग प्राउट और वेन्डिंग प्रान विधियों में सिकुड़नें थीं जो क्वायल्स की असफलता का कारण थीं। भेल जिसने पहले मुफ्त मरम्मत किये जाने का प्रस्ताव किया था, यदि असफलता निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों के कारण थीं, मरम्मत के लिये रुपये 8.28 लाख का दावा किया (मार्च 1979) यद्यपि परिषद् के अनुसार क्वायलों में निर्माण सम्बन्धी त्रुटि असफलता का कारण थी। भेल का दावा अब भी परिषद् के पास पड़ा है (मार्च 1980)। मशीन III और IV क्रमश: 4,372 और 4,012 घंटों की हानि के बाद 20 मार्च 1978 और 28 फरवरी 1978 को पुन: परिचालन में आई।

मार्च 1979 में परिषद् ने उन्हें त्रुटि रहित बनाने हेतु सभी चारों मशीनों के क्वायल्स बदलने का निर्णय लिया और 1971 से 1975 के बीच भेल द्वारा रुपये 266.50 लाख के आपूर्तचार उत्पादन सेटों की कुल लागत के विरुद्ध रुपये 234 लाख के अपोक्सी कोटेड क्वायल्स आपूर्ति करने के लिए एक आदेश दिया (जून 1979)। बदलाई जो जून 1979 से प्रारम्भ की गई थी अब भी प्रगति में है (मई 1980)। विवश बन्दियां 503.04 एम के डब्ल्यू एच सीमा तक (राजस्व हानि: रुपये 905.47 लाख) विद्युत उत्पादन हानि में परिणत हुईं।

(ग) रामगंगा

सिंचाई विभाग द्वारा रामगंगा में पानी न छोड़े जाने के कारण प्रतिवर्ष 17 जून से उत्पादन बन्द रहता है। पानी 8 अक्तूबर या इससे पूर्व यदि जलाशय का स्तर 360 मीटर से अधिक हो जाता है छोड़ा जाता है। 1978 में मशीनों ने 17 जून 1978 से उत्पादन रोक दिया और विद्युत गृह प्रबन्धकों द्वारा मशीनों का अनुरक्षण प्रारम्भ कर दिया गया। 9 अगस्त 1978 को सिंचाई विभाग ने सूचित किया कि पानी 14 अगस्त 1978 से छोड़ा जायेगा। जब कि मशीन II ने 14 अगस्त 1978 से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया मशीन III तैयार नहीं की जा सकी और 21 अगस्त 1978 से उत्पादन प्रारम्भ किया। 14 अगस्त 1978 से 20 अगस्त 1978 के दौरान उत्पादन न किया जाना 9.6 एम के डब्ल्यू एच (राजस्व हानि : रुपये 17.28 लाख) की उत्पादन हानि में परिणत हुआ।

मशीन I एक थ्रष्ट पैड त्रुटि के कारण 14 दिसम्बर 1976 से परिचालन से बाहर थी। मशीन तोड़ दी गई (अप्रैल 1977) और थ्रष्ट पैड, रनर असेम्बली और शैफ्ट असेम्बली भेल, भोपाल को

मरम्मत के लिये भेज दिये गये (मई 1977) जो वहां जुलाई 1978 में पहुंचे। मरम्मत के बाद मशीन दिसम्बर 1978 में वापस प्राप्त की गई और 28 फरवरी 1979 को चलाई गई। भेल का रुपये 2.05 लाख का मरम्मत दावा अन्ततः रुपये 1.25 लाख में तय कर लिया गया।

फिर भी, परियोजना अधिकारियों ने विचार किया (दिसम्बर 1978) कि ब्रेक डाउन का प्रारम्भिक कारण आयल कूलर्स का फेल होना था। अतः जनवरी 1979 में सभी तीनों मशीनों के वतमान कूलरों (24) को लगभग 8.10 लाख रुपये की लागत पर एक्सटनल टाइप कूलरों से बदलने का निर्णय लिया। इनके लिए मार्च 1979 में भेल को आदेश दे दिये गये। दिसम्बर 1979 तक प्राप्त हो जाने की आशान्वित कूलर अभी भी प्राप्त होने हैं (मई 1980)।

(घ) कुलहल

कुलहल विद्युत् स्टेशन नदी के पाट के अन्दर स्थित है और जमुना नदी के बाढ़ के पानी (डाउन स्ट्रीम) के लिये खुला है। आसन वैरेज (जो कुलहल विद्युत स्टेशन को पोषित करता है) के लिये परियोजना प्रतिवेदन में कहा गया था कि विद्युत स्टेशन, यदि प्रस्तावित स्थान पर बनाया गया, में बाढ़ के विरुद्ध रक्षा के लिये कुछ नहीं है। विद्युत स्टेशन निर्माण के दौरान कार्य-स्थल 29 दिनों तक सितम्बर 1975 में बाढ़ग्रस्त रहा। 2 सितम्बर 1978 को यमुना नदी के बाढ़ के पानी और आसन वैरेज से छोड़े गये पानी ने स्टेशन को डुबो दिया (पांच मीटर गहरा)। भेल के प्रतिनिधियों ने विद्युत गृह का निरीक्षण किया (9 सितम्बर 1978) और सभी तीनों मशीनों के क्वायल बदलने और दूसरे उपकरणों की पुनर्स्थापना का सुझाव दिया। बदलाव और संशोधन का कार्य (चालू किये जाने सहित) भेल को टर्नकी आधार पर लागत निर्धारण के बिना दे दिया गया (सितम्बर 1978)। प्रबन्धकों ने मरम्मत की लागत रुपये 112.21 लाख आंकी थी (जून 1979)। मशीन I जो (मरम्मत बाद) नवम्बर 1979 तक चलाये जाने को अनुसूचित थी अब तक नहीं चलाई गई (मार्च 1980) और अन्य दो मशीनें जो मार्च और जुलाई 1980 तक चलाई जाने को अनुसूचित हैं भेल द्वारा उपकरणों, क्वायल्स आदि की आपूर्ति में देर के कारण विलम्ब से चलाये जाने को सम्भावित हैं। परिषद ने नदी के जल के तटीय प्रवाह को रोकने के लिये डाउन स्ट्रीम काफर डैम निर्माण करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1978)। कार्य (अनुमानित लागत रुपये 2.65 लाख) जो विभागीय ढंग से होना था अब तक पूर्ण नहीं किया गया है (मई 1980)।

(ङ) जल विद्युत उत्पादक मशीनों के ओवरहाल के लिये भारत सरकार द्वारा सुझाए (1974) और विद्युत परिषद् द्वारा स्वीकृत 2 हफ्ते (336 घंटे) मानक के विरुद्ध एक समीक्षा ने प्रगट किया कि मरम्मत में लिया गया वास्तविक समय इस सीमा से अधिक था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विद्युत् स्टेशन	मानक के अनुरूप घंटे	वास्तविक घंटे	अधिक घंटे	उत्पादन में कमी (एम के डब्लू एच)
रिहन्द	3,696	13,992	10,296	514.800
छिब्रो	672	1,759	1,087	65.220
रामगंगा	672	3,000	2,328	153.648
ढालीपुर	2,016	4,978	2,962	50.354
खटीमा	1,680	6,353	4,673	64.487
ढकरानी	3,324	12,895	9,571	107.674
कुलहल	1,344	4,029	2,685	26.850
योग	13,404	47,006	33,602	983.033

उत्पादन में कमी (983.033 एम के डब्ल्यू एच) के कारण रुपये 1,789.46 लाख (18 पैसे प्रति के डब्ल्यू एच की दर से) की राजस्व हानि हुई।

(i) यह जानकारी में आया कि खटीमा विद्युत् गृह की मशीन I गवर्निंग आयल में रिसाव के कारण अक्तूबर 1978 में 668 घंटे परिचालन से बाहर रही और 21 नवम्बर से 1 दिसम्बर 1978 तक मरम्मत और रेत सफाई के लिए पावर चैनल बन्द रहा। यह समय मशीन के ओवर हाल में उपयोग किया जा सकता था जो वास्तव में 1 दिसम्बर 1978 से 6 जनवरी 1979 के दौरान की गई।

(ii) पावर चैनल (ढकरानी, ढालीपुर और कुलहल) रेत सफाई और सामान्य अनुरक्षण के लिये 2 फरवरी से 19 मार्च 1978 तक बन्द था। विद्युत गृह प्रबन्धकों द्वारा इस अवधि के दौरान ओवरहालिंग नियोजित की जा सकती थी जो ढकरानी की मशीन II के संबंध में 1,109 घंटे (12.5 एम के डब्ल्यू एच), ढालीपुर की मशीन I के लिए 1,017 घंटे (17.3 एम के डब्ल्यू एच) और कुलहल की मशीन I के लिए 1,560 घंटे (15.6 एम के डब्ल्यू एच) की सीमा तक उत्पादन घंटों की हानि बचा सकते थे (उत्पादन की कुल हानि :45.4 एम के डब्ल्यू एच, राजस्व हानि: रुपये 81.72 लाख)।

8.07. स्टेशन सहायिकाएं–ओवरा जल विद्युत् स्टेशन

(क) विद्युत स्टेशन के परियोजना प्रतिवेदन में सहायिका उपभोग और परिवर्तन हानियों के लिये उत्पादित विद्युत का दो प्रतिशत का प्राविधान है। 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान मानक के ऊपर का आधिक्य नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	उत्पादित यूनिटें	दो प्रतिशत से उपभोग	वास्तविक उपभोग/ ट्रांसफार्मेशन हानियां	आधिक्य
			(एम के डब्ल्यू एच)	
1976–77	447.54	8.95	13.83	4.88
1977–78	313.13	6.26	16.12	9.86
1978–79	338.79	6.77	6.82	0.05
योग	1,099.46	21.98	36.77	14.79

परिषद् ने 1976–77 और 1977–78 के दौरान सहायिकाओं में अधिक उपभोग के कारणों की छानबीन नहीं की, जो रुपए 26.62 लाख की राजस्व हानि (18 पैसे प्रति यूनिट की दर से) में परिणत हुआ।

(ख) ढकरानी, ढालीपुर और कुलहल विद्युत स्टेशनों पर 1976–77 और 1977–78 के दौरान, जैसा नीचे दर्शाया गया है, विद्युत गृह बस बार पर ग्रिड में आपूर्ति हेतु कुल उपलब्ध विद्युत् और ग्रिड में वास्तव में पोषित विद्युत् के बीच भिन्नता थी :

वर्ष	उपलब्ध यूनिटें*	पोषित यूनिटें	अन्तर
		(एम के डब्ल्यू एच)	
1976–77			
ढकरानी	166.422	163.509	(–) 2.913
ढालीपुर	382.906	292.504	(–) 90.402
कुलहल	248.925	254.957	(+) 6.032
योग	798.253	710.970	(–) 87.283
1977–78			
ढकरानी	153.223	152.158	(–) 1.065
ढालीपुर	335.380	266.308	(–) 69.072
कुलहल	246.286	225.943	(–) 20.343
योग	734.889	644.409	(–) 90.480

रुपये 319.99 लाख के राजस्व हानि के मामले के कारणों का परिषद् द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया (मार्च 1980)।

8.08. वस्तुसूची नियंत्रण

(क) भण्डार अधिप्राप्ति के लिए परिषद ने बजट की कोई विधि नहीं अपनायी न ही रहतिये की कोई उच्चतम और निम्नतम सीमा निश्चित की। निम्न तालिका 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान भण्डार और स्पेअर्स आदि की स्थिति दर्शाती ह :

	1976–77	1977–78	1978–79
		(लाख रुपयों में)	
प्रारम्भिक रहतिया	100.50	149.62	153.94
वर्ष के दौरान क्रय	128.69	90.63	101.51
उपभोग	79.57	86.31	88.69
अन्तिम रहतिया	149.62	153.94	166.76
उपभोग के महीनों की संख्या	23	22	23

उपरोक्त तीन वर्षों के अन्त में विद्युत् स्टेशनों द्वारा रखा गया अंतिम रहतिया अधिक था और परिषद् ने रहतिया कम करने का कोई कदम नहीं उठाया (मार्च 1980)। प्रत्येक विद्युत्-गृह के संबंध में निम्न विवरण हैं:

विद्युत गृह	1976–77		1977–78		1978–79	
	उपभोग	अंतिम रहतिया	उपभोग	अंतिम रहतिया	उपभोग	अंतिम रहतिया
			(लाख रुपयों में)			
रिहन्द	11.61	27.71	28.21	32.19	18.92	22.80
छिब्रो	4.56	17.47	13.46	15.80	8.89	19.56
रामगंगा	26.26	11.71	13.85	4.93	12.81	7.34

* दूसरे स्टेशनों और एक अन्य राज्य (हिमांचल प्रदेश) से प्राप्त यूनिटें सम्मिलित हैं।

विद्युत गृह	1976-77		1977-78		1978-79	
	उपभोग	अंतिम रहतिया	उपभोग	अंतिम रहतिया	उपभोग	अंतिम रहतिया
	(लाख रुपयों में)					
ओबरा	16.36	31.62	14.58	39.46	20.88	45.38
ढालीपुर ढकरानी कुलहल	17.15	30.01	12.09	31.61	10.41	39.29
खटीमा	3.57	16.71	2.51	17.52	10.40	22.87
माताटीला	0.06	14.39	1.61	12.43	6.37	9,52
योग	79.57	149.62	86.31	153.94	88.69	166.76

परिषद् ने प्रत्येक विद्युत्गृह के लिए भंडार के उपभोग के लिए कोई मानक नहीं निश्चित किये थे । विभिन्न विद्युत् स्टेशनों में वर्षानुवर्ष उपभोग में पर्याप्त अन्तर था ।

तीनों वर्षों के अन्त में विद्युत् स्टेशनों द्वारा रखा गया अंतिम रहतिया अधिक था और खटीमा में 26 और 84 महीनों के उपभोग, ढालीपुर/ढकरानी/कुलहल में 21 और 45 महीनों के उपभोग, ओबरा में 23 और 32 महीनों के उपभोग, और छिब्रो और रिहन्द में 14 और 29 महीनों के उपभोग के लिए था। परिषद् ने विद्युत् स्टेशनों के लिए वस्तु सूची के स्तर के विश्लेषण के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की और न ही उसने भंडार के तेज, मन्द और न निकासी मद वर्गीकरण की कोई विधि परिचित कराई ।

(ख) भण्डार लेखों में कमियां

स्टाक रजिस्टर और टूल्स और प्लांट रजिस्टर और जो अर्ध-वार्षिकी/वार्षिकी बन्द किये जाने के लिए अपेक्षित हैं, में बकाए की सीमा निम्न थी:

	बकाये की सीमा	
	स्टाक रजिस्टर	टूल्स और प्लांट रजिस्टर
रिहन्द	अक्तूबर 1976 से	अक्तूबर 1975 से
छिब्रो	अप्रैल 1976 से	अक्तूबर 1976 से
रामगंगा	अक्तूबर 1974 से	अक्तूबर 1973 से
ओबरा	अक्तूबर 1975 से	अक्तूबर 1973 से
ढकरानी ढालीपुर कुलहल	अप्रैल 1976 से	अक्तूबर 1976 से
खटीमा	अप्रैल 1970 से	अक्तूबर 1969 से
माताटीला	अक्तूबर 1976 से	अक्तूबर 1978 से

इन बकायों के कारण विद्युत्-गृहों द्वारा रखा गया अंतिम रहतिया समाधान किया जाना, कमियों या हानियों की मात्रा आंकना-विश्लेषण करना और छानबीन करना सम्भव न था ।

31 मार्च, 1979 को ढकरानी-ढालीपुर-कुलहल और ओबरा विद्युत् स्टेशनों पर रुपये 9.53 लाख का आवश्यकता से अधिक भंडार (रुपये 7.63 लाख) और बेकार और अप्रचलित भंडार (रुपये 1.90 लाख) था, जो निस्तारण की प्रतीक्षा में था (मई 1980) ।

जुलाई 1973 से अप्रैल 1976 की अवधि के लिए रुपए 1.16 लाख मूल्य की भंडार की कमियां गईं (अप्रैल 1979) कमियां समाधान में थीं और रकम पावर कंस्ट्रक्शन डिवीजन, उत्तरकाशी के एक भंडारनायक से वसूली के लिए "प्राप्य लेखे" के अंतर्गत वर्गीकृत कर दी गई। तथापि, भंडारनायक ने मई 1976 में परिषद् की सेवा छोड़ दी।

उसी खण्ड में रुपये 1.23 लाख मूल्य के निर्माण भंडार की कमियां जून 1979 में सम्परीक्षा के दौरान पाई गईं। खण्ड ने उस खण्ड से पहले ही स्थानान्तरित भंडारनायक से वसूल करने के लिये धन "प्राप्य लेखे" के अन्तर्गत वर्गीकृत कर दिया।

8.09. भण्डार की अधिप्राप्ति

अतिरिक्त व्यय

ठकरानी के उत्पादक सेट (3 मशीनें) एक विदेशी फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये थे (1961) और मशीनें जनवरी 1970 तक कमीशन की गईं। जुलाई 1976 में ओवर हालिंग के दौरान यह जानकारी हुई कि रनर ब्लेड्स घिस गये थे और टिप क्लियरेंसेज बढ़ गए थे। मरम्मत भल द्वारा की गई (अगस्त 1976)। पुनः ओवरहालिंग के दौरान (मई 1977) यह पाया गया कि ब्लेड्स कट गई थीं, घिस गई थीं और क्लियरेंसेज बढ़ गए थे। निरीक्षण के बाद भेल ने ब्लेडों को बदले जाने की सलाह दी। विदेशी फर्म के ड्राइंग्स देने से मना कर दिये जाने पर (मई 1977) परिषद् ने विदेशी फर्म से ब्लेडों के दो सेट अधिप्राप्त करने का निर्णय लिया (मई 1977)। फर्म का रुपए 43.09 लाख (बीमा, सीमा शुल्क और समुद्री किराया सहित) प्रति सेट का प्रस्ताव (नवम्बर 1977) 31 जनवरी 1978 तक मान्य था। फर्म से मान्यता अवधि एक वर्ष (31 जनवरी 1979 तक) बढ़ाये जाने के लिये निवेदन किया गया (25 जनवरी 1978) जिस पर फर्म सहमत हो गई। तथापि, आदेश मान्यता अवधि के अन्दर तक भी नहीं दिया जा सका। प्रबन्धकों के निवेदन पर फर्म ने रुपए 43.09 लाख से रुपए 50.42 लाख (बीमा, सीमा शुल्क और समुद्री किराया सहित) प्रति सेट की मूल्य वृद्धि के साथ मान्यता अवधि 30 जून 1979 तक बढ़ा दी (दिसम्बर 1978)। अन्ततः जून 1979 में लगभग 53.10 लाख रुपये की लागत पर (विनिमय दरों में अन्तर सहित) एक सेट आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया गया जो रुपए 10.01 लाख के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ।

8.10. जनशक्ति विश्लेषण

(क) कार्मिक घटकों का विभिन्न विद्युत् स्टेशनों पर 1978–79 तक के तीन वर्षों के लिए अधिष्ठापित क्षमता के प्रति मेगावाट (संयंत्र उपलब्धता के 90 प्रतिशत पर आधारित) के लिए अनुमानित लगाई गई जनशक्ति का विश्लेषण निम्न है:—

विद्युत् स्टेशन	परियोजना क प्रति वेदन अनुसार	जनशक्ति प्रति मेगावाट 1976–77	1977–78	1978–79
		(संख्या में)		
रिहन्द	अनुपलब्ध	1.23	1.23	1.21
छिब्रो	1.14	0.93	1.11	1.17
रामगंगा	1.14	2.20	2.00	2.00
ओबरा	3.40	3.50	3.70	3.60
ढालीपुर	1.14	2.50	1.32	1.74
ढकरानी	1.84	3.80	5.13	2.84
खटीमा	अनुपलब्ध	5.00	5.30	5.30
माताटीला	1.80	5.00	4.80	4.90
कुलहल	1.80	2.70	4.17	4.17

कार्यशील जनशक्ति परियोजना प्रतिवेदन में प्रदत्त मानकों से सामान्य रूप से अधिक थी और परिषद् ने काम में लगे कर्मचारियों में अत्यधिक वैभिन्नता के कारणों की जांच नहीं की।

(ख) 1978–79 तक के तीन वर्षों के लिए विभिन्न विद्युत् स्टेशनों पर वास्तविक उत्पादन पर आधारित प्रति मेगावाट कार्य में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न थी :

विद्युत् स्टेशन	वास्तविक उत्पादन पर आधारित प्रति मेगावाट जनशक्ति		
	1976–77	1977–78	1978–79
रिहन्द	2.7	4.00	3.2
छिब्रो	2.4	2.9	2.7
रामगंगा	18.0	16.0	8.0
ओवरा	6.9	11.2	8.7
ढकरानी/ढालीपुर	5.4	6.0	3.4
खटीमा	10.0	15.0	12.0
माताटीला	11.0	9.0	9.8
कुलहल	4.4	7.3	12.3

परिषद् ने इन विद्युत् स्टेशनों पर कर्मचारी नियुक्ति पद्धति का अब तक विश्लेषण नहीं किया है (मई 1980)।

8.11. उत्पादन की लागत

विभिन्न जल विद्युत् स्टेशनों में प्रति इकाई उत्पादन लागत निम्न प्रकार थी :

विद्युत् स्टेशन	उत्पादन की लागत		
	1976–77	1977–78	1978–79
		(पैसे प्रति यूनिट)	(अनन्तिम)
कुलहल	8.0	8.7	23.3
रामगंगा	14.8	26.4	14.4
ढकरानी	5.3	6.5	13.8
ढालीपुर	3.8	5.3	12.2
ओबरा	4.9	7.3	7.0
माताटीला	7.3	6.0	6.9
छिब्रो	7.3	7.6	6.5
खटीमा	3.1	3.8	3.6
रिहन्द	2.6	4.4	3.5

परिषद् में उत्पादन लागत के सामयिक विश्लेषण की कोई विधि नहीं है।

8.12. मुख्य परिचालनीय स्वरूप

(i) रामगंगा जल विद्युत् परियोजना

रामगंगा परियोजना एक बहुधन्धी परियोजना रामगंगा समादेश क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित की गयी है और जब सिंचाई विभाग द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है तो "पीक लोड" स्टेशन की तरह कार्य करती है। उत्पादन मशीनें 8,310 क्यूसेक्स पानी के बहाव पर पूर्ण भार पर परिचालन के लिये डिजाइन की गयी हैं। 30 वर्षों के बहाव आंकड़ों के आधार और सिंचाई विभाग की आवश्यकताओं और पानी की निकासी को ध्यान में रखने पर

यह पाया गया कि केवल दो मशीने पूर्ण या आंशिक भार पर 36 हफ्ते (मशीन I) और 22 हफ्ते के लिये (मशीन II) चलने की आशा थी और मशीन III पानी की अनुपलब्धता के कारण चलायी नहीं जा सकती थी। आम सुविधाओं की लागत को अलग कर देने पर भी तीसरी मशीन की स्थापना लागत 5.21 करोड़ रुपये थी । अधिक क्षमता का निर्माण स्वीकार करते हुये प्रबन्धकों ने पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन (1978) में तीसरी मशीन की स्थापना "स्पिनिंग रिजर्व" के रूप में वर्णित की है (मानसून अवधि के दौरान मशीनों के ओवरहाल के अवसर पर प्रयोग के लिए) ।

(ii) परिषद् द्वारा भेल से किए गए एक सम्विदा अनुबन्ध (सितम्बर 1974) के अनुसार रामगंगा परियोजना के लिये मशीनों की आपूर्ति अप्रैल 1975 तक पूरी हो जानी थी, बाद में दिसम्बर 1976 तक बढ़ा दी गई। फिर भी आखिरी (तीसरी) मशीन मार्च 1977 में चलाई गई। आपूर्तियां खराब पायी गयीं और मामला, यद्यपि जून 1978 मे भेल से बताया गया लेकिन, पीछा नहीं किया गया (मार्च 1980)। आपूर्तिकर्ताओं पर विलम्ब से माल भेजने के लिये संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत (रुपये 55.18 लाख) तक दण्ड लगने योग्य था, लेकिन यह नहीं लगाया गया। भेल से अनुबन्ध के अनुसार संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत सीमा तक मूल्य वृद्धि देय थी। भेल ने जुलाई 1978 में विलम्ब से आपूर्ति अवधि सहित रुपये 126 करोड़ का मूल्य वृद्धि का दावा किया। इसके विरुद्ध रुपये 57.61 लाख की धनराशि (10 प्रतिशत सीमा तक सीमित) भेल को भुगतान की गयी (1977–78 में रुपये 40.68 लाख और 1978–79 में रुपये 16.93 लाख) फिर भी भेल ने आयातित उपकरणों (जनरेटर्स: रुपये 8.38 लाख, टरबाइन्स: रुपये 7.53 लाख और बिक्रीकर: रुपये 0.48 लाख) पर सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण रुपये 16.39 लाख का दूसरा दावा 8 मार्च 1978 को पेश किया। यह दावा भी 12 मार्च 1979 को भुगतान कर दिया गया। क्योंकि आदेश के 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक पहले ही भुगतान किया जा चुका था, रुपये 16.39 लाख का अतिरिक्त भुगतान संविदा की शर्तों के अनुसार न था।

(iii) तेल का रसाव

22 सितम्बर 1977 को यह जानकारी में आया कि मशीन III के बटरफ्लाई वाल्व में टर्बो आयल–17 रिस रहा था और टैंक में लगभग 1,400 लीटर का शेष था। रिसाव रोकने की उचित कार्यवाही किये बिना रुपये 0.89 लाख मूल्य का 6,355 लीटर तेल टैंक में मिला दिया गया। 12 अक्तूबर 1977 को 30 मिनट के अन्दर तेल बाहर निकल आया। उपरोक्त मिलायी गयी सीमा तक (6,355 लीटर) तेल बाईपास में बह गया। विद्युत गृह प्रबन्धकों द्वारा अक्तूबर 1977 में पूछतांछ पर यह पाया गया कि गास्केट खराब था जो तेल के बहाव में परिणत हुआ। भेल अभियन्ताओं ने भी राय दी (नवम्बर 1977) कि अप्रैल 1977 में मशीन की ओवरहालिंग के दौरान भी विद्युत-गृह प्रबन्धकों के द्वारा रिसाव जान लेना संभव था। सितम्बर 1977 में त्रुटियों को जाने बिना सामान्य तरह से तेल की भराई रुपये 0.89 लाख की परिहार्य हानि में परिणत हुई।

(iv) स्विचयार्ड को क्षति

जुलाई 1976 में सिंचाई विभाग द्वारा ब्लास्टिंग कार्यवाही बोल्डरों की आग की चिनगारियों में परिणत हो गयी और टरबाइन हाल की छत पर स्थित विद्युत् गृह के स्विचयार्ड को धक्का दिया। मरम्मत कार्य दिसम्बर 1976 में भेल को दिया गया। बदले गये सामानों सहित मरम्मत की लागत रुपये 4.95 लाख आई। क्षति के कारणों को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के पर्यवेक्षण नियंत्रण में कमी की आलोचना की और अनुशासनिक कार्यवाही का सुझाव दिया। परिषद् द्वारा हानि प्रतिपूर्ति का दावा सिंचाई विभाग से जोर देकर नहीं मांगा गया।

8.13. खटीमा विद्युत् स्टेशन पर मशीनों का पुनर्वासन

अप्रैल 1974 में टरबाइन के जलान्तर्गत पुर्जे (रनर ब्लेड्स, रनर एनवलप और इनर टाप-कवर आदि) वार्षिक ओवरहालिंग के दौरान क्षतिग्रस्त पाये गये। तीन वर्ष के बाद जुलाई 1977 में हिस्से पुर्जे अधिप्राप्ति हेतु रुपये 4.41 करोड़ का फर्म आदेश (रुपये 120.13 लाख कीमत के स्पेयर्स, एरेक्सन और कमीशनिंग की लागत को छोड़कर) भेल को दिया गया। भेल ने एक डिलीवरी सूची बतायी (नवम्बर 1975) लेकिन आदेश दिये जाने में विलम्ब के कारण उन्होंने पुनरीक्षित डिलिवरी सूची सूचित की (जून 1978), जो पुनः निम्न प्रकार पुनरीक्षित की गयी :

विवरण	मूल अनुसूची (नवम्बर 1975)	पुनरीक्षित अनुसूची (जून 1978)	वर्तमान अनुसूची (जनवरी 1979)
मशीन I	सितम्बर 1978	जनवरी 1979	दिसम्बर 1979 (अब तक नहीं चलायी गयी)
मशीन II	दिसम्बर 1978	जनवरी 1980	दिसम्बर 1980
मशीन III	मार्च 1979	जनवरी 1981	दिसम्बर 1981

उपकरण मार्च 1979 में कार्य स्थल पर आना प्रारम्भ हो गये। ओवरहालिंग की वर्तमान अनुसूची भी प्रभावित हो सकती है क्योंकि सिविल कार्य (विभागीय तौर पर हो रहे) अब भी प्रगति पर हैं (मई 1980)।

विद्युत् स्टेशन के पुनर्वासन पर रुपये 6.55 करोड़ की लागत आने का अनुमान है जिसमें से रुपये 61.87 लाख अब तक व्यय किये जा चुके हैं (जून 1979)।

8.14. कार्याधीन परियोजनाएं

(क) खोदरी विद्युत् परियोजना

छिब्रो जल विद्युत् स्टेशन के टेल रेस पानी को भूमि के भीतर की पावर टनल (5.6 किलो मीटर), 1964 के अनुमानों के अनुसार अनुमानित लागत रुपये 17.96 करोड़ (1978 में रुपये 65.16 करोड़ के लिये पुनरीक्षित) के माध्यम से उपयोग किये जाने को ध्यान में रखकर खोदरी पर एक विद्युत् स्टेशन (120 मेगावाट) निर्माण करने के लिये परियोजना परिषद् द्वारा 1964 में स्वीकृत की गयी और भारत सरकार द्वारा जून 1966 में अनुमोदित की गयी। उपकरणों और उत्पादक सेटों के लिये भेल को जुलाई 1964 (एरेक्शन खर्चों सहित रुपये 9.92 करोड़) में आदेश दिये गये। परियोजना प्रतिवेदन में प्राविधान के अनुसार दो इकाइयां मई 1975 और जुलाई 1976 के मध्य चालू होनी थीं।

सिविल कार्यों के लिये अनुबन्ध में कार्य का प्रारम्भ होना अप्रैल 1967 और पूरा होना 1972 में बताया गया था। तथापि, भूमि के भीतर की खुदायी में विपरीत भू-वैज्ञानिकी परिस्थितियों के कारण 1974 में छिब्रो विद्युत् स्टेशन के टेल रेस साइफन से भूमि के भीतर टनल की डिजाइन में परिवर्तन किये गये। तदनुसार प्रारम्भ में प्रस्तावित दो टनल (5 मीटर व्यास के 5.6 किलोमीटर लम्बाई में) के विरुद्ध एक टनल (7 मीटर व्यास) निर्माण के लिये प्रस्तावित किया गया जो भी साध्य नहीं माना गया (1978) क्योंकि उसे बहुत अधिक कुटे हुये, अस्थिर पथरीली तहों से होकर गुजरना था। अतः 5 मीटर व्यास के 3 टनल निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया (1978) और निर्माण कार्य प्रगति पर है (मार्च 1980)। उत्पादक मशीनों का एरेक्शन कार्य नवम्बर 1970 में प्रारम्भ हुआ था और मार्च 1979 में पूर्ण हुआ। फिर भी उत्पादक मशीने चालू नहीं की जा सकीं क्योंकि पावर टनल पूर्ण नहीं हो पाया था (मई 1980)। कार्य अब 1984 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परिषद् ने कार्य न करने वाले (आइडल) संयन्त्र और उपकरणों के रखरखाव पर रुपये 25 लाख (रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष से 5 वर्षों के लिये) और प्रयोग से पूर्व लम्बे भंडारण के कारण प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना से उपकरणों/हिस्सों पुर्जों की बदलाई के लिये रुपए 50 लाख का व्यय आने का विचार किया । सिचाई विभाग द्वारा टनल का पूरा न किया जाना इस तरह मार्च 1984 तक रुपए 75 लाख के परिहार्य व्यय में परिणत होगा, इसके अतिरिक्त मशीनों की अधिप्राप्ति में लगी पूंजी (रुपये 9.92 करोड़) 1983-84 तक ब्लाक रहेगी और परिषद् इस विनियोग पर 99 लाख रुपये के वार्षिक ब्याज से भारित रहेगी ।

(ख) मनेरी भाली परियोजना

(i) यह परियोजना जुलाई 1965 में प्रारम्भ की गई थी और भागीरथी नदी पर भाली ग्राम के समीप एक बांध (127 मीटर लम्बा और 39 मीटर ऊंचा) और रुपए 17.78 करोड़ की अनुमानित लागत, दिसम्बर 1976 में रुपये 61.30 करोड़ तक पुनरीक्षित, से तिलोथ (उत्तर काशी) के पास विद्युत् स्टेशन (93 मेगा वाट) के निर्माण की कल्पना थी ।

मशीनों (31 मेगावाट × 3) की आपूर्ति और एरेक्शन के लिए रुपये 11.15 करोड़ की अनुमानित लागत पर आदेश 1974 में भेल को दिये गये और उनका एरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग मार्च से जून 1978 के मध्य पूरा होना था। सिविल कार्यों के अनुबन्ध सिचाई विभाग द्वारा दिये गये (मई 1970)। उपकरणों का कार्य स्थल पर आगमन प्रारम्भ हो गया (जून 1979) जब कि अप्रैल 1972 में प्रारम्भ सिविल कार्य 1978 तक पूरा हो पाने की आशा थी जो अब भी प्रगति में था (मई 1980) ।

सिचाई विभाग द्वारा सिविल कार्यों को पूरा करने में विलम्ब के कारण तिलोथ (उत्तर काशी) विद्युत् स्टेशन पर मशीनों का एरेक्शन निम्न विवरण के अनुसार विलम्बित हो गया:

विवरण	जैसा अनुसूचित	आशान्वित	विलम्ब की सीमा (महीनों में)
मशीन I	मार्च 1978	दिसम्बर 1981	45
मशीन II	मार्च 1978	नवम्बर 1981	44
मशीन III	जून 1978	अक्तूबर 1981	40

(ii) संयंत्र और उपकरणों के स्थापनकर्त्ताओं (एरेक्टर्स) को भुगतान

परिषद् द्वारा भेल से उत्पादन मशीनों की आपूर्ति के लिए किये गये (1973) ड्राफ्ट अनुबन्ध के अनुसार भेल उत्पादन मशीनों की डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापन और कमीशनिंग के लिए जून 1980 तक अपेक्षित था। जून 1978 में परिषद् के सदस्य (उत्पादन) से हुई एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि सिविल कार्य के पूरा होने में विलम्ब की दशा में भेल द्वारा मशीनों का स्थापन और कमीशनिंग में विलम्ब होगा और मूल्य वृद्धि का मसला आ जायेगा । यह सहमति हुई कि भेल को जुलाई 1980 से प्रारम्भ कर पहली मशीन के स्थापन तक रुपये 0.60 लाख प्रति माह भुगतान किया जायेगा। वर्तमान संकेतों के अनुसार अक्तूबर 1982 तक मूल्य वृद्धि रुपये 16.80 लाख आयेगी।

(iii) सिविल कार्यों के पूरा करने में विलम्ब के कारण

सिविल कार्यों के पूरा करने में विलम्ब के लिए परियोजना प्रबन्धकों ने बताया (जून 1979) :

(i) विद्युत् गृह कार्य क्षेत्र और मशीन III के लिए रेत निकासी कार्य में दो माह का विलम्ब,

(ii) परिकल्पना निदेशालय, रुड़की से ड्राइंग्स की प्राप्ति में विलम्ब,

(iii) रेल हेड से कार्य क्षेत्र तक सन्देश साधनों के भंग होने के कारण वर्षा ऋतु में सिविल ठेकेदार द्वारा कार्य का निलम्बन ।

परिषद् ने भेल को भुगतान की जाने वाली मूल्य वृद्धि सिंचाई विभाग से प्रतिपूर्ति कराने के दावा की आवश्यकता पर विचार नहीं किया ।

8.15. अन्य रोचक विषय

(क) राजस्व का भारी अवशेष

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 1973–74 (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 15(1)(4) में मिजापुर जिले की एक अल्युमिनियम कम्पनी को 25 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत् आपूर्ति के बारे में कहा गया था । उपभोक्ता से रुपये 271.29 लाख का निम्न विवरण के अनुसार कुल बकाया था :

	वसूली की अवधि	दावे की प्रकृति	वसूली योग्य रकम (लाख रुपयों में)
(i)	1 अक्तूबर से 5 नवम्बर 1967	लोकल सरचार्ज	1.79
	1 दिसम्बर 1975 से 31 मई 1978	नाइट रेगुलेशन	5.33
	1 मार्च से 30 जून 1978	एडीशनल सरचार्ज	10.00
	1 जुलाई 1978 से फरवरी 1979	पीनल डिमाण्ड	4.28
	1 जुलाई 1978 से फरवरी 1979	शार्ट पेमेंट	54.54
			75.94
(ii)	फरवरी से अप्रैल 1962	भुगतान नहीं किए गए निर्माण अवशेष	1.66
	जून 1975 से अक्तूबर 1978	कोल सरचार्ज वेरिएशन–ओबरा	193.69
			195.35
	योग (i)+(ii)		271.29

इस रकम में से रुपये 193.69 लाख का कोल सरचार्ज वेरिएशन (ओबरा) परिषद् द्वारा अभिलेखों में कारण बताए बिना जून 1979 में माफ कर दिया गया । शेष रकम (रुपये 77.60 लाख) के लिए उपभोक्ता ने मांग स्वीकार नहीं की (जनवरी 1980) और मामला अब भी परिषद् के निर्णय में पड़ा है (मार्च 1980) ।

(ख) निर्माण ठेकेदारों से विद्युत् कर की न वसूली

(i) परियोजनाओं में सिविल कार्य सिंचाई विभाग द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाते हैं। सिंचाई विभाग के अनुबन्धों में निर्माण और घरेलू उपयोग के लिए अलग-अलग दरों पर परिषद् द्वारा विद्युत् आपूर्ति का प्राविधान होता है। जून 1973 में सिंचाई विभाग द्वारा मनेरी भाली परियोजना के लिए एक ठेकेदार से किए गए अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार को विद्युत 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से आपूर्त होनी थी और घरेलू उपभोग पर विद्युत् कर समय-समय पर लागू दरों पर लगाया जाना था । अनुबन्ध में यह भी प्राविधान था कि 95 प्रतिशत उपभोग निर्माण के लिए और 5 प्रतिशत

घरेलू उपभोग के लिए माना जायगा। ठेकेदार 20 प्रतिशत विद्युत् घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग करता हुआ राज्य सरकार के विद्युत् निरीक्षक द्वारा पाया गया (अगस्त 1977)। उसने प्रभाग को सलाह दी कि घरेलू और निर्माण कार्यों के लिए विद्युत् के अपृथकीकरण की दशा में विद्युत कर (संशोधन) नियम 1970, केवल 80 प्रतिशत निर्माण के लिए और शेष 20 प्रतिशत घरेलू उपभोग के लिए माने जाने का प्राविधान करता है। विद्युत् कर घरेलू उपभोग पर इसी आधार पर लेविएबुल था। उपभोक्ता ने राज्य सरकार के आदेशों को स्वीकार नहीं किया और सितम्बर 1977 से अप्रैल 1979 की अवधि के लिए विद्युत् कर (रुपये 1.37 लाख) भुगतान करने से इंकार कर दिया इस आधार पर कि उपभोग का अनुपात नियतीकरण अनुबन्ध के अनुसार नियंत्रित करना होगा। जून 1973 से अप्रैल 1979 तक लगने वाले विद्युत् कर की धनराशि रुपये 4.93 लाख आती है। इस मद में अन्डरचार्ज अप्रैल 1979 के बाद भी चल रहा है (मई 1980)।

(ii) इसी प्रकार, सिंचाई विभाग द्वारा उसी ठेकेदार (1966) तथा खोदरी विद्युत परियोजना में सिविल कार्य करने वाले अन्य ठेकेदार (1967) से किये गये अनुबन्ध में निर्माण और घरेलू प्रयोग के बीच क्रमशः 90 और 10 प्रतिशत विद्युत् उपभोग के पृथकता का प्राविधान था। 1970 में विद्युत कर नियम संशोधन के पश्चात् उपभोग पृथकता 80:20 के आधार पर आंकी जानी थी। उपभोग का संशोधित प्रतिशत लागू किए जाने के कारण मार्च 1971 से मई 1979 के दौरान उपभोक्ताओं पर रुपये 2.42 लाख कम विद्युत् कर लगाया गया। कम वसूली मई 1979 के बाद भी चल रही है (मई 1980)।

(ग) ट्रान्सफारमरों का क्रय

जल विद्युत परियोजना देहरादून के सामान्य प्रबन्धक द्वारा ट्रान्सफारमरों की अधिप्राप्ति हेतु आमन्त्रित निविदाएं (मई 1978) जुलाई 1978 में खोली गईं। मेरठ की फर्म को दिसम्बर 1978 में निम्न मदों के लिए आदेश दिया गया :

विवरण	मात्रा	लागत (लाख रुपयों में)
33/11.5के वी–5एम वी ए टान्सफारमर्स कम्प्लीट विथ सी टी	4	12.34
33/11.5 के वी–3.15 एम वी ए ट्रान्सफारमर्स	10	21.30
उपरोक्त के लिए स्पेअर्स	..	0.14
योग	..	33.78

निविदा विशिष्टियों के अनुसार फर्म उनके द्वारा प्रस्तुत और सामान्य प्रबन्धक से अनुमोदित डिजाइन के आधार पर ट्रान्सफारमर आपूर्ति के लिए अपेक्षित थी। आदेश दिए जाने के बाद फर्म ने तदनुसार ट्रान्सफार्मर आपूर्ति करने के बजाय एक पुनरीक्षित डिजाइन प्रस्तुत की जो सामान्य प्रबन्धक द्वारा स्वीकार कर ली गई (जनवरी 1979)। मूल और पुनरीक्षित डिजाइन में भिन्नता निम्नप्रकार थी :

विवरण	5 एम वी ए		3.15 एम वी ए	
	मूल विशिष्टि के अनुसार	जैसा फर्म द्वारा पुनरीक्षित किया गया	मूल विशिष्टि के अनुसार	जैसा फर्म द्वारा पुनरीक्षित किया गया
लम्बाई (मिली मीटर में)	2,070	1,940	1,920	1,870
चौड़ाई (मिली मीटर में)	810	770	770	750
ऊंचाई (मिली मीटर में)	2,180	2,180	1,900	1,860
वजन (किलो ग्राम में)	1,800	1,600	1,500	1,400

विवरण	5 एम वी ए		3.15 एम वी ए	
	मूल विशिष्टि के अनुसार	जैसा फर्म द्वारा पुनरीक्षित किया गया	मूल विशिष्टि के अनुसार	जैसा फर्म द्वारा पुनरीक्षित किया गया
कोर का वजन (किलो ग्राम में)	4,510	3,902	3,000	2,926
टैंक का वजन (किलो ग्राम में)	3,250	3,085	2,600	2,550
तेल (किलो ग्राम में)	3,000	2,515	2,250	2,100
तेल सहित ट्रान्सफार्मर का कुल वजन (किलो ग्राम में)	14,000	12,400	9,950	9,500

सामान्य प्रबन्धक ने पुनरीक्षित ड्राइंग स्वीकृत करते समय कच्चे माल जैसे फौलाद, तांबे का तार और ट्रान्सफार्मर तेल के उपयोग में आई कमी के आधार पर ट्रान्सफारमर के मूल्य में कमी का प्रयास नहीं किया। मात्र वजन के आधार पर 5एम वी ए ट्रान्स फारमर में आनुपातिक कमी चारों इकाइयों के लिए रुपये 1.38 लाख और 3.15एम वी ए ट्रान्सफारमरों के 10 इकाइयों के लिए रुपये 0.96 लाख आती है। इस तरह आपूर्तक रुपये 2.35 लाख लाभ पा गए जो निविदा विशिष्टियों और उनको दिए गए आदेश के अनुरूप न था।

(घ) क्रेन की अधिप्राप्ति

अप्रैल 1978 में मनेरी भाली मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता ने नई दिल्ली की एक फर्म को रुपये 1.20 लाख की एक 5 मैट्रिक टन ई ओ टी क्रेन अधिप्राप्ति के लिए आदेश दिया। उपकरण जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद आपूर्त होना था। जुलाई 1978 में क्रेन के कुछ हिस्से आपूर्तकों द्वारा भेज दिए गए और टेहरी पावर कंस्ट्रक्शन डिवीजन द्वारा रुपये 0.23 लाख फर्म को डिस्पैच कागजों के विरुद्ध भुगतान कर दिया गया। क्योंकि फर्म ने उपकरण के लिए जांच प्रमाणपत्र नहीं दिया, खण्ड ने अगस्त 1978 में रेलहेड (ऋषिकेश) पर प्राप्त शेष हिस्से स्वीकार नहीं किए। पार्टी से धनराशि (रुपये 0.23 लाख) वसूल नहीं हो पाई है (मई 1980)।

मामला परिषद्/सरकार को अक्तूबर 1979 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 1980)।

8.16. सारांश

(i) विभिन्न उत्पादक स्टेशनों के लिए निर्धारित लक्ष्य स्थापित क्षमता के 26 प्रतिशत (रामगंगा) से 85 प्रतिशत (खटीमा) तक घटते बढ़ते थे। रिहन्द (1976–77 और 1978–79 में लक्ष्योपरि उत्पादन) और ओबरा (सभी तीनों वर्षों में लक्ष्योपरि उत्पादन) के लक्ष्य विशेष रूप से कम थे। कम उत्पादन और कमी के कारणों को परिषद द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया।

(ii) 20 मार्च 1978 (रेत सफाई और वार्षिक अनुरक्षण के बाद) को डाक पत्थर से पावर चैनल खुलने पर भारी रिसाव जानकारी में आया जिसने विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक निम्नतम प्रवाह घटा दिया। यह 29 अप्रैल 1978 तक जारी रहा और 10.6 एम के डब्लू एच (राजस्व हानि: रुपये 19.08 लाख) उत्पादन की हानि में परिणत हुआ।

(iii) 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान जबकि नियोजित अनुरक्षण 25,505 से 33,384 घंटे था विवश बन्दियां 97,582 से 1,26,802 घंटे थीं।

1977–78 में छिब्रो में दो मशीनें स्टेटर क्वायल्स त्रुटियों के कारण 4,372 और 4,012 घंटे परिचालन से बाहर रहीं (उत्पादन हानि: 503.04 एम के डब्ल्यू एच, राजस्व हानि: रुपये 905.47 लाख)। निर्माण खराबी की अवस्था में भेल ने मुफ्त मशीनों की मरम्मत का प्रारम्भ में प्रस्ताव किया

था लेकिन मरम्मत के लिए रुपये 8.23 लाख का दावा किया (मार्च 1979) जो पड़ा है। सभी मशीनों में क्वायल्स बदलने के उद्देश्य से परिषद् ने भेल द्वारा रुपये 266.50 लाख की कुल लागत में आपूर्त 1971–75 में 4 उत्पादक सेटों की तुलना में रुपये 234 लाख के अपोक्सी कोटेड क्वायल्स के लिए भेल को आदेश दिया (जुलाई 1979)। क्वायल्स बदलने का कार्य प्रगति में है।

(iv) बाढ़ से कोई बचाव न रखने वाला कुलहाल विद्युत् स्टेशन 2 सितम्बर 1978 को बाढ़ के पानी से डूब गयी। भेल को टर्न की आधार पर तीन मशीनों के क्वायल्स बदलने और अन्य उपकरणों के पुनर्स्थापना का दिया गया कार्य (सितम्बर 1978) अब भी प्रगति पर है। मरम्मत कार्य की लागत परिषद् द्वारा रुपये 112.21 लाख अनुमान की गई थी। नदी के पानी के तटीय बहाव को रोकने के लिए विभागीय ढंग से बनाए जाने वाले "काफर डैम" का निर्माण अब भी प्रगति पर है (मई 1980)।

(v) राम गंगा परियोजना में वर्ष के कुछ भाग के लिए 3 मशीनों में से केवल 2 के परिचालन के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता रहती है। इस तरह रुपये 5.21 करोड़ की लागत से तीसरी मशीन की स्थापना अधिकतर व्यर्थ थी।

(vi) रामगंगा की मशीन I दिसम्बर 1977 से परिचालन से बाहर थी, अप्रैल 1977 में तोड़ी गई, मई 1977 में भेल भेजी गई, जुलाई 1978 में भोपाल पहुंची, दिसम्बर 1978 में वापस प्राप्त की गई और फरवरी 1979 में चालू की गई। 3 मशीनों के सभी 24 एअर कूलर रुपये 8.10 लाख की लागत से बदलने का निर्णय लिया गया, जो भेल से दिसम्बर 1979 तक आने थे, अब भी प्रतीक्षित हैं।

(vii) जनवरी 1977 से अप्रैल 1979 के दौरान मशीनों के ओवरहाल में अधिक समय लिए जाने के कारण (2 हफ्ते या 336 घंटे के मानक से ऊपर) उत्पादन में 983.033 एम के डब्लू एच कमी के (7 विद्युत् स्टेशनों पर) कारण रुपय 17.69 करोड़ की राजस्व हानि आई। 2 फरवरी से 19 मार्च 1978 तक पावर चैनल बन्द रहने के समय ढकरानी (मशीन II), ढालीपुर (मशीन I) और कुलहाल (मशीन I) के ओवरहाल का ताल मेल न हो पाना 45.4 एम के डब्ल्यू एच (राजस्व हानि: रुपये 81.72 लाख) की उत्पादन हानि में परिणत हुआ।

(viii) ओवरहाल में 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान 2 प्रतिशत (उत्पादित विद्युत का) के मानक से अधिक सहायिका उपभोग और परिवर्धन हानि 14.79 एम के डब्ल्यू एच (राजस्व हानि: 26.62 लाख रुपये) आती है।

(ix) 1976–77 और 1977–78 के दौरान ढकरानी, ढालीपुर और कुलहाल विद्युत् स्टेशनों पर उपलब्ध विद्युत् और ग्रिड में पोषित विद्युत् के बीच 177.763 एम के डब्ल्यू एच का अन्तर था। राजस्व हानि रुपये 319.97 लाख आती है और कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

(x) परिषद ने भण्डार अधिप्राप्ति के लिए बजट की कोई विधि परिचित नहीं कराई और न ही भण्डार की उच्चतम और निम्नतम सीमाएं निश्चित कीं। विद्युत् स्टेशनों पर रखे भण्डार और स्पेअर्स का अन्तिम रहतिया 22–23 महीनों के उपभोग का प्रतिनिधित्व करता है। वर्षानुवर्ष विभिन्न विद्युत् स्टेशनों पर भण्डार के उपभोग में पर्याप्त विभिन्नताएं जानकारी में आईं।

(xi) स्टाक रजिस्टरों और टूल्स व प्लाण्ट रजिस्टरों की बन्दी में भारी अवशेष था जिसका परिणाम था कि अन्तिम रहतिया का अन्तर मिलान और कमियों या भिन्नताओं की सीमा विश्लेषण/जांच पड़ताल सम्भव न था।

(xii) 31 मार्च 1979 को ढकरानी, ढालीपुर और कुलहाल विद्युत् स्टेशनों पर आवश्यकता से अधिक (रुपये 7.63 लाख) व्यर्थ और अप्रचलित भण्डार (रुपये 1.90 लाख) था जिसकी बिक्री प्रतीक्षित थी। रुपये 2.39 लाख मूल्य की भण्डार की कमियां समायोजन की प्रतीक्षा में थीं। रुपये 1.16 लाख की कमियों से सम्बन्धित स्टोर कीपर परिषद की सेवा पहले ही छोड़ चुका था।

(xiii) ढकरानी में एक मशीन के लिए ब्लेड का एक सेट आयात करने के लिए आदेश देने में विलम्ब के कारण (मान्यता 14 माह बढ़ाए जाने के बावजूद) परिषद को पूर्व प्रस्तावित मूल्यों (नवम्बर 1977) पर रुपये 10.01 लाख (23 प्रतिशत) का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(xiv) कार्य में लगी जनशक्ति परियोजना प्रतिवेदन में प्रविधान किए मानकों से सामान्यतयः अधिक थी और अधिक कर्मचारी लगाए जाने में पर्याप्त भिन्नता के कारणों को परिषद् द्वारा जांचा नहीं गया।

(xv) 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में प्रति इकाई उत्पादन लागत 2.6 पैसे से 27.4 पैसे तक घटती बढती रही। सामयिक विश्लेषण/उत्पादन लागत की समीक्षा की कोई विधि नहीं है।

(xvi) भेल को आदेश की कीमत के 10 प्रतिशत् की अनुबन्धीय सीमा से ऊपर रुपये 16.93 लाख की मूल्य वृद्धि राम गंगा परियोजना के लिए आपूर्त मशीनों में दी गई (मार्च 1979)। उसी समय विलम्ब से आपूर्ति के लिए लगाया जाने वाला दण्ड (अनुबन्ध कीमत का 10 प्रतिशत या रुपये 55.18 लाख) नहीं लगाया गया।

(xvii) वार्षिक अनुरक्षण के दौरान (अप्रैल 1974) खटीमा में क्षतिग्रस्त पाई गई सभी मशीनों की टरबाइन्स के जलान्तर्गत हिस्से बदलने के लिए जुलाई 1977 में स्पेअर्स, एरेक्शन और कमीशनिंग (मूल्यः रुपये 120.13 लाख) को छोड़ कर हिस्सों (कीमतः रुपये 4.41 करोड़) के लिए भेल को एक आदेश दिया गया (3 वर्ष से अधिक समय बाद)। कार्य में जो (नवीनतम अनुमानों के अनुसार) दिसम्बर 1979 से दिसम्बर 1981 तक पूरा हो जाने की आशा थी सिविल कार्य अब भी प्रगति में होने (मई 1980) के कारण और विलम्ब होने की सम्भावना है।

(xviii) परिषद द्वारा 1964 में अनुमोदित खोदरी परियोजना रुपये 17.96 करोड़ लागत के लिए अनुमानित थी जो बाद में 1978 में रुपये 65.16 करोड़ के लिए पुनरीक्षित की गई। उत्पादक मशीनों का एरेक्शन नवम्बर 1970 में प्रारम्भ हुआ और मार्च 1979 में पूरा हुआ। फिर भी मशीन चालू नहीं की जा सकी क्योंकि विपरीत भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण पावर चैनल पूरा नहीं हुआ (मई 1980) और वह अब 1984 के अन्त तक पूरा हो पाने की आशा है। संयंत्र चालू होने में विलम्ब रुपये 75 लाख परिहार्य व्यय और इसके अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए मशीनों पर आइडल विनियोग तथा इस विनियोग पर 99 लाख रुपये के वार्षिक ब्याज भार से परियोजना को बोझीला बनाने में परिणत होगा।

(xix) जुलाई 1964 में प्रारम्भ और मार्च-जून 1978 में पूरा होने के लिए मूलरूप से अनुसूचित मनेरी भाली परियोजना (सिविल कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के कारण) अक्तूबर-दिसम्बर 1981 तक पूरा होने की आशा थी। अप्रैल 1972 में प्रारम्भ सिविल कार्य अब भी प्रगति पर थे और एक वर्ष का और विलम्ब होने की सम्भावना थी। मशीनों के एरेक्शन और कमीशनिंग में विलम्ब के परिणामस्वरूप परिषद् मूल्य वृद्धि के लिए भेल को रुपये 16.80 लाख की अतिरिक्त राशि देने के लिए उत्तरदायी है।

(xx) मिरजापुर की एक अल्युमिनियम कम्पनी से लोकल सरचार्ज, पीनल डिमाण्ड, शार्ट-पेमेंट और कोल सरचार्ज वेरिएशन आदि के वसूली योग्य रुपये 271.29 लाख में से कोल सरचार्ज वेरिएशन के रुपये 193.69 लाख परिषद् द्वारा जून 1979 में माफ कर दिया गया जिसका कोई कारण अभिलेखों में न था। उपभोक्ता ने शेष रुपये 77.60 लाख का दावा स्वीकार नहीं किया है (जनवरी 1980)।

(xxi) घरेलू कार्यों पर उपभुक्त विद्युत् पर दो ठेकेदारों से (सिंचाई विभाग द्वारा नियुक्त) रुपये 7.35 लाख कम विद्युत् कर वसूला गया।

(xxii) आदेश पारित हो जाने के बाद ट्रान्सफारमर की डिजाइन में परिवर्तन के कारण (मूल्य समायोजन बिना) आपूर्तिकर्ता को रुपये 2.35 लाख का अनुचित लाभ दिया गया।

अनुभाग IX

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

राजस्व को हानि

9.01. विद्युत् प्रभारों के विलम्बित भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रभार का न लगाया जाना

लाइसेन्सदारों और भारी, वृहत और मिश्रित भार (100 के डब्लू के ऊपर) शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के अनुसार, यदि मासिक बिल का भुगतान उसमें निर्दिष्ट देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता बिल की अदत्त राशि पर सात पैसे (प्रथम जनवरी 1975 और 12 अक्तूबर 1974 के पहले क्रमशः लाइसेन्सदारों और अन्य के सम्बन्ध में पांच पैसे) प्रति 100 रुपये या उसके भाग पर, बिलम्ब के प्रतिदिन के लिए, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। परख सम्परीक्षा के दौरान यह जानकारी में आया (जुलाई 1978 से मार्च 1979) कि नौ विद्युत् वितरण खण्डों में इस प्रकार के विलम्बित भुगतान के लिए फरवरी 1973 से मार्च 1979 की विभिन्न अवधियों में कुल 22.33 लाख रुपये का (39 उपभोक्ता) अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया गया।

मामला परिषद् को दिसम्बर 1978 से जून 1979 के दौरान तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.02. दण्ड का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत् (सम्भरण, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) आदेश, 1977 (7 अप्रैल 1977 से प्रभावी तथा 1977–78 के लिए लागू) के अन्तर्गत सरकार ने विद्युत ऊर्जा के सम्भरण, वितरण, उपभोग और उपयोग को विनियमित करने के लिए 1977–78 के दौरान "विद्युत की कटौती" लगाई। आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, वृहत, भारी और अविरल प्रक्रिया वाले मध्यम उद्योगों के सम्बन्ध में कलेन्डर वर्ष 1976 के दौरान अंकित तीन लगातार उच्चतम अधिकतम मांगों के औसत पर आधारित भिन्न-भिन्न प्रतिशत की दर से विद्युत की कटौती का प्राविधान था। अविरल प्रक्रिया वाले औद्योगिक शक्ति उपभोक्ताओं द्वारा इस सीमा से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त मांग पर लागू दर के अतिरिक्त 50 रुपये प्रति के वी ए का दण्ड लगाया जाना था।

परख जांच (सितम्बर 1978 से मई 1979) के दौरान यह जानकारी में आया कि अप्रैल 1977 से मार्च 1978 के दौरान 23 उपभोक्ताओं द्वारा सृजित अतिरिक्त मांग पर 18.88 लाख रुपये के कुल जुर्माने नहीं लगाये गये। एक अकेले ही खण्ड में 12 उपभोक्ताओं से 12.52 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

मामला परिषद को अक्तूबर 1978 से मार्च 1979 के दौरान और सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.03. अधिभार का न लगाया जाना

सिंचाई के उद्देश्यों हेतु निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों के लिए लघु शक्ति की आपूर्ति पर लागू दर सूची के अनुसार (पहली नवम्बर 1974 से प्रभावी), यदि मासिक बिलों का भुगतान उनमें निर्दिष्ट देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता बिल की धनराशि पर (बकायों, यदि कोई हों, को छोड़कर) 12 प्रतिशत का अधिभार भुगतान करने का उत्तरदायी है। यदि भुगतान में छः माह से अधिक का बिलम्ब होता है (भुगतान की देय तिथि से आगामी माह के प्रथम दिन से गणना करने पर), तो उपभोक्ता बिलम्ब के प्रतिमाह या उसके भाग पर बिल की धनराशि पर दो प्रतिशत का एक और अधिभार भुगतान करने का उत्तरदायी है। इसी प्रकार का एक प्राविधान (12 अक्तूबर 1974 से प्रभावी) लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची में विद्यमान है।

सम्परीक्षा के दौरान यह जानकारी में आया कि (जुलाई 1978 से मार्च 1979) आठ विद्युत वितरण खण्डों मे उपर्युक्त श्रेणी के 226 उपभोक्ताओं से नवम्बर 1974 से नवम्बर 1978 के बीच बिलम्बित भुगतानों के लिये 2.25 लाख रुपये अधिभार के रूप में नहीं वसूला गया।

मामला परिषद् को मार्च 1978 से जून 1979 के दौरान और सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.04. न्यून प्रभार (न्यूनतम उपभोग गारण्टी)

(क) 7,000 के वी ए के सहमत भार के एक भारी शक्ति उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति करने के लिये परिषद् ने उन्नाव में पारेषण लाइन तथा सब स्टेशन बनाने पर 8.98 लाख रुपये का व्यय किया। उपभोक्ता ने 2.10 लाख रुपये आधी जमानत के रूप में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पूर्व जमा किए। शेष जमानत (2.10 लाख रुपये) चार वार्षिक किस्तों में वसूलनी थी। अनुबन्ध (जुलाई 1973) के अनुसार उपभोक्ता से 3.38 लाख रुपये (लाइन किराया के रूप में) 60 मासिक किस्तों में वसूलना था। उपभोक्ता को भार फरवरी 1974 से दिया जाना था लेकिन उपभोक्ता द्वारा अपनी तरफ संस्थापन पूरा न किये जाने के कारण और नए भार की पुक्ति पर राज्य सरकार के प्रतिबन्ध के कारण आपूर्ति का दिया जाना प्रथम तो सितम्बर 1974 तक और फिर मार्च 1976 तक स्थगित कर दिया गया। इसी बीच (जनवरी 1976) उपभोक्ता ने 2,000 के वी ए का भार समर्पण कर दिया, जिसको परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया गया (फरवरी 1976)। उपभोक्ता ने अपना संस्थापन सरकार द्वारा (अप्रैल 1976) प्रतिबन्ध हटाये जाने के बावजूद भी पूरा नहीं किया।

परिषद् ने निश्चय किया (जुलाई 1977) कि 5,000 के वी ए का भार उपभोक्ता को पहली अगस्त 1976 से दिया हुआ माना जायगा। उपभोक्ता पर जनवरी 1977 तक न्यूनतम उपभोग गारन्टी, जुलाई 1978 तक मांग एवं विद्युत् व्यय और उसके बाद न्यूनतम उपभोग गारन्टी के अधीन मांग एवं विद्युत व्यय के लिए बिलों का निर्गत किया जाना अपेक्षित था। अगस्त 1976 से जनवरी 1979 तक विद्युत व्ययों की धनराशि, जिसके लिए उपभोक्ता पर बिल निर्गत नहीं किए गये, 13.53 लाख रुपये निकलती है। लाइन् किराया (जनवरी 1979 तक) और जमानत जमा (तीन किश्तें) के क्रमशः 2.03 लाख रुपये और 1.58 लाख रुपये के बिल भी निर्गत नहीं किये गए थे। सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अगस्त 1978), खण्ड ने जमानत का बिल 1.58 लाख रुपये का (अगस्त 1979) और विद्युत व्यय तथा लाइन किराये का बिल 9.01 लाख रुपये (अक्टूबर 1979) निर्गत किये। इन बिलों के विरुद्ध 5.27 लाख रुपये उपभोक्ता से अब तक वसूल कर लिये गये (मार्च 1980)।

(ख) उसी प्रकार 6,000 के वी ए (750 के वी ए मिश्रित भार को सम्मिलित करते हुए) के सहमत भार के एक दूसरे भारी शक्ति उपभोक्ता को पहली जुलाई 1974 से बिजली की आपूर्ति के लिए परिषद् ने 10.33 लाख रुपये का व्यय उन्नाव में पारेषण लाइन तथा सब स्टेशन के निर्माण पर किया। उपभोक्ता ने आधी जमानत (1.80 लाख रुपये) अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पहले जमा कर दी थी, शेष आधी (1.80 लाख रुपये) चार वार्षिक किश्तों में वसूलनी थी। उपभोक्ता से 4.34 लाख रुपये की धनराशि लाइन किराये के रूप में 60 मासिक किश्तों में वसूलनी थी। किन्तु उपभोक्ता को 5,700 के वी ए की सीमा तक के भार को मुक्त करने का आदेश, अप्रैल 1976 में प्रतिबन्ध हटाये जाने के बाद सरकार द्वारा दिया गया (जुलाई 1976)। उपभोक्ता ने भार का उपयोग नहीं किया।

बाद में, जनवरी 1977 में, परिषद् ने निर्णय लिया कि 5,350 के वी ए का भार पहली जनवरी 1977 से अवमुक्त हुआ माना जाये। इस प्रकार उपभोक्ता जनवरी 1977 से मांग एवं विद्युत व्ययों के भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हो गया। जनवरी 1977 से अक्टूबर 1978 तक के विद्युत् व्ययों की धनराशि (उपभोक्ता ने नवम्बर 1978 से विद्युत लेना शुरू कर दिया), जिसके लिए उपभोक्ता को बिल निर्गत नहीं किए गये थे, 7.85 लाख रुपये निकलती है। लाइन किराये

(अक्तूबर 1978 तक) तथा जमानत जमा (दो किस्तें) के क्रमशः 1.74 लाख रुपये और 0.90 लाख रुपये के बिल भी नहीं निर्गत किये गये थे। सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अगस्त 1978) खण्ड ने जमानत के लिये 0.90 लाख रुपये (अगस्त 1979) और विद्युत् व्यय तथा लाइन किराये के लिये 4.57 लाख रुपये के बिल (अक्तूबर 1979) निर्गत किये। इन बिलों के विरुद्ध उपभोक्ता से 4.57 लाख रुपये वसूल किये गये (मार्च 1980)।

मामला परिषद् को अक्तूबर 1978 में और सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया, उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.05. गलत बिल करना

बृहत्त शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के प्राविधानों के अनुसार, सम्पूर्ण परिसर के लिये विद्युत् की आपूर्ति साधारणतया एक बिन्दु पर ही की जानी होती है। किन्तु, तकनीकी शक्यता (फीजीबिलटी) के अधीन, उपभोक्ता की प्रार्थना पर, विद्युत् एक से अधिक बिन्दुओं पर आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन ऐसे मामले में, आपूर्ति के प्रत्येक बिन्दु के लिये अलग-अलग मीटरिंग और बिलिंग करनी होती है।

मोदी नगर के इस प्रकार के दो विद्युत् उपभोक्ता क्रमशः पांच और छः बिन्दुओं पर इस उद्देश्य के लिये लगाये गये अलग-अलग मीटरों से विद्युत् की आपूर्ति लेते रहे। विद्युत् वितरण खण्ड, मोदीनगर प्रत्येक मीटर द्वारा अभिलेखित मांग को अलग-अलग बिल करने के बजाय, विभिन्न मीटरों के अधिकतम मांग सूचक (एम डी आई) पाठ्यांकों को जोड़ता रहा और समेकित मांग को प्रथम 1,000 के वी ए तक 15 रुपये प्रति के वी ए और 1,000 के वी ए से अधिक की मांग को 12 रुपये प्रति के वी ए की दर से चार्ज करता रहा। इन दो उपभोक्ताओं के नवम्बर 1974 से आगे के अभिलेखों की सम्परीक्षा में परख जांच (जून 1979) ने यह प्रकट किया कि नवम्बर 1974 से मई 1979 तक (नवम्बर 1974 से पहले के अभिलेख अनुपलब्ध) इस विधि से बिल करने के कारण 8.82 लाख रुपये की सीमा तक राजस्व की कम वसूली हुई। खण्डीय अधिकारी ने इस मामले को उच्च अधिकारियों को स्पष्टीकरण के लिये भेज दिया (जुलाई 1979) और पार्टी से अभी तक उक्त धनराशि का दावा नहीं किया गया है (मार्च 1980)।

मामला परिषद् को जुलाई 1979 में तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया, उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.06. लघु इस्पात संयंत्रों को विद्युत् आपूर्ति के संबंध में दरों का पुनिरीक्षण न करना और न्यूनतम प्रभारों का न लगाया जाना

(क) राज्य के लघु इस्पात संयंत्रों, बेलन तथा पुनर्बेलन मिलों तथा प्रेरण (इन्डक्शन) भट्टियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से परिषद् ने निर्णय लिया (फरवरी 1977) कि भारी शक्ति उपभोक्ताओं को लागू दर सूची के अन्तर्गत आने वाले और 9 बजे रात से 9 बजे सुबह तक विद्युत लेने वाले ऐसे उपभोक्ता 16 पैसे प्रति यूनिट की दर से तथा समय-समय पर लागू विद्युत् कर पर आपूर्ति पायेंगे। परिषद् ने फिर निर्णय लिया (5 अप्रल 1977) कि उन मामलों में जहां पर रात्रि में 12 घण्टे आपूर्ति दी गई है, 16 पैसे प्रति यूनिट की दर 4 यूनिट प्रति के वी ए के दैनिक नयूनतम उपभोग के अधीन होगी। यह दर उस अवधि के लिये लागू रहेगी जब तक कोयला, ईंधन तेल की कीमतें और स्टाफ की मजदूरी फरवरी 1977 में प्रचलित स्तर के बराबर रहेगी, और यह, समय-समय पर मजदूरी तथा कोयला, ईंधन तेल, इत्यादि की कीमतों में वृद्धि होने पर, वृद्धि के अधीन थी। लेकिन ईंधन तेल, कोयला कीमत तथा मजदूरी, आदि में वृद्धि होने के बावजूद भी यह रियायती दर 1977–78 के दौरान प्रभावी की जाती रही। परिषद् ने 1977–78 वर्ष के लिये दरों की वृद्धियों के आदेश अप्रैल 1979 में दिये लेकिन उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धनराशि का दावा नहीं किया गया। विद्युत्

वाणिज्यिक खंड, गाजियाबाद से आपूर्ति पाने वाले 10 भारी शक्ति उपभोक्ताओं से संबंधित कम वसूली की धनराशि 3.91 लाख रुपये निकलती है।

विद्युत् वितरण खंड, मोदीनगर के मामले में परिषद् द्वारा अधिसूचित (अप्रैल 1979) बढ़ी हुई दरों पर तीन उपभोक्ताओं को बिल जारी नहीं किये गये। सम्परीक्षा द्वारा यह बताये जाने पर (जून 1979), खंड ने कुल 4.52 लाख रुपये के बिल निर्गत कर दिये (जून 1979), वसूलियां प्रतीक्षित थीं (मार्च 1980)।

(ख) राज्य के लघु इस्पात संयंत्रों, बेलन तथा पुनर्बेलन मिलों और प्रेरण (इन्डक्शन) भट्टियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, परिषद् ने निर्णय लिया (फरवरी/जून 1977) कि 9 बजे रात्रि से 9 बजे सुबह तक परिचालित इस प्रकार की इकाइयां 16 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त करेंगी। परिषद् ने एक और निर्णय लिया (5 अप्रैल 1977) कि उन मामलों में जहां रात्रि म 12 घंटे आपूर्ति दी गई हो, 16 पैसे प्रति यूनिट की दर, 4 यूनिट प्रति के वी ए के दैनिक न्यूनतम उपभोग के अधीन होगी।

किन्तु सितम्बर 1977 से फरवरी 1978 तक (अवधि जिसके दौरान रात्रि में 12 घंटे आपूर्ति दी गई थी) 4 यूनिट प्रति के वी ए के न्यूनतम उपभोग की शर्त को ध्यान में रक्खे बिना विद्युत् वितरण खंड, उन्नाव तीन भारी विद्युत् उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग पर बिल निर्गत करता रहा। इसके परिणामस्वरूप, विद्युत् कर को सम्मिलित करते हुए 2.70 लाख रुपये की सीमा तक का कम प्रभार हुआ।

परिषद् के अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा यह और स्पष्ट किया गया (अप्रैल 1979) कि 16 पैसे प्रति यूनिट की दर आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को 400 वोल्ट्स से अधिक की आपूर्ति लेने के लिये छूट अनुमत नहीं होगी यदि 4 यूनिट प्रति के वी ए के दैनिक न्यूनतम उपभोग की शर्त पूरी नहीं की जाती। किन्तु खंड ने एक उपभोक्ता के मामले में सितम्बर 1977 से फरवरी 1978 की अवधि में छूट की अनुमति दे दी, परिणामस्वरूप 0.15 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले परिषद् को जून–अगस्त 1979 में तथा सरकार को जुलाई-सितम्बर 1979 में सूचित किए गये; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.07. शुल्क दर-सूची का गलत लगाया जाना

(क) वृहत और भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूचियों के अनुसार, यदि फैक्टरी में उपभोग के लिए आपूर्ति की गई बिजली घरेलू उद्देश्यों के लिये भी उपयोग की जाती है तो इस प्रकार का उपभोग, उपभोक्ता की प्रार्थना पर अलग कर दिया जाना चाहिए और अलग से ही मीटर किया जाना चाहिए तथा उपयुक्त दर सूची के अन्तर्गत चार्ज किया जाना चाहिए। यदि अलग से मीटर लगाये जाने की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो सम्पूर्ण उपभोग मिश्रित भार पर लागू उच्च दर पर चार्ज करना पड़ता है।

सम्परीक्षा में अभिलेखों की परख जांच (मार्च 1979) में यह प्रगट हुआ कि विद्युत् वितरण खण्ड–II, बुलन्दशहर के एक उपभोक्ता पर जुलाई 1978 से मई 1979 तक की अवधि में मिश्रित भार पर लागू उच्च दरों पर बिल नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 4.96 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

परिषद् ने बताया (मार्च 1980) कि फैक्टरी के परिसर में कोई भी आवासीय कालोनी नहीं थी। एक अतिथि गृह और तीन छोटे क्वार्टर्स फैक्टरी द्वारा अनावासीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, इस प्रकार न्यून निर्धारण कुछ भी नहीं था। लेकिन यह देखा गया (अधिशासी अभि-

यन्ता के प्रतिवेदन के अनुसार) कि सर्किट मई 1979 में अलग किया गया और आवासीय भाग के लिए रोशनी एवं पंखे के लिए अलग से मीटर लगाये गये ।

मामला सरकार को जुलाई 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1980) ।

(ख) एक विद्युत् उपभोक्ता सई जल सेतु बनाने के लिए 400 के वी ए के अनुबंधित भार पर अप्रल 1974 से बिजली ले रहा था । इलैक्ट्रिसिटी टैस्ट एण्ड कार्मशियल डिवीजन, रायबरेली ने उपभोक्ता को अप्रैल 1974 से नवम्बर 1976 तक, निर्माण कार्य के लिए दी गई विद्युत् पर लागू एच वी–1 बी (100 के डब्लू से ऊपर का मिश्रित भार) दर सूची के बजाय एच वी–2 बी दर सूची (भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू) के हिसाब से बिल किया । शुल्क दर सूची के गलत लगाये जाने के परिणामस्वरूप अप्रैल 1974 से नवम्बर 1976 तक की अवधि में कुल 0.88 लाख रुपये का न्यून प्रभार हुआ । सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर (दिसम्बर 1977), परिषद् ने बताया (दिसम्बर 1979) कि अनुपूरक बिल निर्गत कर दिया गया है (जनवरी 1978) तथा मार्च 1978 में वसूली हो गई है ।

9.08. भार की कमी

परिषद् के वर्तमान आदेशों के अनुसार, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए (निजी नलकूपों और पम्पिंग सेटों को छोड़कर) , स्वीकृत/अनुबन्धित भार, केवल अनुबन्ध की आवश्यक अवधि की समाप्ति के बाद, बकाया देयों के निबटारा करने पर, संशोधित मूल भार (बी एल) फार्म के प्रस्तुत करने पर, नया अनुबन्ध करने पर, भार में इस प्रकार की कमी के लिए व्ययों तथा नई दर पर अतिरिक्त जमानत, जहां पर लागू हो, का भुगतान करने पर कम किया जा सकता है । किंतु परिषद् ने इलैक्ट्रिसिटी टैस्ट एण्ड कार्मशियल डिवीजन, रायबरेली के क्षेत्र के अन्तर्गत वाले छः उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में उनके प्रारम्भिक संयोजन (कनेक्शन) की तिथि से (28 जनवरी 1975 से 21 नवम्बर 1975) दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही (अनुबन्धित शर्तों के अनुसार) और बकायों का निबटारा किए बिना ही, भार में कमी स्वीकृत कर दी (9 मार्च 1977) ।

पूर्वकालिक प्रभाव से भार में कमी के परिणामस्वरूप 2.21 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई । कमी करने के कुल 0.16 लाख रुपये के व्यय भी कथित उपभोक्ताओं से नहीं वसूले गये ।

मामला परिषद् को मार्च 1978 म तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया, उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980) ।

9.09. राजस्व का छोड़ना

(क) परिषद् द्वारा भूतपूर्व लाइसैंसी का कारोबार पहली जनवरी 1976 से लेते समय विद्युत वितरण खण्ड–III, मेरठ द्वारा नगर पालिका, मेरठ की अधिकतर सड़कों की रोशनी के जाम मीटरों को न तो बदला ही गया और न ही बिना जले बल्बों का कोई अभिलेख रखा गया । खण्ड द्वारा परिगणित यूनिटों के आधार पर निर्गत किए गये जनवरी 1976 से सितम्बर 1978 की अवधि के मासिक बिल उपभोक्ता द्वारा आंशिक रूप में विवादास्पद भुगतान किए गये ।

बोर्ड द्वारा गठित एक समिति (मुख्य क्षेत्रीय अभियंता, उप-मुख्य लेखाधिकारी और अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ से बनी हुई) ने एक बैठक (30 मार्च 1979) में जनवरी 1976 से सितम्बर 1978 की अवधि के कुल 2.20 लाख रुपये के (विद्युत् व्यय 1.35 लाख रुपये, छूट 0.85 लाख रुपये) बकाये के दावों को (पहले से प्राप्त आंशिक भुगतान को समायोजन करने क बाद) छोड़ देने का निर्णय लिया ।

समिति ने 2.20 लाख रुपयों को छोड़ने का अनुमोदन करते समय सड़क की रोशनी के मीटरों को चालू हालत में न रखने तथा सड़क की रोशनी के बिना जले बल्बों का अभिलेख न रखने (जिसके लिए 30 प्रतिशत की छूट दी गई थी) की भूलों के लिए खण्डीय अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया। चूक करने वाले अधिकारी के विरुद्ध परिषद् द्वारा की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 1980)।

(ख) भूतपूर्व लाइसेंसी से पहली जनवरी 1976 से कारोबार लेने के पूर्व, एक भारी शक्ति उपभोक्ता 256 अश्व शक्ति, 125 अश्व शक्ति, 10 अश्वशक्ति और 5 अश्वशक्ति के अनुबन्धित भारों पर उसी परिसर में चार बिन्दुओं पर बिजली की आपूर्ति पा रहा था। इस प्रकार के उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के अनुसार, बिजली साधारणतः पूरे परिसर में एक ही बिन्दु पर आपूर्ति की जाती है। लेकिन उपभोक्ता पर सम्बन्धित दर सूचियों के अन्तर्गत सितम्बर 1976 तक प्रत्येक मीटर के लिए अलग-अलग बिल जारी होते रहे। एक बिन्दु पर आपूर्ति की व्यवस्था के लिए चारों भारों को सम्मिलित कराने का कोई प्रयत्न किए बिना 10 अश्वशक्ति और 5 अश्वशक्ति के भार उपभोक्ता द्वारा समर्पण कर दिए गये (अक्टूबर 1976) और खण्ड ने अधिकतम मांग सूचक (एम डी आई) लगाये बिना और समेकित भार के लिए संशोधित अनुबन्ध सम्पादित कराये बिना, उपभोक्ता पर समेकित भार (381 अश्वशक्ति) के लिए अक्तूबर 1976 से जनवरी 1977 तक बिल जारी किए। खण्डीय अधिकारी ने कुल भार को एम डी आई लगवाये बिना 346 अश्वशक्ति तक भी (बिना परिषद् के अनुमोदन के जैसा कि अपेक्षित था) घटा दिया (फरवरी 1977)। जब उपभोक्ता पर जनवरी से सितम्बर 1976 की अवधि के लिए 26,963 रुपये का पिछले कम निर्धारण का बिल किया गया (अप्रैल 1978), तो उसने इस निर्धारण के विरुद्ध विरोध किया। उपर्युक्त समिति ने, जिसने विवाद को निपटाया, 26,963 रुपये की धनराशि को माफ कर दिया (31 मार्च 1979) और पहली जनवरी 1976 से समामेलित भार के लिए उपयुक्त अनुबन्ध सम्पादन न कराने के लिए तथा परिषद् के आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना एम डी आई लगाये भार को घटाने के लिए खण्डीय अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया। चूक करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, प्रतीक्षित है (मार्च 1980)।

मामला परिषद्/सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.10. निजी नलकूप

किश्तों की वसूली न होना

जुलाई 1972 में, परिषद् ने प्राथमिकता के आधार पर निजी नलकूपों और पम्पिंग सेटों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक स्कीम, 700 रुपये (जहां पर परिषद् द्वारा किया जाने वाला व्यय 4,000 रुपय तक था) और 1,050 रुपये की (जहां पर परिषद् द्वारा किया जाने वाला व्यय 4,000 रुपये से अधिक लेकिन 6,000 रुपये से अन-अधिक था) "प्राथमिकता व्यय" (वापस न करने योग्य) के रूप में प्रतिवर्ष अप्रल में वसूलने योग्य 10 वार्षिक किश्तों में वसूली की शर्त के साथ निकाली। पहली किश्त पम्पिंग सेटों को ऊर्जित करने के पहले वसूलने योग्य थी किन्तु विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, फर्रुखाबाद ने 135 उपभोक्ताओं से, जिनको 1972–73 तथा 1973–74 में संयोजन (कनेक्शन) दिये गये थे, अप्रैल 1973 तथा अप्रैल 1978 के बीच देय दूसरी तथा उसके बाद की किश्तों को वसूल नहीं किया और बिल निर्गत नहीं किये। इन उपभोक्ताओं से अप्रैल 1978 तक वसूल न की गई किश्तों का योग 0.63 लाख रुपये होता है।

परिषद्/सरकार ने बताया (फरवरी/मई 1980) कि बाकी किश्तों का भुगतान करने के लिये उपभोक्ताओं को नोटिसें दे दी गई हैं (जनवरी 1979) और 0.09 लाख रुपये की धनराशि वसूल कर ली गई है। यह भी सूचित किया गया कि असंयोजन तथा चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

9.11. राजस्व का कम लगाया जाना

भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू परिषद् की दर सूची के अनुसार, बिल करने के लिए मासिक मांग, वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबन्धित मांग का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी ।

परख सम्परीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर 1978 और मई 1979) कि 3 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में (विद्युत् वितरण खण्ड–II, मेरठ, बाराबंकी और विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, गाजीपुर में से प्रत्येक का एक) पार्टियों पर वास्तविक मांगों के बिल किए गये, जो अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत से कम थीं, परिणामस्वरूप 1.33 लाख रुपये का राजस्व कम लगाया गया ।

मामला परिषद् को जनवरी 1979 तथा जून 1979 के दौरान सूचित किया गया तथा सरकार को जुलाई 1979 में सूचित किया गया, उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980) ।

9.12. मीटर धीमा चलने के कारण न्यून प्रभार

विद्युत् वितरण खण्ड, हरिद्वार 100 के डब्लू के मिश्रित भार पर हरिद्वार में रेलवे को बिजली की आपूर्ति कर रहा है (जनवरी 1976) । हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ मीटर त्रुटिपूर्ण पाया गया (अप्रैल 1978) और अनिश्चित पाठ्यांक अभिलेखित कर रहा था । टेस्ट डिवीजन, रुड़की द्वारा लगाये गये (4 मई 1978) जांच मीटर ने यह प्रगट किया (जून 1978) कि मूल मीटर 34.7 प्रतिशत से धीमा चल रहा था । किन्तु डिवीजन में 4 मई 1978 से पहले के 6 माह की अवधि के लिए, जैसा कि इन्डियन इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 26 (6) में अपेक्षित है, उपभोग का पुनर्निर्धारण नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप 3 प्रतिशत का समायोजन करने के बाद, त्रुटि की सीमा जिस तक मीटर सही माना जायेगा, 0.59 लाख रुपये की कम वसूली हुई । सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अप्रैल 1979), खण्ड ने धनराशि वसूल करली (मई 1979) ।

उसी प्रकार, रुड़की विश्वविद्यालय की परिसर में लगाये गये (18 सितम्बर 1978) जांच मीटर ने यह प्रगट किया (सितम्बर 1978) कि दो मीटर 3.62 प्रतिशत तथा 9.29 प्रतिशत से धीमे चल रहे थे । किन्तु वितरण खण्ड, रुड़की ने मार्च से सितम्बर 1978 तक क 6 माहों के लिए 0.35 लाख रुपये की धनराशि की कम वसूली (1.11 लाख यूनिट) के लिए बिल निर्गत नहीं किये । सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर (जनवरी 1979) परिषद् ने बताया (अक्तूबर 1979) कि धनराशि वसूल कर ली गई है ।

9.13. संशोधित दर सूची के परिपालन में विलम्ब

परिषद् ने सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए पहली जुलाई 1978 से प्रभावी संशोधित दर सूची जारी की । उससे संलग्न अनुसूचियों में उल्लेखित आपूर्ति की शर्तों तथा अन्य बातों को वर्तमान प्रभार की दरों तथा वर्तमान अनुसूचियों और अनुबन्धों में समवर्ती तुल्य प्राविधानों की जगह स्थानापन्न होना था ।

विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, गाजियाबाद की सम्परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1979) कि अन्य अनुबन्धों के प्रतिकूल, 13 भारी शक्ति उपभोक्ताओं के अनुबन्धों में प्रभार की दर में कोई परिवर्तन करने के लिए 3 माह पूर्व सूचना देने की असाधारण शर्त थी । जब अनुबन्ध के मानक (स्टैण्डर्ड) फाम, जिनमें इस प्रकार की शर्त नहीं थी, लागू किए गये थे, तब यह शर्त निकाल देनी चाहिए थी । इस शर्त के परिणामस्वरूप परिषद् को इन मामलों में दरें केवल पहली अक्तूबर 1978 से संशोधित करनी पड़ीं और पहली जुलाई 1978 से नहीं, जिसके परिणामस्वरूप 0.92 लाख रुपये की धनराशि के राजस्व की हानि हुई ।

मामला परिषद् को अप्रैल 1979 में और सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया, उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.14. ईंधन लागत परिवर्तन समायोजन

वृहत् शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के प्राविधानों के अनुसार, ईंधन लागत परिवर्तन समायोजन परिषद् द्वारा प्रति माह निर्धारित ईंधन की संयुक्त औसत लागत के आधार पर करना होता है। अगर किसी भी कारण किसी विशेष माह की ईंधन अधिभार दर मुख्यालय द्वारा नहीं सूचित की जाती है तो बिल करने के लिये पिछले माह में लागू दर, बाद की तिथि में, जब सम्बन्धित माह की ईंधन अधिभार दर उपलब्ध हो जाय, समायोजन की शर्त के साथ अपनानी होती है।

विद्युत् वितरण खण्ड, चंदौसी ने अप्रैल 1975 से जुलाई 1976 क दौरान 15 वृहत् शक्ति उपभोक्ताओं के विरुद्ध अनन्तिम दरों पर बिल किए, लेकिन जब परिषद से अन्तिम दरें प्राप्त हो गईं तो बाद के बिलों में शेष धनराशि का दावा करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 0.64 लाख रुपये की सीमा तक न्यून प्रभार हुआ। सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अप्रैल 1979) खण्डीय अधिकारी ने जुलाई 1979 में अनुपूरक बिल निर्गत किए और 0.63 लाख रुपये की वसूली होना बताई गई (जनवरी 1980)। अवशेष की वसूली के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे (मार्च 1980)।

9.15. अधिक धन वापसी

भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के अनुसार, अनुबंधित मांग का 360 रुपये प्रति के वी ए प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम उपभोग गारण्टी (ईंधन लागत परिवर्तन समायोजन को शामिल करते हुए), जो अनुबंधित मांग पर 30 रुपये प्रति के वी ए प्रति माह की दर से लगानी होती है, उपभोक्ताओं से इस शर्त के साथ लेनी होती है कि इसका अंतिम समायोजन लेखा वर्ष के अंतिम बिल में कर दिया जायेगा। इस प्रकार, जहां सम्पूर्ण वर्ष में उपभोग की गई वास्तविक बिजली की राशि उस वर्ष की न्यूनतम उपभोग गारण्टी से अधिक हो जाती है, तो वर्ष के अन्तिम बिल में उपभोक्ता से ली गई अधिक धनराशि के लिए क्रेडिट देकर समायोजन किया जाता है।

बिजनौर के एक उपभोक्ता के मामले में उससे ली गई अधिक धनराशि के लिए इस प्रकार का समायोजन करते समय, विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, बिजनौर ने न्यूनतम उपभोग गारण्टी के कारण 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 की वर्षों के लिए 0.24 लाख रुपये, 0.31 लाख रुपये तथा 0.41 लाख रुपये की अनुमन्य धनराशियों के बजाय क्रमशः 0.47 लाख रुपये, 0.56 लाख रुपये और 0.78 लाख रुपये की क्रेडिट दी। इसके परिणामस्वरूप कुल 0.85 लाख रुपये की अधिक क्रेडिट हो गई। सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर (मार्च 1979) खण्ड ने अधिक क्रेडिट के लिए बिल जारी कर दिये (जून और सितम्बर 1979) और वसूलियों की प्रतीक्षा थी। (मार्च 1980)।

परिषद् ने बताया (जनवरी 1980) कि उपभोक्ता को देयों का भुगतान न करने के कारण असंयोजन नोटिस जारी कर दी है।

9.16. उत्पाद शुल्क को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रभार न लगाया जाना

विद्युत् के उत्पादन पर पहली मार्च 1978 से भारत सरकार द्वारा लगाये गये उत्पाद शुल्क का भार पूरा करने केलिए परिषद् ने सभी प्रकार के उपभोक्ताओं पर, निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों, राजकीय नलकूपों, जल सिंचाई, पम्प नहरों तथा जनता सर्विस कनेक्शनों को छोड़कर, 2.5 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त प्रभार लगाया। अतिरिक्त प्रभार मार्च से जून 1978 तक प्रभावी रहा। यह प्रभार परिषद् द्वारा पहली जुलाई 1978 से लागू की गई संशोधित शुल्क दर सूची में विलय कर दिया गया। सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर, उपर्युक्त अवधि के लिए कुल 0.57 लाख रुपये का

अतिरिक्त प्रभार विद्युत् वितरण खण्ड I, मुजफ्फरनगर (0.41 लाख रुपए) और विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, गाजियाबाद (0.16 लाख रुपये) द्वारा लगाया गया (जून 1979), वसूलियां प्रतीक्षित हैं (मार्च 1980)।

मामला परिषद् को मार्च और जून 1979 में तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.17. दावों की अनियमित वापसी

जून 1972 से 105 के वी ए के भार के फैक्टरी वाल एक वृहत् शक्ति उपभोक्ता के परिसर की, परिषद् की "छापा मार पार्टी" द्वारा जांच की गई (14 सितम्बर 1977), जिसने सूचित किया कि उपभोक्ता द्वारा फैक्टरी भार आवासीय उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जा रहा था (लगभग 10 रोशनी व पंखा के पाइंट संयोजित पाये गये) और नलकूप का मोटर भी आपूर्ति लाइन से सीधा संयोजित करके चलाया जा रहा था। नलकूप का पानी फैक्टरी और बाग में प्रयोग में लाया जा रहा था। जांच प्रतिवेदन उपभोक्ता द्वारा भी बिना किसी टिप्पणी के हस्ताक्षरित कर दिया गया। इसलिए विद्युत् वितरण खण्ड, उन्नाव ने अप्रैल से दिसम्बर 1977 की अवधि के लिए मिश्रित शुल्क दर सूची के अन्तर्गत बिल संशोधित कर दिये और 0.20 लाख रुपये का एक अनुपूरक बिल, फैक्ट्री भार को आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के कारण (0.19 लाख रुपये) और नलकूप को मुख्य लाइन से सीधा संयोजित करके चलाने के कारण (0.01 लाख रुपये), निर्गत कर दिया (अगस्त 1978)। अनुपूरक बिल उपभोक्ता द्वारा 4 सितम्बर 1978 को झगड़े में डाल दिया गया। इसलिए उपभोक्ता के परिसर का एक संयुक्त निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, उप खण्डीय अधिकारी (राजस्व) और सहायक अभियन्ता (मीटर्स) द्वारा 18 सितम्बर 1978 को किया गया जिसमें यह सूचित किया गया कि (i) निजी नलकूप मुख्य फैक्टरी भार से संयोजित था, (ii) चौकीदार के क्वार्टर में एक स्विच, बल्ब, ट्यूब लाइट, इत्यादि की फिटिंग का प्राविधान के बिना, स्ट्रीट लाइट से संयोजित था, और (iii) "छापामार पार्टी" द्वारा आवास के रूप में माना गया (सितम्बर 1977) हिस्सा (दो कमरे) टेलीविजन, रैफरीजिरेटर और सोफा सेट, रसोईघर तथा स्नान घर से सज्जित था और फैक्टरी के लिए क्लब और कैन्टीन के रूप में प्रयोग किया गया था। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर ("छापामार पार्टी" के प्रतिवेदन के एक वर्ष बाद) अनुपूरक बिल (0.20 लाख रुपये) और फरवरी 1979 तक देयों का भुगतान न करने के कारण अतिरिक्त दावा (0.02 लाख रुपये), सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना या अधिशासी अभियन्ता (छापामार), एक स्वतन्त्र पार्टी जिसके प्रतिवेदन पर राजस्व निर्धारित किया गया था, का परामर्श किए बिना, मार्च 1979 में वापस ले लिए गये।

यह देखा गया कि फरवरी 1979 में उपभोक्ता ने फैक्ट्री में आवास के उद्देश्य से रोशनी तथा पंखा के एक अलग भार के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था।

मामला परिषद् को अगस्त 1979 में तथा सरकार को सितम्बर 1979 में सूचित किया गया, उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

9.18. राजस्व प्राप्तियों का क्रेडिट न किया जाना

(क) विद्युत् वितरण खण्ड, देवरिया के एक लिपिक ने 50 रसीद बहियां (प्रत्येक 50 पत्रों की) एक मांग-पत्र (इन्डेन्ट) (नवम्बर 1977) के विरुद्ध एकत्रित कीं। इनमें से केवल 45 रसीद बहियां रसीद बहियों के रजिस्टर में दर्ज की गईं। सम्परीक्षा में यह देखा गया (नवम्बर 1978) कि लिपिक ने दो अलेखाबद्ध रसीद बहियों से दिसम्बर 1977 से अप्रैल 1978 की अवधि के दौरान 1.10 लाख रुपये की धनराशि का राजस्व इकट्ठा किया था और धनराशि रोकड़-बही में जमा नहीं दिखाई गई, यद्यपि लिपिक ने राजस्व के बही खातों में धनराशि को प्रविष्ट करने की व्यवस्था कर ली।

शेष तीन रसीद बहियों के विरुद्ध एकत्रित किये गये धन (यदि कोई हो) के विवरण उपलब्ध नहीं थे (दिसम्बर 1979)।

(ख) यह देखा गया (मार्च 1979) कि विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड I, मुरादाबाद में, एक लिपिक ने, जिसे उपभोक्ताओं से रोकड़ एकत्र करने का कार्य सौंपा गया था, 3 जनवरी से 21 फरवरी 1979 तक 1.09 लाख रुपए एकत्र किया था, लेकिन उसने खण्डीय रोकड़िये के पास केवल 0.45 लाख रुपये जमा किए थे, परिणामस्वरूप 0.64 लाख रुपया कम जमा हुआ।

(ग) यह देखा गया (जनवरी 1979) कि विद्युत् वितरण खण्ड–I, मथुरा में सेवा संयोजन व्ययों तथा बयाने की धनराशि के कारण अगस्त 1978 से जनवरी 1979 के दौरान एकत्रित किया गया (202 उपभोक्ताओं से) 0.11 लाख रुपया रोकड़-बही में 30 जनवरी 1979 तक लेखाबद्ध नहीं किया गया।

परिषद् ने बताया (दिसम्बर 1979) कि नियमित रूप से वसूली प्रतिवेदनों के प्रेषित न करने के कारण अस्थायी गबन में सुविधा मिली। यह और बताया गया कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा रही थी और यह कि धनराशि 31 जनवरी 1979 को जमा कर दी गई थी।

ऊपर के (क) और (ख) मामलों में राजस्व रोकड़-बही का राजस्व बही खातों से मिलान करने से सम्बन्धित नियमों का पालन न करने, वसूली प्रतिवेदनों को प्रेषित न करने, दैनिक वसूलियों को न/कम जमा करने के कारण तथा रसीद बहियों के स्टाक का मिलान न करने के कारण, जैसा कि परिषद् के आदेशों के अन्तर्गत अपेक्षित है, रोकड़ को लेखाओं में न लिये जाने में सुविधा मिली।

ऊपर के (क) तथा (ख) मामले परिषद् को फरवरी और मई 1979 के बीच तथा सरकार को सितम्बर 1979 में सूचित किए गये, उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

अनुभाग

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

अन्य रोचक विषय

10.01. ऊंची दरों पर कार्य देने में अतिरिक्त व्यय

(क) ओबरा थर्मल पावर स्टेशन एक्स्टैन्शन प्रोजेक्ट (चरण II व III) की साइट ग्रेडिंग और मिट्टी एवं चट्टानों की खुदाई, निस्तारण के लिये (अनुमानित लागत 70 लाख रुपये) खुली निविदाओं के प्रत्युत्तर में (12 नवम्बर 1973 को खोली गई) 78.21 लाख रुपये का न्यूनतम (परिगणित) प्रस्ताव देहली की एक फर्म से प्राप्त हुआ। अन्य दो प्रस्ताव 186.74 लाख रुपये तथा 213.83 लाख रुपये के परिगणित किये गये थे। न्यूनतम निवदा परिषद् की केन्द्रीय भंडार क्रय समिति द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया कि मिट्टी की खुदाई (4 मीटर तक) और कठोर चट्टानों की खुदाई (2–6 मीटर) की कुछ दरों पर कार्य नहीं किया जा सकता था और निविदादाता को वृहत् खुदाई से सम्बद्ध कार्य का कोई अनुभव नहीं था। अतः आंशिक कार्य (फर्म के प्रस्तावित मूल्य के आधार पर अनुमानित लागत: 54.53 लाख रुपये) द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (लखनऊ की एक फर्म) को फर्म द्वारा दी गई दरों पर (किये गये कार्य का मूल्य: 74.34 लाख रुपये) दिया गया (फरवरी 1974)। शेष कार्य तकनीकी कारणों से भारत सरकार के उपक्रम को उच्चतर दरों पर दिया गया (फरवरी 1974) क्योंकि इस कार्य से संबंधित अन्य सिविल कार्य उस संस्था को पहले ही दिये जा चुके थे।

निम्नतम प्रस्ताव को अस्वीकृति जिसके परिणामस्वरूप 37.34 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ (वास्तव में किए हुए कार्य के आधार पर), निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर देखनी है :

(i) न्यूनतम फर्म का प्रस्ताव अनुमानित लागत से अनुकूलरूप से तुलना करता था और कार्य की एक/दो मदों की दरों की अकार्यता (अनवर्केबिलिटी) के आधार पर निविदा को अस्वीकृत करना न्यायसंगत नहीं था। दी गई समग्र दरें उस समय प्रचलित सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर अनुसूची से तुलनात्मक थीं।

(ii) निम्नतम ठेकेदार द्वारा दी गयी (नवम्बर 1973) 4 रुपये प्रति घन मीटर की दर के विरुद्ध, जब कि मजदूरी दरें 1976–77 की दरों की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत कम थीं, दो मीटर की गहराई तक की मिट्टी की खुदाई का कार्य विभिन्न ठेकेदारों द्वारा (कार्यादेशों के आधार पर) 1976–77 और 1977–78 के दौरान भी 3.50 रुपये से 5.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर की सीमा में किया जा रहा था।

(iii) फर्म ने दुर्गम भू-प्रदेशों को सम्मिलित करते हुए 5.29 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न सिविल कार्यों के निर्माण के अनुभव के विवरण अपने प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये थे।

(ख) लखनऊ की फर्म ने, जिसे कार्य दिया गया था, दो प्रतिशत की छूट इस शर्त पर दी थी (निविदा खुलने की तिथि पर) कि कार्य समाप्त करने की अवधि 12 माह से बढ़ाकर 18 माह (मानसून महीनों को छोड़कर) कर दी जाय। परिषद् ने छूट के लिये आग्रह नहीं किया यद्यपि 12 माह के अन्दर समाप्त होने वाले कार्य का एक भाग ही (186.74 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत में से अनुमानित लागत 54.53 लाख रुपये) फर्म को दिया गया था। घटी हुई मात्रा के कार्य को समाप्त करने में ठेकेदार द्वारा लिया गया वास्तविक समय 17 माह था। परिषद् द्वारा दावा न की गई छूट की धनराशि 1.49 लाख रुपये निकलती है।

(ग) लखनऊ की फर्म से किये गये अनुबन्ध से संलग्न तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार जो कि अनुबन्ध का भाग हैं, मिट्टी को खुदाई और निस्तारण के क्षेत्र 100×100 मीटर क वर्गों में बांटे जाने थे और नाकान्तरालों (लीड्स) की माप इन वर्गों के केंद्रों से सरल रखाओं में की जानी थी। किन्तु परिषद् की थर्मल डिजाइन डाइरेक्टरेट, बिना कोई कारण बताये, व्यवहार्य लघुतम रास्त को अपनाकर, फर्म को भुगतान करन के लिय सहमत हो गयी। परिणामस्वरूप मार्च 1974 से जुलाई 1975 क दौरान 22,405 घन मीटर फालतू मिट्टी के निस्तारण में 1.35 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(घ) 1.69 लाख रुपये के योग के निम्नलिखित अधिक भुगतान भी दृष्टिगोचर हुए:

(i) दो स्थलों के क्षेत्रफल माप पुस्तिका में गलती से 1,402 वर्ग मीटर के स्थान पर 1,482 तथा 2,318 वर्ग मीटर के स्थान पर 3,424 वर्ग मीटर अभिलेखित कर दिये गए, परिणामस्वरूप 3,469 घन मीटर मिट्टी के कार्य पर 0.57 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(ii) चिमनी क्षेत्र तथा इलैक्ट्रिसिटी स्टोर्स प्लांट क्षेत्र से खोदी गई मिट्टी क्रमशः मार्शलिंग यार्ड्स "ए" तथा "बी" में पाटने के लिए ढुलवानी थी। इन क्षेत्रों से "ए" तथा "बी" यार्ड्स में पाटने के लिय ढुलवाई गई 81,537 तथा 91,212 घनमीटर मिट्टी माप पुस्तिका में गलती से क्रमशः 83,479 और 1,00,933 घन मीटर दिखा दी गई, परिणामस्वरूप 0.41 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया।

इसी प्रकार 46,643 घनमीटर मिट्टी जिसको पावर कूलिंग वाटर चैनल क्षेत्र से इलैक्ट्रिकल स्टोर यार्ड में डलवाने के लिये ढुलवाया गया दिखाया गया था, बाद वाले के अभिलेखों के अनुसार केवल 42,514 घन मीटर थी। इसके परिणामस्वरूप ढुलाई में 0.12 लाख रुपये (4,129 घन मीटर) का अधिक भुगतान हुआ।

(iii) माप पुस्तिका के अनुसार 32,518 घन मीटर मिट्टी इलैक्ट्रिसिटी स्टोर्स प्लांट क्षेत्र से कोल हैण्डलिंग क्षेत्र में (7,852 घन मीटर) और मार्शलिंग यार्ड में (24,666 घन मीटर) ढुलवाई गई। मापों का सार बनाते समय 7,852 घन मीटर की मात्रा सही दिखाई गई लकिन 24,666 घनमीटर की मात्रा भूल से 32,518 घन मीटर दिखा दी गई, परिणामस्वरूप 0.35 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया।

(iv) 5907 घन मीटर मिट्टी के कार्य का भुगतान दो बार हो गया (छठवें अनन्तिम बिल) एक बार तो तीन नाकान्तरालों को सम्मिलित करती हुई मिट्टी के निस्तारण में और दुबारा चार नाकान्तरालों को सम्मिलित करती हुई मिट्टी क निस्तारण में। इसक परिणामस्वरूप 0.18 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया।

(v) खुदाई की साइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए माप पुस्तिका में दो भुजाओं का योग 128.80 मीटर के बजाय 148.80 मीटर अभिलेखित करने के कारण गणना संबंधी त्रुटि हो गई, परिणामस्वरूप 0.06 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया।

ठेकेदार को अंतिम भुगतान जून 1976 में किया गया और उसकी जमानत जमा अक्तूबर 1976 में वापस कर दी गई।

मामला परिषद् को नवम्बर 1978 तथा जनवरी 1979 में तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

10.02. मिट्टी के कार्य का अधिक भुगतान

परिषद् की थर्मल डिजाइन डाइरेक्टरेट ने ओबरा प्रोजेक्ट (चरण II व III) के कोल हैन्डलिंग सिस्टम क सिविल कार्यों के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम को जनवरी 1975 म ठेका दिया।

सम्परीक्षा (अप्रैल-मई 1978) में यह दृष्टिगोचर हुआ कि 6,720 घनमीटर मिट्टी की ढुलाई का भुगतान फर्म को दो बार कर दिया गया, एक बार तो एक किलोमीटर तक के नाकान्तरालों को सम्मिलित करने वाली मिट्टी की ढुलाई में और दुबारा एक किलोमीटर के ऊपर के नाकान्तरालों में, परिणामस्वरूप 0.67 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया। सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर 0.67 लाख रुपये का अधिक भुगतान फर्म के अनन्तिम बिलों से समायोजित कर लिया गया बताया गया (जून 1978)।

सरकार को मामला अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

10.03. मजदूरी वृद्धि का अधिक भुगतान

ओबरा थर्मल पावर स्टेशन एक्सटैन्शन प्रोजेक्ट, (चरण II व III) के टर्बो-जनरेटर बायलर क्षेत्र में कंक्रीट प्रबलित सीमट कंक्रीट और सबंधित कार्यों के लिय थमल डिजाइन डाइरेक्टरेट द्वारा भारत सरकार के एक उपक्रम के साथ किये गये (मई 1973) एक अनुबन्ध में यह व्यवस्था थी कि सरकारी हस्तक्षेप, विधायी अधिनियम, न्यायाधिकरण निर्णय, और/या पंच निर्णय के कारण निम्नतम कोटि के श्रमिकों (मजदूरों) की मजदूरी में किसी भी वृद्धि की दशा म ठेकेदार अतिरिक्त भुगतान का हकदार होगा, बशर्ते 31 दिसम्बर 1972 की दर के ऊपर वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक हो। अतिरिक्त भुगतान की गणना के उद्देश्य के लिये न्यूनतम मजदूरी में 10 प्रतिशत की वृद्धि (ठेकेदार द्वारा वहन करने योग्य) के परे प्रत्यक एक प्रतिशत के लिए तत्संबंधी अतिरिक्त भुगतान, न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन की तिथि से किये गये कार्य के मूल्य पर 0.3 प्रतिशत होगा।

राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार (सितम्बर 1973) ओबरा क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी 2.25 रुपये (स्त्री) और 2.75 रुपये (पुरुष) प्रति दिन से बढ़ाकर 4.04 रुपये प्रति दिन (105 रुपय प्रति माह) कर दी गई। परिषद् ने मजदूरी में वृद्धि ठेकेदार द्वारा 2.50 रुपये के ऊपर वहन करने योग्य 10 प्रतिशत की वृद्धि निकाल कर 14.05 प्रतिशत के बजाय 2.50 रुपये की औसत दैनिक मजदूरी के आधार पर 15.45 प्रतिशत निकाली। पहली सितम्बर 1973 से संशोधित आधार पर नियमित किये गये भुगतान के परिणामस्वरूप 2.28 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अप्रैल/जुलाई 1978), अधिक भुगतान ठेकेदार के अनन्तिम बिलों से समायोजित कर लिया गया।

परिषद् ने बताया (फरवरी 1980) कि भुगतान की गई अधिक धनराशि वसूल कर ली गई है और अब आगे के भुगतान 14.05 प्रतिशत के हिसाब से किये जा रहे हैं।

मामला सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

10.04. स्क्रेपर का क्रय

परिषद् ने ओबरा थर्मल एक्सटैन्शन प्रोजेक्ट (चरण II) के अपने कोयला यार्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोयले की ढुलाई के लिये 11.60 लाख रुपय में 22.7 मैट्रिक टन वाला एक स्क्रैपर खरीदने का निश्चय किया (अप्रैल 1976)। स्क्रैपर के लिए बंगलौर में भारत सरकार के एक उपक्रम को आर्डर दिया गया (अगस्त 1976)। जनवरी 1977 में प्राप्त हुआ स्क्रेपर तबसे बिना प्रयोग का पड़ा हुआ है (मार्च 1980)। खंडीय अधिकारी, थर्मल ट्रांसपोर्ट ऐंड वर्कशाप डिवीजन, ओबरा ने बताया (मई 1978) कि चूंकि एक स्वतंत्र कोल हैन्डलिंग सिस्टम प्रतिष्ठापित किया जा रहा था, इसलिए स्क्रैपर का उपयोग आपात स्थिति में, जबकि कोल हैन्डलिंग सिस्टम ठप हो जायगा, किया जायेगा। कोल हैन्डलिंग सिस्टम पर निर्णय स्क्रैपर का आर्डर देने के 2 1/2 वर्ष पहले लिया गया था। इसके अतिरिक्त परियोजना के लिये कोयले की

आवश्यकता लगभग 1,000 मैट्रिक टन प्रति दिन की है, इससे यह प्रकट है कि कोल हैन्डलिंग सिस्टम के ठप्प हो जाने की दशा में स्क्रैपर पावर स्टेशन की आवश्यकता को मुश्किल से पूरा कर सकता है । दिसम्बर 1979 में इसको दूसरी प्रोजेक्ट पर स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया गया, किन्तु स्क्रैपर अब भी ओवरा में पड़ा है (मार्च 1980)।

मामला परिषद् को जुलाई 1978 में तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

10.05. सीमेण्ट की ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय

(क) अधिशासी अभियन्ता, थर्मल सिविल स्टोर्स प्रोक्योरमेण्ट डिवीजन, ओवरा ने "अ" के साथ चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी से ओवरा सिविल स्टोर्स तक (दूरी : 38 किलोमीटर) 29.50 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से (एक प्रतिशत की छूट के साथ) सीमेन्ट के बोरों की ढुलाई के लिये एक अनुबन्ध किया (14 जून 1977) । सीमेन्ट की ढुलाई के लिये 26 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर ओवरा में उसी प्रोजेक्ट क्षेत्र में स्थित तथा एक ही महाप्रबन्धक क नियंत्रण के अन्तर्गत कालोनी निर्माण खण्ड में प्राप्त हुई थी (26 मई 1977) । पहले वाले खण्ड ने "अ" के माध्यम से 33,601 मट्रिक टन सीमेन्ट ढुलवाया (11 सितम्बर 1977 तक) और अनुबन्ध की दर से 9.81 लाख रुपये का भुगतान किया गया जिससे प्रोजैक्ट साइट पर विभिन्न कार्यालयों के बीच प्रत्यक्षत: समन्वय के अभाव में 1.08 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(ख) इसी खण्ड के उपखण्ड अधिकारी IV ने सीमेन्ट को वैगनों से उतारने (चट्टा लगाने सहित) और भण्डार तक इसकी ढुलाई के लिये क्रमश: 3 रुपये और 7.25 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दरों पर कार्यादेश दिये (अप्रैल/नवम्बर 1977) जबकि खण्ड सीमेन्ट बोरियों की उतराई और ढुलवाई के लिये क्रमश: 2.50 रुपये और 5.50 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर पर एक ठेकेदार के साथ अनुबन्ध पहले ही कर चुका था (23 दिसम्बर 1976)। इस प्रकार 10,266 मैट्रिक टन सीमेण्ट की उतराई और ढुलाई उच्च दरों पर भुगतान करने के कारण परिषद् ने 0.11 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

मामला परिषद् को जनवरी 1979 में और सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

10.06. वितरण ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत

इलैक्ट्रिसिटी स्टोर प्रोक्योरमेन्ट सर्किल, लखनऊ ने 11/4 के वी रेटिंग्स के तांबा लपेट वाले वितरण ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत के लिए फैजाबाद की एक फर्म से दर प्रसम्विदा किया (दिसम्बर 1974)। फर्म द्वारा ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत में प्रयोग किए जाने वाले लेग क्वायल्स तथा ट्रान्सफार्मर तेल की दरें पहली जून 1974 को प्रचलित इन्डियन इलैक्ट्रिकल्स मैन्यूफैक्चरर्स सोशियेशन (आई ई एम ए) के मूल्यों पर आधारित थीं और संतोषपूर्ण मरम्मत के बाद ट्रान्सफार्मरों की सुपुर्दगी के माह के पहले वाले माह के प्रथम दिन पर प्रचलित आइ ई एम ए मूल्यों के अनुसार वृद्धि/कमी के अधीन थीं।

फर्म ने जुलाई 1975 से अक्टूबर 1977 के दौरान 151 ट्रान्सफार्मर मरम्मत किए और लेग क्वाइल्स में प्रयुक्त तांबा को छड़ों और पट्टियों के आइ ई एम ए मूल्यों में गिरावट के कारण दरों का समायोजन किए बिना ही आर्डर में दी गई दरों पर इसको भुगतान किये गये, परिणाम-स्वरूप 0.76 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हो गया।

मामला परिषद् को मार्च 1978 में और सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

10.07. पेल फैन्सिग का निर्माण

सब-स्टेशन तथा एल टी कैपेसिटर बैंक्स को घिरवाने के लिए विद्युत् वितरण खण्ड I, रायबरेली ने 4.90 रुपये प्रति फुट की दर पर कुल 2,000 फीट पेल फैन्सिग के निर्माण के लिए लखनऊ की एक फर्म को मई और जुलाई 1972 में दो आर्डर दिए। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार परिषद् द्वारा ठेकेदार को 27.38 मैट्रिक टन इस्पात (मूल्य: 0.55 लाख रुपये) की आपूर्ति निःशुल्क करनी थी। अनुबन्ध में इस्पात की आपूर्ति के विरुद्ध फर्म से कोई जमानत लेने का प्राविधान नहीं था। आपूर्तियां आर्डर प्राप्ति की दिनांक से 60 दिन के अन्दर पूरी करनी थीं, असफल होने पर 5 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगना था। किन्तु खण्ड न ठेकदार को 19 मैट्रिक टन स्टील (मूल्य: 0.47 लाख रुपये) आर्डर के लगभग 3 वर्ष बाद दिया (मई 1975)। फरवरी 1978 में ठेकेदार ने 88 निर्मित टेक तथा 272 आलम्ब (0.11 लाख रुपये मूल्य की स्टील रखने वाले) उपखंडीय भंडार रायबरेली को आपूर्त किए। 0.36 लाख रुपए मूल्य का इस्पात अब भी फर्म के पास पड़ा हुआ है (मार्च 1980)। इकाई ने मामला जिला सरकारी वकील को कानूनी राय के लिए भेज दिया (अप्रैल 1978), अग्रिम प्रगति की प्रतीक्षा थी।

मामला परिषद् को जनवरी 1978 में तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

10.08. बीमा के दावे

आपूर्तिकर्ता द्वारा (ओबरा थर्मल परियोजना के लिए) 1975 के अन्त में खड़ा किया गया एक बाहक तन्त्र जो चालू नहीं किया गया था, 31 अक्तूबर 1976 की रात्रि को आग म क्षतिग्रस्त हो गया। मैराइन-कम-इरैक्शन पालिसी के अन्तर्गत बीमा कम्पनी से किया गया (नवम्बर 1976) 4 लाख रुपये का आग के कारण हुई हानि का दावा बीमा कम्पनी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि अप्रैल 1976 से किस्त का भुगतान न किए जाने के कारण पालिसी पहले से ही समाप्त हो चुकी थी।

इसी प्रकार, 220 के वी स्विच यार्ड पर लगाया गया और 26 जून 1976 को क्षतिग्रस्त हुए एक पोटेन्सियल ट्रान्सफार्मर की लागत का 0.29 लाख रुपये का एक अन्य दावा (जुलाई 1976) बीमा कम्पनी द्वारा उन्हीं आधारों पर अस्वीकृत किया गया (नवम्बर 1976)। पुराने दावों का बीमा कम्पनी द्वारा निस्तारण न किया जाना, किस्त भुगतान न करने का कारण बताया गया।

मामला परिषद् को अप्रैल 1979 में तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

10.09. प्राप्य लेखे

(क) भंडार/स्टाक में कमियों का मूल्य "प्राप्य लेखे" के अन्तर्गत उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध, सक्षम अधिकारी की आज्ञा के अन्तर्गत, जैसा कि नियमों में अपेक्षित है, वसूली या समायोजन के लिए डाल दिया जाता है। इलैक्ट्रिसिटी सिविल कन्सट्रक्शन डिवीजन, कानपुर में यह देखा गया (अगस्त 1979) कि भण्डार का भौतिक सत्यापन करते समय पाई गई (जुलाई 1977) इस्पात, सीमेण्ट और अन्य मदों की कमियां (मूल्य: 0.24 लाख रुपये) लेखाबद्ध नहीं की गईं और धनराशि न तो वसूल की गई, न ही अपलेखित की गई (मार्च 1980)।

अन्य मामलों में, भंडार की कमियां, कार्यों पर सामान का अनधिकृत और अधिक निर्गमन, अस्वीकार्य व्यय, आदि सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूली करने के लिए, प्रारम्भ में उचंत शीर्ष "प्राप्य लेखे" के अन्तर्गत डाल दिए गये थे। किन्तु खण्ड ने सात अधिकारियों के विरुद्ध पड़ी हुई 3 से 10 वर्ष के ऊपर की 0.25 लाख रुपये की बकाये की धनराशियों की वसूली के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की।

इसी प्रकार 5 से 13 वर्ष के ऊपर के पड़े हुए 0.26 लाख रुपये को वसूल करने के लिए 15 ठेकेदारों और आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई (दिसम्बर 1979)।

मामला परिषद् की दृष्टि में अगस्त 1979 में तथा सरकार की दृष्टि में सितम्बर 1979 में लाया गया, उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

(ख) इलैक्ट्रिसिटी सिविल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन, श्रीनगर (गढ़वाल) का एक सहायक भण्डारी (उसकी दूसरे खण्ड में तैनाती होने पर) भण्डार तथा सम्बन्धित अभिलेखों को सौंपे बिना उप-खण्डीय अधिकारी द्वारा 4 अक्तूबर 1978 को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। जब अधिशासी अभियन्ता द्वारा भंडार सूची बनाने के लिये भंडार खोला गया (30 दिसम्बर 1978) तो 1.46 लाख रुपये मूल्य की भण्डार के सामान की कमियां जानकारी में आईं।

यह भी देखा गया कि :

(i) कथित कर्मचारी ने अपने भण्डार लेखे अक्तूबर 1976 से और औजार एवं संयंत्र लेखे अक्तूबर 1975 से प्रस्तुत नहीं किए थे।

(ii) भंडार तथा औजार एवं संयंत्रों का भौतिक सत्यापन (वर्ष में कम से कम एक बार स्वतंत्रता पूर्वक किया जाना आवश्यक था) दिसम्बर 1974 में खण्ड की स्थापना के समय से नहीं किया गया था।

(iii) सहायक भण्डारी को कुल 0.22 लाख रुपये के सात अस्थायी अग्रिम (2 की अनुमन्य सीमा के विरुद्ध) अप्रैल से जुलाई 1976 के दौरान दिए गये थे। उसने केवल 0.08 लाख रुपये के समायोजन बिल प्रस्तुत किए (जुलाई 1976, जनवरी 1977 और मार्च 1978 के दौरान) जिसमें से 0.04 लाख रुपये के वाउचर खण्डीय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिए गये (जुलाई 1976 तथा जनवरी 1977)।

(iv) कर्मचारी द्वारा 16 फरवरी 1978 को स्टोर्स डिवीजन, रुड़की से प्राप्त की गई 400 सीमेण्ट की बोरियां (मूल्य: 0.10 लाख रुपये) भण्डार अभिलेखों में अलेखित रहीं (अगस्त 1978)।

मामला परिषद् को जून 1979 में और सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

(ग) उप-खण्डीय अधिकारी, इलैक्ट्रिसिटी स्टोर्स डिवीजन, गोरखपुर ने (एक ठेकेदार को तांबे की कतरन की सुपुर्दगी देते समय) 1.11 लाख रुपये मूल्य के 4,306 किलो ग्राम जले हुए/पुन: प्राप्त हुए तांबे के तारों की कमी पाई (29 जुलाई 1978)। पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करायी गई (30 जुलाई 1978) लेकिन जांच के परिणाम अब भी प्रतीक्षित थे (मार्च 1980)। इसी बीच अधीक्षण अभियन्ता, इलैक्ट्रिसिटी स्टोर सर्किल, लखनऊ ने भण्डारी को कमियों के लिए उत्तरदायी पाया (सितम्बर 1978) लेकिन कोई भी धनराशि अबतक वसूली नहीं गई (मार्च 1980)। मामला परिषद् के सतर्कता विभाग को जांच के लिए भी सौंप दिया गया है (सितम्बर 1978)। मामले में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है।

मामला परिषद् को अप्रैल 1979 में तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980)।

(घ) विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर में 242 पूर्व प्रतिबलित सीमेण्ट कंक्रीट के खम्भे (मूल्य : 0.49 लाख रुपये) एक अवर अभियन्ता द्वारा दूसरे अवर अभियन्ता को 2 दिसम्बर 1976 को निर्गमित किए हुए अभिलेखित किए गये, लेकिन प्राप्तकर्ता अवर अभियन्ता द्वारा लेखाओं में नहीं लिए गये। कमी के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया और खम्भों की कीमत वसूल नहीं हुई है (मार्च 1980)।

मामला परिषद् को सितम्बर 1978 में तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया, उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980) ।

(ङ) वर्तमान निष्क्रिय ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, बदायूं द्वारा ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने के लिये 1972–73 तथा 1973–74 में बनवाई गई दो 11 के वी लाइनें (स्वार-रोजाबाजार और लाल पुर-टांडा) विद्युत् वितरण खण्ड, रामपुर को क्रमश: 1973–74 तथा 1974–75 में दी गईं। इन लाइनों के सामान्य निरीक्षण (सितम्बर 1975) के दौरान खण्डीय अधिकारी, रामपुर की जानकारी में यह आया कि कन्डक्टर और लाइन के अन्य सामान (रोक छड़ें, कलई किय गये लोहे के तार, आदि) गायब थे ।

अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद मण्डल II द्वारा गठित की गई (दिसम्बर 1975) एक समिति ने कमियों को क्रमश: 0.35 लाख रुपये तथा 0.87 लाख रुपये आंका (फरवरी 1976) और कमियों के लिए दो अवर अभियन्ता उत्तरदायी ठहराये गये । प्रथम सूचना प्रतिवेदन 30 मार्च और 2 अप्रैल 1976 पुलिस में दर्ज करा दी गईं । दो अन्य अवर अभियन्ताओं द्वारा 0.14 लाख रुपये मूल्य के लाइन के सामान अधिक मात्रा में निर्गमित किए गये पाये गये ।

धनराशियां न तो उनसे वसूल की गई हैं और न ही 'अपलेखित' की गई हैं (दिसम्बर 1979)।

मामला परिषद् को जुलाई 1978 में तथा सरकार को अगस्त 1979 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1980) ।

अध्याय III
अन्य सांविधिक निगम
अनुभाग XI

अ 11.01. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(i) प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना पहली जून 1972 को हुई थी। वर्ष 1977–78 और 1978–79 के लेखे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं (मार्च 1980)। गत वर्ष में 80.75 लाख रुपये के लाभ के विरुद्ध 1976–77 के अनन्तिम लेखाओं न 120.26 लाख रुपये का लाभ दर्शाया।

(ii) गारन्टियां

सरकार ने 31 मार्च 1979 तक निगम द्वारा लिए गए ऋणों के चुकाने और ऋणों पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी दी है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

स्रोत	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की उच्चतम धनराशि*	गारन्टी दी गई और 31 मार्च 1979 को बकाया धनराशि*
	(लाख रुपयों में)	
इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इन्डिया एवं एक वाणिज्यिक बैंक	2,625.00	497.35

ब 11.02 उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम

(i) 1977–78 के दौरान 188.43 लाख रुपये के शुद्ध लाभ के विरुद्ध 1978–79 के दौरान निगम ने 148.47 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। निगम ने वर्ष 1978–79 के लिए 16.20 लाख रुपये का लाभांश भुगतान किया (पिछले वर्ष के दौरान 13 लाख रुपये के विरुद्ध) जो इसकी प्रदत्त पूंजी (202.50 लाख रुपये) का 8 प्रतिशत है।

(ii) गारन्टियां

सरकार ने 31 मार्च 1979 तक निगम द्वारा लिए गए ऋणों के चुकाने और ऋणों पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी दी है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

स्रोत	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की उच्चतम धनराशि**	गारन्टी दी गई और 31 मार्च 1979 को बकाया धनराशि**
	(लाख रुपयों में)	
स्टेट बैंक आफ इन्डिया	1,025.75	1,025.75

स 11.03. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(i) पूंजी

31 मार्च 1979 को निगम के पास 645 लाख रुपये की पूंजी थी जो गत वर्ष के अन्त में 495 लाख रुपये की पूंजी के ऊपर 150 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित करती है।

---

*आंकड़े 1978–79 के वित्त लेखाओं के अनुसार।

**आंकड़े 1978–79 के वित्त लेखाओं के अनुसार 350 लाख रुपये थे। अन्तर (675.75 लाख रुपये) उस धनराशि को सम्मिलित करने के कारण है जिसके लिए ऋण की गारन्टी के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी परन्तु औपचारिक गारन्टी अभी निर्गत होनी है।

(ii) दीर्घावधि ऋण

31 मार्च 1979 को निगम द्वारा प्राप्त दीर्घावधि ऋणों का शेष 4,314.11 लाख रुपये था। आर्थिक स्रोतों के अनुसार शेष का ब्योरा नीचे दिए गए अनुसार था:—

स्रोत		धनराशि (लाख रुपयों में)
राज्य सरकार		30.19
बाण्डों का सार्वजनिक निर्गमन		2,337.38
इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इन्डिया		1,946.54
	योग	4,314.11

(iii) गारन्टियां

राज्य सरकार ने अंश पूंजी को चुकाने और उस पर वार्षिक लाभांश के भुगतान, बाण्डों को चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी दी है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

सूक्ष्म विवरण		गारन्टी की गई उच्चतम धनराशि	गारन्टी दी गई और 31 मार्च 1979 को बकाया धनराशि (लाख रुपयों में)
अंश पूंजी (3 1/2 प्रतिशत वार्षिक लाभांश की भी गारन्टी)		469.64	469.64
बाण्डस (उन पर ब्याज की भी गारन्टी)		2,987.38	2,337.38
	योग	3,457.02*	2,807.02**

(iv) लाभ और लाभांश

पिछले वर्ष के दौरान 105.49 लाख रुपये के लाभ, जो 495 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 21.3 प्रतिशत है, के विरुद्ध 1978–79 के दौरान निगम ने 127.62 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया जो 645 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 19.79 प्रतिशत है। निगम ने वर्ष 1978–79 के लिए 17.63 लाख रुपये का लाभांश भुगतान किया।

आधुनिकतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर तीन निगमों यथा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्रिया-कलापों के सारांशित आर्थिक परिणाम दर्शाते हुए एक साररूप विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

---

*वित्त लेखाओं के अनुसार आंकड़ों (3,567.02 लाख रुपये) से भिन्न है। अन्तर (110.00 लाख रुपये) समाधान के अन्तर्गत है।

**वित्त लेखाओं के अनुसार आंकड़ों (2,794.52 लाख रुपये) से भिन्न है। अन्तर (12.50 लाख रुपये) समाधान के अन्तर्गत है।

अनुभाग XII

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

सिटी बस सेवा

12.01. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 1974–75 (वाणिज्यिक) में की गई थी। निगम के भण्डार और क्रय की एक समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 1977-78 (वाणिज्यिक) में समम्मिलित की गई थी। वर्तमान समीक्षा राज्य के पांच बड़े नगरों जैसे कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ (कवाल) में सिटी बस सेवाओं के परिचालन को कवर करती है। अतः ये परिचालन इस समीक्षा के क्षेत्र से अलग कर लिए गए हैं। कवाल शहरों तथा सम्पूण निगम में 1978–79 तक सिटी सेवाओं का निम्न ब्योरा है :

	सम्पूर्ण निगम		कवाल शहरों में सिटी सेवाएं		सिटी सेवाओं का हिस्सा (प्रतिशत)	
	1977-78	1978-79	1977-78	1978-79	1977-78	1978-79
वर्ष के अन्त में बसों की संख्या	5,376	5,645	597	620	11.1	11.0
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की संख्या	1,455	1,652	131	142	9.0	8.6
वर्ष में कवर किए गए राजस्व किलोमीटर (करोड़ में)	31.85	34.34	2.24	2.30	7.0	6.7
वर्ष के दौरान उपार्जित राजस्व (करोड़ रुपयों में)	61.94	70.33	4.15	4.56	6.7	6.5
वर्ष के दौरान ले जाए गए यात्रियों की संख्या (करोड़ों में)	35.76	39.48	8.52	8.49	23.8	21.5

जबकि कवाल शहरों में परिचालित बसों का प्रतिशत (कुल बसों की तुलना में) 1977–78 में 11.1 और 1978–79 में 11 था, कवाल शहरों में बसों के परिचालन से राजस्व का प्रतिशत (कुल राजस्व की तुलना में) 1977–78 में 6.7 और 1978–79 में 6.5 था।

12.02. कार्यप्रणाली परिणाम

क्षेत्रों द्वारा नगर सेवाओं के लिए तैयार किए गए लाभ-हानि लेखे प्रबन्धकों की सूचना के लिए थे। फिर भी, निगम नगर बस सेवाओं के लिए वार्षिक कार्यप्रणाली परिणाम अलग से नहीं बनाता है।

निम्न तालिका (मासिक लेखाओं पर आधारित) 1978-79 तक के तीन वर्षों के दौरान कवाल शहरों में सिटी बस सेवाओं की कार्यप्रणाली परिणाम को दर्शाती है :

विवरण	1976–77	1977–78	1978–79
परिचालनीय		(लाख रुपयों में)	
राजस्व	379.41	407.83	441.54
व्यय	400.70	473.07	556.36
डेफिसिट	(–) 21.29	(–) 65.24	(–) 114.82
अपरिचालनीय			
राजस्व	4.61	7.30	14.54
व्यय	25.18	34.98	45.98
डेफिसिट	(–) 20.57	(–) 27.68	(–) 31.44
योग			
राजस्व	384.02	415.13	456.08
व्यय	425.88	508.05	602.34
हानि	(–) 41.86	(–) 92.92	(–) 146.26

1978–79 तक के तीन वर्षों के लिए डिपोवार कार्यप्रणाली परिणाम के ट्रेन्ड निम्न हैं :

	लाभ (+)/हानि (–)		
	1976–77	1977–78	1978–79
		(लाख रुपयों में)	
कानपुर	(+) 4.25	(–) 10.67	(–) 11.58
आगरा	(–) 3.25	(–) 12.03	(–) 27.50
वाराणसी	(–) 9.24	(–) 17.75	(–) 32.91
इलाहाबाद	(–) 15.53	(–) 17.14	(–) 21.86
लखनऊ	(–) 18.09	(–) 35.33	(–) 52.41
कुल हानि	(–) 41.86	(–) 92.92	(–) 146.26

निगम नगर सेवाओं पर हानि उठाती रही है और हानि 1976–77 में रुपये 41.86 लाख से बढ़कर 1977–78 में रुपये 92.92 लाख और 1978–79 में रुपये 146.26 लाख हो गई।

परिचालन परिणामों का विश्लेषण निम्न है :

डिपो का नाम	1976–77 आय	व्यय	लाभ (+)/ हानि (–)
कानपुर	100.79 (200)	96.54 (192)	(+) 4.25 (8)
आगरा	80.08 (178)	83.33 (185)	(–) 3.25 (7)
वाराणसी	66.25 (184)	75.49 (209)	(–) 9.24 (25)
इलाहाबाद	58.47 (167)	74.00 (212)	(–) 15.53 (45)
लखनऊ	78.43 (162)	96.52 (199)	(–) 18.09 (37)
योग . .	384.02 (179)	425.88 (198)	(–) 41.86 (19)

टिप्पणी— (कोष्ठकों के अन्दर के अंक प्रति किलोमीटर आय/व्यय पैसों में सूचित करते हैं)

1977–78			1978–79		
आय	व्यय	लाभ (+)/ हानि (–)	आय	व्यय	लाभ (+)/ हानि (–)
(लाख रुपयों में)					
105.86	116.53	(–) 10.67	120.42	132.00	(–) 11.58
(201)	(221)	(20)	(208)	(228)	(20)
97.64	109.67	(–) 12.03	113.92	141.42	(–) 27.50
(186)	(209)	(23)	(203)	(252)	(49)
66.63	84.38	(–) 17.75	69.36	102.27	(–) 32.91
(184)	(231)	(47)	(202)	(299)	(97)
70.53	87.67	(–) 17.14	83.89	105.75	(–) 21.86
(183)	(228)	(45)	(198)	(248)	(50)
74.47	109.80	(–) 35.33	68.49	120.90	(–) 52.41
(167)	(247)	(79)	(175)	(310)	(135)
415.13	508.05	(–) 92.92	456.08	602.34	(–) 146.26
(185)	(226)	(41)	(199)	(262)	(63)

प्रति राजस्व किलोमीटर राजस्व और व्यय के विश्लेषण ने विभिन्न डिपो के मध्य, जैसा नीचे दिखाया गया है, विस्तृत उतार-चढ़ाव प्रगट किया :

	1976–77	1977–78	1978–79
1. आय			
उच्चतम (पसों में)	200 (कानपुर)	201 (कानपुर)	208 (कानपुर)
निम्नतम (पसों में)	162 (लखनऊ)	167 (लखनऊ)	175 (लखनऊ)
वैभिन्य (प्रतिशत)	23	20	19
2. व्यय			
उच्चतम (पैसों में)	212 (इलाहाबाद)	247 (लखनऊ)	310 (लखनऊ)
निम्नतम (पैसों में)	185 (आगरा)	209 (आगरा)	228 (कानपुर)
वैभिन्य (प्रतिशत)	15	18	36

यह देखा जायगा कि 1977–78 और 1978–79 के वर्षों में लखनऊ क्षेत्र ने निम्नतम आय अंशदान किया और उच्चतम व्यय लेखित किया। प्रति किलोमीटर हानि भी 1976–77 में 37 पैसे से बढ़कर 1978–79 म 135 पैसे हो गई ।

वेतन और मजदूरी और तेल और चिकनई पर प्रति राजस्व किलोमीटर व्यय के विश्लेषण ने निम्न प्रकार और भी विस्तृत विभिन्नता प्रगट की :

	1976–77	1977–78	1978–79
1. वेतन और मजदूरी			
उच्चतम (पैसों में)	91 (इलाहाबाद)	108 (लखनऊ)	127 (लखनऊ)
निम्नतम (पैसों में)	58 (आगरा)	66 (आगरा)	75 (आगरा)
वैभिन्य (प्रतिशत)	57	64	69
2. तेल और चिकनई			
उच्चतम (पैसों में)	44 (कानपुर)	42 (लखनऊ)	49 (लखनऊ)
निम्नतम (पसों में)	33 (वाराणसी)	35 (वाराणसी)	35 (वाराणसी)
वैभिन्य (प्रतिशत)	33	20	40

लखनऊ क्षेत्र ने 1977–78 और 1978–79 में वेतन और मजदूरी और तेल और चिकनई पर प्रति किलोमीटर उच्चतम व्यय लेखित किया।

सिटी बस सेवाओं द्वारा उठाई गई हानियों और आय में तथा विभिन्न डिपो में व्यय के अनेक मदों में विस्तृत वैभिन्नता के कारण निगम द्वारा विश्लेषित नहीं किए जा रहे थे।

सम्परीक्षा में की गई एक समीक्षा ने निम्न बातें प्रगट की :

(क) फ्लीट का कम उपयोग

जबकि एसोसिएशन आफ रोड ट्रान्सपोर्ट अण्डरटेकिंग्स (ए एस आर टी यू) के अध्ययन दल (सिटी सेवा) ने दर्शाया था (जुलाई 1971) कि "आफ रोड" बसों का प्रतिशत फ्लीट संख्या का 10 प्रतिशत (2 प्रतिशत ट्रैफिक रिजर्व सहित) होना चाहिए, निगम ने यह प्रतिशत पूरे निगम के लिए 16 से 20 प्रतिशत के बीच निश्चित किया (मई 1975)। फिर भी सिटी बस सेवाओं के लिए अलग मानक नहीं निश्चित किया गया।

निम्न तालिका 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान कवाल डिपों में सिटी बस सेवाओं के लिए "आफ रोड" बसों की स्थिति दर्शाती है:

	बसों की औसत संख्या	"आफरोड" बसों की औसत संख्या			"आफरोड" बसों का कुल बसों से प्रतिशत
		मरम्मत हेतु	ट्रैफिक रिजर्वस	योग	
1976–77	561	96 (17.1)*	61 (10.9)*	157	28
1977–78	602	100 (16.6)*	68 (11.3)*	167	28
1978–79	603	129 (21.2)*	41 (6.8)*	170	28

यह देखा जाएगा कि जबकि मरम्मत के अन्तर्गत गाड़ियों का प्रतिशत 16.6—21.2 प्रतिशत के बीच था, ट्रैफिक रिजर्व 6.8—11.3 प्रतिशत तक था।

निम्न तालिका में देखा जाएगा कि कानपुर, आगरा और वाराणसी में "आफ रोड" बसों का प्रतिशत (26.7–35.8) उच्चतम था :

	1976–77	1977–78	1978–79
कानपुर	35.8	32.2	30.5
आगरा	27.2	32.8	35.5
वाराणसी	31.7	26.7	31.3
इलाहाबाद	24.4	24.8	18.0
लखनऊ	15.2	21.0	22.0

*कोष्टकों में अंक बसों की औसत संख्या से प्रतिशत दर्शाते हैं।

(ख) नवीन गाड़ियों के पंजीकरण में विलम्ब

नई गाड़ियां उनकी प्राप्ति से दो दिनों के अन्दर सड़क पर ले आना वांछनीय है लेकिन 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान प्राप्त 229 नई बसें सड़क पर लाने में एक दिन से 27 दिन तक का विलम्ब मोटर गाड़ी अधिनियम के आधीन पंजीकरण की देरी के कारण हुआ। इसमें औसतन 1,228 बस दिनों व रुपये 3 लाख से अधिक की राजस्व हानि हुई।

(ग) गाड़ियों का निम्न उपयोग

निगम ने प्रतिदिन फ्लीट उपयोग के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया। 16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सिटी बस सेवाओं द्वारा अप्रैल और मई 1978 के दौरान क्रमशः 202 और 196 राजस्व किलो मीटर प्रतिदिन के औसत निष्पादन के विरुद्ध ** कवाल डिपों में सिटी बसों का औसत उपयोग 140 किलो मीटर (1976–77), 138 किलो मीटर (1977–78) और 145 किलो मीटर (1978–79) में था।

योजना आयोग द्वारा स्थापित (मार्च 1970) महानगर परिवहन सेवाओं पर कार्यकारी दल ने भी इंगित किया (सितम्बर 1970) कि 1.6 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार में वृद्धि 10 प्रतिशत तक परिचालन लागत घटा सकती है। अध्ययन दल (नगर सेवा) ने संस्तुति दी (जुलाई 1971) कि जहां तक सम्भव हो प्रत्येक मार्ग पर रफ्तार जांच की जानी चाहिए (वर्ष में कम से कम दो बार)। यह संस्तुति अब भी कार्यान्वित होनी है (मार्च 1980)।

1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान नगर मार्गों से देहाती मार्गों पर (आगरा और इलाहाबाद) बसों का विपथन नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	आन रोड बसों की औसत संख्या		देहाती मार्गों पर विपथित बसों की औसत संख्या		विपथित बसों का प्रतिशत	
	आगरा	इलाहाबाद	आगरा	इलाहाबाद	आगरा	इलाहाबाद
1976–77	75	68	25	35	33.3	51.5
1977–78	90	76	32	36	35.5	47.4
1978–79	89	82	34	40	37.1	48.8

उपरोक्त विवरण से यह प्रगट होगा कि सिटी मार्गों को कवर करने के लिए बसों की आवश्यकता ठीक प्रकार से आंकी नहीं जा रही थी और इन डिपों में फ्लीट लगाने में स्पष्ट और निरन्तर असंतुलन था।

**साधन: भारत सरकार के जहाज रानी और परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मई 1978 के लिए पब्लिक सेक्टर रोड ट्रान्सपोर्ट अण्डरटेकिंग्स की मासिक बुलेटिन।

निगम ने सिटी बसों को चार्टर्ड ट्रिपों पर इलाहाबाद में चार कारखानों में निम्न दरों पर चलाया :

	पहली दिसम्बर 1975 से	29 मार्च 1976 से	पहली जून 1978 से
	(रुपये प्रति किलोमीटर)		
यात्रियों के साथ	1.50	2.10	2.10
खाली	1.00	1.00	2.10

1 जून 1978 से खाली ट्रिपों की दर में वृद्धि उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वीकृत नहीं की गई और चार में से तीन ने जनवरी 1979 तक देयों में से रुपए 6.90 लाख की धनराशि रोक ली। निगम और संबन्धित कारखानों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में (6 मार्च 1979) वर्तमान दरों को, शासन से अनुमोदन की शर्त के साथ, 1 मार्च 1979 से 15 प्रतिशत बढ़ाये जाने की सहमति हो गई। शासन से अनुमोदन की अपेक्षा में जो अब भी प्रतीक्षित है (मार्च 1980) यात्रियों के साथ रुपये 2.41 प्रति किलोमीटर और खाली के लिये रुपये 1.15 प्रति किलोमीटर की पुनरीक्षित दरें 1 मार्च 1979 से प्रभावी कर दी गईं।

जब कि लगाई गई चार्टर्ड बसों की औसत संख्या 1975–76 में 17 से बढ़कर 1978–79 में 35 हो गई उनका उपयोग सिटी सेवाओं के अन्य मार्गों की बसों के उपयोग की अपेक्षा बहुत कम था:

वर्ष	आन रोड बसों की औसत संख्या			बसों द्वारा चले गये राजस्व किलोमीटर (लाखों में)		प्रति बस प्रतिदिन उपयोग (किलोमीटर)	
	चार्टर्ड ट्रिपों पर	अन्य मार्ग	योग	चार्टर्ड ट्रिपों पर	अन्य मार्ग	चार्टर्ड ट्रिपों पर	अन्य मार्ग
1975–76	17	41	58	2.09	29.86	34	199
1976–77	24	44	68	9.21	25.78	105	160
1977–78	31	45	76	12.59	26.00	111	158
1978–79	35	47	82	14.19	28.28	111	165

यद्यपि निगम द्वारा निर्धारित (अगस्त 1976) शर्तों के अनुसार चार्टर्ड बसें सुगमतापूर्वक दूसरे अनुसूचित मार्गों पर उपयोग की जा सकती हैं किन्तु ये उस तरह उपयोग नहीं की गईं। क्षेत्रीय प्रबन्धक ने बताया (अप्रैल 1978) कि इन बसों द्वारा अवकाश के समय अतिरिक्त किलोमीटर कवर करना लाभदायक न था। फिर भी, उत्तर के समर्थन में कोई आंकड़े नहीं उपलब्ध कराए गए।

(घ) सिटी बस सेवाओं में 30 स्थान वाली बसों का प्रयुक्तीकरण

चार कवाल डिपों (कानपुर: 2, आगरा : 8, वाराणसी : 2 और लखनऊ : 12) में सिटी बस सेवाओं में चौबीस 30 स्थान वाली बसों (ट्रकों से परिवर्तित और रुपये 20.38 लाख की लागत से जीर्णोद्धार की गईं) को लगाया गया। इन बसों का प्रभावी उपयोग कानपुर (सितम्बर 1975–मार्च 1979) और वाराणसी (जून 1974–मार्च 1979) में शून्य था और आगरा में (जनवरी 1978–मार्च 1979) 12 किलोमीटर प्रति बस प्रति दिन से लखनऊ में (जून 1975–मार्च 1979) 30 किलो मीटर प्रति बस प्रतिदिन तक की वैभिन्नता थी।

कानपुर और वाराणसी में ये बसें केवल रोकड़ और भण्डार लाने तथा ब्रेकडाउन कार्यों में ही प्रयोग की गईं।

आगरा में तीन ऐसी बसें (8 में से) पुनः ट्रकों में परिवर्तित की गईं (जून और अगस्त 1979)। लखनऊ में 7 (12 में से) क्षेत्रीय कार्यशाला को अपरिपक्व अस्वीकृति के लिए वापस की गईं (जुलाई 1978–फरवरी 1979)।

(ङ) अनार्थिक मार्ग

यह जानकारी में आया कि 31 मार्च 1978 और 31 मार्च 1979 को सिटी सेवाओं द्वारा क्रमशः 131 और 142 परिचालित मार्गों में से 117 (89 प्रतिशत) और 132 (93 प्रतिशत) मार्ग प्रत्यक्ष परिचालन लागत तक भी कवर नहीं कर पाते थे।

(च) सेवा की कोटि

(i) समय पालन

सिटी सेवाओं के परिचालन में समय की पाबन्दी 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान निम्न प्रकार थी :

वर्ष	अनुसूचित ट्रिपें	समय के अन्दर की गई ट्रिपें	समय के अन्दर की गई ट्रिपों का प्रतिशत
		(लाखों में)	
1976–77	17.40	12.89	74.1
1977–78	17.08	12.86	75.3
1978–79	16.91	12.49	73.9

इलाहाबाद में अलग-अलग सेवाओं में समय पालन 43.8 प्रतिशत (1976–77) और 93.1 प्रतिशत (1978–79) के बीच रहा।

(ii) चूक (मिस्ड) गई ट्रिपें

1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान चूक गई ट्रिपों का विवरण निम्न प्रकार है:

	1976–77	1977–78	1978–79
अनुसूचित ट्रिपें (लाखों में)	17.40	17.08	16.91
चूक गई ट्रिपें (लाखों में)	3.24	3.08	3.61
चूक गई ट्रिपों का प्रतिशत	18.6	18.0	21.3

अत्यधिक काट-छांट के कारणों का प्रबन्धकों द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया।

(छ) अत्यधिक मृत/विभागीय किलोमीटर

यद्यपि भण्डार गाड़ियां और अनेकों स्टाफ कारें प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध हैं फिर भी जानकारी में आया कि रोकड़, भण्डार और स्टेशनरी एकत्रीकरण में सिटी बसें लगाई जा रही थीं। 1978–79 तक के दो वर्षों के दौरान कानपुर और आगरा में सिटी बसों ने विभागीय दौड़ों के लिये 1.53 लाख और 0.40 लाख किलो मीटर तय किया यद्यपि इन क्षेत्रों में निम्न स्टाफ कारें और भण्डार गाड़ियां थीं:

	भण्डार गाड़ी 31 मार्च		स्टाफ कार 31 मार्च	
	1978	1979	1978	1979
आगरा	4	7	9	6
कानपुर	14	12	11	8

कवाल डिपो में नगर सेवा में 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान मृत किलोमीटरों (विभागीय

1976–77

	राजस्व किलो मीटर	मृत किलो मीटर	मृत किलो मीटर का राजस्व किलो मीटर से प्रतिशत
		(लाखों में)	
कानपुर	50.29	0.14	0.3
आगरा	45.10	0.77	1.7
वाराणसी	36.02	शून्य	शून्य
इलाहाबाद	34.99	1.25	3.6
लखनऊ	48.54	5.33	11.0
योग	214.94	7.49	3.5

लखनऊ में जहां नगर सेवाओं ने उच्चतम हानि उठाई 1978–79 तक के तीन वर्षों के विरुद्ध, मृत किलोमीटर 9.4 और 11.3 प्रतिशत के बीच रहा।

(ज) तेल और चिकनई का अधिक उपभोग

(i) हाई स्पीड डीजल आयल

मानक के अनुसार मैदान में बसें प्रति लीटर हाई स्पीड डीजल तेल (एच एस डी) में तक के तीन वर्षों के दौरान प्रति लीटर तेल में वास्तव में चले गये किलोमीटर केवल 3.99 और

प्रयोग के अतिरिक्त) की स्थिति निम्न थी :

1977–78			1978–79		
राजस्व किलो-मीटर	मृत किलो-मीटर	मृत किलोमीटर का राजस्व किलो मीटर से प्रतिशत	राजस्व किलो-मीटर	मृत किलो-मीटर	मृत किलो-मीटर का राजस्व किलो मीटर से प्रतिशत
(लाखों में)			(लाखों में)		
52.63	0.23	0.4	57.87	1.21	2.1
52.52	0.74	1.4	56.11	0.84	1.5
36.18	0.03	0.1	34.19	0.03	0.1
38.59	1.19	3.1	42.47	1.03	2.4
44.50	5.01	11.3	38.99	3.65	9.4
224.41	7.20	3.2	229.63	6.76	2.9

दौरान दूसरे शहरों में 3.6 प्रतिशत (इलाहाबाद 1976–77) के उच्चतम मृत किलोमीटर के

5.5 किलोमीटर जानी चाहिये, नगर मार्गों के लिए पृथक मानक नहीं निश्चित किये गये। 1978–79 4.23 के बीच रहे और 42.49 लाख लीटर (मूल्य: रुपये 59.90 लाख लगभग) का आधिक्य रहा।

निम्न तालिका दर्शाएगी कि डीजल तेल के औसत उपभोग में विस्तृत भिन्नता थी :

	1976–77	1977–78	1978–79
उच्चतम (किलोमीटर्स/लीटर्स)	4.98 (लखनऊ)	5.39 (लखनऊ)	4.49 (इलाहाबाद)
निम्नतम .. (किलोमीटर्स/लीटर्स)	3.76 (कानपुर)	3.75 (वाराणसी)	3.76 (वाराणसी)
भिन्नता (प्रतिशत)	32.45	43.73	19.41

निगम द्वारा भिन्नता के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया ।

(ii) मोबिल आयल

प्रति बस प्रत्येक 200 किलो मीटर यात्रा के लिए टापिंग अप के लिए लागू मानक के अनुसार आधा लीटर मोबिल आयल निर्गत किया जाना चाहिये । मोबिल आयल का उपभोग बहुत अधिक था और प्रति आधा लीटर मोबिल आयल में चले गये किलो मीटर 89 किलो मीटर (1976–77), 120 किलो मीटर (1977–78) और 112 किलोमीटर (1978–79) आते थे, अधिक उपभोग किया गया मोबिल आयल 1.57 लाख लीटर (मूल्य: रुपये 12.35 लाख लगभग) आता है ।

मोबिल तेल के अधिक उपभोग और वर्षानुवर्ष भिन्नता के कारणों का विश्लेषण या जांच नहीं की गई ।

(झ) इन्जन/टायर/बैटरियों की अपरिपक्व असफलता

1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान इंजन/टायर/बैटरियों का कुल निष्कासन और उनकी अपरिपक्व असफलता का ब्योरा निम्न है :

(अ) इन्जन

(i) नए इन्जन (निर्धारित जीवन 2.5 लाख किलो मीटर)

वर्ष	कुल निष्कासन	निष्कासित इंजनों की संख्या					
		0.5 लाख किलो मीटर से कम	0.5-1 लाख किलो मीटर	1-1.5 लाख किलो मीटर	1.5-2 लाख किलो मीटर	2–2.5 लाख किलो मीटर	2.5 लाख किलो मीटर से ऊपर
1976–77	36	–	–	16	16	2	2
1977–78	13	1	1	1	10	–	–
1978–79	32	1	3	13	12	3	–
(ii) री-कन्डीशन्ड इन्जन (निर्धारित जीवन 1 लाख किलोमीटर)							
1976–77	110	37	46	22	5	–	–
1977–78	87	15	51	18	3	–	–
1978–79	81	21	52	8	–	–	–

(ब) टायर

(i) नए टायर (निर्धारित जीवन 80,000 किलोमीटर)

वर्ष	कुल निष्कासन	निष्कासित टायरों की संख्या			
		25,000 किलो मीटर तक	25,000–50,000 किलो मीटर	50,000–80,000 किलोमीटर	80,000 किलोमीटर से ऊपर
1976–77	964	62	165	547	190
1977–78	1,519	37	196	977	309
1978–79	1,624	60	284	1,021	259

(ii) रीट्रीडेड टायर (निर्धारित जीवन 30,000 किलोमीटर)

वर्ष	कुल निष्कासन	निष्कासित टायरों की संख्या		
		25,000 किलो मीटर तक	25,000–30,000 किलो मीटर	30,000 किलो मीटर से ऊपर
1976–77	1,000	419	208	373
1977–78	1,117	403	174	540
1978–79	1,355	642	343	370

(स) बैटरियां (निर्धारित जीवन 12 माह)

वर्ष	कुल निष्कासन	निष्कासित बैटरियों की संख्या			
		चार माह तक	4-8 माह	8-12 माह	12 माह से ऊपर
1976–77	827	26	131	324	346
1977–78	871	23	93	229	526
1978–79	1,113	12	180	257	664

अपरिपक्व असफलता के लिये कारण यद्यपि अलग-अलग मामले में अभिलेख में हैं, सुधार कार्यवाही के दृष्टिकोण से इंजनों, टायरों और बैटरियों के खराब निष्पादन के लिए कारणों के विश्लेषण की कोई पूर्ण विधि न थी ।

12.03. किराया ढांचा

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 1974–75 (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 70 में निगम द्वारा किराए के पुनरीक्षण के बारे में बताया गया था । नगर बसों का किराया ढांचा समय-समय पर सरकार द्वारा निम्न प्रकार निश्चित किया गया :

	10 जनवरी 1972 से	12 दिसम्बर 1974 से (पैसे प्रति यात्री)	3 मई 1975 से
3 किलो मीटर तक	13	17	13
3–4 किलो मीटर	17	21	17
4–5.5 किलो मीटर	22	28	22
5.5–6.5 किलो मीटर	26	33	26
6.5–8 किलो मीटर	30	38	30

	10 जनवरी 1972 से	12 दिसम्बर 1974 से	3 मई 1975 से
	(पैसे प्रति यात्री)		
8–10.5 किलो मीटर	35	44	35
10.5–12 किलो मीटर	39	49	39
12 किलो मीटर से ऊपर	देहाती मार्गों पर लागू दरों पर		

टिप्पणी: दरें यात्री कर रहित हैं । वास्तविक किराया यात्री कर योग के बाद पांच पैसे के गुणकों में भारित होता है ।

नगर बस किराए के अधोमुखी पुनरीक्षण के कारण अभिलेखों पर न थे ।

26 जुलाई 1976 से किराया ढांचा पुन: निम्न प्रकार पुनरीक्षित किया गया :

		पैसे प्रति यात्री
5 किलो मीटर तक		22
5–12 किलो मीटर		43
12 किलो मीटर से ऊपर	देहाती मार्गों पर लागू दरों पर	

निगम ने किराए को निश्चित करने के लिये सूचीपत्र की तरह कार्य करने हेतु परिचालन की लागत नहीं निकाली । किराए के अंतिम पुनरीक्षणों (जुलाई 1976) के बावजूद निगम की नगर सेवा लगातार हानि उठाती जा रही है ।

12.04. विज्ञापन तख्तियों का प्रदर्शन

निगम की स्थापना से पूर्व (1 जून 1972) बसों पर विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए अनुबन्ध कुछ निश्चित शर्तों पर लेकिन निविदाएं आमंत्रित किए बिना राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता था । 1949 से मार्च 1968 के अन्तराल में तीन विज्ञापन अभिकर्ता सरकार द्वारा नियुक्त किए गए । उनके अनुबन्ध समाप्ति पर इन अभिकर्ताओं के विरुद्ध 1950/1951 से सम्बन्धित रुपये 5.95 लाख सम्मिलित कर रुपये 6.55 लाख का बकाया था (मार्च 1979) ।

अगस्त / नवम्बर 1973 में उप सामान्य प्रबन्धक (विकास) ने लखनऊ की दो फर्मों को अभिकर्ता के रूप में (अस्थाई तौर पर) नियुक्त किया, अध्यक्ष का अन्तरावधि अनुमोदन अप्रैल 1978 में प्राप्त हुआ । अभिकर्ताओं को एक वर्ष के लिए निश्चित व्यापार का 25 प्रतिशत (रुपए 0.60 लाख और रुपए 0.50 लाख क्रमश:) जमानत का जमा करना था जो फर्मों द्वारा क्रमश: अगस्त और दिसम्बर 1973 में जमा किया गया । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन के लिए भुगतान अग्रिम में किया जाना था ।

समय-समय पर भुगतान योग्य कमीशन की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गईं :

हजार रुपयों में	कमीशन व्यापार प्रतिशत के रूप में		
	अगस्त / नवम्बर 1973	सितम्बर 1974	अप्रैल 1979
10 तक	10	10	10
10–30	15	15	
30–40	20	20	15
40–50	25	25	
50 से ऊपर	30	..	20

निगम को अभिकर्ताओं को प्रदर्शन पट (रंगने के लिए) 1 से 12 माह तक की अवधि के लिए बसों पर प्रदर्शन हेतु देना था। प्रदर्शन पट, निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, बसों से निकाल लिए जाने थे और निगम को वापस किए जाने थे।

इस संबंध में निम्न मंतव्य प्रगट किया जाता है :

जबकि विज्ञापन प्रदर्शन का सम्पूर्ण कार्य निगम के प्रधान कार्यालय से नियंत्रित है, विज्ञापन के लिये उपलब्ध स्थान और उसके उपयोग पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती है। जुलाई 1977 में निगम ने प्रदर्शन पटों के समय से निष्कासन और उनके वापस किये जाने के लिये एक मासिक विवरणी निर्धारित किया लेकिन यह किसी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया।

1973 में अस्थायी रूप से नियुक्त अभिकर्ता अब भी (मार्च 1980) चल रहे हैं और निविदा आमंत्रण द्वारा सामयिक अनुबन्ध किए जाने के कोई प्रयास नहीं किए गये।

12.05. शहरों में निजी मिनी-बसों का परिचालन

जनवरी 1976 में सरकार ने राज्य के बड़े नगरों में स्टेज कैरिज के रूप में चलाने के लिये निजी मिनी बसों को स्वीकृति प्रदान की। ये निजी मिनी बसें निगम के प्रशासकीय नियंत्रण में चलनी थीं, जिसके लिये प्रशासकीय और परिचालन नियंत्रण व्यय (ए ओ सी सी) निगम द्वारा मेटाडोर के लिए रुपये 350 प्रति मास और अन्य मिनी बसों के लिये रुपये 500 प्रति मास की दर से वसूल किए जाने थे।

ये मिनी बसें ए ओ सी सी के अग्रिम भुगतान पर संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक से पृष्ठांकित "सक्षम अधिकारी" से अधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही चल सकती थीं।

मिनी बसों का परिचालन अगस्त 1976 में प्रारम्भ हुआ। निम्न तालिका कवाल शहरों में उनके परिचालन का विवरण दर्शाती है:

डिपो	1976–77		1977–78		1978–79	
	वर्ष के अन्त में बसों की संख्या	वसूल किया गया ए ओ सी सी (लाख रुपयों में)	वर्ष के अन्त में बसों की संख्या	वसूल किया गया ए ओ सी सी (लाख रुपयों में)	वर्ष के अन्त में बसों की संख्या	वसूल किया गया ए ओ सी सी (लाख रुपयों में)
कानपुर	71	1.92	44	1.73	13	1.41
आगरा	16	अनुपलब्ध	4	अनुपलब्ध	..	..
वाराणसी	7	0.36	6	0.37	6	0.43
इलाहाबाद	5	0.09	3	0.22	1	0.18
लखनऊ	94	3.21	34	1.93	13	2.57

इस संबंध में निम्न बातें जानकारी में आईं :

(i) मिनी बसें निगम द्वारा निर्धारित समय सारिणी के आधार पर 160–180 किलोमीटर प्रति दिन की दर से स्वीकृत मार्गों पर परिचालित होनी थीं। मिनी बसों द्वारा निर्गत टिकटों का प्रमाणित होना अपेक्षित था और बसों में ओवरलोडिंग नहीं थी तथा यात्रियों को उचित टिकट निर्गत किये जा रहे थे, सुनिश्चित करने हेतु बसों की जांच होनी थी।

यह दर्शाने के लिये कोई अभिलेख न था कि निर्धारित समय सारिणी और निर्धारित खेपों का कड़ाई से पालन किया गया या ए ओ सी सी की अग्रिम वसूली सभी मामलों में प्रभावित थी।

(ii) इन मार्गों पर परिचालन से पूर्व मिनी बस चालकों से स्टेज कैरिज स्वीकृति-पत्र वापस किया जाना अपेक्षित था । परख जांच के दौरान, फिर भी, यह जानकारी में आया कि कानपुर क्षेत्र के सिवाय मिनी बस मालिकों द्वारा स्टेज कैरिज परमिट वापस नहीं किए गए । कानपुर में यद्यपि स्टेज कैरिज स्वीकृति-पत्र पांच मिनी बसों के संबंध में अब भी निगम के पास थे (मार्च 1980) फिर भी अप्रैल 1977 से उनसे ए ओ सी सी वसूल नहीं किया गया । ए ओ सी सी वसूल न करने का कोई कारण अभिलेख पर न था । क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर ने मामला "सक्षम अधिकारी" को दिया है (मई 1979), जिनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1980) ।

12.06. बस कर्मचारी अनुपात

अगस्त 1977 में निगम ने सम्पूर्ण आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति का मानक तैयार किया था, फिर भी, निगम ने नगर सेवाओं के लिए, जहां अधिकतर बसें डबल शिफ्ट आधार पर चलती हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई अलग मानक निर्धारित नहीं किया है ।

	प्रति आन रोड बस कर्मचारी
प्रशासकीय कर्मचारी	2.91
परिचालक	1.86
चालक	1.86
कुशल/अकुशल मजदूर	2.62
योग	9.25

निम्न तालिका दर्शाएगी कि विभिन्न डिपों में प्रति बस कर्मचारियों की संख्या में विस्तृत भिन्नता थी और प्रति बस सम्पूर्ण नियुक्त कर्मचारी लखनऊ में, जो सर्वाधिक हानि उठा रहा था, सर्वोच्च था;

वर्ष	प्रति आन रोड बस पर नियुक्त सम्पूर्ण कर्मचारियों की संख्या		फ्लीट में प्रति बस नियुक्त सम्पूर्ण कर्मचारियों की संख्या	
	निम्नतम	अधिकतम	निम्नतम	अधिकतम
1976–77	7.1 (वाराणसी)	9.5 (आगरा)	4.7 (कानपुर)	8.1 (लखनऊ)
1977–78	5.9 (वाराणसी)	8.8 (इलाहाबाद)	4.9 (वाराणसी)	7.7 (लखनऊ)
1978–79	7.8 (वाराणसी)	10.8 (लखनऊ)	5.4 (वाराणसी)	8.7 (लखनऊ)

निम्न तालिका दर्शाती है कि 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान अधिसमय भत्ते का वेतन और मजदूरी से प्रतिशत 0.4 से 8.4 प्रतिशत तक रहा और अधिसमय भत्ते का सर्वोच्च प्रभाव

निम्न विवरण के अनुसार लखनऊ डिपो में था:

शहर का नाम	वेतन और मजदूरी की राशि (अधिसमय छोड़कर)			अधिसमय भत्ते की राशि			अधिसमय का वेतन और मजदूरी से प्रतिशत		
	(लाख रुपयो में)								
	1976 -77	1977 -78	1978 -79	1976 -77	1977 -78	1978 -79	1976 -77	1977 -78	1978 -79
कानपुर	32.63	41.85	46.11	1.03	2.25	0.48	3.2	5.4	1.0
आगरा	26.02	33.88	42.36	0.29	0.67	0.19	1.1	2.0	0.4
इलाहाबाद	30.74	34.32	37.57	1.00	1.05	0.36	3.3	3.1	1.0
लखनऊ	38.41	44.62	46.44	3.21	3.32	3.11	8.4	7.4	6.7

मामला निगम/सरकार को अक्तूबर 1979 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1980)।

12.07. सारांश

(i) निगम नगर सेवाओं के लिए अलग वार्षिक लेखे नहीं तैयार करता है । फिर भी, मासिक लाभ-हानि लेखों के आधार पर नगर सेवाओं की हानियां 1976–77 में रुपये 41.86 लाख से 1977–78 में रुपये 92.92 लाख और 1978–79 में रुपये 146.26 लाख, कुल रुपये 281.04 लाख हो गईं । इसमें से, लखनऊ की निम्नतम आय और अधिकतम व्यय प्रति किलो मीटर (1977–78 और 1978–79) के साथ, रुपये 105.83 लाख थी, हानि प्रति किलो मीटर 1976–77 में 37 पैसे से 135 पैसे अर्थात् 265 प्रतिशत बढ़ गई । कर्मचारी बस अनुपात, प्रति किलो मीटर वेतन और मजदूरी पर व्यय, भुगतान किया गया अधिसमय भत्ता साथ ही साथ तेल और चिकनई पर प्रति किलो मीटर व्यय भी लखनऊ डिपो में उच्चतम था ।

(ii) नगर बस सेवाओं द्वारा उठाई गई हानि और विभिन्न डिपों के उपार्जन और व्यय के अनेकों मदों में भारी विभिन्नता के कारण निगम द्वारा विश्लेषण नहीं किए गए ।

(iii) आफ रोड बसों का औसत प्रतिशत ए आर एस टी यू के अध्ययन दल द्वारा सुझाए 10 प्रतिशत और सम्पूर्ण निगम के लिए निर्धारित 16–20 प्रतिशत के विरुद्ध 28 के लगभग था और कानपुर डिपों में 30.5 से 35.8 प्रतिशत तक रहा जो आगरा (27.2 से 35.5 प्रतिशत) और वाराणसी में (26.7 से 31.3) प्रतिशत के बीच था।

(iv) कवाल डिपो में नगर बसों का औसत दैनिक उपयोग 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान 196 से 202 किलो मीटर (अप्रैल-मई 1978) के अखिल भारतीय औसत के विरुद्ध 138 और 145 के बीच रहा ।

(v) नगर सेवाओं के लिए बसों का उचित आंकलन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप नगर बसें बहुधा देहाती मार्गों पर विपथित की गईं। आगरा और इलाहाबाद डिपों में आन रोड फ्लीट का यह प्रतिशत 33.3 से 51.5 तक था।

(vi) चार कवाल शहरों में 30 स्थान वाली (रुपये 20.38 लाख की लागत से परिवर्तित/जीर्णोद्धार की गईं) चौबीस बसें लगाई गईं । 4 बसें (वाराणसी और कानपुर प्रत्येक में 2) केवल रोकड़ और भंडार लाने और ब्रेकडाउन कार्य में उपयोग की गईं (जून 1974/ सितम्बर

1975 से मार्च 1979) । आगरा में (8 बसें) प्रति बस प्रति दिन (जनवरी 1978–मार्च 1979) औसत उपयोग 12 किलो मीटर, लखनऊ (12 बसें) में प्रति बस प्रति दिन (जून 1975 से मार्च 1979) 30 किलो मीटर था, आगरा में 8 में से 3 बसें पुनः ट्रकों में परिवर्तित की गईं, लखनऊ में 12 में से 7 बसें क्षेत्रीय कार्यशाला को समय से पूर्व अस्वीकृत करने के लिए वापस की गईं ।

(vii) 131 मार्गों (मार्च 1978) में से 117 (89 प्रतिशत) और 142 मार्गों (मार्च 1979) में से 132 (93 प्रतिशत) प्रत्यक्ष परिचालन लागत तक नहीं कवर करते थे ।

(viii) चूकी (मिसिंग) खेपों का प्रतिशत 18.6 (1976–77) से 18.0 (1977–78) और 21.3 (1978–79) तक था।

(ix) सभी कवाल शहरों के लिये 2.9 से 3.5 के सम्पूर्ण प्रतिशत के विरुद्ध मृत किलो मीटर का राजस्व किलो मीटर से लखनऊ में प्रतिशत 9.4 से 11.3 प्रतिशत सर्वोच्च था ।

(x) 1978–79 तक के तीन वर्षों के दौरान एच एस डी आयल और मोबिल आयल के अधिक उपभोग (मानक की तुलना में) की राशि रुपये 72.25 लाख थी । समय से पूर्व असफल इंजनों, टायरों और बैटरियों के मामले जानकारी में आये । फिर भी, निदान कार्यवाही हेतु इनकी समीक्षा नहीं की जा रही थी ।

(xi) एक सूक्ष्म अवधि के सिवा जनवरी 1972 में लागू किराया जुलाई 1976 तक चलता रहा जब किराया अन्त में पुनरीक्षित किया गया । निगम द्वारा समीक्षा या किराया नियत करने के लिए आधाररूप में परिचालन लागत विश्लेषण नहीं की जाती है और नगर सेवायें हानि उठाती जाती हैं ।

(xii) निगम के विज्ञापन अभिकर्ता के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त (अगस्त/नवम्बर 1973) लखनऊ की दो फर्में अब भी चल रही थीं और निविदा माध्यम से सामयिक अनुबन्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया गया ।

अनुभाग XIII

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

निजी बसों को किराया पद्धति के आधार पर चलाना

13.01. प्रस्तावना

मई 1947 में यू0पी0 गवर्नमेंट रोडवेज की स्थापना के समय राज्य सरकार द्वारा कुछ चुन हुए मार्गों को राष्ट्रीयकृत किया गया था । इन मार्गों पर सेवायें राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा व्यवस्थित थीं । यात्री वृद्धि और मार्गों की वृद्धि के साथ यह कार्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन जून 1972 में स्थापित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम को सौंप दिया गया । राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या 1,972 में 1,123 से 1977 में 1,460 तक बढ़ गई ।

सितम्बर 1976 में निगम के महाप्रबन्धक ने अध्यक्ष के अनुमोदन से निजी परिचालकों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम के नियंत्रणाधीन अपनी बसें परिचालन करने के लिये आमंत्रित किया । निगम ने 200 किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन परिचालन की गारन्टी दी । परिचालकों को चालक प्रदान करने थे और परिचालनीय लागत (डीजल, मरम्मत और अनुरक्षण, रोड टैक्स, बीमा आदि) वर्दाश्त करना था । कन्डक्टर निगम को देना था और भुगतान लगाई गई बसों के माडल के आधार पर नियंत्रित होना था । यह दरें 1968 से 1972 माडल के लिए रुपये 1.30 पैसे प्रति किलो मीटर, 1973 और 1974 माडल के लिए रुपये 1.35 और 1975 और 1976 माडल के लिए रुपये 1.40 प्रति किलो मीटर थीं ।

परिचालन अक्तूबर 1976 से प्रारम्भ हुआ । कुछ क्षेत्रों में मार्च-अप्रैल 1977 में परिचालन निलम्बित कर दिये गये लेकिन 1978 के दौरान (विभिन्न महीनों में) 1977 और 1978 माडलों के लिए रुपया 1.40 प्रति किलो मीटर, 1975 और 1976 माडलों के लिए रुपया 1.35 प्रति किलो मीटर और 1972 से 1974 तक के माडलों के लिए रुपया 1.30 के भुगतान पर पुनः प्रारम्भ हुए । मई 1978 से निम्नतम गारन्टी किया गया परिचालन 250 किलो मीटर तक बढ़ा दिया गया साथ ही प्रति बस प्रतिदिन 300 किलो मीटर से अधिक परिचालन के संबंध में दरें पांच पैसे प्रति किलो मीटर घटा दी गईं ।

13.02. इस संबंध में निम्न विचार प्रगट किये जाते हैं :

(क) अधिकार पत्र बिना परिचालन प्रारम्भ

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अनुभाग 19 (छ) की शर्तों के अनुसार निजी बसों के लगाने में निगम के अनुमोदन की आवश्यकता होती है । यद्यपि निजी बसें अक्तूबर 1976 से कार्य में लगाई गईं, मामला सर्वप्रथम परिषद् की जानकारी में मार्च 1978 में लाया गया जबकि इस प्रैक्टिस को अगले तीन माह तक चालू रखने का निर्णय लिया गया और पूर्ण अध्ययन के बाद नए प्रस्ताव रखने को कहा गया । सितम्बर 1978 में परिषद् ने निजी परिचालन के बैकग्राउन्ड, उपयोगिता और लाभदायकता के अध्ययन हेतु सामान्य प्रबन्धक की प्रधानता वाली एक पांच सदस्यीय समिति स्थापित की और तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा । समिति के प्रतिवेदन पर परिषद् द्वारा निर्णय लिये जाने तक निजी परिचालन चालू रखने का भी निर्णय लिया गया । समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है (मार्च 1980) ।

(ख) निजी बसों के लिए उच्चतर दरों का नियत किया जाना

निजी मालिकों को भुगतान की जाने वाली दरें प्रतियोगात्मक कोटेशन मांगें बिना रफ अनुमानों के आधार पर नियत की गई थीं ।

प्रधान प्रबन्धक के सुझावों (जुलाई 1976) के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा ने कंटैक्ट कैरिज यूनियन से एक बैठक की (अगस्त 1976) जो आगरा क्षेत्र में (राजस्थान दरों) 1974 से 1976 माडल के लिए प्रथम 275 किलो मीटर के लिए और 1970 से 1973 माडल के लिए प्रथम 200 किलो मीटर के लिए रुपया 1.20 प्रति किलो मीटर पर परिचालन को सहमत थी। यह दर 275 और 200 किलो मीटर से अधिक दूरी के लिए रुपया एक प्रति किलो मीटर तक घटानी थी।

यद्यपि वाद-विवाद के परिणामों को बैठक के तुरन्त बाद प्रधान प्रबन्धक को सूचित कर दिया गया था (अगस्त 1976) पर वे अभिलेखों में प्राप्त न थे और कार्यान्वित नहीं किए गये। आगरा क्षेत्र में अक्तूबर 1976 से अप्रैल 1977 के दौरान कार्य में लगाई गयी निजी बसों ने 14,96,868 किलो मीटर यात्रा की और उच्चतर दरों पर भुगतान होने से कम से कम रुपये 3.42 लाख के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ। क्षेत्र द्वारा अक्तूबर 1976 से अप्रैल 1977 के दौरान निजी परिचालन के लिए बनाया गया लाभ और हानि खाता ने रुपया 3.65 लाख की हानि दर्शाया।

(ग) वास्तविक आवश्यकता को आंके बिना निजी बसों को किराए पर लेना

निम्न तालिका रखी गयी बसों की औसत संख्या, मानक के अनुसार आफ रोड बसों की संख्या (16 से 20 प्रतिशत), आफ रोड बसों की वास्तविक संख्या और अप्रैल 1978 से दिसम्बर 1978 * के दौरान लगाई गई निजी बसों की संख्या दर्शाती है :

माह 1978	रखी गई बसें	आफ रोड बसें	ट्रैफिक रिजर्व	कुल आफ रोड बसें (3+4)	20 प्रतिशत की दर पर आफ रोड बसों की अधिकतम संख्या	आधिक्य (5–6)	निजी परिचालित बसें
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल	5,413	1,130	342	1,472	1,083	389	96
मई	5,455	1,228	271	1,499	1,091	408	110
जून	5,448	1,274	143	1,417	1,090	327	142
जुलाई	5,401	1,344	192	1,536	1,080	456	214
अगस्त	5,434	1,377	178	1,555	1,087	468	274
सितम्बर	5,478	1,400	190	1,590	1,096	494	350
अक्तूबर	5,510	1,208	268	1,476	1,102	374	376
नवम्बर	5,561	1,200	271	1,471	1,112	359	370
दिसम्बर	5,607	1,260	208	1,468	1,121	347	396

*अप्रैल 1978 से पूर्व लगाई गई निजी बसों के आंकड़े निगम प्रधान कार्यालय पर उपलब्ध नहीं थे।

इस अवधि के दौरान ट्रैफिक रिजर्व लगाई गयी बसों का 3.4 से 8 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न था और आफ रोड बसों की कुल संख्या 16–20 प्रतिशत मानक की तुलना में फ्लीट के 26 से 29 प्रतिशत के मध्य रहा। तालिका से यह प्रगट होगा कि आफ रोड बसों पर अत्यल्प नियंत्रण भी निजी बसों का किराए पर लेना समाप्त कर सकता था या पर्याप्त मात्रा में कमी ला सकता था। यह देखा गया कि निगम ने अपनी स्वयं की फ्लीट के निम्न उपयोग के लिए कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

(घ) परिचालन परिणाम

निजी बस परिचालन के पृथक लाभ और हानि खाते आगरा क्षेत्र के अलावा नहीं तैयार किए जा रहे थे। मार्च 1979 में ऐसे खाते तैयार करने के लिए दिये गए सुझाव जुलाई 1979 में वापस ले लिए गये।

जुलाई 1978 से फरवरी 1979 की अवधि के लिए इटावा और फैजाबाद क्षेत्रों * के निजी परिचालन के परिणाम– जैसा सम्परीक्षा द्वारा निकाला गया, निम्न प्रकार थे :

	इटावा	फैजाबाद
निजी बसों द्वारा तय किये गए किलोमीटर	20,77,567	39,72,532
निगम बसों द्वारा तय किए गये किलोमीटर	1,09,34,143	1,20,33,775
(i) व्यय		(लाख रुपयों में)
क्षेत्र के यातायात कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	51.74	52.62
कल्याण और सेवा निवृत्ति व्यय	8.75	9.23
सामान्य प्रशासन व्यय	3.18	6.00
भवनों पर ह्रास	1.46	0.68
प्रधान कार्यालय व्यय	2.84	2.76
योग	67.97	71.29
(ii) निजी परिचालन के नाम किया जा सकने वाला आनुपातिक व्यय (तय किये गये किलो मीटर के आधार पर)	10.84	17.68
(iii) चालकों को किया गया भुगतान (रुपये 1.35 प्रति किलो मीटर की औसत दर पर)	28.05	52.62
(iv) निजी परिचालन पर किया गया कुल व्यय	38.89	70.30
(v) निजी बसों से आय	35.46	64.92
हानि	(–) 3.43	(–) 5.38
हानि प्रति चालित किलोमीटर (पैसों में)	17	14

(ङ) निगम की बसों के उपयोग में कमी

निम्न तालिका जुलाई 1978 से दिसम्बर 1978 तक के दौरान छः क्षेत्रों (आगरा,

*इटावा और फैजाबाद क्षेत्र जुलाई 1978 में स्थापित किए गए थे।

इटावा, फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी) में निगम की बसों (केवल देहाती) से आय और उपयोग दर्शाती है :

माह	इस अवधि के दौरान नियुक्त निजी बसें	आन रोड निगम की बसें	तय किये गये प्रभावी किलो मीटर (लाखों में)	प्रति बस प्रति दिन गाड़ी का उपयोग (किलोमीटर)	आय (लाख रुपयों में)	प्रति बस प्रति दिन आय (रुपए)
जुलाई	144	1,030	79.48	253	152.01	476
अगस्त	179	1,054	77.91	239	145.21	444
सितम्बर	221	1,057	73.29	231	136.28	430
अक्तूबर	220	1,079	77.87	232	147.18	440
नवम्बर	232	1,090	78.23	231	142.12	435
दिसम्बर	223	1,129	81.29	232	143.40	410

यह देखा जायगा कि निजी बसों की संख्या में वृद्धि के साथ निगम की अपनी बसों का उपयोग प्रति बस प्रति दिन 253 से 232 किलो मीटर घट गया और आय रुपय 476 से घट कर रुपये 410 प्रतिदिन आ गयी । यह भी जानकारी में आया कि निगम की बसों का कानपुर क्षत्र में, जहां निजी बसें अपेक्षाकृत कम नियुक्त थीं, प्रति बस उच्चतम गाड़ी उपयोग और आय था, जब कि इटावा क्षत्र में जहां अधिकतम निजी बसें नियुक्त थी, प्रति बस आय और बस उपयोग अपेक्षाकृत कम था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

माह	कानपुर			इटावा		
1978	नियुक्त निजी बसें	निगम बसों द्वारा तय किए गए किलो मीटर प्रति बस प्रति दिन	निगम बसों से प्रति बस प्रति दिन आय (रुपये)	नियुक्त निजी बसें	निगम बसों द्वारा तय किए गए किलो मीटर प्रति बस प्रति दिन	निगम बसों से प्रति बस प्रति दिन आय (रुपए)
जुलाई	22	294	541	13	262	487
अगस्त	27	274	496	35	245	418
सितम्बर	26	253	466	43	228	388
अक्तूबर	26	266	527	40	242	435
नवम्बर	26	255	496	47	229	420
दिसम्बर	24	250	454	46	237	403

निजी बसें शिकोहाबाद के सिवाय इटावा के सभी पांचों डिपो में नियुक्त थीं । निम्न तालिका दर्शाती है कि प्रति बस गाड़ियों का उपयोग और आय उन डिपो में जहां निजी बसें नियुक्त नहीं थीं अन्य डिपों की अपेक्षा अच्छी थी :

	शिकोहाबाद डिपो जहां निजी बसें नियुक्त नहीं थी		अन्य डिपो	
माह (1978)	प्रति बस प्रति दिन उपयोग (किलो मीटर)	प्रति बस प्रति दिन आय (रुपए)	प्रति बस प्रति दिन उपयोग (किलो मीटर)	प्रति बस प्रतिदिन आय (रुपये)
जुलाई	283	572	256	463
अगस्त	270	526	239	387
सितम्बर	257	468	219	364
अक्तूबर	269	510	235	414
नवम्बर	251	512	223	394

(च) निजी मालिकों को अनिच्छित लाभों का विस्तार

निगम द्वारा बताई गई नीति के अनुसार निजी बसें केवल "अतिरिक्त" सूचियों पर परिचालित होनी थीं । ऐसे उदाहरण जानकारी में आय जहां निजी बसें निगम की अपनी बसों को हटा कर नियमित सूचियों पर परिचालित की गईं। निगम बसों का प्रति दिन 1975–76 में 216 किलो मीटर, 1976–77 में 217 किलो मीटर और 1977–78 में 220 किलो मीटर औसत उपयोग के विरुद्ध निजी बसों को 250 किलो मीटर प्रतिदिन की गारन्टी दी गई । निजी बसों का औसत उपयोग उपलब्ध न था, फिर भी बहुत से मामलों में निजी बस लम्बी दूरी के मार्गों में लगाई गई जहां प्रतिदिन परिचालित दूरी 250 किलो मीटर की गारन्टी की गई दूरी के विरुद्ध 400 किलो मीटर से अधिक थी ।

निजी बसें उन पर दिनांक जब तक के लिए वे नियुक्त थीं लिखाने के बाद परिचालित होने के लिये अपेक्षित थीं । ऐसे मामले जानकारी में आये जहां बसें अनुबन्ध समाप्ति के बाद परिचालित थीं या निगम कंडक्टर के बिना ट्रिप में थीं ।

(छ) विविध

प्रतापगढ़ डिपो (फैजाबाद क्षेत्र) में जुलाई 1978 में क्षेत्र के निर्माण से अलग दैनिक गाड़ी विवरणी टूट-फूट और कटौती रजिस्टर नहीं बनाये गये । प्रतिदिन प्रति बस द्वारा आय और तय किये गये किलो मीटरों का विवरण न तो डिपो द्वारा क्षेत्र को दिया गया और न ही क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फरवरी 1979 तक दिये जाने को कहा गया । निजी बसों द्वारा नवम्बर 1978 (अन्य महीनों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये) के लिए आय और तय किये गये किलो मीटर का ब्योरा, जैसा डिपों ने क्षेत्र को भेजा था, निम्न खामियां प्रगट करता था :

	निजी बसों द्वारा नवम्बर 1978 में तय किए गए किलोमीटर	आय (रुपए)
(i) डिपो से प्राप्त आय सूची के अनुसार	54,691	83,209
(ii) डिपो के आय रजिस्टर के अनुसार जिसके आधार पर मालिकों को भुगतान किए गए	92,879	1,12,960
अन्तर	38,188	29,751

उचित अभिलेख न रखे जाने की वजह से भिन्नता के लिये कारणों का विश्लेषण नहीं किया जा सका । आय रजिस्टर में अनेकों परिवर्तन, ओवर राइटिंग भी जो किसी निरीक्षकीय कर्मचारी द्वारा न तो जांची गई थी और न ही सत्यापित थी ।

जनवरी 1979 में उसी माह के लिये तैयार किए गए आय रजिस्टर में बसवाइज विवरण के आधार पर डिपो द्वारा सभी निजी बसों का परिचालन 55,447 किलो मीटर का तय किया जाना दर्शाता था जबकि बसवाइज किलो मीटर जिसके आधार पर चालकों को भुगतान हुआ था का योग 57,883 किलो मीटर था ।

मामला निगम/सरकार को अक्तूबर 1979 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1980) ।

अनुभाग XIV

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

अन्य रोचक विषय

14.01. राजस्व की हानि में परिणत कार्यशालाओं पर विलम्ब

निगम के आदेशानुसार बस बाडीज का जीर्णोद्धार कार्यशाला में प्राप्ति के तीन मास के अन्दर हो जाना आवश्यक है। यह जानकारी में आया कि जीर्णोद्धार के लिए निगम की एक कार्यशाला को प्राप्त (जून 1977 से अगस्त 1978), 190 गाड़ियां (जीर्णोद्धार करने के बाद) 97 से 578 दिनों की अवधि के बाद वापस की गईं:

जीर्णोद्धार हेतु लिये गये दिन	बसों की संख्या
90–100 दिन	6
100–180 दिन	135
180 दिनों से अधिक	49
योग	190

स्वीकृत 17,100 दिनों के विरुद्ध जीर्णोद्धार में कुल 31,083 दिन लिये गये (164 दिनों के औसत से)। यहां तक कि जीर्णोद्धार के बाद भी 3 से 6 दिन की निर्धारित अवधि के विरुद्ध जीर्णोद्धार के बाद गाड़ियां क्षेत्रों को 5 से 17 दिनों बाद दी गईं। कार्यशाला में प्रति गाड़ी 90 दिन से अधिक रुकावट, इस प्रकार रुपया 300 प्रति दिन प्रति गाड़ी की औसत आमदनी की दर से रुपए 41.95 लाख की राजस्व हानि में परिणत हुआ।

इसी प्रकार, 30,000/1,00,000 किलोमीटर तय करने के बाद मरम्मत और रख-रखाव हेतु क्षेत्रीय कार्यशालाओं को भेजी गईं गाड़ियां भी 10–30 दिनों में कार्य पूरा होने के लिए अपेक्षित हैं। आगरा क्षेत्र में जुलाई 1978 से अप्रैल 1979 तक 132 गाड़ियां मरम्मत के लिये प्राप्त की गईं जिन्होंने स्वीकृत 3,240 दिनों के विरुद्ध 7,389 दिन (56 दिन का औसत) मरम्मत में लिया। विलम्ब लगभग रुपये 12.45 लाख की राजस्व हानि में परिणत हुआ। कार्यशाला प्रबन्धकों ने स्पेयर्स की अप्राप्ति विलम्ब के लिये उत्तरदाई बताया (जुलाई 1979)।

मामला निगम को अगस्त 1979 में और सरकार को सितम्बर 1979 में प्रतिवेदित था; उत्तर प्रतीक्षित है (जून 1980)।

14.02. राजस्व की हानि

बलवीर नगर (मेरठ) से आगे दिल्ली मार्ग के परिवर्तन (19 जुलाई 1978) के कारण दिल्ली तक यात्रा करने वाली गाड़ियों को चार किलोमीटर अतिरिक्त तय करना पड़ता था। मेरठ, देहरादून और बरेली क्षेत्रों में इस अतिरिक्त दूरी के लिए केवल 20 अक्तूबर 1978 से किराया बढ़ाया गया। किराए के पुनरीक्षण में विलम्ब कुल रुपए 0.65 लाख (मेरठ : रुपये 0.18 लाख, देहरादून : रुपए 0.43 लाख, बरेली : 0.04 लाख) के अन्डर-चार्ज में परिणत हुआ।

मामला निगम को अप्रैल 1979 में और सरकार को सितम्बर 1979 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जून 1980)।

14.03. धन का लेखाबद्ध न किया जाना

(क) 5 मार्च 1978 को बेकार माल की बिक्री के लिये किये गये एक नीलाम में एक सफल बोली बोलने वाले ने हल्द्वानी डिपो के रोकड़िये के पास रुपये 20,165 जमा किया

(15 मार्च 1978) और रोकड़िये से प्राप्त नकद रसीद देने के बाद सेवा प्रबन्धक, काठगोदाम से माल छुड़ा लिया (मार्च 1978) । क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय से सत्यापन पर (15 अप्रैल 1978) यह जानकारी में आया कि न तो रकम रोकड़ बही में प्रविष्ट की गयी थी और न ही बैंक में प्रेषित की गयी थी । मामले की छानबीन के दौरान (17 अप्रैल 1978) रोकड़िया और स्टेशन प्रभारी लेखाबद्ध न किये जाने के उत्तरदायी माने गये । इसके बाद पूर्व अवधियों (11 जनवरी 1973 से 5 मार्च 1978) के अभिलेख भी जांचे गये (मई 1978) और यह प्रकट हुआ कि अर्नेस्ट मनी जमा का प्रतिनिधित्व करने वाला रुपया 20,178 भी उसी रोकड़िये द्वारा लेखाबद्ध नहीं किया गया था ।

प्रबन्धकों के अनुसार (मई 1978) लेखाबद्ध न किया जाना, निम्न कारणों ने सुविधाजनक बनाया :

(i) रोकड़ बही में संबंधित प्रविष्टि के सत्यापन बिना स्टेशन प्रभारी द्वारा रसीदों का प्रतिहस्ताक्षरण,

(ii) स्टेशन प्रभारी, स्टेशन अधीक्षक और सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की उदासीन प्रवृत्ति ।

धन अब तक वसूल नहीं हुआ है और मामला न्यायालय में पड़ा है (जून 1980) ।

(ख) गबन

मथुरा-ग्वालियर मार्ग पर परिचालित एक परिचालक के मार्ग बिल (वे बिल) यातायात अधीक्षक द्वारा जांच करने पर (फरवरी 1978) यह जानकारी में आया कि यात्रियों को निर्गत 13 टिकट न तो परिचालक द्वारा वे बिल में प्रविष्ट किये गये थे और न ही परिचालक को संबंधित टिकट की खाली पुस्तकें निर्गत करते समय वे बिल में लिपिक द्वारा कोई प्रविष्टि की गयी थी । पूर्व काल के अभिलेखों का सत्यापन करते समय यह प्रकट हुआ कि जुलाई 1975 से फरवरी 1978 तक के दौरान 8,100 टिकटों सहित 162 टिकट को किताबें वे बिल में प्रविष्ट नहीं की गयीं जो रुपए 0.93 लाख के गबन में परिणत हुआ । डिपो स्तर पर खाली रसीद पुस्तकों का सही लेखा की अनुपस्थिति ने यह सुविधाजनक बनाया ।

क्षेत्र द्वारा यह बताया गया (जनवरी 1980) कि परिवादक निलम्बित किया जा चुका था और पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी (अप्रैल 1978) । 17 जांच लिपिकों को आरोप पत्र दिये गये थे । कोई रकम की वसूली नहीं हुई है (जून 1980) ।

मामला निगम को मई से सितम्बर 1979 तक और सरकार को सितम्बर 1979 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 1980) ।

अनुभाग XV

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

15.01. कमियां/धन का अपहरण

पीलीभीत के जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की शिकायत पर (जून 1977) पीलीभीत में गोदाम भण्डारागार प्रभारी 11 जुलाई 1977 को सन्देहास्पद गबन के लिये निलम्बित कर दिया गया और भण्डारागार प्रबन्धक, पीलीभीत को कार्यभार देने के लिये निर्देशित किया गया। कर्मचारी ने गेंहूं के गोदाम का कार्यभार दे दिया (3 अगस्त–3 सितम्बर 1977) और खाद गोदामों का कार्यभार दिये बिना चम्पत हो गया (10 सितम्बर 1977)। सत्यापन पर रुपये 0.24 लाख मूल्य के गेंहूं (175.54 कुन्तल) की कमी जानकारी में आयी। जिला प्राधिकारियों की उपस्थिति में खाद गोदाम का ताला तोड़ने पर (1 दिसम्बर 1977) 1 से 4 दिसम्बर 1977 के दौरान रुपये 6.54 लाख मूल्य की खाद (एन पी के: 167.52 मैट्रिक टन–रुपये 3.50 लाख, यूरिया: 183.90 मैट्रिक टन–रुपये 3.04 लाख) की कमी जानकारी में आई। गेंहूं और खाद के संबंध में कमियों का प्रथम सूचना प्रतिवेदन पुलिस अधिकारियों को क्रमश: 8 नवम्बर 1977 और 20 दिसम्बर 1977 को लिखाया गया। मामला अपराध अनुसंधान विभाग (अपराध शाखा) द्वारा भी छानबीन किया जा रहा है। रुपये 6.77 लाख का दावा मार्च 1978 में बीमा कम्पनी से किया गया। संबंधित कर्मचारी अक्तूबर 1979 को मर गया था।

सम्परीक्षा में यह जानकारी में आया कि गोदाम के प्रारम्भ (जुलाई 1974) से ही रहतिये का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1980) कि 1975–76 से निगम की कार्यवाहियों में आशातीत वृद्धि के कारण सामयिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 1979) कि पीलीभीत केन्द्र के अभिलेख निगम के सम्परीक्षा दल द्वारा परीक्षा किये गये, जिसने रुपये 4.46 लाख की कमियां (गेंहूं–178.79 कुन्तल, मूल्य: रुपया 0.29 लाख, एन पी के–97.398 मैट्रिक टन, मूल्य: रुपया 2.03 लाख, यूरिया–128.401 मैट्रिक टन, मूल्य: रुपया 2.12 लाख और डेड स्टाक–मूल्य: रुपया 0.02 लाख) प्रतिवेदित कीं। आगे भी बताया गया कि भण्डारागारों की कार्यवाहियों पर कड़ा नियंत्रण रखने हेतु स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सेल की स्थापना निगम के प्रधान कार्यालय में की गयी (फरवरी 1978) तथा और अधिक कर्मचारी और सम्परीक्षक दिया जाना निगम के विचाराधीन था।

२.२५.८५

(स० त्र्यं० केंघे)

इलाहाबाद: महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–II

प्रतिहस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश

(ज्ञान प्रकाश)

नई दिल्ली: भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

(सन्दर्भ:

सरकारी कम्पनियों

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+)/ हानि (−)
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	22 दिसम्बर 1969	1978–79	3,200.31	(+) 70.66
2	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	30 मार्च 1974	1978–79	201.91	(+) 5.29
3	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	13 जून 1958	1978–79	516.73	(+) 9.90
4	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1978–79	113.72	(+) 1.07
5	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1961	1978–79	2,112.63	(+) 71.50
6	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	उद्योग	20 जनवरी 1966	1978–79	265.10	(+) 0.40
7	दि इण्डियन टर्पेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	22 फरवरी 1924	1978–79	199.20	(+) 15.40
8	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1978–79	1,885.94	(+) 63.85
9	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1978–79	7,217.06	(−) 190.60
10	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1978–79	150.64	(+) 3.69

I

पैरा 1.02 पृष्ठ 1)

के कार्य कलापों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घ कालिक ऋणों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगाई गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
88.16	75.79	145.85	4.56	1,727.24	158.82	9.20
1.29	..	5.29	2.62	144.57	6.58	4.55
61.60	25.42	35.32	6.84	910.70	71.50	7.85
0.02	..	1.07	0.94	73.69	1.09	1.48
40.03	39.77	111.27	5.27	2,138.24	111.53	5.22
15.20	7.41	7.81	2.95	342.91	15.60	4.55
2.20	0.44	15.84	7.95	192.71	17.60	9.14
59.00	55.80	119.65	6.34	2,257.58	122.85	5.44
5.15	0.90(–)	189.70	..	1,538.91(–)	185.45	..
0.13	..	3.69	2.45	170.47	3.82	2.24

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
11	उत्तर प्रदेश शिड्यूल्ड कास्ट फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25 मार्च 1975	1978–79	156.08	(–) 5.02
12	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25 जून 1976	1978–79	16.39	(–) 1.12
13	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	नियोजन	15 मार्च 1977	1978–79	60.60	(+) 0.34
14	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1978–79	105.69	(+) 3.16
15	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	10 सितम्बर 1975	1978–79	77.85	(–) 1.69
16	उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	25 मई 1976	1978–79	210.27	(+) 8.34
17	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	7 दिसम्बर 1974	1978–79	50.00	(–) 3.09
18	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग	26 मार्च 1971	30 सितम्बर 1979 को समाप्त हुआ वर्ष	3,415.90	(–) 620.63
19	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग	28 दिसम्बर 1972	1978–79	106.51	..
20	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1979 को समाप्त हुआ वर्ष	31.32	(+) 3.18
21	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1979 को समाप्त हुआ वर्ष	17.18	(+) 0.11
22	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1979 को समाप्त हुआ वर्ष	13.57	(+) 0.41
23	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1978–79	105.80	(+) 2.37
24	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1978–79	15.68	(+) 1.17

(जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
1.84	1.84	(–) 3.18	..	134.52	(–) 3.18	..
..	..	(–) 1.12	..	43.04	(–) 1.12	..
..	..	0.34	0.56	151.10	0.34	0.23
0.39	..	3.16	2.99	109.45	3.55	3.24
..	..	(–) 1.69	..	68.08	(–) 1.69	..
..	..	8.34	3.97	170.92	8.34	4.88
..	..	(–) 3.09	..	46.91	(–) 3.09	..
330.79	203.18	(–) 417.45	..	657.22	(–) 289.84	..
..	..	..	..	72.58	..	..
3.11	..	3.18	10.15	45.37	6.29	13.86
5.08	..	0.11	0.64	106.16	5.19	4.89
3.00	..	0.41	3.02	73.51	3.41	4.64
..	..	2.37	2.23	105.20	2.37	2.25
6.91	..	1.17	7.46	77.28	8.08	10.46

1	2	3	4	5	6	7
25	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	30 मार्च 1978	30 मार्च 1978 से 31 मार्च 1979	106.77	(+) 4.20
26	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	23 मार्च 1974	1977–78	152.28	(+) 0.24
27	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 मार्च 1971	1977–78	249.88	(+) 5.61
28	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड (पहले उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड)	क्षेत्रीय विकास	31 जनवरी 1976	1977–78	51.08	(+) 1.97
29	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	30 जून 1978 को समाप्त हुआ वर्ष	45.34	(+) 0.82
30	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1977–78	45.73	(–) 17.43
31	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	कृषि	29 मार्च 1967	1977–78	766.71	(–) 156.07
32	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	1 मई 1975	1977–78	117.78	(+) 33.98
33	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य तथा रसद	22 अक्तूबर 1974	1977–78	52.38	(+) 7.46
34	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31 मार्च 1976	1977–78	278.32	(–) 9.83
35	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	2 अगस्त 1975	1976–77	5.62	(+) 1.42
36	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	5 अगस्त 1974	1976–77	76.52	(+) 2.49
37	उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 जनवरी 1976	1976–77 (31 जनवरी 1976 से 30 जून 1977)	102.96	(+) 7.00

(जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	4.20	3.93	106.57	4.20	3.94
0.11	..	0.24	0.16	140.86	0.35	0.25
7.88	7.18	12.79	5.12	222.13	13.49	6.07
..	..	1.97	3.86	50.81	1.97	3.88
..	..	0.82	1.81	45.19	0.82	1.81
0.72	..	(–)17.43	..	28.20	(–)16.71	..
71.34	2.60	(–)153.47	..	979.01	(–)83.73	..
0.28	..	33.98	28.85	117.88	34.26	29.06
2.14	..	7.46	14.24	52.40	9.60	18.32
..	..	(–)9.83	..	263.65	(–)9.83	..
..	..	1.42	25.27	5.62	1.42	25.27
0.27	0.27	2.76	3.61	76.37	2.76	3.61
..	..	7.00	6.80	102.60	7.00	6.82

1	2	3	4	5	6	7
38	रामगंगा समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	15 मार्च 1975	1 अप्रैल 1977 से 6 मई 1977	47.00	(–) 3.49
39	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30 मार्च 1971	1976–77	97.27	(–) 10.25
40	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	उद्योग	21 दिसम्बर 1964	1976–77	5.61	(–) 0.01
41	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18 अक्तूबर 1972	30 सितम्बर 1976 को समाप्त हुआ वर्ष	362.15	(–) 24.97
42	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30 मार्च 1971	1975–76	53.30	(–) 7.52
43	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुपालन	5 मार्च 1975	5 मार्च 1975 से 31 मार्च 1976	65.05	(–) 0.45
44	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24 अप्रैल 1973	31 दिसम्बर 1975 को समाप्त हुआ वर्ष	68.32	(+) 3.37
	सहायक कम्पनियां					
45	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल कम्पनी (नं० I) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1978–79	2,160.59	(–) 4.82
46	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल कम्पनी (नं० II) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1978–79	0.01	(–) 0.01
47	चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	31 जुलाई 1979 को समाप्त हुआ वर्ष	716.57	(–) 121.47
48	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	31 जुलाई 1979 को समाप्त हुआ वर्ष	731.99	(–) 66.35
49	नन्दगंज–सिंहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	30 जून 1979 को समाप्त हुआ वर्ष	1,449.64	(–) 249.87

(जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	(–)3.49	..	44.02	(–)3.49	..
0.57	..	(–)10.25	..	45.94	(–)9.68	..
..	..	(–)0.01	..	1.35	(–)0.01	..
1.26	..	(–)24.97	..	396.34	(–)23.71	..
0.88	..	(–)7.52	..	46.44	(–)6.64	..
..	..	(–)0.45	..	64.42	(–)0.45	..
..	..	3.37	4.93	58.80	3.37	5.73
109.79	96.78	91.96	4.26	1,600.13	104.97	6.56
..	..	(–)0.01	..	(–)0.80	(–)0.01	..
70.11	42.72	(–)78.75	..	589.07	(–)51.36	..
64.16	45.72	(–)20.63	..	610.96	(–)2.19	..
43.79	41.56	(–)208.31	..	1,017.05	(–)206.08	..

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
50	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड	उद्योग	1 जनवरी 1975	1978–79	107.87	(–) 24.64
51	उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड	उद्योग	14 जनवरी 1976	1978–79	127.87	..
52	टेलीट्रोनिक्स लिमिटेड	पर्वतीय विकास	24 नवम्बर 1973	1978–79	5.79	(–) 3.48
53	ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड	पर्वतीय विकास	29 नवम्बर 1973	1978–79	52.89	(+) 0.18
54	उत्तर प्रदेश डिजीटल्स लिमिटेड	उद्योग	8 मार्च 1978	8 मार्च 1978 से 31 मार्च 1979	9.20	(–) 0.36
55	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	17 फरवरी 1972	30 सितम्बर 1979 को समाप्त हुआ वर्ष	552.14	(–) 79.89
56	गढ़वाल अनुसूचित जन-जाति विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 जून 1975	1978–79	20.00	(–) 0.16
57	कुमायूं अनुसूचित जन-जाति विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 जून 1975	1977–78	14.20	(+) 0.15
58	उत्तर प्रदेश टैक्सटाइल्स प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	5 दिसम्बर 1975	1977–78	16.35	(+) 0.34
59	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	कृषि	6 अप्रैल 1977	6 अप्रैल 1977 से 31 मार्च 1978	5.02	(+) 0.04
60	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड	उद्योग	14 सितम्बर 1976	1977–78	116.41	(–) 3.12
61	उत्तरप्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन पोटरीज लिमिटेड	उद्योग	27 अप्रैल 1976	6 मई 1976 से 31 मार्च 1977	5.17	(–) 1.63

(जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
9.02	6.67	(–) 17.97	..	54.51	(–) 15.62	..
..	..	..	..	23.86	..	..
0.98	..	(–) 3.48	..	13.41	(–) 2.50	..
2.30	1.75	1.93	3.65	53.07	2.48	4.67
..	..	(–) 0.36	..	6.22	(–) 0.36	..
120.66	40.83	(–) 39.06	..	270.23	40.77	15.09
..	..	(–) 0.16	..	19.49	(–) 0.16	..
..	..	0.15	1.06	14.16	0.15	1.06
0.01	..	0.34	2.08	15.98	0.35	2.19
..	..	0.04	0.80	4.56	0.04	0.88
3.29	3.29	0.17	0.15	116.54	0.17	0.15
..	..	(–) 1.63	..	3.37	(–) 1.63	..

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
62	उत्तर प्रदेश पोटरीज (प्राइवेट) लिमिटेड	उद्योग	28 जून 1972	1974–75	9.79	..
63	बुन्देलखण्ड कान्करीट स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	2 मार्च 1974	2 माच 1974 से 31 मार्च 1975	2.23	(–)0.21

टिप्पणी—(i) निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालीन ऋण तथा निर्वाध आरक्षित निधि सम्मि-

(ii) लगाई गई पूंजी में (क्रमांक 5, 8,11 और 44 की कम्पनियों को छोड़कर) निवल कार्यशील पूंजी सम्मिलित है।

(iii) क्रमांक 5, 8, 11 और 44 की कम्पनियों के सम्बन्ध में लगाई गई पूंजी (i) प्रदत्त को सम्मिलित करते हुए उधार और (v) निक्षेप के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के योग

(iv) क्रमांक 19, 51 और 62 की कम्पनियों में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(v) क्रमांक 38 की कम्पनी 7 मई 1977 से परिसमापनाधीन है।

(समाप्त) (कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	..	..	8.60	..	..
..	..	(–) 0.21	..	0.16	(–) 0.21	..

लित है।

नियत परिसम्पत्तियां (चालू पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को छोड़कर) और

पूंजी, (ii) बन्ध-पत्र और ऋण पत्र (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुनः वित्त का औसत प्रदर्शित करती है।

परिशिष्ट

(सन्दर्भ : पैरा 7 (iii) तथा 11.03(iv)

सांविधिक निगमों के कार्यकलापों

(कालम 6 से 10, 12

क्रमांक	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+) / हानि (–)
1	2	3	4	5	6	7
						(क) उत्तर प्रदेश राज्य
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् शक्ति परिषद्		1 अप्रैल 1959	1978–79	1,97,072.04	(–) 642.72
						(ख) अन्य सांविधिक
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1 नवम्बर 1954	1978–79	5,298.00	(+) 127.62
3	उत्तर प्रदेश राज्य भंण्डारागार निगम	सहकारिता	19 मार्च 1958	1978–79	1,896.41	(+) 148.47
4	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1 जून 1972	1976–77*	4,942.92	(+) 120.26

टिप्पणी—(i) निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक ऋण तथा निर्बाध आरक्षित निधि सम्मि-

(ii) लगाई गई पूंजी में (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को छोड़कर) निबल नियत परि-

(iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में लगाई गई पूंजी (i) प्रदत्त पूंजी, (ii) करते हुए उधार, (v) निक्षेप, और (vi) राज्य सरकार द्वारा पेशगी के रूप का औसत प्रदर्शित करती है।

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

पो0 एस0 यू0पी0–ए0पी0 2 महालेखाकार–17–10–80–(2369)–1980–1,750।

II

पृष्ठ 90 तथा 129)

के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित व्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर व्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगाई गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
विद्युत् परिषद्						
2,191.11	2,191.11	1,548.39	0.79	1,82,903.26	1,548.39	0.85
निगम						
241.77	241.77	369.39	6.97	4,844.71	369.39	7.62
43.88	43.88	192.35	10.14	1,479.88	192.35	13.00
372.36	372.36	492.62	9.97	5,119.85	492.62	9.62

लित हैं।

सम्पत्तियां और कार्यशील पूंजी सम्मिलित हैं।

बन्ध पत्र और ऋण पत्र, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुनः वित्त को सम्मिलित में दी गई विशेष योजनाओं के लिये निधि के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के योग